चतुर्दश माला, खंड 29 ~~28~~, अंक 17

सोमवार, 10 सितम्बर, 2007
19 भाद्रपद, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 64
Dated 2 July 2008

(खण्ड 28 में अंक 11 से 17 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए. के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक–I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक–II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 29 ग्यारहवां सत्र, 2007/1929 (शक)

अंक 17, सोमवार, 10 सितम्बर, 2007/19 भाद्रपद, 1929 (शक)

विषय — **कॉलम**

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

(एक) राजस्थान के राजसमंद जिले के नजदीक हुई सड़क दुर्घटनाओं में तथा हैदराबाद में पुल का गर्डर गिर जाने से हुई मौतें 1

(दो) अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाए जाने तथा भारतीय हॉकी टीम को एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप जीतने पर बधाई 361–362

प्रश्नों के लिखित उत्तर 2–360

तारांकित प्रश्न संख्या 361 से 380 2–54

अतारांकित प्रश्न संख्या 3553 से 3782 54–360

सभा पटल पर रखे गए पत्र 362–368

राज्य सभा से संदेश

और 368

राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

रेल संबंधी स्थायी समिति

विवरण 368–369

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य 369–371

(एक) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007–08) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवदेन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह 369–370

(दो) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004–05, 2005–06 और 2006–07) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के पहले, पांचवें और चौदहवें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री विजय हान्डिक 370–371

रक्षा उत्पादन प्रणाली की आउट सोर्सिंग के बारे में दिनांक 20 अगस्त, 2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1956 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

राव इन्द्रजीत सिंह 371–372

नियम 377 के अधीन मामले 372–383

(एक) राजस्थान के अलवर में सारिस्का बाघ रिजर्व में बाघों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

डा. करण सिंह यादव 372–373

(दो) असम के करीमगंज में भारत–बंगलादेश सीमा पर कटीले तारों की बाड़ के साथ–साथ गेटों के निर्माण जल पंपिंग मशीनें लगाए जाने की आवश्यकता

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य 373

(तीन) देश के अल्पसंख्यक बहुल जिलों के विकास हेतु प्रस्तावित केन्द्रीय योजना में आंग्ल भारतीय समुदाय को शामिल किए जाने की आवश्यकता

सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड 373–374

(चार) गुजरात के मेहसाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वजलधारा योजना के तहत पेयजल योजनाओं के लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री जीवाभाई ए. पटेल 374

(पांच) पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में विद्यमान जल प्रणाली की मरम्मत और रख रखाव हेतु निधि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. नरबुला 374–375

(छह) देश में आंग्ल–भारतीय समुदाय के समग्र विकास हेतु एक व्यापक पैकेज की घोषणा किए जाने की आवश्यकता

श्री फ्रांसिस फैन्थम 375–376

(सात) राजस्थान के अजमेर और पुष्कर के बीच रेल संपर्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत 376

(आठ) देश के सुदूर तथा दूरस्थ क्षेत्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत अधिक प्राथमिकता चिकित्सा केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय 376–377

(नौ) देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के समुदायों के समग्र विकास हेतु विशेष वित्तीय पैकेज में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नूलाल मोहले 377–378

(दस) राजस्थान के विद्युत कोटे में केन्द्रीय पूल से वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाला भार्गव 378

(ग्यारह) गुजरात के छोटे पत्तनों को बड़ी लाईन से जोड़े जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर 378

(बारह) पश्चिम बंगाल के केलेघई कोपालेश्वरी–बाघई बेसिन निकासी तथा तामलुक निवासी, जिला मिदनापुर के लिए कार्यबल की सिफारिशों को लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण सेठ 378–379

(तेरह) देश के सभी शहीद सैनिकों के आश्रितों को समान रूप से कल्याणकारी पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री हन्नान मोल्लाह 379–380

(चौदह) उत्तर प्रदेश के खीरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दूषित भू-जल की समस्या का केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री रवि प्रकाश वर्मा 380

(पन्द्रह) चायल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वजलधारा योजना के तहत इंडिया मार्क हैंड पंप लगाए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार 380-381

(सोलह) बिहार के गोपालगंज जिले में थावे को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव 381

(सत्रह) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में घाघरा नदी पर बांध के निर्माण की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री मित्रसेन यादव 381

(अठारह) तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री ई. जी. सुगावनम 381-382

(उन्नीस) झारखंड के संथाल परगना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री हेमलाल मुर्मू 382-383

(बीस) जम्मू कश्मीर के लद्दाख में दूरसंचार सेवाओं में सुधार तथा विस्तार किए जाने की आवश्यकता

श्री छेवांग थुपस्तन 383

वायुयान (संशोधन) विधेयक, 2006 384-385

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री प्रफुल पटेल

खंड 2 से 14 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

सड़क से वहन विधेयक, 2007 385-386

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री टी. आर. बालू

खंड 2 से 22 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

विदाई उल्लेख 387–390

राष्ट्रीय गीत 390

अनुबंध-I 391–398

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 391

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 392–398

अनुबंध-II 399–402

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 399

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 399–402

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

सोमवार, 10 सितम्बर, 2007/19 भाद्रपद, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

राजस्थान के राजसमंद जिले के नजदीक हुई सड़क दुर्घटना में तथा हैदराबाद में पुल का गर्डर गिर जाने से हुई मौतें

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, 7 सितम्बर, 2007 को हुई एक सड़क दुर्घटना में लगभग 86 लोग मारे गए और 61 जख्मी हो गए। यह दुर्घटना तब हुई तब रामदेवड़ा, जैसलमेर स्थित बाबा रामदेव मंदिर के वार्षिक मेले में जा रहे लगभग 150 तीर्थयात्रियों से भरा ट्रक राजस्थान के राजसमुंद जिले में देसुरी–का–नाल गांव में एक गहरे खड्ड में गिर गया।

एक अन्य दुर्घटना में 9 सितम्बर, 2007 को हैदराबाद में पुंजगुटा जंक्शन में पुल निर्माण स्थल पर पुल का एक गर्डर टूट जाने से लगभग 10 लोगों के मारे जाने की सूचना है।

हम इन दुर्घटनाओं में हुई लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट करते हैं। सभा अब दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़ी रहेगी।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रश्न काल निलंबित करने के लिए दो माननीय सदस्यों, श्री विजय कुमार मल्होत्रा तथा श्री प्रभुनाथ सिंह से दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मेरी सभी माननीय सदस्यों से अपील है कि कृपया वे इसे प्रश्नकाल के बाद उठाएं क्योंकि प्रश्न काल महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, जो सरकार ओपोजिशन को रिक्गनाइज ही नहीं करती हो, तो उस सरकार से क्या सवाल पूछ सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, आप सदन के संरक्षक हैं। आप जानते हैं कि कई दिनों से इस सदन में विवाद चल रहा है। इस विवाद का कारण है कि जेपीसी की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है। सब लोग चाहते हैं कि सदन चले, क्योंकि महंगाई पर चर्चा की जानी है, किसानों के विषय पर चर्चा की जानी है, सच्चर समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की जानी हैं तथा कई अन्य विषयों पर चर्चा होनी है, जो अभी तक लम्बित है। सरकार की जिद के कारण कोई भी चर्चा सदन में नहीं हो पा रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, हम संसद में मुख्य विपक्ष को पहचानते हैं। हम संसद में मुख्य विपक्ष के प्रति सम्मान की पहचान करते हैं। संविधान तथा संसद की स्थापित विधियों के अनुसार हमने विपक्ष के महत्व को कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। विपक्ष सभा में मनमानी कर रहा है। प्रतिदिन, समूची सभा के साथ मनमानी की जा रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, स्वयं कार्यसूची में, मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया है। वे चर्चा की सूची में आ रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी विषयों पर चर्चा की अनुमति देता हूं।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

ग्रोथ पोल योजना

***361. श्री सूरज सिंह :**

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग ने असंगठित क्षेत्र के विकास के लिए 'ग्रोथ पोल' नामक योजना का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा तैयार की गयी अंतिम रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई शुरू की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) वित्त मंत्री के वर्ष 2005–06 के बजट अभिभाषण के अनुसार असंगठित क्षेत्र के उद्यमों हेतु राष्ट्रीय आयोग (एनसीईयूएस) ने देश में ग्रोथ पोल योजना का प्रस्ताव किया है, जिसका उद्देश्य एक ही भौगोलिक स्थान में स्थित उत्पादन एवं सेवाओं से जुड़े कई कलस्टरों के समन्वित विकास के द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र में उत्पादन एवं रोजगार को बढ़ावा देना है। ग्रोथ पोल्स के लिए विस्तृत परियोजना रूपरेखा (डी पी आर) तैयार कराई जा रही है।

(ग) जी हां। असंगठित क्षेत्र के उद्यमों हेतु राष्ट्रीय आयोग (एनसीईयूएस) ने राज्य सरकारों से सलाह पर छह ग्रोथ पायलट प्रोजेक्टों (छत्तीसगढ़, केरल, राजस्थान, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल और असम) की पहचान की है और इस संबंध में डी पी आर बनवाई जा रही है।

(घ) इन ग्रोथ पोल्स संबंधित योजनाओं को कार्यान्वित करने की समयावधि डी पी आर तैयार होने एवं उसकी साध्यता पर निर्भर है।

राष्ट्रीय कृषि विकास निधि

***362. श्रीमती करुणा शुक्ला :**
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (एनएडीएफ) की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त निधि के माध्यम से किसानों को दी जा रही ऋण राशि में कितनी वृद्धि होगी; और

(घ) उक्त निधि के माध्यम से आगामी दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान किसानों को कुल कितनी ऋण राशि वितरित की जायेगी?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

खाद्य विभाग में वित्तीय अनियमितताएं

***363. डा. धीरेंद्र अग्रवाल :**
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिकार्डों का समुचित रखरखाव नहीं किए जाने के कारण खाद्य विभाग में वित्तीय अनियमितताओं के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभाग द्वारा बड़ी मात्रा में खाद्यान्न के दुरुपयोग के मामले की हाल ही में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जी नहीं। तथापि, भारतीय खाद्य निगम ने लेखाओं के गबन/दुर्विनियोजन के 82 मामले सूचित किए हैं। इन मामलों की फिलहाल भारतीय खाद्य निगम में जांच की जा रही है।

बांधों की मरम्मत के लिए विश्व बैंक से सहायता

***364. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :**
श्री पी. सी. थामस :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कई सिंचाई बांध ढहने के कगार पर हैं तथा उनकी तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बांधों की मरम्मत हेतु विश्व बैंक द्वारा प्रदान की गई धनराशि अब तक राज्यों को जारी नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उक्त बांधों की मरम्मत के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई रणनीति का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (घ) किसी बांध के ढहने के कगार पर होने के बारे में राज्य सरकारों से कोई विशेष सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, कुछ बांध अपेक्षाकृत पुराने हैं और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मौजूदा बांधों की सुरक्षा की समीक्षा करने तथा समस्या ग्रस्त बांधों के संबंध में उपयुक्त उपाय प्रारंभ करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

बांधों की सुरक्षा के उपायों के महत्व को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1991–99 के दौरान विश्व बैंक की सहायता से "बांध सुरक्षा आश्वासन एवं पुनर्वास परियोजना (डीएसएआरपी)" कार्यान्वित की गई थी जिसमें मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों ने सहयोग किया। वर्तमान में "बांध की मरम्मत" के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कोई

परियोजना कार्यान्वयनाधीन नहीं है। तथापि, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विश्व बैंक से सहायता के लिए "बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीएसएआरपी)" प्रस्तुत की गई है।

[अनुवाद]

डी.आर.डी.ओ. के कार्यकरण की समीक्षा करने हेतु समिति

***365. श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डी.आर.डी.ओ. के कार्यकरण की व्यापक समीक्षा हेतु विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र और बाह्य समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (ग) सरकार ने स्वदेशी उत्पादन की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए तथा रक्षा तैयारी में आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए और विभिन्न स्टेकहोल्डरों के प्रयासों को सहयोजित करने के प्रयोजन से रक्षा अर्जन प्रक्रिया की मूलतः जांच करने और इस संबंध में परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए डॉ. विजय एल. केलकर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के पास उपलब्ध घरेलू अनुसंधान सुविधाओं की तुलना में मुहैया कराई गई अनुसंधान एवं विकास सहायता की प्रभावकारिता की जांच करने के प्रयोजन से तथा रक्षा अनुसंधान में निजी क्षेत्र की कारगर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समिति ने बाह्य विशेषज्ञों के स्वतंत्र समूह की एक पृथक समिति द्वारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की कार्यविधि की पुनरीक्षा की सिफारिश की थी।

उपर्युक्त सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 08 फरवरी, 2007 को डॉ. पी. रामा राव की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र समिति का गठम किया है। समिति का संघटन निम्नानुसार है:–

अध्यक्ष

डॉ. पी. रामा राव,

पूर्व सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा उप कुलपति, केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद और अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड और इस समय इसरों में प्रख्यात प्रोफेसर, डॉ. ब्रह्म प्रकाश

सदस्य

1. श्री ए के घोष, पूर्व वित्त सलाहकार (रक्षा सेवा)
2. डॉ. सी जी कृष्णदास नायर, पूर्व अध्यक्ष, हि.ए.लि. तथा वर्तमान में एस आई ए टी आई के अध्यक्ष
3. श्री सतीश के कौड़ा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, समटेलकलर लिमिटेड और अध्यक्ष, उद्योग परिषद्, सी आई आई
4. प्रो. (डॉ.) तपन कुमार घोषाल, प्रो. एवं विभागाध्यक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता
5. वाइस एडमिरल पी जेटली, पी वी एस एम, ए वी एस एम, वी एस एम (सेवानिवृत्त), भूतपूर्व सामग्री–प्रमुख, नौसेना मुख्यालय
6. एयर मार्शल अजीत भवनानी, पी वी एस एम, ए वी एस एम, वी एम, ए डी सी (सेवानिवृत्त), पूर्व सह वायुसेना अध्यक्ष
7. लेफ्टिनेंट जनरल सी एस चीमा, पी वी एस एम (सेवानिवृत्त), पूर्व डी जी ए ए डी
8. श्री के शेखर, प्रख्यात वैज्ञानिक, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

समिति रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही है। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट अपने गठन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, सरकार को प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

खाद्यान्नों की खरीद

[हिन्दी]

***366. श्री हरिसिंह चावड़ा :**

श्री जीवाभाई ए. पटेल :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों की खरीद से पूर्व उनकी गुणवत्ता की जांच करता है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या व्यवस्था की गयी है तथा क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है;

(ग) क्या इन व्यवस्थाओं तथा प्रक्रियाओं के बावजूद गत तीन

वर्षों के दौरान घटिया किस्म के खाद्यान्नों की खरीद के मामले सरकार के ध्यान में आये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम प्रत्येक वर्ष यह अनुदेश जारी करता है कि भारत सरकार द्वारा विहित एकसमान विनिर्दिष्टियों के अनुरूप पाये जाने वाले खाद्यान्नों की ही वसूली की जाए। वसूली के समय खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए वसूली केन्द्रों पर भारतीय खाद्य निगम के गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग के तकनीकी कर्मचारी तैनात किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त वसूली केन्द्रों पर नमी मीटर, भौतिक विश्लेषण किट तथा तारपोलिन, तुलाई एवं सिलाई मशीन तथा डनेज सामग्री आदि जैसी अन्य वस्तुएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) घटिया खाद्यान्नों की वसूली के लिए जिम्मेदार पाए गए भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों जिनके विरूद्ध भारतीय खाद्य निगम के सतर्कता प्रभाग द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की गई हैं उनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

क्रम संख्या	वर्ष	श्रेणी–1	श्रेणी–2	श्रेणी–3
1.	2004–05	12	621	1359
2.	2005–06	–	3	8
3.	2006–07	–	7	9
	जोड़	12	631	1376

[अनुवाद]

रक्षा बलों में एच आई वी/एड्स का खतरा

***367. श्री बंसगोपाल चौधरी :**

श्री सुनील खां :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा बलों में एच आई वी/एड्स फैलता जा रहा है जिसके कारण डब्ल्यू. बी. एस., ए. पी. सी. एस. तथा बी. एस. एफ. को मजबूरन मिलकर जवानों को इस संबंध में जागरूक करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में हो रही क्षति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सेवा नियमों, छुट्टी की अवधि बढ़ाना, कार्य के तनाव को कम करना तथा परिवार आवास प्रदान करने के संबंध में परिवर्तन करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (घ) सशस्त्र सेनाओं में, पिछले पांच वर्षों के दौरान, एच आई वी पॉजिटिव मामलों में कमी आने की प्रवृत्ति दिखाई दी है। ये मामले वर्ष 2001 में 501 थे जबकि वर्ष 2006 में इनकी संख्या 377 है।

सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के पास एच आई वी/एड्स नियंत्रण का एक विस्तृत कार्यक्रम है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:–

(क) सैनिकों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य शिक्षा।

(ख) रक्तदाताओ, यौन संबंधों से संचारित रोगों वाले रोगियों, तपेदिक–रोगियों, प्रसव–पूर्व मामलों, शान्ति स्थापना मिशनों में विदेश जाने वाले और वहां से वापस आने वाले कार्मिकों, जैसे अत्यंत जोखिम वाले समूहों पर नजर रखना।

(ग) प्रसव–पूर्व सभी रोगियों की शतप्रतिशत जांच करना।

(घ) एच आई वी, हैपेटाइटिस बी, हैपेटाइटिस सी, सिफलिस और मलेरिया के संबंध में सभी रक्त/रक्त उत्पादों की शतप्रतिशत जांच करना।

(ङ) स्वेच्छा से सलाह–मशविरा करने तथा परीक्षण कराने को प्रोत्साहित करना।

(च) दृश्य–श्रव्य साधनों के माध्यम से एच आई वी/एड्स के बारे में जागरूकता फैलाना।

सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) और संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम (यू. एन. एड्स) के साथ गहन समन्वय रखकर एच आई वी/एड्स निवारण और नियंत्रण का एक व्यापक कार्यक्रम चला रही है। तथापि, पश्चिम बंगाल राज्य एड्स निवारण और नियंत्रण सोसाइटी तथा सीमा सुरक्षा बल से सहायता नहीं मांगी गई है।

तनाव संबंधी मुद्दों के संबंध में शिक्षित करने और परामर्श देने की व्यवस्था रक्षा सेनाओं में पहले से विद्यमान है। इसमें, वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों के बीच और अधिक औपचारिक तथा अनौपचारिक बातचीत किया जाना, यूनिट में रिपोर्ट करने और फीडबैक देने की समय पर

खरी उतरी पद्धति को सुदृढ़ करना, व्याख्यान/प्रस्तुतियां देने और अधिकारियों/कार्मिकों को शिक्षित करने के लिए मनश्चिकित्सकों और परामर्शदाताओं की सेवाओं का उपयोग करना, तनावग्रस्त कार्मिकों का पता लगाना और उनका मनोवैज्ञानिक इलाज करना और उन्हें परामर्श देना शामिल है।

सशस्त्र सेनाओं की सेवा शर्तों में सुधार किए जाने की दृष्टि से सरकार ने निम्नलिखित उपाय भी अनुमोदित किए हैं:-

(i) अधिकारियों के लिए कर्नल के रैंक (समय मान) तक समय मान पदोन्नतियां सुनिश्चित की गई हैं जिससे पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि है और संतुष्टि का स्तर बढ़ा है।

(ii) फील्ड/उच्च-तुंगता/विद्रोहिता रोधी/प्रति आतंकवाद संक्रिया वाले क्षेत्रों में सेवारत सशस्त्र सेनाओं के सभी रैंकों के लिए अतिरिक्त रेल वारंट प्रदान करना।

(iii) छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाने के लिए 1450 कि.मी. का प्रतिबंध हटाना और अधिकारियों और उनसे निचले रैंक के कार्मिकों (पी बी ओ आर) की छुट्टी यात्रा रियायत हकदारी को, उनके लिए समान बनाते हुए, युक्ति-संगत बनाना।

(iv) मौजूदा (उच्च-तुंगता [प्रतिकूल जलवायु]) क्षेत्र के भीतर अपेक्षाकृत अधिक कठिन, खतरनाक और एकाकी क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए बढ़ी हुई दरों पर उच्च-तुंगता (प्रतिकूल जलवायु) भत्ता देना।

(v) छुट्टी विनियमों को, जहां आवश्यक है, उदारीकृत बनाया गया है।

(vi) रक्षा सेनाओं के कार्मिकों के लिए पर्याप्त रिहायश/विवाहित आवास उपलब्ध कराने के लिए एक विवाहित आवास परियोजना चलाई गई है। इसके अलावा, विवाहित आवास किराये पर लेने के प्रावधान भी मौजूद हैं। जब किसी व्यक्ति को फील्ड क्षेत्र में तैनात किया जाता है तो, विभिन्न स्टेशनों पर, पृथक परिवार आवास भी उपलब्ध है।

सीमा पर सड़कों का निर्माण

***368. श्री किरिप चालिहा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा सीमा पर सड़कों के निर्माण हेतु वर्ष 2007-08 के दौरान कितनी राशि आबंटित की गई;

(ख) वर्ष 2007-08 के दौरान उत्तर पूर्व राज्यों विशेष रूप से असम में अनुमानतः कितनी लम्बी सड़क का निर्माण किया जाएगा; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (ग) वर्ष 2007-08 के दौरान सीमा सड़क संगठन (बी आर ओ) को देश में 1497.38 कि.मी. सीमा सड़कों के निर्माण/सुधार हेतु 1635.58 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है।

2. सीमा सड़क संगठन ने वर्ष 2007-08 में 321.27 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वोत्तर राज्यों में संक्रियात्मक/सामरिक महत्व की 262.49 कि.मी. सड़कों का निर्माण/सुधार करने की योजना बनाई है। सीमा सड़क संगठन के पास 250 करोड़ रुपए की लागत से विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम - पूर्वोत्तर (एस ए आर डी पी - एन ई) के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में 150.39 कि.मी. सड़कों का निर्माण/सुधार करने की योजना है। इस प्रकार, वर्ष 2007-08 के दौरान बी आर ओ द्वारा निर्माण/सुधार की जाने वाली सड़कों की कुल लंबाई 412.88 कि.मी. है। जिसकी कुल लागत 571.27 करोड़ रुपए है।

3. असम में वर्ष 2007-08 के दौरान 147.92 करोड़ रुपए की लागत से 129.97 कि.मी. सड़क का निर्माण किया जाना है।

[हिन्दी]

नये ई.एस.आई. अस्पताल खोलना

***369. श्री रामदास आठवले :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में राज्यवार कितने कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल कार्यरत हैं;

(ख) क्या कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों की संख्या उनकी वास्तविक आवश्यकता से कम है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार नए कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल खोलने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार कब तक नए अस्पताल खोले जायेंगे; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आबंटित की जायेगी?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ङ) इस समय, पूरे देश में 144 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल हैं (ब्यौरा संलग्न)।

नये अस्पतालों की मंजूरी राज्य सरकार के अनुरोध पर और कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए

दी जाती है। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों की आवश्यकता क्षेत्र में बीमित व्यक्तियों (आई पीज) के संकेन्द्रण के आधार पर निर्भर होती है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सिद्धान्त रूप में निम्नलिखित राज्यों में नये अस्पतालों को खोलने का अनुमोदन प्रदान किया है :-

1. रायपुर, छत्तीसगढ़
2. बद्दी, हिमाचल प्रदेश
3. गुडगांव (100 बिस्तर वाला), हरियाणा
4. तिरूनेलवेली और तिरूपुर, तमिलनाडु
5. हल्दिया, पश्चिम बंगाल

इसके अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने देहरादून, उत्तरांचल और रायपुर, छत्तीसगढ़ में 10 बिस्तरों वाले नैदानिक केन्द्र खोलने का भी अनुमोदन कर दिया है।

किसी अस्पताल को खोलने पर होने वाला व्यय इसके आकार, बिस्तरों की संख्या, क्षेत्र में भूमि की लागत और निर्माण लागत जैसे विभिन्न कारकों आदि पर निर्भर होता है।

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों की सूची

आंध्र प्रदेश	11
असम	01
बिहार	03
झारखंड	03
चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र	01
दिल्ली	04
गुजरात	12
गोवा	01
हरियाणा	05
कर्नाटक	09
केरल	13
मध्य प्रदेश	07
महाराष्ट्र	14
उड़ीसा	06
पांडिचेरी	01
हिमाचल प्रदेश	01
पंजाब	07
राजस्थान	05
तमिलनाडु	09
उत्तर प्रदेश	16
पश्चिम बंगाल	14
जम्मू और कश्मीर	01
कुल	144

नकली बीजों की आपूर्ति

***370. श्रीमती सुमित्रा महाजन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार नकली/खुराब गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति के कुल कितने मामलों का पता लगा है;

(ख) नकली बीजों की आपूर्ति से खाद्यान्न उत्पादन कितना प्रभावित हुआ है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बीज अधिनियम, 1966 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के अधीन विगत तीन वर्षों के लिए बीज गुणवत्ता प्रवर्तन की स्थिति का ब्यौरा विवरण I-VI में दिया गया है।

गुणवत्ताप्रद बीज की तुलना में अवमानक बीज का अनुपात कम हो रहा है जो इस बात का संकेत है कि गुणवत्ताप्रद बीजों की उपलब्धता में वृद्धि और परिणामस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो रही है।

सरकार अवमानक बीजों की बिक्री को रोकने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। सरकार ने सभी राज्यों को अवमानक बीज की आपूर्ति अथवा बिक्री करने वाले उत्पादकों और विक्रेताओं के विरूद्ध बीज अधिनियम, 1966, बीज नियम, 1968 बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की सलाह दी है। बीज गुणवत्ता प्रवर्तन को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को मिलने वाली वित्तीय सहायता बढ़ा दी गई है।

विवरण-I

वर्ष 2003-04 के दौरान बीज अधिनियम, 1966 संबंधी प्रगति रिपोर्ट

क्र. सं.	राज्य	अधिसूचित निरीक्षकों की संख्या	लिए गए नमूनों की कुल संख्या	अवमानक पाए गए नमूनों की संख्या	उन बीज डीलरों की संख्या जिन्हें अवमानक बीज बेचे गए	उन मामलों की संख्या जिनमें चेतावनी दी गई	उन मामलों की संख्या जिनमें बिक्री को रोकने के आदेश जारी किए गए	न्यायालय में दायर मामलों की संख्या	न्यायालय द्वारा निर्मित मामलों की संख्या जिनमें जुर्माना/कारावास का निर्णय दिया गया	न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें बीज जब्त किए गए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	1160	9413	672	142	4	28	51	8	135	3
2.	असम	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	अरूणाचल प्रदेश	-	1029	147	-	-	-	-	-	-	-
5.	*बिहार										
6.	चण्डीगढ़ के.शा.क्षे.										
7.	छत्तीसगढ़						शून्य रिपोर्ट				
8.	दिल्ली	237	535	16	-	-	-	-	-	-	-
9.	दादर और नागर हवेली	10	163	3	3	3	3	3	24	13	-
10.	दमन और दीव						सूचना के अनुसार लागू नहीं				
11.	गुजरात	76	3332	98	98	54	5	42	50	37	34
12.	गोवा	10	1170	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	हरियाणा	81	3281	65	65	59	4	2	-	5	-
14.	हिमाचल प्रदेश	225	675	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	जम्मू और कश्मीर	6	192	11	8	-	15	8	5	3	-
16.	झारखण्ड	22	721	95.	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	कर्नाटक	1232	6107	61	44	50	36	10	-	-	-
18.	*केरल										
19.	लक्षद्वीप						लागू नहीं				
20.	मध्य प्रदेश	4980	3360	271	-	-	-	-	-	-	-
21.	मेघालय						शून्य रिपोर्ट				
22.	महाराष्ट्र	884	10902	408	409	365	400	753	52	469	-
23.	मणिपुर						शून्य रिपोर्ट				
24.	मिजोरम	8	1000	245	-	-	-	-	-	-	-
25.	नागालैण्ड						सूचना के अनुसार लागू नहीं				
26.	उड़ीसा	748	1812	159	-	-	-	-	-	-	-
27.	पंजाब	1190	4195	313	313	-	-	-	-	-	-
28.	पांडिचेरी	14	153	9	4	4	-	-	-	-	-
29.	राजस्थान	352	3829	36	42	18	37	16	-	16	-
30.	सिक्किम	8	1304	18	-	-	-	-	-	-	-
31.	तमिलनाडु	59	21685	1243	888	801	914	120	85	35	-
32.	त्रिपुरा	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	उत्तर प्रदेश	228	4093	133	133	68	6	5	5	-	-
34.	उत्तरांचल	20	56	13	-	-	-	-	-	-	-
35.	प. बंगाल	258	4648	841	841	841	835	-	-	-	-
	कुल	12348	80667	4785	2923	2557	2290	1006	214	700	37

विवरण-II

वर्ष 2004–05 के दौरान बीज अधिनियम, 1966 संबंधी प्रगति रिपोर्ट

क्र. सं.	राज्य	अधिसूचित निरीक्षकों की संख्या	लिए गए नमूनों की कुल संख्या	अवमानक पाए गए नमूनों की संख्या	उन बीज डीलरों की संख्या जिन्हें अवमानक बीज बेचे गए	उन मामलों की संख्या जिनमें चेतावनी दी गई	उन मामलों की संख्या जिनमें बिक्री को रोकने के आदेश जारी किए गए	न्यायालय में दायर मामलों की संख्या	न्यायालय द्वारा निर्णीत मामलों की संख्या जिनमें जुर्माना/कारावास का निर्णय दिया गया	न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें बीज जब्त किए गए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	1415	15487	545	229	15	7	100	5	95	1
2.	असम	474	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	-	-
4.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	*बिहार	12	972	25	18	18	-	-	-	-	-
6.	चण्डीगढ़ के.शा.क्षे.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	छत्तीसगढ़	237	1353	36	-	14	36	-	-	-	-
8.	दिल्ली	9	127	2	-	2	2	-	-	-	-
9.	दादर और नागर हवेली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	दमन और दीव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	गुजरात	77	4245	63	54	18	46	18	39	14	-
12.	गोवा	10	308	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	-	-	-
13.	हरियाणा	81	3140	35	शून्य	23	3	-	-	-	-
14.	हिमाचल प्रदेश	10	509	-	शून्य	शून्य	-	-	-	-	-
15.	जम्मू और कश्मीर	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	झारखण्ड	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	कर्नाटक	1207	6883	50	22	42	20	8	-	-	-
18.	*केरल	155	50	5	-	-	-	-	-	-	-
19.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	मध्य प्रदेश	948	3959	332	-	332	332	2	1	1	-
21.	मेघालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	महाराष्ट्र	884	10755	186	-	-	-	-	-	-	-
23.	मणिपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	मिजोरम	8	1000	130	-	-	-	-	-	-	-
25.	नागालैण्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	उड़ीसा	748	1409	420	-	-	-	-	-	-	-
27.	पंजाब	1190	2636	250	42	152	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	पांडिचेरी	14	203	4	-	4	-	-	-	-	-
29.	राजस्थान	391	3310	27	27	-	38	13	-	13	-
30.	सिक्किम	8	1246	17	-	-	-	-	-	-	-
31.	तमिलनाडु	57	22688	1195	982	787	1621	195	147	48	2
32.	त्रिपुरा	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	उत्तर प्रदेश	228	3733	88	-	23	53	7	5	2	-
34.	उत्तरांचल	20	325	1	-	-	-	-	-	-	-
35.	प. बंगाल	250	2850	48	887	887	863	-	-	-	485
	कुल	8529	87588	3829	2261	2207	3021	343	197	173	488

विवरण-III

वर्ष 2005–06 के दौरान बीज अधिनियम, 1966 संबंधी प्रगति रिपोर्ट

क्र. सं.	राज्य	अधिसूचित निरीक्षकों की संख्या	लिए गए नमूनों की कुल संख्या	लिए गए नमूनों की कुल संख्या	अवमानक पाए गए नमूनों की संख्या	उन बीज डीलरों की संख्या जिन्हें अवमानक बीज बेचे गए	उन मामलों की संख्या जिनमें चेतावनी दी गई	उन मामलों की संख्या जिनमें बिक्री को रोकने के आदेश जारी किए गए	न्यायालय में दायर मामलों की संख्या	न्यायालय द्वारा निर्णीत मामलों की संख्या जिनमें जुर्माना/कारावास का निर्णय दिया गया	न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें बीज जब्त किए गए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	1416	10107	131	231	331	16	5	101	7	94	2
2.	असम	475	शून्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	-	शून्य	-	-	-	-	-	-		-	-
4.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	बिहार	12	901	113	113	18	17	-	-	-	-	-
6.	छत्तीसगढ़	230	1352	-	16	-	14	36	-	-	-	-
7.	चण्डीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	दिल्ली	9	125	-	-	-	2	2	-	-	-	-
9.	दादर और नागर हवेली	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	दमन और दीव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	गुजरात	79	4205	-	208	18	18	46	19	15	4	-
12.	गोवा	10	308	-	-	शून्य	शून्य	-	-	-	-	-
13.	हरियाणा	82	3140	-	166	25	21	3	-	-	-	-
14.	हिमाचल प्रदेश	10	501	-	-	शून्य	शून्य	-	-	-	-	-
15.	जम्मू और कश्मीर	6	-	-	12	0	-	-	-	-	-	-
16.	झारखण्ड	23	-	-	195	-	20	20	-	-	-	-
17.	कर्नाटक	1209	6807	-	166	42	-	-	8	-	-	-
18.	केरल	156	50	-	5	-	-	-	-	-	-	-
19.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	मध्य प्रदेश	949	4001	-	337	232	232	252	2	1	1	-
21.	मेघालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	महाराष्ट्र	885	9011	-	301	-	-	-	-	-	-	-
23.	मणिपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	मिजोरम	8	1010	-	135	-	-	-	-	-	-	-
25.	नागालैण्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	उड़ीसा	748	1501	-	455	-	-	-	-	-	-	-
27.	पंजाब	1190	2503	-	305	162	-	-	-	-	-	-
28.	पांडिचेरी	14	210	-	4	4	-	-	-	-	-	-
29.	राजस्थान	391	3311	-	131	-	38	38	13	13	-	-
30.	सिक्किम	8	1240	-	21	-	-	-	-	-	-	-
31.	तमिलनाडु	57	16620	-	1290	587	1501	1555	295	137	163	6
32.	त्रिपुरा	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	उत्तर प्रदेश	228	325	-	1	28	51	57	12	8	4	-
34.	उत्तराखंड	20	30015	391	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	प. बंगाल	250	2801	-	51	888	762	835	-	-	-	-
	कुल	8518	93354	244	3537	2335	2693	2829	450	176	274	8

विवरण-IV

वर्ष 2003-04 के दौरान बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 संबंधी प्रगति रिपोर्ट

क्र.	राज्य	उन बीज डीलरों की संख्या जिन्हें लाइसेंस जारी किए गए	उन मामलों की संख्या जिनमें लाइसेंस अस्वीकृत किए गए	लिए गए नमूनों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें दस्तावेज जब्त किए गए	उन मामलों की संख्या जिनमें आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अभियोग चलाया गया	उन मामलों की संख्या जिनमें बीज जब्त किए गए	इस अवधि के दौरान बीज डीलरों द्वारा की गई अपीलों का ब्यौरा	अपील न्यायालय में दायर मामलों की संख्या	अपील प्राधिकरण के समक्ष लंबित मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	8080	-	3860	-	51	28	2	-	-
2.	असम	137	-	3300	-	-	-	-	-	-
3.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह					सूचना के अनुसार शून्य				
4.	अरूणाचल प्रदेश									
5.	*बिहार									
6.	चण्डीगढ़					सूचना के अनुसार शून्य				
7.	छत्तीसगढ़	272	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	दिल्ली	389	-	163	-	-	-	-	-	-
9.	दादर और नागर हवेली					सूचना के अनुसार शून्य				
10.	दमन और दीव					सूचना के अनुसार शून्य				
11.	गुजरात	2403	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	गोवा					सूचना के अनुसार शून्य				
13.	हरियाणा	5722	-	3281	-	2	-	-	-	-
14.	हिमाचल प्रदेश	578	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	जम्मू और कश्मीर	161	-	923	-	33	-	-	-	-
16.	झारखण्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	कर्नाटक	4931	10	-	21	-	8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	*केरल									
19.	लक्षद्वीप					सूचना के अनुसार शून्य				
20.	मध्य प्रदेश	176	-	2379	-	-	-	-	-	-
21.	मेघालय					सूचना के अनुसार शून्य				
22.	महाराष्ट्र	28527	-	10902	-	-	13	-	-	-
23.	मणिपुर					सूचना के अनुसार शून्य				
24.	मिजोरम	-	-	22	-	-	-	-	-	-
25.	नागालैण्ड					सूचना के अनुसार शून्य				
26.	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	पंजाब	4464	-	4249	-	-	1	15	-	-
28.	पांडिचेरी	47	-	153	-	-	-	-	-	-
29.	राजस्थान	-	-	4176	35	27	5	2	27	-
30.	सिक्किम	5	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	तमिलनाडु	5318	3	21685	7	3	2	-	-	-
32.	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	उत्तर प्रदेश	7711	-	1803	-	-	-	4	4	-
34.	उत्तरांचल									
35.	प. बंगाल	7905	-	4648	-	-	-	-	-	-
	कुल	75180	13	61260	63	116	57	23	31	—

विवरण-V

वर्ष 2004-05 के दौरान बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 संबंधी प्रगति रिपोर्ट

क्र.	राज्य	उन बीज डीलरों की संख्या जिन्हें लाइसेंस जारी किए गए	उन मामलों की संख्या जिनमें लाइसेंस अस्वीकृत किए गए	लिए गए नमूनों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें दस्तावेज जब्त किए गए	उन मामलों की संख्या जिनमें आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अभियोग चलाया गया	उन मामलों की संख्या जिनमें बीज जब्त किए गए	इस अवधि के दौरान बीज डीलरों द्वारा की गई अपीलों का ब्यौरा	अपील न्यायालय में दायर मामलों की संख्या	अपील प्राधिकरण के समक्ष लंबित मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	9998	0	8379	141	13	12	2	0	0
2.	असम	137	0	400	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	बिहार	0	0	1404	2	0	0	0	0	0
6.	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	272	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	दिल्ली	476	0	138	0	0	0	0	0	0
9.	दादर और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	गुजरात	11412	0	4430	0	0	0	0	0	0
12.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	हरियाणा	7205	0	3286	0	1	0	0	1	0
14.	हिमाचल प्रदेश	648	0	25	0	0	0	0	0	0
15.	जम्मू और कश्मीर	161	0	20	0	0	0	0	0	0
16.	झारखण्ड	25	0	50	0	0	0	0	0	0
17.	कर्नाटक	5214	4	0	12	3	0	0	0	0
18.	केरल	25	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	240	0	2930	0	0	0	0	0	0
21.	मेघालय	8	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	महाराष्ट्र	31167	0	11068	0	8	40	10	0	0
23.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	मिजोरम	2	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उड़ीसा	114	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	पंजाब	5071	0	4521	8	13	7	52	0	0
28.	पांडिचेरी	58	0	154	12	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	राजस्थान	11528	0	4931	0	34	2	0	0	0
30.	सिक्किम	5	0	10	0	0	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	6286	14	9746	0	0	4	0	0	0
32.	त्रिपुरा	250	0	250	0	0	0	0	0	0
33.	उत्तर प्रदेश	12468	0	3743	0	0	0	0	0	0
34.	उत्तरांचल	50	0	200	0	0	0	0	0	0
35.	प. बंगाल	7045	0	7651	0	0	0	0	0	0
	कुल	109640	18	63336	175	72	56	64	1	2

विवरण-VI

वर्ष 2005–06 के दौरान बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 संबंधी प्रगति रिपोर्ट

क्र.	राज्य	उन बीज डीलरों की संख्या जिन्हें लाइसेंस जारी किए गए	उन मामलों की संख्या जिनमें लाइसेंस अस्वीकृत किए गए	लिए गए नमूनों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें दस्तावेज जब्त किए गए	उन मामलों की संख्या जिनमें आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अभियोग चलाया गया	उन मामलों की संख्या जिनमें बीज जब्त किए गए	इस अवधि के दौरान बीज डीलरों द्वारा की गई अपीलों का ब्यौरा	अपील न्यायालय में दायर मामलों की संख्या	अपील प्राधिकरण के समक्ष लंबित मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	9998	0	8379	141	13	12	2	0	0
2.	असम	137	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	अण्डमान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	बिहार	0	0	1404	2	0	0	0	0	0
6.	चण्डीगढ़ के.शा.क्षे.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	272	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	दिल्ली	476	0	138	0	0	0	0	0	0
9.	दादर और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. गुजरात	11412	0	4430	0	0	0	0	0	0
12. गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. हरियाणा	7205	C	3286	0	1	0	0	1	0
14. हिमाचल प्रदेश	648	0	0	0	0	0	0	0	0
15. जम्मू और कश्मीर	161	0	0	0	0	0	0	0	0
16. झारखण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. कर्नाटक	5214	4	0	12	3	0	0	0	0
18. *केरल	25	0	0	0	0	0	0	0	0
19. लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. मध्य प्रदेश	240	0	2930	0	0	0	0	0	0
21. मेघालय	8	0	0	0	0	0	0	0	0
22. महाराष्ट्र	31167	0	11068	0	8	41	10	0	0
23. मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. उड़ीसा	114	0	0	0	0	0	0	0	0
27. पंजाब	5071	0	4521	8	13	7	52	0	0
28. पांडिचेरी	58	0	154	12	0	0	0	0	0
29. राजस्थान	11528	0	4931	0	34	2	0	0	0
30. सिक्किम	5	0	0	0	0	0	0	0	0
31. तमिलनाडु	6286	14	9746	0	0	2	0	0	0
32. त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. उत्तर प्रदेश	12468	0	3743	0	0	0	0	0	0
34. उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. प. बंगाल	7045	0	7651	0	0	0	0	0	0
कुल	109538	18	62381	175	72	64	64	1	2

कृषि भूमि का खादर भूमि में बदलना

*371. **श्री अशोक अर्गल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रतिवर्ष विभिन्न नदियों विशेष रूप से चंबल नदी के कटाव में वृद्धि होने के कारण कृषि भूमि खादर भूमि में बदल गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूरे देश में ऐसे कटाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) मृदा अनाच्छादन तथा संघटन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणाली में संतुलन बनाए रखने के लिए साथ-साथ चलती रहती है। भूमि अवक्रमण एक गतिशील प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबंधन से न्यूनतम किया जा सकता है। उपलब्ध अनुमानों के अनुसार देश में 328.60 मिलियन है. के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से, लगभग 146.82 मिलियन है. क्षेत्र विभिन्न प्रकार के भूमि अवक्रमण से ग्रस्त रहता है, जिसमें 93.68 मिलियन है. जल अपरदन क्षेत्र शामिल है। कुल अपरदित मृदा में से, 61% एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, लगभग 29% स्थायी रूप से समुद्र में चली जाती है तथा शेष 10% जलाशयों में इकट्ठा हो जाती है। मृदा अपरदन से नदी प्रणाली के उपरी क्षेत्रों में भूमि अवक्रमण होता है जबकि नदी के मार्ग पर कई स्थानों पर इसके जमा हो जाने से मृदा उर्वरता बढ़ सकती है। मृदा अपरदन, भूमि अवक्रमण, बहु-प्रयोजनीय जलाशयों में गाद भरने को न्यूनतम करने तथा बाढ़ की अतिशयता और अपवाह जल की मात्रा को कम करने की दृष्टि से नदी घाटी परियोजना तथा बाढ़ प्रवण नदी (आर वी पी एवं एफ पी आर) के अपवाह क्षेत्रों में अवक्रमित भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु मृदा संरक्षण का एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में, देश में 27 राज्यों के 56 अपवाह क्षेत्रों में यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

दर्रे की भूमि अत्यधिक अवक्रमित भूमि का एक रूप है और आमतौर पर गहरी कछारी मृदाओं में खड्डो के नेट वर्क से संबद्ध होती है और चारों ओर पठारी भूमियों की तुलना में काफी नीचे बह रही नदियों से यह कछारी मृदा प्रवेश कर जाती है। अतः दर्रा प्रणाली नदी मार्गों के साथ विकसित खड्डों की व्यापक प्रणाली है। दर्रों की तीन श्रेणियां है नामतः (5 मीटर से अधिक गहरे), मध्यम (2.50 से 5.00 मीटर गहरे) तथा उथले दर्रे (2.5 मीटर गहराई से कम)। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद के सहयोग से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वेस्टलैण्ड एटलस आफ इंडिया 2005 के अनुसार देश में कुल दर्रा क्षेत्र 19.04 लाख हेक्टेयर है। 0.865% प्रति वर्ष के समग्र औसत के साथ दर्रा क्षेत्र बनने का अनुमान 0.45% से 2.41% तक की रेंज में है। इसका अभिप्राय यह है कि विद्यमान दर्रों में प्रत्येक वर्ष लगभग 16,469 है. और अधिक भूमि की वृद्धि हो जाती है। चम्बल नदी या इसकी सहायक नदियों की लगभग 2 कि.मी. की रेंज में स्थित गांव खड्ड अपरदन की चपेट में हैं। चम्बल दर्रे चार राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात में फैले हुए हैं जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र लाख है. में
1.	गुजरात	0.39
2.	मध्य प्रदेश	5.28
3.	राजस्थान	6.60
4.	उत्तर प्रदेश	3.25
	योग	15.52

नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदी (आर वी पी एवं एफ पी आर) के अपवाह क्षेत्रों में अवक्रमित भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण के अतिरिक्त भारत सरकार विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है ताकि मृदा अपरदन और भूमि अवक्रमण को रोका जा सके। ये हैं (i) वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन डब्ल्यू डी पी आर ए), (ii) क्षारीय मृदा सुधार (आर ए एस), (iii) झूम खेती वाले क्षेत्रों के लिए पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यू डी पी एस सी ए), (iv) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी पी ए पी), (v) मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी डी पी), (vi) समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना (आई डब्ल्यू डी पी), (vii) पनधारा विकास निधि (डब्ल्यू डी एफ) तथा (viii) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं (ई ए पी)। इन कार्यक्रमों के अधीन शुरूआत से X वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक लगभग 50.83 मिलियन है. अवक्रमित भूमि विकसित की गई है जिसका ब्यौरा संलग्न है।

अवक्रमित/परती भूमि के पुनः सृजन सहित कृषि एवं शुष्क भूमि/वर्षा सिंचित कृषि प्रणाली, पनधारा विकास कार्यक्रमों संबंधी कृषि और संबद्ध मुद्दों पर राष्ट्रीय विकास परिषद (एन डी सी) की उप-समिति के कार्यकारी दल ने XI वीं योजना के दौरान लगभग 32095.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से लगभग 38 मिलियन है. भूमि को विकसित करने की सिफारिश की है जिसमें गड्ढों और दर्रा भूमियों का विकास शामिल है।

विवरण

विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रमों के तहत शुरूआत से 10 वीं पंचवर्षीय योजना तक विकसित भूमि

(क्षेत्र लाख हैक्टेयर में और खर्च करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	मंत्रालय/स्कीम शुरू करने का वर्ष	शुरूआत से IXवीं योजना तक की प्रगति		दसवीं योजना के दौरान प्रगति* (2002-07)		शुरूआत से Xवीं योजना के अंत तक प्रगति	
		क्षेत्र	खर्च	क्षेत्र	खर्च	क्षेत्र	खर्च
	कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग)						
1.	एनडब्ल्यूडीपीआरए (1990-91)	69.79	1877.74	23.30	1147.82	93.09	3025.56
2.	आरवीपी और एफपी आर (1962 और 1981)	54.88	1516.26	9.98	727.98	64.86	2244.24
3.	डब्ल्यूडीपीएससीए (1974-75)	2.58	166.27	1.35	129.31	3.93	295.58
4.	आरएएस (1985-86)	5.81	76.39	1.30	45.35	7.11	121.74
5.	डब्ल्यूडीएफ (1999-00)	0.00	0.00	0.59	26.02	0.59	26.02
6.	ईएपी	13.35	2039.81	4.80	1927.54	18.15	3967.35
	उप-योग	146.41	5676.47	41.32	4004.02	187.73	9680.49
	ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग)						
1.	डीपीएपी (1973-74)	68.95	3284.74	68.32	1557.76	137.27	4842.50
2.	डीडीपी (1977-78)	35.56	797.38	45.17	1152.50	78.73	1949.88
3.	आईडब्ल्यूडीपी (1988-89)	37.34	616.51	62.22	1821.64	99.56	2438.15
4.	ईपी	1.40	18.39	3.60	274.28	5.00	292.67
	उप-योग	141.25	4717.02	179.31	4806.18	320.56	9523.20
	कुल (क+ख)	287.66	10393.49	220.63	8810.20	508.29	19203.69

*2006-07 की अनंतिम उपलब्धि शामिल है।

संक्षेपण			
	एनडब्ल्यूडीपीआरए	–	वर्षासिंचित क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना।
	आरवीपी और एफपीआर	–	नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदी
	डब्ल्यूडीपीएससीए	–	झूम खेती क्षेत्रों के लिए पनधारा विकास परियोजना
	आरएएस	–	क्षारीय मृदाओं का सुधार
	डब्ल्यूडीएफ	–	पनधारा विकास कोष
	ईएपी	–	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना
	डीपीएपी	–	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
	डीडीपी	–	मरूस्थल विकास कार्यक्रम
	आईडब्ल्यूडीपी	–	समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम

स्रोत : योजना आयोग, नई दिल्ली द्वारा गठित 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंध की कार्यकारी समूह की रिपोर्ट, फरवरी 2007

खाद्यान्नों की उपलब्धता और खरीद

***372. डा. सत्यनारायण जटिया :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा तत्पश्चात् आज की तिथि तक देश में खाद्यान्नों की उपलब्धता और खरीद का खाद्यान्नवार, वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान देश में खाद्यान्नों की मांग इसकी आपूर्ति से काफी अधिक बढ़ गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में खाद्यान्नों की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में गेहूं की उपलब्धता और वसूली के ब्यौरे क्रमशः विवरण–I और II में दिए गए हैं जबकि चावल के मामले में इसी प्रकार के ब्यौरे क्रमशः विवरण – III व IV में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) उक्त अवधि के दौरान गेहूं और चावल का उत्पादन (आपूर्ति) और अनुमानित खपत आवश्यकता (मांग) विवरण–V में दी गई है।

(घ) अनाजों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अक्तूबर, 2000 से चावल, गेहूं और मोटे अनाजों का केन्द्रीय प्रायोजित एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इन स्कीमों के तहत उन्नत/हाईब्रिड उत्पादन प्रौद्योगिकी लगाने, जन्तुबाधा प्रबंधन, फार्म उपकरणों, स्प्रिंक्लर सिंचाई प्रणाली लगाने, विविध प्रतिस्थापन तथा प्रमाणीकृत बीजों के उत्पादन के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच 90:10 के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1.4.2004 से केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "तिलहनों, दालों, तेल ताड़ और मक्के की एकीकृत योजना" चलाई जा रही है। इस स्कीम के तहत भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है।

भारत सरकार ने देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने और कृषि विकास में सुधार करने के लिए 2 स्कीमें शुरू की हैं। ये स्कीमें (1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और (2) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में गेहूं की राज्यवार उपलब्धता

फसल वर्ष	2003–04		2004–05		2005–06		2006–07	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्पादन	उपलब्धता	उत्पादन	उपलब्धता	उत्पादन	उपलब्धता	उत्पादन	उपलब्धता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	7	6.1	5	4.4	9	7.9	7	6.1
अरूणाचल प्रदेश	6.3	5.5	8.7	7.6	6.1	5.3		
असम	73	63.9	68.1	59.6	53.7	47	65	56.9
बिहार	3688.9	3227.8	3263.4	2855.5	3239	2834.1	3584	3136
छत्तीसगढ़	108.6	95	82.4	72.1	90.7	79.4	92	80.5
गुजरात	2036.5	1781.9	1805.5	1579.8	2473	2163.9	3000	2625
हरियाणा	9114	7974.8	9058	7925.8	8857	7749.9	10053	8796.4
हिमाचल प्रदेश	498	435.8	684	598.5	679	594.1	186	162.8
जम्मू और कश्मीर	459.4	402	474.4	415.1	444	388.5	461	403.4
झारखंड	118	103.3	150	131.3	77.7	68	129	112.9
कर्नाटक	96.2	84.2	179	156.6	217	189.9	184	161

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य प्रदेश	7364.6	6444.0	7176.6	6279.5	5957.7	5213	7159	6264.1
महाराष्ट्र	778	680.8	1016	889	1300	1137.5	1765	1544.4
मेघालय	1.5	1.3	1.6	1.4	1.2	1.1		
नागालैण्ड	20	17.5	13	11.4	1.9	1.7		
उड़ीसा	7.5	6.6	5	4.4	4.5	3.9	7	6.1
पंजाब	14489	12677.9	14698	12860.8	14493	12681.4	14521	12705.9
राजस्थान	5875.8	5141.3	5706.6	4993.3	5865.3	5132.1	6925	6059.4
सिक्किम	8.1	7.1	8.3	7.3	9	7.9		
त्रिपुरा	5.1	4.5	2.8	2.5	2.9	2.5		
उत्तर प्रदेश	25566.7	22370.9	22513.9	19699.7	24073.8	21064.6	25031	21902.1
उत्तराखण्ड	745	651.9	803	702.6	645	564.4	801	700.9
पश्चिम बंगाल	985.7	862.5	841.5	736.3	773.5	676.8	792	693
दादरा और नागर हवेली	1	0.9	1.1	1	1.1	1		
दिल्ली	102.3	89.5	71	62.1	79.4	69.5		
अन्य							128	112
अखिल भारत	72156.2	63136.7	68636.9	60706.2	69354.5	60685.2	74890	65528.9

नोट : - गेहूं की उपलब्धता गेहूं के उत्पादन 87.5% के रूप में मानी गई है (बीज, भोजन और बर्बादी के रूप में 12.5% को छोड़कर)

स्रोत - उत्पादन आंकड़ों के संबंध में कृषि एवं सहकारिता विभाग, अर्थ एवं सांख्यकीय निदेशालय।

विवरण-II

पिछले तीन विपणन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में गेहूं की वसूली का राज्यवार ब्यौरा

(आंकड़े लाख टन में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6
1.	पंजाब	92.40	90.10	69.46	67.57
2.	हरियाणा	51.15	45.29	22.29	33.46
3.	उत्तर प्रदेश	17.41	5.60	0.49	5.49
4.	राजस्थान	2.79	1.59	0.02	3.84
5.	चंडीगढ़	–	–	–	–
6.	दिल्ली	0.02	0.02	–	0.01
7.	हिमाचल प्रदेश	–	–	नगण्य	–

1	2	3	4	5	6
8.	मध्य प्रदेश	3.49	4.84	–	0.57
9.	गुजरात	–	–	–	–
10.	बिहार	0.15	0.01	नगण्य	0.08
11.	उत्तराखण्ड	0.54	0.40	–	0.02
12.	छत्तीसगढ़	–	–	नगण्य	–
	जोड़	167.95	147.85	92.26	111.04

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में गेहूं की राज्यवार उपलब्धता दर्शाने वाला ब्यौरा

फसल वर्ष	2003–04		2004–05		2005–06		2006–07	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्पादन	उपलब्धता	उत्पादन	उपलब्धता	उत्पादन	उपलब्धता	उत्पादन	उपलब्धता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	8953	8272.6	9601	8871.3	11704	10814.5	11864	10962.3
अरूणाचल प्रदेश	154.6	142.9	135	124.7	146.2	135.1	-	-
असम	3880	3585.1	3470.7	3206.9	3552.5	3282.5	2573	2377.5
बिहार	5447.8	5033.8	2472.2	2284.3	3495.5	3229.8	4996	4616.3
छत्तीसगढ़	5567.6	5144.5	4383.3	4050.2	5011.6	4630.7	5041	4657.9
गोवा	170.7	157.7	145.2	134.2	147.3	136.1		
गुजरात	1277	1179.9	1238.2	1144.1	1298	1199.4	1390	1284.4
हरियाणा	2790	2578.0	3023	2793.3	3210	2966.0	3371	3114.8
हिमाचल प्रदेश	120.6	111.4	122	112.7	112.1	103.6	104	96.1
जम्मू और कश्मीर	504.2	465.9	492.2	454.8	556.8	514.5	501	462.9
झारखंड	2310	2134.4	1677	1549.5	1558	1439.6	2968	2742.4
कर्नाटक	2550.3	2356.5	3547	3277.4	5744	5307.5	3262	3014.1
केरल	570	526.7	667.1	616.4	629.9	582.0	631	583.0
मध्य प्रदेश	1750.3	1617.3	1169	1080.2	1656.3	1530.4	1368	1264.0
महाराष्ट्र	2853	2619.5	2164	1999.5	2695	2490.2	2529	2336.8
मणिपुर	381.2	352.2	435.9	402.8	386.1	356.8		
मेघालय	200.7	185.4	193.7	179.0	151.9	140.4		
मिजोरम	114.6	105.9	104.1	96.2	99.2	91.7		
नागालैण्ड	248	229.2	259.8	240.1	263.1	243.1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उड़ीसा	6733.7	6221.9	6466	5947.6	6859	6337.7	6794	6277.7
पंजाब	9656	8922.1	10437	9643.8	10193	9418.3	10138	9367.5
राजस्थान	164.8	152.3	150.4	139.0	150	138.6	170	157.1
सिक्किम	21.2	19.6	21.6	20.0	21.5	19.9		
तमिलनाडु	3222.8	2977.9	5062.2	4677.5	5220	4823.3	6842	6322.0
त्रिपुरा	516.6	477.3	545.1	503.7	552.9	510.9		
उत्तर प्रदेश	13018.8	12029.4	9555.6	8829.4	11133.7	10287.5	11090	10247.2
उत्तराखण्ड	569	525.8	572	528.5	590	545.2	570	526.7
पश्चिम बंगाल	14662.3	13548.0	14884.8	13753.6	14510.8	13408.0	14363	13523.7
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	30.9	28.6	29.2	27.0	30.7	28.4		
दादरा और नागर हवेली	22.3	20.6	23.4	21.6	23.7	21.9		
दिल्ली	11.1	10.3	14.3	13.2	24	22.2		
दमन और दीव	3.9	3.6	4	3.7	3.7	3.4		
पांडिचेरी	6.7	61.9	65.7	60.7	59.9	55.3		
अन्य							1920	1774.1
अखिल भारत	88526	81798.0	83131.7	76813.7	91793.4	84814.3	92758	85708.4

नोट : - चावल की उपलब्धता चावल के उत्पादन 92.4% के रूप में मानी गई है (बीज, भोजन और बर्बादी के रूप में 7.6% को छोड़कर)

स्रोत - उत्पादन आंकड़ों के संबंध में कृषि एवं सहकारिता विभाग, अर्थ एवं सांख्यकीय निदेशालय।

विवरण-IV

पिछले तीन विपणन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में चावल की वसूली का राज्यवार ब्यौरा

(आंकड़े हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-2004	2004-2005	2005-06	2006-07*
1	2	3	4	5
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	4230	3906	4971	5316
आंध्र प्रदेश	नगण्य	1	–	–
अरूणाचल प्रदेश	–	–		
असम	17	नगण्य	1	
बिहार	363	343	524	475
चंडीगढ़	–	19	13	10
छत्तीसगढ़	2374	2837	3265	2833
दिल्ली	–	–		

1	2	3	4	5
गुजरात	–	–		
हरियाणा	1334	1662	2054	1772
हिमाचल प्रदेश	3	2		
जम्मू और कश्मीर		–	1	3
झारखंड	2	1	2	4
कर्नाटक	–	21	48	21
केरल	–	33	94	151
मध्य प्रदेश	112	42	136	73
महाराष्ट्र	308	205	194	97
नागालैंड	–	11		–
उड़ीसा	1373	1590	1785	1987
पांडिचेरी	–	–		5
पंजाब	8662	9106	8855	7827
राजस्थान	41	22	23	10
तमिलनाडु	207	652	926	1077
उत्तर प्रदेश	2554	2971	3151	2549
उत्तराखण्ड	323	316	336	176
पश्चिम बंगाल	925	944	1275	641
अखिल भारत जोड़	22828	24685	27656	25024

*06-9-2007 की स्थिति के अनुसार।

विवरण-V

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में गेहूं और चावल के उत्पादन (आपूर्ति) और अनुमानित उपभोग आवश्यकता (मांग)

गेहूं

(आंकड़े मिलियन टन में)

फसल वर्ष	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07*
उत्पादन (आपूर्ति)	72.15	68.64	69.35	74.89#
*मांग (कुल उपभोग)	68.21	69.25	70.29	71.32

*औद्योगिक मांग को छोड़कर

चावल

फसल वर्ष	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
उत्पादन (आपूर्ति)	88.53	83.13	91.79	92.76#
*मांग (कुल उपभोग)	87.92	89.24	90.54	91.84

#चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार

स्रोत :– उत्पादन आंकड़ों के संबंध में कृषि एवं सहकारिता विभाग, अर्थ एवं सांख्यकीय निदेशालय।

[अनुवाद]

महिला रोजगार में वृद्धि

*373. **श्री रूपचन्द मुर्मू** : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्रों में नियोजित महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्रों में नियोजित पुरुषों की संख्या में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (घ) इस मंत्रालय के रोजगार बाजार सूचना (ई एम आई) कार्यक्रम के तहत् एकत्रित सूचना के अनुसार, सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों को मिलाकर संगठित क्षेत्र में महिलाओं का रोजगार जोकि वर्ष 2001 में 49.5 लाख था, वह वर्ष 2005 में बढ़कर 50.2 लाख हो गया। वर्ष 2002, 2003 एवं 2004 के दौरान 31 मार्च तक महिलाओं का रोजगार क्रमशः 49.4 लाख, 49.7 लाख एवं 49.3 था। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में पुरुषों का रोजगार जोकि वर्ष 2001 में 228.4 लाख था वह वर्ष 2005 में गिरकर 214.4 लाख रह गया। सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों को मिलाकर संगठित क्षेत्र में पुरुषों एवं महिलाओं का कुल रोजगार जोकि 31.03.2001 तक 277.9 लाख था वह 31.03.2005 तक गिरकर 264.6 लाख रह गया। उपर्युक्त संदर्भ में पुरुषों के रोजगार में गिरावट के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

श्रम कानून और बी पी ओ सेन्टर/काल सेन्टर

*374. **श्री के. सुब्बारायण** : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बी पी ओ) सेन्टर और काल सेन्टर विद्यमान श्रम कानूनों के दायरे में आते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में श्रम कानूनों के क्रियान्वयन का आकलन करने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेन्टरों और काल सेन्टरों में श्रम क्रियाकलापों के विनियमन हेतु कोई विशेष श्रम कानून लाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिंग (बी पी ओ) यूनिटें और कॉल सेन्टर मौजूदा श्रम कानूनों के दायरे में आते हैं। राज्य सरकारें विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत "समुचित सरकार" हैं और उन्हें बी पी ओ क्षेत्र में श्रम कानूनों के उल्लंघन से निपटने के लिये कानूनी तौर पर शक्तियां प्राप्त हैं। तथापि, केन्द्र सरकार ने बी पी ओ क्षेत्र में श्रम कानूनों को क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकारों को लिखा है।

(ग) और (घ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि बी पी ओ और कॉल सेन्टर के कामगार पहले से ही मौजूदा श्रम कानूनों के दायरे में आते हैं।

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

*375. **श्री प्रभुनाथ सिंह :**

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) के अंतर्गत किसानों को मुआवजा प्रदान करने के उद्देश्य से पाला, कोहरा, गर्म हवाओं और ओला–वृष्टि द्वारा विभिन्न फसलों को होने वाली प्राकृतिक क्षति को इस योजना में शामिल करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में किसानों के लिए जीवन बीमा और कृषि उपकरणों का बीमा शामिल करके इसे और अधिक व्यापक बनाने का भी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) सरकार द्वारा गठित संयुक्त दल की सिफारिशों के आधार पर मौजूदा राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम में संशोधन करने के संबंध में एक प्रस्ताव जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर तथा किसानों के कृषि उपकरणों सहित सभी परिसम्पत्तियों को कवर करते हुए समग्र पैकेज बीमा शामिल है, सरकार के विचाराधीन है। प्रस्तावित संशोधित एनएआईएस एक व्यापक जोखिम बीमा स्कीम है, जिसके तहत कोहरा, धुंध, लू और ओलावृष्टि सहित प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में हानियों के लिए बीमा कवर का प्रावधान है।

(घ) प्रश्न नहीं उठते।

फलों और सब्जियों की बर्बादी

***376. श्री मोहन रावले** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि क्षेत्र में फसल कटाई पश्चात् की प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता तथा आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता के अभाव में कितनी मात्रा में फल और सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं; और

(ख) इस स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) राष्ट्रीय किसान आयोग की पांचवीं एवं अंतिम रिपोर्ट में दी गई सूचना के अनुसार अनुचित कटाई पश्चात प्रबंधन एवं अकुशल आपूर्ति श्रृंखला के कारण फलों एवं सब्जियों का अपशिष्ट 25% से 30% तक की सीमा तक होने का अनुमान लगाया गया है जिसका वार्षिक मूल्य 20,000 करोड़ से 50,000 करोड़ रुपये तक का है।

बागवानी फसलों के लिए सरकार ने 2 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें यथा 2001-02 से "पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में समेकित बागवानी विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन" जिसे 2003-04 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के पहाड़ी राज्यों में विस्तारित किया गया है और शेष राज्यों के लिए 2005-06 के दौरान "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" शुरू की गयी है। ये स्कीमें कटाई पश्चात अवसंरचना के सृजन के लिए सहायता उपलब्ध कराती हैं जिसमें पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्रों के लिए परियोजना लागत की 33.33% की दर से लेकिन प्रति इकाई 60.00 लाख रुपये की सीमा तक और अन्य राज्यों के लिए परियोजना लागत 25% की दर से लेकिन प्रति इकाई 50.00 लाख रुपये की सीमा तक बेक एन्डेड सब्सीडी के रूप में शीत भण्डारण सुविधाएं शामिल हैं। 2006-07 के दौरान देश में आधुनिक टर्मिनल मण्डियों की स्थापना को सुकर बनाने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत एक नये घटक को स्वीकृत किया गया है जिसमें उत्कृष्ट शीत श्रृंखला एवं अन्य अवसंरचना होगी और फार्म गेट से उपभोक्ता/संसाधक/निर्यातक तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन एच बी) भी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है जिसका उद्देश्य समान मानक रखने वाली "बागवानी उत्पाद के लिए शीत भण्डारों/भण्डारणों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सीडी" और "उत्पादन एवं कटाई पश्चात प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास" स्कीमों के माध्यम से बागवानी उत्पाद की हानियों को कम करना है, जिसमें पूर्वोत्तर/पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्र के राज्यों के लिए कुल परियोजना लागत की 20% की दर से लेकिन अधिकतम 30.00 लाख रुपये की सीमा तक और अन्य राज्यों के लिए 25.00 लाख रुपये तक की बैक-एन्डेड सब्सीडी उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एम एफ पी आई) ने बागवानी फसलों सहित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए स्कीमें शुरू की हैं। इन स्कीमों में (क) खाद्य प्रसंस्करण के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापन/आधुनिकीकरण जिसके लिए सामान्य क्षेत्रों में पौध एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों के लिए 25% तक लेकिन अधिकतम 50 लाख रुपये और दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% तक लेकिन अधिकतम 75 लाख रुपये तक अनुदान के रुप में सहायता दी जाती है और (ख) फूड पार्क के लिये अवसंरचना विकास स्कीम जिसके लिए शीत भण्डारण, खाद्य परीक्षण एवं विश्लेषण प्रयोगशाला, निस्सारी (एफल्यूएंट) उपचार संयंत्र, प्रसंस्करण सुविधाएं, विद्युत, जल आपूर्ति जैसी सामान्य सुविधाओं के प्रावधान के लिये सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत की 25% और दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर पर लेकिन अधिकतम 4 करोड़ रुपये की सीमा तक अनुदान के रुप में सहायता दी जाती है।

कृषि मंत्रालय 1.4.2001 से विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के माध्यम से देश में ग्रामीण गोदामों के निर्माण/नवीकरण के लिए "ग्रामीण भण्डारण योजना" नामक पूंजी निवेश सब्सीडी स्कीम का भी कार्यान्वयन कर रहा है। स्कीम के उद्देश्यों में से एक है - हानियों को कम करने के लिए उत्पादन केन्द्रों के पास (नगर निगम क्षेत्रों को छोड़कर) वैज्ञानिक भण्डारण उपलब्ध कराना है। स्कीम के अंतर्गत किसानों के सभी वर्गों, कृषि स्नातकों, सहकारी समितियों, केन्द्रीय भण्डारण निगम/राज्य भण्डारण निगमों को 25% की दर से सब्सिडी दी जाती है। अन्य सभी वर्गों की पृथक कम्पनियां एवं निगम परियोजना लागत के 15% की दर से सब्सिडी के पात्र हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों और उनकी सहकारी समितियों के लिए पूर्वोत्तर राज्यों/पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में 33.33% की दर से सब्सीडी उपलब्ध कराई जाती है।

कृषि मंत्रालय द्वारा 20.10.2004 से "कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग एवं मानकीकरण के विकास/सुदृढ़ीकरण" नामक सुधार से जुड़ी केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम को शुरू किया गया है। इसमें राज्य एजेंसियों को प्रत्यक्ष सहायता और उद्यमियों को क्रेडिट लिंक्ड बैक-एन्डेड पूंजी निवेश सब्सीडी उपलब्ध कराते हुए मंडी अवसंरचना का विकास, उत्पादन आदानों और आवश्यकता आधारित सेवाओं की आपूर्ति के लिए अवसंरचना का विकास, उत्पादन आदानों और आवश्यकता आधारित सेवाओं की आपूर्ति के लिए अवसंरचना, ई-ट्रेडिंग के लिए अवसंरचना, मण्डी आसूचना इत्यादि और कटाई पश्चात प्रचालनों के लिए चल अवसंरचना (परिवहन उपकरणों को छोड़कर) को सुकर बनाना है। राज्य एजेंसियों को विद्यमान विपणन अवसंरचना के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण के लिए स्कीम के अंतर्गत भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत सब्सीडी की दर परियोजना की पूंजी लागत की 25% है। पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्रों, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर राज्यों और अनुसूचित जातियों (एस सी)/अनुसूचित जनजातियों (एस टी) और उनकी सहकारी समितियों से संबंध रखने वाले उद्यमियों के मामले में परियोजना की पूंजी लागत की 33.33% की दर से सब्सीडी है। प्रत्येक परियोजना के लिए सब्सीडी की अधिकतम राशि क्रमशः 50 लाख रुपये और 60 लाख रुपये तक सीमित है। राज्य एजेंसियों की अवसरंचना परियोजनाओं के संबंध में स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सब्सीडी की कोई उपरी सीमा नहीं है।

बी. एस. एन. एल. संबंधी वादा

*377. श्री गुरुदेव आचार्य : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बी.एस.एन.एल. के गठन के समय लाइसेंस शुल्क, एक्सेस डेफिसिट चार्ज, यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड आदि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने का वादा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन वादों को क्रियान्वित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ङ) दूरसंचार सेवा विभाग (डीटीएस) तथा दूरसंचार प्रचालन विभाग (डीटीओ) का निगमीकरण करके 1 अक्तूबर, 2000 को भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का गठन किया गया था। उस समय, सरकार ने निर्णय लिया था, कि यह सुनिश्चित करने के लिए उपायों का एक पैकेज प्रदान किया जाएगा, जिससे बीएसएनएल द्वारा सरकार के निर्देश पर प्रदान की जा रही अलाभकारी लेकिन सामाजिक दृष्टि से वांछनीय सेवाओं के कारण बीएसएनएल की व्यवहार्यता पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित पैकेज के अनुसार, सरकार ने वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक बीएसएनएल द्वारा अदा की जाने वाली सार्वभौमिक सेवा लेवी को छोड़कर स्पैक्ट्रम प्रभार और लाइसेंस शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति की। वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान भी बीएसएनएल को लाइसेंस शुल्क और स्पैक्ट्रम प्रभारों के क्रमशः 2/3 तथा 1/3 भाग की प्रतिपूर्ति की गई थी। अनुमोदित पैकेज में वर्ष 2006-07 के बाद से बीएसएनएल को लाइसेंस शुल्क और स्पैक्ट्रम प्रभारों की प्रतिपूर्ति का प्रावधान नहीं था।

सरकार ने 2001-02 से 2005-06 की अवधि के दौरान बीएसएनएल को इस उद्देश्य के लिए 9,248.64 करोड़ रुपए की राशि की प्रतिपूर्ति की है।

कृषि जैव प्रौद्योगिकी

*378. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सुरक्षा प्राप्त करने हेतु विभिन्न फसलों के उत्पादन में कृषि जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) सरकार कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर अनेक बहु संस्थागत नेटवर्क अनुसंधान परियोजनाओं के जरिए अनुसंधान को बढ़ावा दे रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा 20 संस्थानों को शामिल करते हुए ट्रांसजेनिकों पर एक नेटवर्क परियोजना कार्यान्वित की जा रही है ताकि 14 किस्म की अनाजों, दहलनों, तिलहनों सब्जियों, फलों और रेशेदार फसलों की पैदावार और गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए ट्रांसजेनिकों के विकास पर अनुसंधान को तेज किया जा सके। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ट्रांसजेनिक फसलों के विकास और निर्मुक्ति के लिए संस्थागत अवसंरचना और विनियामक व्यवस्था सहित क्षमता निर्माण, अनुसंधान और विकास पर विभिन्न कार्यक्रमों का समर्थन कर रहा है। सरकार भी विभिन्न एजेन्सियों को टिशु कल्चर सुविधाओं की स्थापना के लिए सहायता प्रदान कर रही है ताकि सर्वोत्कृष्ट/रोग मुक्त रोपण सामग्री का बड़े पैमाने पर बहुलीकरण किया जा सके।

[हिन्दी]

वैद्यनाथन समिति

*379. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा :
श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों को अपने राज्य में घाटा उठाने वाली सहकारी समितियों को वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार मुआवजे का भुगतान करने के लिए धनराशि जारी की है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों को सहकारी समितियों को धनराशि का आबंटन करने के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) जी, हां। ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थानों के पुनः सक्रियकरण (रिवाइवल) संबंधी कृतक बल (अध्यक्ष प्रोफेसर ए. वैद्यनाथन) द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार ने अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के लिए एक पुनः सक्रियकरण पैकेज स्वीकृत किया है जिसमें वित्तीय, विधिक और संस्थागत उपाय शामिल है। इस पुनः सक्रियकरण पैकेज के अंतर्गत, अब तक आंध्र प्रदेश और हरियाणा को क्रमशः 423.64 करोड़ रुपए और 57.63 करोड़ रुपए भारत सरकार द्वारा पात्र प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) के पुनः पूंजीकरण हेतु भारत सरकार के अंशदान के रुप में निर्मुक्त किए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। पुनः सक्रियकरण पैकेज के अंतर्गत निधि देयता भारत सरकार, राज्य सरकार और सहकारी ऋण संरचना द्वारा शेयर की जाएगी जो हानियों के उद्‌गम तथा विद्यमान प्रतिबद्धताओं पर आधारित होगी। इस पैकेज के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निधियों की निर्मुक्ति मुख्यतया निम्नलिखित पर निर्भर होगी:-

(i) राज्य सरकार द्वारा पैकेज को स्वीकार करना।

(ii) राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार एवं नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

(iii) राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश/विधेयक के माध्यम से सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन, और

(iv) राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से की निर्मुक्ति।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश

***380. श्री गणेश सिंह :**

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में केवल उन्हीं शहरों में निवेश किया गया है जहां उच्च स्तर की शैक्षिक संस्थाएं मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश में पिछड़े राज्यों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) सॉफ्टवेयर कम्पनियां अपने प्रचालन स्थापना-स्थलों में स्थापित करती हैं तथा व्यवसाय की आवश्यकतानुसार अपने निवेश की योजना बनाती हैं। इस संदर्भ में, सॉफ्टवेयर कम्पनियों का मार्गदर्शन शहरों में उपलब्ध प्रतिभा द्वारा भी किया जाता है।

भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) के देश में 48 केन्द्र हैं, जिनमें से 7 केन्द्र महानगरों में हैं और शेष 41 केन्द्र स्तर II और स्तर III शहरों में हैं।

नए भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) केन्द्र स्थापित करने की वर्तमान नीति के अनुसार, राज्य सरकार 3 एकड़ जमीन, 10,000 वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र तथा 1 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान एसटीपीआई को देगी। चुने गए स्थापना-स्थल में निर्यात की संभावना होनी चाहिए जो मानव संसाधन की उपलब्धता, औद्योगिक मूलसंरचना, सूचना प्रौद्योगिकी मूलसंरचना, राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी नीति तथा उनकी सक्रियता/ग्रहणशीलता, व्यावसायिक वातावरण, आजीविका की लागत, सामाजिक मूलसंरचना आदि पर निर्भर करेगा। नए स्थापना-स्थल में एसटीपीआई केन्द्र स्थापित करने की संभावना तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एसटीपीआई द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर एक विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन किया जाएगा।

[अनुवाद]

बांग्लादेश के साथ सीमा पार व्यापार

3553. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांग्लादेश के साथ अंतर को कम करने तथा उस देश के साथ सीमा पार व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार का विचार 136 मीटर लम्बे सस्पेंशन पुल जिसकी मियाद और उपयोगिता समाप्त हो चुकी है, के स्थान पर दावकी में उमगोंट नदी पर दो लेन वाले पुल का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा और लागत क्या है; और

(ग) अब तक इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं तथा कितनी प्रगति हुई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (ग) दावकी में उम्गोट नदी पर 136 मीटर लम्बे सस्पेंशन पुल, जिसकी मियाद और उपयोगिता समाप्त हो चुकी है, के स्थान पर दो लेन वाला पुल बनाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

विद्युत आधारित टयूबवैल

3554. श्री महावीर भगोरा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार कितने विद्युत तथा डीजल आधारित टयूबवैल हैं;

(ख) टयूबवैल चलाने के लिए विद्युत तथा डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए विभिन्न राज्यों में राज्यवार कितने सोलर लाइट वोल्टिक वाटर पंपिंग सिस्टम्स (एसएलवीडब्ल्यूपीएस) की आवश्यकता है;

(ग) उक्त प्रणाली को स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा कितने प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं; और

(घ) देश के विभिन्न राज्यों में एसएलवीडब्ल्यूपीएस अधिष्ठापित करने में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जल संसाधन मंत्रालय द्वारा निकाली गई लघु सिंचाई संगणना 2000–2001 के अनुसार कुल 10270553 बिजली और 6551235 डीजल के पम्प लघु सिंचाई योजनाओं में उपयोग किए गए हैं; जिसमें डगवैल, उथले और गहरे नलकूप शामिल हैं। राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ख) नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय सौर्य फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी के विभिन्न अनुप्रयोगों के विकास और उनके प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी है। सौर्य फोटोवोल्टिक (एसपीवी) पानी पम्पिंग प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसे देश के विभिन्न भागों में कृषि और सम्बद्ध अनुप्रयोगों तथा पेयजल अनुप्रयोगों में उपयोग हेतु विकसित और प्रदर्शित किया गया है। इस प्रणाली की वर्तमान बहुत अधिक उच्च लागत से यह सम्भव नहीं होगा कि देश में नलकूपों को चलाने के लिए परम्परागत डीजल और बिजली के पम्प सैटों को बदला जाए। इस मंत्रालय ने ऐसा कोई आकलन नहीं किया है।

(ग) और (घ) नई तथा नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सौर्य फोटोवोल्टिक पंपिंग प्रणाली के संवर्धन के अंतर्गत 31.3.2007 तक देश में संचयी रूप से कुल 7068 सौर्य पंपिंग सिस्टम संस्थापित किए गए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, बजट आकलन स्तर पर सौर्य पंपिंग कार्यक्रम के लिए कोई निधियां आबंटित नहीं की गई हैं, अतः अब तक कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। इस कार्यक्रम के लिए बजट के आबंटन के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों हेतु एक अनुरोध किया गया है।

विवरण

लघु सिंचाई स्कीमों में उपयोग किए गए विद्युत/डीजल पम्प

(संख्या में)

क्र.सं.	राज्य/के.शा.प्र. का नाम	विद्युत पम्प							
		खोदे गए कुएं	उथले नलकूप	गहरे नलकूप	लिफ्ट आन नदी	लिफ्ट आन धारा	लिफ्ट आन नाली/नहर	लिफ्ट आन तालाब/पोखर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	975358	628662	87482	8845	10833	1344	922	1713446
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	3	0	0	1	0	5
3.	असम	9	516	760	287	15	10	9	1606
4.	बिहार	12261	28421	6190	316	9	49	55	47301
5.	छत्तीसगढ़	116376	75997	5227	12516	871	61	236	211284
6.	गोवा	2666	29	60	709	43	3	71	3581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	गुजरात	430004	43931	94182	311	7	199	34	568668
8.	हरियाणा	8880	220556	24339	232	0	0	32	254039
9.	हिमाचल प्रदेश	1334	1678	351	219	367	16	19	3984
10.	जम्मू और कश्मीर	2283	1247	20	201	99	58	17	3925
11.	झारखण्ड	3703	289	28	119	11	6	31	4187
12.	कर्नाटक	283509	523836	32	37588	8924	3068	2845	859802
13.	केरल	133303	4112	227	4110	1232	781	4873	148638
14.	मध्य प्रदेश	1066676	265406	36398	82806	20898	3329	4075	1479588
15.	महाराष्ट्र	1462929	53884	77223	49812	14076	16248	11776	1685948
16.	मणिपुर	0	0	0	21	0	0	0	21
17.	मेघालय	1	6	8	5	0	0	4	24
18.	मिजोरम	0	0	0	0	147	0	0	147
19.	नागालैण्ड	22	1	3	1	0	4	3	34
20.	उड़ीसा	13833	15322	4592	6882	457	1212	564	42862
21.	पंजाब	1301	777852	9990	192	43	79	16	789473
22.	राजस्थान	424717	28539	56764	469	56	12	42	510599
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	1206662	122025	84010	4774	357	1056	239	1419123
25.	त्रिपुरा	9	623	168	551	154	15	38	1558
26.	उत्तर प्रदेश	6668	445375	35085	123	42	30	26	487349
27.	उत्तरांचल	121	8564	883	91	9	8	2	9678
28.	पश्चिम बंगाल	753	237	5139	1873	130	317	824	9373
29.	अण्डमान और निकोबार	6	0	0	33	121	24	317	501
30.	चण्डीगढ़	0	108	57	0	0	0	0	165
31.	दादर और नागर हवेली	325	0	0	71	0	0	0	396
32.	दिल्ली	0	7978	645	0	0	2	0	8625
33.	पांडिचेरी	74	4314	328	7	0	0	0	4723
	कुल	6153784	3259508	530194	213164	58901	27932	27070	10270553

स्रोत : जल संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित लघु सिंचाई स्कीमों की तीसरी गणना संबंधी रिपोर्ट, अक्तूबर, 2005

विवरण

लघु सिंचाई स्कीमों में उपयोग किए गए विद्युत/डीजल पम्प

(संख्या में)

क्र.सं.	राज्य/के.शा.प्र. का नाम	डीजल पम्प							कुल
		खोदे गए कुएं	उथले नलकूप	गहरे नलकूप	लिफ्ट आन नदी	लिफ्ट आन धारा	लिफ्ट आन नाली/नहर	लिफ्ट आन तालाब/पोखर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	97708	20629	0	560	780	118	244	120039
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	0	0	9	2	4	5	23
3.	असम	138	77780	0	650	203	179	331	79281
4.	बिहार	65145	611225	0	1135	164	180	786	678635
5.	छत्तीसगढ़	15446	481	0	1392	1534	33	686	19572
6.	गोवा	233	0	0	81	7	2	6	329
7.	गुजरात	466759	6565	0	646	63	609	256	474898
8.	हरियाणा	5610	142401	0	156	39	8	9	148223
9.	हिमाचल प्रदेश	357	930	0	28	58	0	3	1376
10.	जम्मू और कश्मीर	178	115	0	57	37	6	6	399
11.	झारखण्ड	146658	759	0	1343	613	418	7281	157072
12.	कर्नाटक	28827	1484	0	1779	1920	171	848	35029
13.	केरल	9358	252	0	867	471	31	843	11822
14.	मध्य प्रदेश	163656	8249	0	43746	27688	2561	4270	250170
15.	महाराष्ट्र	65027	389	0	1166	1175	927	571	69255
16.	मणिपुर	3	3	0	21	2	0	0	29
17.	मेघालय	0	69	0	0	2	0	0	71
18.	मिजोरम	0	0	0	6	40	23	0	69
19.	नागालैण्ड	155	1	0	3	4	2	15	180
20.	उड़ीसा	29821	25411	0	5027	630	2877	3688	67454
21.	पंजाब	1604	285880	0	312	209	402	157	288564
22.	राजस्थान	482114	82568	0	629	784	95	92	566282
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	269862	27164	0	1858	402	538	210	300034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	त्रिपुरा	8	121	0	157	84	32	119	521
26.	उत्तर प्रदेश	105218	2978677	0	2015	2381	1075	698	3090064
27.	उत्तरांचल	341	42980	0	48	24	3	2	43398
28.	पश्चिम बंगाल	14523	52923	0	10195	2254	17284	48132	145311
29.	अण्डमान और निकोबार	1	0	0	66	194	11	184	456
30.	चण्डीगढ़	0	24	0	0	0	0	0	24
31.	दादर और नागर हवेली	247	0	0	0	0	0	0	247
32.	दिल्ली	0	2347	0	0	0	7	0	2354
33.	पांडिचेरी	4	50	0	0	0	0	0	54
	कुल	1969004	4369477	0	73952	41764	27596	69442	6551235

स्रोत : जल संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित लघु सिंचाई स्कीमों की तीसरी गणना संबंधी रिपोर्ट, अक्तूबर, 2005

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र में नौकरियों में कमी

3555. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार के अंतर्गत कुल कितने कर्मचारी सेवानिवृत हुए तथा उनके स्थान पर कितने नए कर्मचारी नियुक्त किए गए;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान सरकारी नौकरियों की संख्या में भारी कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) केन्द्र द्वारा सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग) वैश्वीकरण तथा आर्थिक उदारीकरण, प्रौद्योगिकीय विकास, यंत्रीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र का पुनर्गठन तथा सरकारी क्षेत्र को सही आकार प्रदान करना संगठित क्षेत्र में रोजगार में गिरावट के प्रमुख कारणों में से हैं।

(घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में 70 मिलियन नए कार्य अवसरों के सृजन की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन को विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनाने के साथ ही साथ न केवल रोजगार वृद्धि में तेजी लाना अपितु कम वेतन पाने वालों की मजदूरी में वृद्धि करने संबंधी नीतियां तैयार करना भी है तथा इसमें रोजगार सृजन हेतु महत्वपूर्ण नीतिगत प्रयास निहित हैं। इसके अतिरिक्त, बेरोजगारों के लिए रोजगार अवसर सृजित करने हेतु स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना; प्रधानमंत्री रोजगार योजना; प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना; स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना; ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसे विभिन्न रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

खाद्य, सौंदर्य सामग्री तथा प्रसाधन सामग्रियों की गुणवत्ता नियंत्रण

3556. श्री एम.पी. वीरेन्द्रकुमार : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों में बाजार में बड़ी संख्या में खाद्य पूरक, सौंदर्य सामग्री तथा प्रसाधन सामग्रियां बिना किसी गुणवत्ता नियंत्रण के प्रवेश कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उत्पादों पर गुणवत्ता नियंत्रण लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) से (ग) खाद्य पूरकों की गुणवत्ता को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1955 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के द्वारा विनियमित किया जाता है। सौंदर्य सामग्रियों और प्रसाधन सामग्रियों की गुणवत्ता की निगरानी भी औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत भारत के औषधि महानियंत्रक के जरिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की जाती है।

[हिन्दी]

कृषि अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी का विकास

3557. श्री राकेश सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी के विकास में देश के कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा दिए गए योगदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के अनुसंधान कार्यों में सुधार लाने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) देश में वैज्ञानिक रूप से दक्ष प्रशिक्षित मानवशक्ति को तैयार करने तथा स्थान विशिष्ट अनुसंधान प्रौद्योगिकियों के सृजन में कृषि विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कृषि विश्वविद्यालयों ने देश को खाद्यान्न उत्पादन में स्वावलम्बी बनाने तथा प्रौद्योगिकीय रूप से समर्थ बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले तीन वर्षों में कृषि विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण अनुसंधान उपलब्धियों में निम्नलिखित शामिल है : आनुवंशिक जैव-विविधता का संग्रहण, संरक्षण तथा आकलन; सुधरे पादप, पशु तथा मछली किस्मों/नस्लों/स्टाक का विकास, संसाधन, संरक्षण प्रौद्योगिकियों का सृजन जैसे चावल-गेहूं फसलीय प्रणाली के लिए शून्य जुताई; पारिस्थितिकीय अनुकूल कीटनाशी प्रबंधन तकनीकों का विकास जैसे जैविकीय नियंत्रण, वानस्पतिक कीटनाशक तथा अन्य सुरक्षित विकल्प; गुणवत्ता इनपुट का उत्पादन जैसे नाभिकीय/प्रजनक बीज, कृषि मशीनरी एवं उपकरण में सुधार एवं विकास तथा जमीन से जुड़े हुए उपभोक्ता के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण।

(ख) और (ग) चूंकि कृषि राज्य से संबंधित विषय है अतः राज्य कृषि विश्वविद्यालय के तहत अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों में सुधार की मुख्य जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकार की है। तथापि, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पिछले तीन वर्षों (2004-05 से 2006-07) के दौरान जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (जेएनकेवीवी) को 23.70 करोड़ रु. की राशि का केन्द्रीय वित्तीय अनुदान प्रदान किया है। जेएनकेवीवी को स्वीकृत की गई अन्य प्रमुख परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: 61 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं; पशु चिकित्सा विज्ञान, जैविक कृषि तथा मसूर के रोगों पर पांच नेटवर्क परियोजनाएं; औषधीय पौधों पर उत्कृष्ट निच क्षेत्र संबंधी परियोजना, बीज प्रौद्योगिकी पर परियोजना के साथ-साथ मछली और बीज और पशुचिकित्सा विज्ञान, ऊतक संवर्धन और फसल एवं सब्जियों के कृषि प्रसंस्करण पर तीन परीक्षणात्मक लर्निंग कार्यक्रम।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश

3558. श्री कीरेन रिजीजू : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से अरूणाचल प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी में निवेश के संबंध में काफी पिछड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर राज्यों विशेष रूप से अरूणाचल प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (घ) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने असम, मणिपुर, सिक्किम तथा मेघालय में भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) सुविधा स्थापित की है। त्रिपुरा, मिज़ोरम तथा नागालैण्ड में एसटीपीआई सुविधा की स्थापना करना विचाराधीन है। किंतु, अरूणाचल प्रदेश में ऐसी सुविधा के लिए अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

नए एसटीपीआई केन्द्र की स्थापना के लिए चालू नीति के अनुसार राज्य सरकार को 3 एकड़ भूमि, 10,000 वर्ग फुट का निर्मित स्थल तथा एक करोड़ रुपए का सहायता अनुदान एसटीपीआई को उपलब्ध कराना होता है और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राज्य सरकार को 3 एकड़ भूमि और 3000 वर्ग फुट का निर्मित स्थल उपलब्ध कराना होता है।

प्रस्ताव की निर्यात क्षमता और व्यावसायिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए एसटीपीआई द्वारा राज्य सरकार के साथ मिलकर व्यवहार्यता अध्ययन किया जाता है।

[अनुवाद]

आवास क्षेत्र में नौकरियां

3559. श्री हितेन बर्मन : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास क्षेत्र में 2015 तक काफी बड़ी संख्या में नौकरियों के सृजन का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (घ) श्रम बल के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। कार्य उद्योग द्वारा दिए गए रोजगार का ब्यौरा भी प्राप्त किया जाता है। वर्ष 2004-05 की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार व्यापक रूप से आवास क्षेत्र का सहयोग देने वाले निर्माण एवं सपंदा उद्योग में कुशल तथा अकुशल व्यक्तियों की एक वृहद श्रृंखला को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने की बड़ी संभावना रहती है। यह 30 मिलियन से अधिक लोगों, जिनमें से अधिकतर महिलाएं व प्रवासी हैं, को रोजगार देता है तथा इसमे पिछले 5 वर्षों से 10% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो रही है। कार्य करने वाली जनसंख्या तथा एकल परिवारों में वृद्धि के कारण आवास क्षेत्र में अपूर्त आवश्यकताओं तथा मांग में बहुत बड़ी संख्या में वृद्धि हुई है। अतः आवास क्षेत्र में रोजगार सृजन की अत्यधिक संभावनाएं हैं।

श्रमिक संघों हेतु अनिवार्य पंजीकरण

3560. श्री रनेन बर्मन : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में पंजीकृत श्रमिक संघों की संख्या कितनी है;

(ख) श्रमिक संघों के पंजीकरण हेतु विद्यमान कानूनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या श्रमिक संघों के लिए पंजीकरण को अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 का प्रशासन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। देश में पंजीकृत व्यवसाय संघों की संख्या, खासकर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में प्रचालित, के बारे में सूचना केन्द्रीय रूप में नहीं रखी जाती है।

(ख) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 की धारा 4 में व्यवस्था है कि व्यवसाय संघ के कोई भी सात या इससे अधिक सदस्य व्यवसाय संघ के नियमानुसार अपना नाम शामिल करवाकर या अन्यथा पंजीकरण के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन कर इस अधिनियम के तहत व्यवसाय संघ के पंजीकरण हेतु आवेदन दे सकते हैं बशर्तें कर्मकारों के किसी वयवसाय संघ का तब तक पंजीकरण नहीं किया जाएगा जब तक जिस प्रतिष्ठान या उद्योग से यह संबद्ध हो या नियोजित हो, उसके न्यूनतम 10 प्रतिशत या 100 कर्मकार जो भी कम हो, पंजीकरण के लिए आवेदन करने की तारीख को ऐसे श्रमिक संघों के सदस्य न हों। इसके लिए यह शर्त भी है कि कर्मकारों के किसी भी व्यवसाय संघ को तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदन करने की तारीख को, जिस प्रतिष्ठान और उद्योग से ये कर्मकार संबद्ध या नियोजित हैं, उससे न्यूनतम सात व्यक्ति सदस्य के रूप में न जुड़े हों। पंजीकरण के लिए केवल व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 अनुप्रयोज्य है।

(ग) और (घ) श्रमिक संघों के लिए पंजीकरण अनिवार्य करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पीसीओ/एसटीडी/आईएसडी बूथ

3561. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेष रूप से कर्नाटक में पीसीओ/आईएसडी/एसटीडी आबंटन के लिए केंद्र सरकार के पास राज्यवार कितने आवेदन लंबित हैं;

(ख) कब से ये आवेदन लंबित हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि के अनुसार राज्यवार देश में विशेष रूप से कर्नाटक में केंद्र सरकार द्वारा कितने पीसीओ/आईएसडी/एसटीडी के बूथ मंजूर किए गए तथा आबंटित किए गए?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) 31.08.2007 की स्थिति के अनुसार पूरे देश में पीसीओ के लिए 9791 आवेदन लंबित हैं जिसमें से 266 कर्नाटक सर्किल में लंबित हैं। इन आंकड़ों का लेखा-जोखा सर्किल-वार रखा जाता है औसत सर्किल-वार लंबित आवेदनों का ब्योरा विवरण-I पर दिया गया है।

(ख) सबसे पुराने लंबित आवेदन (सर्किल–वार) की तारीख विवरण–I के अंतिम स्तम्भ में दी गई है।

(ग) देश में पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2004–05, 2005–06, सहित 2006–07 और 01.04.2007 से 30.06.2007 तक के दौरान कर्नाटक सर्किल–वार आबंटित किए गए पीसीओ की संख्या विवरण–II पर दी गई है।

विवरण-I

31.08.2007 की स्थिति के अनुसार सर्किल–वार लंबित आवेदनों का ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल/जिले का नाम	31.08.2007 की स्थिति के अनुसार लंबित आवेदनों की संख्या	सबसे पुराने आवेदनों की तारीख
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार	0	लागू नहीं
2.	आंध्र प्रदेश	27	10.8.2007
3.	असम	31	05.07.2007
4.	बिहार	1503	03.2.2006
5.	छत्तीसगढ़	0	लागू नहीं
6.	गुजरात	42	31.12.2006
7.	हरियाणा	0	लागू नहीं
8.	हिमाचल प्रदेश	0	लागू नहीं
9.	जम्मू–कश्मीर	682	24.4.2003
10.	झारखण्ड	2	04.8.2007
11.	कर्नाटक	266	03.04.2007
12.	केरल	875	03.05.2007
13.	मध्य प्रदेश	0	लागू नहीं
14.	महाराष्ट्र	1830	17.1.2003
15.	पूर्वोत्तर–I	3385	31.8.1998
16.	पूर्वोत्तर–II	21	01.08.2007
17.	उड़ीसा	0	लागू नहीं
18.	पंजाब	0	लागू नहीं
19.	राजस्थान	110	29.5.2002
20.	तमिलनाडु	0	लागू नहीं
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	0	लागू नहीं
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	0	लागू नहीं
23.	उत्तरांचल	16	5.9.2006
24.	पश्चिम बंगाल	963	16.8.2001
25.	कोलकाता टेलीफोन्स	38	20.4.2007
26.	चेन्नई टेलीफोन्स	0	लागू नहीं
27.	एमटीएनएल, दिल्ली	0	लागू नहीं
28.	एमटीएनएल, मुंबई	0	लागू नहीं
	जोड़	9791	

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान और जून, 2007 तक सर्किल–वार प्रदान किए गए पीसीओ की समग्र संख्या

क्र.सं.	सर्किल का नाम	2004–05 प्रदान किए गए पीसीओ की समग्र संख्या	2005–06 प्रदान किए गए पीसीओ की समग्र संख्या	2006–07 प्रदान किए गए पीसीओ की समग्र संख्या	2007–08 (30–6–07 तक) प्रदान किए गए पीसीओ की समग्र संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार	121	410	11	56
2.	आंध्र प्रदेश	65560	130902	65552	10199

1	2	3	4	5	6
3.	असम	4285	3838	2431	397
4.	बिहार	8766	11225	10672	2308
5.	छत्तीसगढ़	3224	7524	90	220
6.	गुजरात	40041	20169	5629	1290
7.	हरियाणा	6922	3538	1706	209
8.	हिमाचल प्रदेश	2059	1753	1216	326
9.	जम्मू–कश्मीर	1871	1456	1804	66
10.	झारखण्ड	79159	62398	1196	130
11.	कर्नाटक	21720	29371	40823	12831
12.	केरल	9775	6567	20944	3039
13.	मध्य प्रदेश	1839	2078	5379	5774
14.	महाराष्ट्र	70198	52002	112096	17311
15.	पूर्वोत्तर–I	1137	1170	644	261
16.	पूर्वोत्तर–II	648	1970	746	101
17.	उड़ीसा	5695	3284	3383	197
18.	पंजाब	4969	4001	2354	760
19.	राजस्थान	11882	11832	6086	718
20.	तमिलनाडु	55799	62257	38146	9034
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	13996	13503	19303	4833
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	11023	4355	1612	385
23.	उत्तरांचल	3052	1523	515	69
24.	पश्चिम बंगाल	9447	18122	9026	4052
25.	कोलकाता टेलीफोन्स	10814	1055	2952	282
26.	चेन्नई टेलीफोन्स	12403	13222	9377	671
27.	एमटीएनएल, दिल्ली	21003	7597	6826	3663
28.	एमटीएनएल, मुंबई	33578	13465	4035	803
	जोड़	510986	490586	374554	79985

विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रम को समर्थन

3562. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक नई योजना, नामतः विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रम 2005 में शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इसकी स्थापना से महाराष्ट्र सहित प्रत्येक राज्य को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र सहित प्रत्येक राज्य में इसकी स्थापना से स्थापित कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियों की संख्या कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी हां।

(ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार ने कृषक अनुकूल विस्तार प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेन्सी (एटीएमए) माडल के आधार पर मई 2005 में 'विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन' नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की थी।

(ग) स्कीम के अंतर्गत राज्यों को निधियों की निर्मुक्ति अनुमोदित राज्य विस्तार कार्य योजना (एसईडब्ल्यूपी), कार्य निष्पादन रिपोर्ट और उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यू.सी.) की प्रस्तुति आदि के आधार पर की जाती है। इस स्कीम की शुरूआत से प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा विवरण–I पर दिया गया है।

(घ) महाराष्ट्र सहित प्रत्येक राज्य में इस स्कीम की शुरूआत से स्थापित कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेन्सियों की संख्या विवरण पर दी गई है।

विवरण-I

विस्तार सुधार स्कीम के तहत इसकी शुरूआत से प्रदान किया गया वित्तीय समर्थन

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	भारत सरकार द्वारा निर्मुक्त निधि 2005–06	वर्ष 2005–06 के दौरान उपयोगित निधि	1.4.06 की स्थिति के अनुसार अथशेष	भारत सरकार द्वारा निर्मुक्त निधि 2006–07	कॉलम 5 और 6 का योग	1.4.06 से 30.6.07 तक उपयोगित निधि	1.7.07 की स्थिति के अनुसार अव्ययित शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	223.00	59.27	163.73	467.00	630.73	466.20	164.54
2.	बिहार	176.00	28.02	147.98	239.10	387.08	215.48	171.60
3.	छत्तीसगढ़	125.00	102.44	22.56	110.00	132.56	131.16	1.40
4.	गोवा	27.00	3.86	23.14	0.00	23.14	11.40	11.74
5.	गुजरात	116.00	14.67	101.33	194.00	295.33	32.75	262.58
6.	हरियाणा	123.00	49.36	73.64	116.00	189.64	88.47	101.17
7.	हिमाचल प्रदेश	122.00	122.00	0.00	183.00	183.00	218.05	–35.05
8.	जम्मू और कश्मीर	104.00	0.00	104.00	0.00	104.00	3.98	100.02
9.	झारखण्ड	163.00	130.00	33.00	157.00	190.00	278.42	–88.42
10.	कर्नाटक	180.00	112.55	67.45	155.00	222.45	102.01	120.44
11.	केरल	80.00	30.00	50.00	117.00	167.00	33.96	133.04

1 2	3	4	5	6	7	8	9
12. महाराष्ट्र	231.00	57.43	173.57	383.00	556.57	573.69	−17.12
13. मध्य प्रदेश	200.00	200.00	0.00	294.00	294.00	123.88	170.12
14. उड़ीसा	255.00	245.63	9.37	419.00	428.37	79.37	349.00
15. पंजाब	159.00	31.63	127.37	133.00	260.37	100.55	159.82
16. राजस्थान	231.00	81.50	149.50	242.00	391.50	306.91	84.59
17. तमिलनाडु	128.00	0.00	128.00	263.00	391.00	244.91	146.09
18. उत्तर प्रदेश	547.00	4.80	542.20	601.00	1143.20	524.00	619.20
19. उत्तराखण्ड	149.00	38.88	110.12	182.00	292.12	167.90	124.22
20. पश्चिम बंगाल	92.00	42.99	49.01	193.00	242.01	20.33	221.68
21. असम	160.00	17.62	142.38	0.00	142.38	141.38	1.00
22. अरूणाचल प्रदेश	73.00	50.63	22.37	126.00	148.37	85.37	63.00
23. मणिपुर	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24. नागालैण्ड	61.00	61.00	0.00	50.00	50.00	39.70	10.30
25. मेघालय	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26. मिजोरम	49.50	49.50	0.00	118.60	118.60	76.60	42.00
27. त्रिपुरा	22.00	11.00	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00
28. सिक्किम	39.00	7.95	31.05	65.00	96.05	52.90	43.15
29. दिल्ली	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00
30. पांडिचेरी	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	35.00	3.01	0.00	18.00	18.00	2.85	15.15
32. लक्षद्वीप	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00
33. दादर और नगर हवेली	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00
34. दमन और द्वीव	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00
कुल	4023.50	1644.74	2378.76	4825.70	7204.46	4133.22	3039.26

विवरण-II

स्कीम की शुरूआत से स्थापित एटीएमए की राज्यवार स्थिति

क्र. सं.	राज्य	जिलों की कवरेज विद्यमान जिलों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	18
2.	बिहार	15
3.	छत्तीसगढ़	5
4.	गोवा	1
5.	गुजरात	8
6.	हरियाणा	6
7.	हिमाचल प्रदेश	7
8.	जम्मू और कश्मीर	7
9.	झारखण्ड	22
10.	कर्नाटक	13
11.	केरल	5
12.	मध्य प्रदेश	15
13.	महाराष्ट्र	33
14.	उड़ीसा	30
15.	पंजाब	10
16.	राजस्थान	22
17.	तमिलनाडु	9
18.	उत्तर प्रदेश	32
19.	उत्तराखण्ड	8
20.	पश्चिम बंगाल	18
21.	अरुणाचल प्रदेश	7
22.	असम	12
23.	मणिपुर	4
24.	मिजोरम	4
25.	नागालैण्ड	3
26.	सिक्किम	2
27.	त्रिपुरा	2
28.	अण्डमान एव निकोबार द्वीपसमूह	1
29.	पांडिचेरी	2
	कुल	321

मोबाइल एम्पलॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कैम्प

3563. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने अल्पसंख्यकों के पंजीकरण तथा नौकरी दिलाने की प्रगति की निगरानी हेतु रोजगार कार्यालयों में निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार अल्पसंख्यक सघन क्षेत्रों में कितने चल रोजगार पंजीकरण कैंप आयोजित किए गए;

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार इन पंजीकरण कैंपों में अल्पसंख्यक समुदाय कितने से संबंधित रोजगार चाहने वाले व्यक्ति पंजीकृत किए गए; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार तथा रोजगार कार्यालय-वार अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित रोजगार चाहने वाले कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) अल्पसंख्यकों सहित समस्त वर्गों के रोजगार चाहने वालों के पंजीकरण एवं नियोजन की प्रगति का प्रबोधन संबंधित राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा किया जाता है।

(ग) से (ङ) चल रोजगार पंजीकरण कैम्पों के माध्यम से पंजीकृत रोजगार चाहने वालों सहित समस्त पंजीकृत रोजगार चाहने वालों संबंधी आंकड़े रखना रोजगार कार्यालयों के लिए अनिवार्य है। चल रोजगार पंजीकरण कैंप के माध्यम से किए गए पंजीकरणों के आंकड़े पृथक रूप से नहीं रखे जाते हैं तथा इन्हें रोजगार कार्यालय के समग्र पंजीकरण आंकड़ों के साथ दर्शाया जाता है। वर्ष 2003, 2004 तथा 2005 के अंत तक रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अल्पसंख्यक रोजगार चाहने वालों तथा इन वर्षों के दौरान किए गए नियोजनों की राज्य-वार संख्या विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2003		2004		2005	
		वर्ष के अंत में पंजीकरण (हजार में)	वर्ष के दौरान किए गए नियोजन (वास्तविक संख्या)	वर्ष के अंत में पंजीकरण (हजार में)	वर्ष के दौरान किए गए नियोजन (वास्तविक संख्या)	वर्ष के अंत में पंजीकरण (हजार में)	वर्ष के दौरान किए गए नियोजन (वास्तविक संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	216.2	186	217.6	127	216.1	152
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.7	1	2.3	55	2.7	18
3.	असम	287.9	212	302.3	445	338.9	7
4.	बिहार	130.9	3	121.2	2	110.4	5
5.	छत्तीसगढ़	53.7	11	55.9	10	57.9	7
6.	दिल्ली	45.9	23	44.2	1	40.7	1
7.	गोवा	38.0	108	37.4	31	37.1	100
8.	गुजरात	112.0	663	111.6	670	111.8	575
9.	हरियाणा	27.8	17	28.6	8	30.8	3
10.	हिमाचल प्रदेश	17.8	21	18.1	9	18.0	44
11.	जम्मू और कश्मीर	67.4	–	67.3	1	75.8	1
12.	झारखण्ड	177.2	318	151.6	10	116.5	13
13.	कर्नाटक	193.2	154	183.1	101	178.0	83
14.	केरल	1389.3	2541	1419.7	2756	1362.3	3253
15.	मध्य प्रदेश	158.1	616	157.2	342	160.7	34
16.	महाराष्ट्र	454.5	745	482.7	661	496.8	795
17.	मणिपुर	161.2	–	167.7	–	192.8	47
18.	मेघालय	23.5	35	23.0	3	27.6	18
19.	मिजोरम	86.2	–	84.5	–	83.1	–
20.	नागालैंड	40.5	51	44.0	44	43.3	4
21.	उड़ीसा	43.4	1	44.2	3	49.2	97
22.	पंजाब	231.3	1410	249.5	1025	250.4	1150
23.	राजस्थान	52.4	82	54.6	91	56.1	79

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	सिक्किम*	–	–	–	–	–	–
25.	तमिलनाडु	812.6	1710	780.3	1201	716.1	1303
26.	त्रिपुरा	10.4	20	11.0	34	11.8	4
27.	उत्तरांचल	9.0	43	10.3	20	13.4	37
28.	उत्तर प्रदेश	204.1	63	206.2	45	206.2	96
29.	पश्चिम बंगाल	912.6	497	935.0	458	976.6	381
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3.0	–	3.0	–	3.0	–
31.	चंडीगढ़	31.6	250	26.3	113	24.1	78
32.	दादर और नागर हवेली	0.2	–	0.2	–	0.2	–
33.	दमन और दीव	0.7	1	0.8	–	0.8	–
34.	लक्षद्वीप	8.3	–	8.3	–	8.3	–
35.	पांडिचेरी	6.4	6	6.7	–	7.4	4
	योग	6010.0	9789	6056.5	8266	6024.9	8389

*इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

पनधारा विकास में निजी निवेश

3564. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की पनधारा विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) सरकार कृषि क्षेत्र में विकास दर में वृद्धि करने के लिए निजी निवेश के महत्व को समझती है। योजना आयोग द्वारा तैयार की गई 11वीं पंचवर्षीय योजना के एप्रोच पेपर में यह उल्लेख किया गया है कि सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) में निजी निवेश की एक बड़ी धनराशि के सहायक के रूप में सार्वजनिक संसाधनों की एक सीमित धनराशि का उपयोग करके कुल निवेश बढ़ाने हेतु एक विशिष्ट संभावना बनती है। अवक्रमित/बंजरभूमि के पुनःसृजन, पनधारा विकास कार्यक्रम सहित शुष्कभूमि/वर्षापोषित खेती प्रणाली के बारे में कृषि और संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय विकास परिषद की उप–समिति के कार्यकारी दल ने भी संभव स्तर तक पनधारा विकास कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र की सहभागिता की सिफारिश की है। ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना के लिए कार्यकारी दल ने 38 मिलियन हैक्टेयर भूमि के विकास की सिफारिश की है, जिसमें से 2 मिलियन हैक्टेयर का विकास सार्वजनिक निजी सहभागिता के अंतर्गत किए जाने की सिफारिश है।

सेन्ट्रल फुटवियर ट्रेनिंग सेन्टर्स का सुदृढ़ीकरण

3565. श्री एस. के. खारवेन्थन : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में कार्य कर रहे सेन्ट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूटस की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त संस्थाओं का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार कितनी राशि आबंटित व जारी की गयी है; और

(घ) उपर्युक्त संस्थानों का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण कब तक किए जाने की संभावना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क)

वर्तमान में, एम एस एम ई मंत्रालय के तहत निम्नोक्त दो केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान कार्य कर रहे हैं:–

(i) केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान (सी एफ टी आई), आगरा (उत्तर प्रदेश)

(ii) केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान (सी एफ टी आई), (तमिलनाडु)

(ख) जैसा कि 27.2.2007 को लोकसभा में घोषणा की गई है, सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के संवर्धन हेतु पैकेज के तहत दोनों सी एफ टी आई को उनकी पहुंच बढ़ाने तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन में एम एस ई की सहायता करने के लिए सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

(ग) सी एफ टी आई को 2.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर नवीनतम प्रौद्योगिकी मशीनें, आदि प्रदान करके सुदृढ़ किया जा रहा है। विगत तीन वर्षों के संबंध में बजट आबंटन निम्नोक्त है:

(लाख रु. में)

	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08
सीएफटीआई, आगरा	60.00	115.40	18.00	100.00
सीएफटीआई, चैन्नई	92.00	100.00	90.00	100.00

(घ) दोनों सी एफ टी आई को वित्तीय वर्ष (2007–08) की समाप्ति से पहले उन्नयत/सुदृढ़ किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

वित्तीय अधिकारों में वृद्धि

3566. श्री संजय धोत्रे :

श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने सेना के आधुनिकीकरण तथा रक्षा खरीद की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए वित्तीय अधिकारों को 200 करोड़ रुपए तक बढ़ाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सिफारिश का क्रियान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (ग) रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) (2006–07) ने अपने 22वें प्रतिवेदन में निम्नलिखित सिफारिश की है:–

"पैरा 2.12 : तथापि, समिति महसूस करती है कि यदि खरीद प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को आबंटित धनराशि के अंतर्गत है तो नामांकित मदों के मामले में रक्षा मंत्री को वित्त मंत्री की सहमति के बिना 200 करोड़ रुपए तक की वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की जानी चाहिए क्योंकि वित्त मंत्री को की जाने वाली खरीद के बारे में उतनी जानकारी नहीं होगी जितनी रक्षा मंत्री को होगी।"

2. नामापक मदों के वर्ग में रक्षा मंत्री की वित्तीय शक्तियां वर्ष 2006 में 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दी गई थी और शक्तियां प्रत्यायोजित करने के लिए, जैसाकि ऊपर बताया गया है, रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश विचाराधीन है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए धन राशि

3567. श्री राजनरायन बुधौलिया : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए निधि का गठन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) साम्पार्श्विकता प्रतिभूति के बिना ऋण प्रदान करने के संबंध में वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों के जोखिम बोध को कम करके सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों को क्रेडिट का बेहतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के लिए एक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सी जी टी एम एस ई) की स्थापना की है। सी जी टी एम एस ई की संग्रह निधि में सरकार तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा 4:1 के अनुपात में संयुक्त अंशदान दिया जाता है। अगस्त, 2007 के अंत तक सरकार तथा सिडबी ने संग्रह के लिए 1.346.55 करोड़ रुपये का संयुक्त अंशदान किया है।

इसके अलावा, 500 करोड़ रुपये के संग्रह से एक लघु तथा मध्यम उद्यम (एम एस ई) ग्रोथ फंड की स्थापना की गई है जिसमें सिडबी तथा आठ बैंकों ने अंशदान किया है। यह फंड लाईफ साईंस, खुदरा, लाईट इंजीनियरिंग खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि जैसे क्षेत्रों पर बल देता है।

वायरलेस टेलीफोन कनेक्शन

3568. श्री गिरिधारी यादव : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषतः बिहार में आज की तिथि तक राज्यवार दिए गए वायरलेस टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या कितनी हैं;

(ख) देश में दिए गए उक्त कनेक्शनों की कुल संख्या उपयुक्त संख्या का राज्यवार प्रतिशत कितना है; और

(ग) देश में विशेषतः बिहार में टेलीफोन सेवाओं की गुणत्ता को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) 31.07.2007 की स्थिति के अनुसार देश में मुहैया बेतार टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 19,28,83,621 और बिहार में 71,76,632 है। 31.07.2007 की स्थिति के अनुसार सर्किल/राज्यवार बेतार कनेक्शनों का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

देश में कनेक्शनों की कुल संख्या की तुलना में उपरोक्त कनेक्शनों का सर्किल/राज्यवार प्रतिशत भी विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण निर्धारित सेवा गुणवत्ता मानदंडों के आधार पर नियमित रूप से मोबाइल प्रचालकों के निष्पादन को मॉनीटर करता है। सरकार सेवा गुणवत्ता मानदंडों के अनुसार सामान्य निष्पादन की निगरानी के अलावा अन्तरसंयोजन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सेवा प्रदाताओं की मदद करती है और स्थानीय प्राधिकारियों से सेल स्थलों की अनापत्ति प्राप्त करने के लिए संपर्क करती है।

बीएसएनएल द्वारा अपनी सेवाओं में सुधार के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम :

(क) बेतार सेवाएं :

(1) भूमिगत पेपर कोर केबल को चरणबद्ध रुप में जेली फिल्ड केबल द्वारा बदलना

(2) खंभा रहित नेटवर्क तैयार करना

(3) भूमिगत केबल की लंबाई में कमी लाने के लिए अधिक टेलीफोन एक्सचेंज (आरएसयू/आरएलयू) खोलना

(4) एसबीएम को आरएलयू और सी–डॉट 256 पोर्ट एक्सचेंजों को एएन आरएएक्स (ऐक्सेस नेटवर्क रूरल ऑटोमेटिक एक्सचेंज) में बदलना

(5) अल्प दूरी प्रभारण केंद्र में पूरे अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र के लिए इंटिग्रेटिड वॉयस रिस्पोंस वॉयस रिस्पोंस सिस्टम युक्त केंद्रीकृत कम्प्यूटरीकृत दोष दर्ज सुविधा का प्रावधान।

(6) बैक अप विद्युत आपूर्ति के लिए रखरखाव मुक्त बैटरी सेटों और इंजिन आल्टर्नेटरों की व्यवस्था।

(7) भूमिगत केबल की लंबाई में कमी लाने और नई सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल लाइन कन्सन्ट्रेटरों को शामिल करना।

(8) सभी टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए भरोसेमंद मीडिया का प्रावधान।

(ख) डब्ल्यूएलएल सेवा :

(1) बीएसएनएल (भारत संचार निगम लिमिटेड) ने देश में पहले ही एक विस्तृत डब्ल्यूएलएल नेटवर्क बिछाया हुआ है। बिखरे हुए और विस्तृत दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों की टेलीफोन कनेक्शन की मांगों को पूरा करने के लिए डब्ल्यूएलएल नेटवर्क की 36.76 लाख लाइनों में से, 30.29 लाख लाइनें ग्रामीण क्षेत्रों में दी गई हैं। दूरगामी क्षेत्रों और अतिरिक्त दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधायुक्त करने के लिए डब्ल्यूएलएल सेवा नेटवर्क को और आगे बढ़ाया गया है।

(2) बीएसएनएल की समग्र कवरेज के लिए सभी अल्प दूरी प्रभारण केंद्रों में तीन बीटीएस मुहैया कराने की योजना है।

(3) डब्ल्यूएलएल नेटवर्क के इस विस्तृत फैलाव से ग्रामीण क्षेत्रों में मांग पर टेलीफोन कनेक्शन देने में सुविधा होगी।

(ग) मोबाइल सेवाएं :

(1) बीएसएनएल की वरीयता आधार पर सभी जिला मुख्यालयों को सुविधायुक्त करने की योजना है। 2007–2008 के दौरान 5000 जनसंख्या वाले सभी तहसील मुख्यालयों और गांवों को उत्तरोत्तर सुविधायुक्त करने की भी योजना है।

(2) भावी योजना में अगले तीन वित्तीय वर्षों में 1000 से अधिक की जनसंख्या वाले गांवों को उत्तरोत्तर सुविधायुक्त करने के लिए क्षमता वृद्धि की परिकल्पना है।

(3) बीएसएनएल ने पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और रेलमार्गों तथा तीर्थ स्थानों को सुविधायुक्त कर रखा है, जिससे बीएसएनएल की मोबाइल सेवाओं के आनुषंगिक सेल्यूलर कवरेज से ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र लाभान्वित हुए हैं।

विवरण

31.07.2007 की स्थिति के अनुसार सर्किल/राज्यवार बेतार/कुल टेलीफोन कनेक्शन (अनंतिम)

क्र.सं.	सर्किल/राज्य का नाम	कुल बेतार कनेक्शन	देश में कुल बेतार कनेक्शनों की तुलना में बेतार कनेक्शन की प्रतिशतता	कुल टेलीफोन कनेक्शन (तारयुक्त+बेतार)	कुल टेलीफोन कनेक्शनों की तुलना में बेतार कनेक्शनों की प्रतिशतता
1.	अंडमान और निकोबार*	48655	0.03%	76984	63.20%
2.	आंध्र प्रदेश	15181968	7.87%	18037587	84.17%
3.	असम	2633044	1.37%	3090397	85.20%
4.	बिहार	7176632	3.72%	8138437	88.18%
5.	छत्तीसगढ़*	508106	0.26%	777884	65.32%
6.	गुजरात	12774833	6.62%	15149994	84.32%
7.	हरियाणा	5265569	2.73%	6252484	84.22%
8.	हिमाचल प्रदेश	1643729	0.85%	2088389	78.71%
9.	जम्मू–कश्मीर	1663218	0.86%	1951317	85.24%
10.	झारखण्ड*	551885	0.29%	999484	55.22%
11.	कर्नाटक	13072802	6.78%	15921777	82.11%
12.	केरल	8741960	4.53%	12412966	70.43%
13.	मध्य प्रदेश	8364599	4.34%	9875854	84.70%
14.	महाराष्ट्र (–) मुंबई	15003468	7.78%	18794501	79.83%
15.	पूर्वोत्तर	1459587	0.76%	1810829	80.60%
16.	उड़ीसा	3620539	1.88%	4391388	82.45%
17.	पंजाब	9401521	4.87%	11196284	83.97%
18.	राजस्थान	9797033	5.08%	11584862	84.57%
19.	तमिलनाडु (–) चेन्नई	12826552	6.65%	15466577	82.93%
20.	उत्तराखण्ड*	563909	0.29%	901081	62.58%
21.	उत्तर प्रदेश	20887670	10.83%	23390419	89.30%
22.	पश्चिम बंगाल (–) कोलकाता	6311603	3.27%	7489415	84.27%
23.	कोलकाता	5873778	3.05%	7288545	80.59%
24.	चेन्नई	5337672	2.77%	6673638	79.98%
25.	दिल्ली	13288163	6.89%	15609896	85.13%
26.	मुंबई	10885126	5.64%	13403006	81.21%
	कुल	192883621	100.00%	232773997	82.86%

नोट:- (1) *अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखण्ड में निजी प्रचालकों द्वारा प्रदत्त बेतार कनेक्शनों के आंकड़े क्रमशः पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में शामिल है।

(2) जुलाई, 2007 के लिए रिलायंस जीएसएम उपभोक्ता आंकड़े उपलब्ध नहीं है, अतः मार्च, 2007 के आंकड़े लिए गए है।

(3) स्त्रोत बीएसएनएल/एमटीएनएल/सीओएआई/एयूएसपीआई

[अनुवाद]

यूएएसएल को मंजूरी

3569. **श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूनिवर्सल एक्सेस सर्विस लाइसेंसेज (यूएएसएल) की स्वीकृति तथा इसे जारी किए जाने में तेजी लाने हेतु बेतार योजना और समन्वय स्कंध (डब्ल्यूपीसी) तथा निगरानी संगठन का पुनर्गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में इस संबंध में लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है;

(घ) उपभोक्ताओं को उनकी पसंद के अनुरूप उपलब्ध कराने के लिए इन यूएएसएल को कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(ङ) लंबित आवेदनों के शीघ्र निपटारे हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ङ) आरएफ स्पेक्ट्रम प्रबंधन के कार्यों का बेतार आयोजना और समन्वय स्कंध तथा बेतार अनुश्रवण संगठन द्वारा विश्वबैंक से प्राप्त ऋण सहायता से चलाई जा रही एक परियोजना के जरिए संवर्धन, स्वचालन और आधुनिकीकरण किया गया है। फ्रीक्वेंसी आबंटन और लाइसेंस से संबंधित बातों के लिए अधिकांश आवेदन अब ऑन लाइन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पांच क्षेत्रीय लाइसेंस कार्यालय भी स्थापित किए गए हैं। इससे बेतार लाइसेंसों के लिए विभिन्न मामलों के निपटान की गति तीव्र हुई है।

एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस 'अभिगम सेवा' समूह द्वारा जारी किए जाते हैं। 05.09.07 की स्थिति के अनुसार एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस के लिए 129 आवेदन किए गए हैं। आवेदक कंपनियों द्वारा एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस जारी करने के लिए दिशा-निर्देशों के निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 4 के अंतर्गत आवेदन कंपनियों को एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं। तथापि, संबंधित मुद्दों जिनके लिए विस्तृत जांच किए जाने की आवश्यकता होती है, के कारण इन आवेदनों पर लाइसेंस प्रदान करने के लिए निर्णय हेतु सामान्यतः कोई समय-सीमा नहीं की जा सकती।

इसके अतिरिक्त 13.04.2007 को सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) से प्रत्येक सेवा क्षेत्र में अभिगम प्रदाताओं की संख्या सीमित करने के मामले पर अपनी सिफारिश करने पर अभिगम प्रदाता लाइसेंस में कुछ निबंधन और शर्तों की समीक्षा करने का अनुरोध किया था। 29.08.2007 को ट्राई ने सिफारिश की है कि किसी भी सेवा क्षेत्र में अभिगम सेवा प्रदाताओं की संख्या को सीमित न किया जाए। अभी तक ट्राई की सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

घटिया स्तर की मोबाइल सेवा

3570. **श्री एम. अंजनकुमार यादव : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं असंतोषजनक तथा घटिया स्तर की है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) मोबाइल सेवाओं में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान की जा रही ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्यूनिकेशन (जीएसएम) आधारित मोबाइल टेलीफोन सेवा फिलहाल आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः संतोषप्रद कार्य कर रही है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत संचार निगम लिमिटेड के नेटवर्क को इसके अच्छे निष्पादन हेतु निरंतर अनुकूलतम बनाया जा रहा है और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सेवा गुणवत्ता मानदंडों के अनुसार निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड ने नेटवर्क निगरानी व्यवसाय का सुदृढ़ीकरण किया है। कवरेज, क्षमता और सेवा संबंधी गुणवत्ता में वृद्धि के लिए आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों सहित नेटवर्क में उत्तरोत्तर संवर्धन भी किया जा रहा है।

[अनुवाद]

कॉयर तथा कॉयर उत्पादों का उत्पादन

3571. **श्री ई. जी. सुगावनम : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कॉयर तथा कॉयर उत्पादों के राज्यवार उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान कॉयर उत्पादों के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2007-08 के दौरान कॉयर तथा कॉयर उत्पादों के उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य तय किए गए हैं; और

(ङ) कॉयर तथा कॉयर उत्पादों के उत्पादन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान कॉयर उत्पादन का राज्यवार ब्योरा निम्नोक्त हैं:-

मात्रा मी. ट. में

राज्य	2003-04	2004-05	2005-06
केरल	1,80,000	1,80,000	1,84,000
तमिलनाडु	1,01,200	1,12,20	1,19,000
कर्नाटक	36,900	40,900	43,000
आन्ध्र प्रदेश	28,900	32,900	41,500
उड़ीसा	1,655	1,700	1,900
अन्य	15,345	17,300	20,600
कुल	3,64,000	3,85,000	4,10,000

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) वर्ष 2007-2008 के दौरान कॉयर के उत्पादन के लिए नियत लक्ष्य 4,70,000 मी.ट. है।

(ङ) कॅयर बोर्ड जोकि सांविधिक संगठन है, की स्थापना कॅयर उद्योग अधिनियम, 1953 के तहत की गई है, देश में कॅयर उद्योग के विकास के लिए विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन करता है कॅयर क्षेत्र में कॅयर उत्पादों के उत्पादन में इजाफा करने, इसकी उत्पादकता में इजाफा इत्यादि की दृष्टि से कॅयर बोर्ड निम्नोक्त कार्यक्रमों/स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है:

(i) उत्पादन बुनियादी संरचना के विकास के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपये के अध्यधीन मशीनरी के लागत के 25 प्रतिशत की दर से नई कॅयर इकाईयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ii) प्रचार उपायों, सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में इकाईयों के लिए बाजार विकास सहायता, व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने, मानक मूल्यों पर गुणवत्ता उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए कॅयर बोर्ड शोरूम तथा बिक्री डिपो के माध्यम से कॅयर के लिए घरेलू बाजार के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता।

(iii) "महिला कॅयर योजना" जो रैटस (कॅयर स्पिनिंग) की खरीद की लागत के 75 प्रतिशत की संब्सिडी भी प्रदान करती है, के तहत महिला कारीगरों को स्पिनिंग में प्रशिक्षण।

(iv) उद्यमिता विकास कार्यक्रम तथा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम ताकि क्रमशः उद्यमों का संवर्धन हो सके तथा उनमें गुणवत्ता जागरूकता आ सके।

(v) कॅयर फाइबर के एक्सट्रेक्शन तथा प्रसंस्करण के लिए नई प्रौद्योगिकीयां शुरू करने, मशीनरी के विकास, उत्पाद विविधीकरण, नए उत्पादों इत्यादि को शुरू करने के लिए गहन अनुसंधान और विकास प्रयास करना।

सिंधु जल का आबंटन

3572. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 के पंचाट के अनुसार विभिन्न पूर्वी नदियों से विभिन्न राज्यों को किए गए जलाबंटन का ब्यौरा क्या है तथा उन राज्यों के नाम क्या हैं और उन्हें कितनी मात्रा में जल का आबंटन किया गया है;

(ख) क्या उक्त पंचाट इन नदियों में जल की उपलब्धता से संबंधित पुनर्आकलन पर आधारित था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्यों विशेषतः गुजरात राज्य से जल के पुनर्आबटन हेतु कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्यों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(च) सिंधु नदी से जलाबंटन हेतु गुजरात राज्य की क्या मांग है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) वर्ष 1981 में हरियाणा, राजस्थान तथा पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच हुए समझौते के अंतर्गत पूर्वी नदियों के रावी-व्यास के अधिशेष जल का पुनः आबंटन किया गया जो निम्न प्रकार से है:

पंजाब का हिस्सा	4.22 एमएएफ
हरियाणा का हिस्सा	3.50 एमएएफ
राजस्थान का हिस्सा	8.60 एमएएफ
दिल्ली जल आपूर्ति हेतु निर्धारित मात्रा	0.20 एमएएफ
जम्मू एवं कश्मीर का हिस्सा	0.65 एमएएफ

(ख) और (ग) उक्त समझौता जल उपलब्धता के पुनः आकलन पर आधारित था चूंकि इसमें वर्ष 1955 के आबंटन में 1921-45 की फ्लो सीरीज की अपेक्षा 1921-60 की फ्लो सीरीज पर विचार किया गया। वर्ष 1981 के समझौते रावी-व्यास के निवल अधिशेष जल को वर्ष 1955 के आबंटन की 15.85 एमएएफ की अपेक्षा 17.17 एमएएफ माना गया है।

(घ) और (ङ) गुजरात सरकार द्वारा अगस्त एवं अक्तूबर, 2002 तथा अप्रैल एवं मई 2003 को लिखे गए पत्रों में सिंधु प्रणाली/पूर्व नदियों के जल को गुजरात में आबंटित करने के संबंध में वर्तमान लाभग्राही राज्यों के साथ इस मामले पर एक बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया था क्योंकि ऐतिहासिक प्रलेखों के अनुसार कच्छ क्षेत्र सिंधु बेसिन का एक भाग था। मामले की जांच करने के पश्चात माननीय जल संसाधन मंत्री ने अपने अप्रैल, 2003 तथा जनवरी एवं अक्तूबर 2004 में लिखे पत्रों में इस मामले में हुई प्रगति एवं गतिरोधों का उल्लेख किया, जिसमें कच्छ को सिंधु बेसिन का भाग न माना भी शामिल है तथा गुजरात राज्य को इस मामले में वर्तमान लाभग्राही राज्यों से विचार-विमर्श करने का अनुरोध किया।

(च) गुजरात सरकार द्वारा मई, 2003 को लिखे गए पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया कि सिंधु जल संधि का समर्थन करने पर पाकिस्तान में कोटरी बैराज की अरब सागर डाउनस्ट्रीम के अधिशेष/स्पिल जल को कच्छ में व्यपवर्तित करना संभव होगा। पत्र में यह भी दोहराया गया कि गुजरात को सिंधु बेसिन (छः नदियों का बेसिन) का जल दिया जाना चाहिए न कि सिंधु नदी का जल, जो पाकिस्तान को आबंटित किया गया है। माननीय जल संसाधन मंत्री ने जनवरी, 2004 के अपने पत्र में उल्लेख किया कि केन्द्र द्वारा जल की हिस्सेदारी संबंधी व्यवस्था को दोबारा शुरू करना कठिन होगा।

पश्चिम बंगाल में कृषि मजदूरों को सहायता

3573. श्री सुब्रत बोस : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में दुर्घटना के मामलों में कृषि मजदूरों को सहायता पहुंचाने के लिए चलायी जा रही योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इसके लिए कोई अनुदान दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि उपलब्ध करायी गयी है; और

(घ) केन्द्र द्वारा प्रायोजित कृषि सामाजिक सुरक्षा योजना, 2001 को जारी रखने के संबंध में केन्द्र द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) पश्चिम बंगाल में कृषि मजदूरों के लिए ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 01.07.2001 को शुरू की गयी कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा था। इस योजना को फरवरी, 2004 से बंद कर दिया गया है।

खाद्यान्नों की खरीद

3574. श्री जी. एम. सिद्दीश्वर : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न राज्यों विशेषतः कर्नाटक से राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी मात्रा में खाद्यान्न की खरीद की गयी है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खोले गए खरीद केन्द्रों की वर्षवार और राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू मौसम के दौरान विभिन्न राज्यों विशेषतः कर्नाटक में अतिरिक्त खरीद केन्द्र खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए पिछले तीन - वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान वसूल किए गए गेहूं, चावल ओर मोटे अनाजों की राज्य वार मात्रा का ब्यौरा विवरण I, II, और III में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार खोले गए वसूली केन्द्रों का ब्यौरा विवरण IV और V में दिया गया है।

(ग) और (घ) आगामी खरीफ विपणन मौसम 2007-08, जो 1 अक्तूबर 2007 से प्रारंभ होगा, के प्रारंभ होने के पूर्व प्रत्येक राज्य (कर्नाटक सहित) में खोले जाने वाले वसूली केन्द्रों की संख्या का निर्णय भारतीय खाद्य निगम द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करके किया जाएगा।

विवरण-I

भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा गेहूं की राज्यवार और विपणन मौसम–वार वसूली

(हजार टन में)

राज्य/सं. रा. क्षेत्र	2004–05			2005–06			2006–07			2007–08*		
	भा.खा.नि.	राज्य एजेंसियां	जोड़	भा.खा.नि.	राज्य एजेंसियां	जोड़	भा.खा.नि.	राज्य एजेंसियां	जोड़	भा.खा.नि.	राज्य एजेंसियां	जोड़
बिहार	नगण्य	14	14	नगण्य	1	1	-	-	-	नगण्य	8	8
चंडीगढ़												
छत्तीसगढ़												
दिल्ली	2	-	2	2	-	2	-	-	-	1	-	1
गुजरात	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हरियाणा	880	4235	5115	617	3912	4529	269	1960	2229	349	2997	3346
हिमाचल प्रदेश	नगण्य	-	नगण्य	नगण्य	-	नगण्य	-	-	-	-	-	-
जम्मू और कश्मीर	नगण्य	-	नगण्य	नगण्य	-	नगण्य	-	-	-	-	-	-
कर्नाटक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मध्य प्रदेश	35	315	350	15	469	484	नगण्य	नगण्य	नगण्य	6	52	58
पंजाब	2147	7093	9240	1428	7582	9010	1063	5883	6946	726	6031	6757
राजस्थान	178	101	279	119	40	159	2	नगण्य	2	326	57	383
तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश	15	1725	1740	41	519	560	5	44	49	132	417	459
उत्तराखण्ड	9	46	55	6	34	40	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	2	2
पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	3266	13529	16795	2228	12557	14785	1339	7887	9226	1540	9564	11104

*31-8-07 की स्थिति के अनुसार
नगण्य – 500 टन से कम

विवरण-II

भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा गेहूं की राज्यवार और विपणन मौसम–वार वसूली

(हजार टन में)

राज्य/सं. रा. क्षेत्र	2003–04			2004–05			2005–06			2006–07		
	भा.खा.नि.	राज्य एजेंसियां	जोड़	भा.खा.नि.	राज्य एजेंसियां	जोड़	भा.खा.नि.	राज्य एजेंसियां	जोड़	भा.खा.नि.	राज्य एजेंसियां	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	नगण्य	-	-	1	1			-			
आंध्र प्रदेश	4038	192	4230	3898	8	3906	4781	191	4972	4909	407	5316
अरुणाचल प्रदेश			-	-	-	-			-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
असम	17	-	17		नगण्य		1		1			
बिहार	110	253	363	48	295	343	131	394	525	104	371	475
चंडीगढ़	-	-	-	19	-	19	13		13	10		10
छत्तीसगढ़	555	1819	2374	890	1947	2837	860	2404	3264	445	2388	2833
दिल्ली	-	-	-	-	-	-			-			
गुजरात	-	-	-	-	-	-			-			
हरियाणा	678	656	1334	713	949	1662	538	1515	2053	409	1364	1773
हिमाचल प्रदेश	3	-	3	2	-	2			-			
जम्मू और कश्मीर	-	-	-	1	-	1	3		3			
झारखंड	2	-	2	1	-	1	2		2	5		5
कर्नाटक	-	-	-	-	21	21	47	1	48	21		21
केरल	-	-	-	-	33	33		94	94	-	151	151
मध्य प्रदेश	69	43	112	20	22	42	86	50	136	49	24	73
महाराष्ट्र	183	125	308	157	48	205	92	101	193	12	85	97
नागालैंड			-	1	11	12			-			
उड़ीसा	1303	70	1373	1370	220	1590	1223	562	1785	852	1135	1987
पांडिचेरी	-	-	-	-	-	-			-	5		5
पंजाब	3148	5514	8662	3138	5968	9106	1772	7083	8855	6925	902	7827
राजस्थान	41	-	41	22	-	22	23		23	10		10
तमिलनाडु	*	207	207	-	652	652		962	926		1077	1077
उत्तर प्रदेश	-	2554	2554	849	2121	2970	526	2625	3151	241	2308	2549
उत्तराखंड	197	126	323	186	130	316	198	138	336		176	176
पश्चिम बंगाल	629	296	925	318	626	944	809	467	1276	176	465	641
जोड़	10973	11855	22828	11633	13052	24685	11105	16551	27656	14173	10853	25026

*31-8-07 की स्थिति के अनुसार

नगण्य – 500 टन से कम

विवरण-III

मोटे अनालों की वसूली

(आंकड़े टन में)

राज्य/वर्ष	ज्वार	बाजरा	मक्का	रागी	जोड़
1	2	3	4	5	6
2003-2004					
आंध्र प्रदेश	4274	2174	270473	–	27691

1	2	3	4	5	6
बिहार	-	-	707	-	707
छत्तीसगढ़	-	-	2863	-	2863
गुजरात	-	1	705	-	706
हरियाणा	-	199121	-	-	199121
कर्नाटक	-	-	15591	-	15591
मध्य प्रदेश	863	87	20310	-	21260
महाराष्ट्र	42980	192	16838	-	60010
राजस्थान	-	44297	29277	-	73574
जोड़	48117	245872	356764	-	650753
2004-2005					
आंध्र प्रदेश	-	-	223223	-	223223
छत्तीसगढ़	-	-	10891	-	10891
हरियाणा	-	130122	-	-	130122
कर्नाटक	-	-	380341	48730	429071
मध्य प्रदेश	-	259	1782	-	2041
महाराष्ट्र	11928	4810	14757	-	31495
पंजाब	-	-	227	-	227
जोड़	11928	135191	631221	48730	827070
2005-2006					
आंध्र प्रदेश	-	-	593891	-	593891
छत्तीसगढ़	-	-	8737	-	9218
हरियाणा	-	4900	-	-	4900
कर्नाटक	-	-	379650	63273	442923
मध्य प्रदेश	220	*	2788	-	3008
महाराष्ट्र	67258	58	29649	-	96965
जोड़ 2006–07(03.09.07) की स्थिति	67478	4958	1014715	63273	1150424
महाराष्ट्र	193	–	–	–	193
जोड़	193	–	–	–	193

विवरण-IV

रबी मौसम 2004–05 और 2007–08 के दौरान भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों के द्वारा खरीद केन्द्रों की सूची

राज्य/सं. रा. क्षेत्र	2004–05			2005–06			2006–07			2007–08		
	भा.खा.नि.	राज्य एजेंसियां	जोड़	भा.खा.नि.	राज्य एजेंसियां	जोड़	*भा.खा.नि.	राज्य एजेंसियां	जोड़	*भा.खा.नि.	राज्य एजेंसियां	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पंजाब	525	1007	1532	364	1111	1475	334	1255	1589	236@	1337	1573
हरियाणा	107	240	347	88	260	348	74	280	354	67@@	294	361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उत्तर प्रदेश	43	4623	4666	184	4778	4962	596	4672	5268	1079	4006	5085
राजस्थान	23	46	69	35	39	74	90	22	112	146	113	259
मध्य प्रदेश	95	854	949	121	945	1066	142	923	1065	179	929	1108
दिल्ली	2	उ.न.	2	4		4	7		7	7		7
बिहार	97		97	105	323	428	119	3497	3616	66	5025	5091
हिमाचल प्रदेश	4		4	4			5		5	5		5
उत्तराखण्ड	34	190	224	30	219	249	30	206	236	50	149	199
गुजरात		149	149		113	113		188	188		188	188
छत्तीसगढ़												
झारखंड										0	0	0
जम्मू और कश्मीर							16		16	19		19
जोड़	930	7109	8039	935	7788	8719	1413	11043	12456	1854	12041	13895

*भारतीय खाद्य निगम की एजेंसियों सहित

@65 भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों द्वारा हिस्सेदारी के आधार पर

@@ 32 भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों द्वारा हिस्सेदारी के आधार पर

विवरण-V

खरीफ विपणन मौसम 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान धान और मोटे अनाजों के लिए प्रचालित खरीद केन्द्रों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा

राज्य/सं. रा. क्षेत्र	2003-04				2004-05				2005-06			
	भा.खा. नि.	संयुक्त रुप से	राज्य एजेंसियां	जोड़	*भा.खा. नि.	संयुक्त रुप से	राज्य एजेंसियां	जोड़	*भा.खा. नि.	संयुक्त रुप से	राज्य एजेंसियां	जोड़
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पंजाब	292	156	1010	1458	162	192	1098	1452	159	174	1152	1485
हरियाणा	22	40	168	230	26	38	159	223	12	72	126	210
उत्तर प्रदेश			1500	1500			1682	1682			1756	1756
दिल्ली	2			2	2			2	2			2
राजस्थान	40		99	139	12		101	113	12			12
आंध्र प्रदेश	230		264	494	194		322	516	182		111	293
मध्य प्रदेश	199		469	668	244		393	637	236		390	626
पश्चिम बंगाल			630	630			630	630			680	680
कर्नाटक			2	2			32	32			43	43
तमिलनाडु			571	571			1098	1098			1200	1200
बिहार	98		उ.न.	98	105		647	752	119		647	766
उड़ीसा	20		42	62	96		204	300	245		उ.न.	245
हिमाचल प्रदेश	4			4	4			4	5			5
महाराष्ट्र			886	886			819	819			819	819
छत्तीसगढ़			1443	1443			1334	1334			1334	1334

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
उत्तराखंड			50	50			51	51			51	51
गुजरात			76	76			49	49			9	9
असम	22			22	23			23	11			11
नागालैंड							4	4	उ.न.			
झारखंड	8			8	10			10	5			5
केरल							174	174			118	118
जम्मू और कश्मीर									2			2
जोड़	937	196	7210	8343	878	230	8797	9905	990	246	8436	9672

*भारतीय खाद्य निगम की एजेंसियाँ सहित।

विवरण-V

खरीफ विपणन मौसम 2006-07 के दौरान धान/मोटे अनाजों के लिए प्रचालित खरीद केन्द्रों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा

(अनंतिम)

(16.01.2007 की स्थिति के अनुसार)

क्षेत्र	भारतीय खाद्य निगम	संयुक्त रूप से	राज्य एजेंसी	जोड़
पंजाब	95	118	1296	1509
हरियाणा	6	27	142	175
उत्तर प्रदेश			1694	1694
दिल्ली	4			4
राजस्थान	12			12
आंध्र प्रदेश	175		522	697
मध्य प्रदेश	229		406	635
पश्चिम बंगाल			1824	1824
कर्नाटक			123	123
तमिलनाडु			667	667
बिहार	166			166
उड़ीसा	420		1752	2172
हिमाचल प्रदेश	5			5
महाराष्ट्र			765	765
छत्तीसगढ़			1459	1459
उत्तराखंड			55	55
गुजरात			188	188
असम	8			8
नागालैंड				
झारखंड	17		327	344
केरल			130	130
जम्मू और कश्मीर	2			2
जोड़	1139	145	11350	12634

[हिन्दी]

बांधों के निर्माण हेतु नाबार्ड द्वारा धनराशि दिया जाना

3575. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सिंचाई उद्देश्यों के लिए बांधों के निर्माण हेतु राजस्थान को सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बांधों का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अनुमानतः कुल कितनी कृषि भूमि को लाभ मिलने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए राजस्थान सरकार को ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत 1260.23 करोड़ रुपए की ऋण सहायता स्वीकृत की है:

श्रेणी	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत आरआईडीएफ ऋण करोड़ रुपए	सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर)
वृहद सिंचाई	13	417.36	1815490
मध्यम सिंचाई	10	372.19	64389
लघु सिंचाई	273	470.68	115362
कुल	296	1260.23	361341

[अनुवाद]

मत्स्यन मंत्रालय का गठन

3576. श्री ए. वी. बेल्लारमिन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक पृथक मत्स्यन मंत्रालय के गठन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मछुआरों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार ने मछुआरों के कल्याण के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराके केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से विभिन्न कदम उठाए हैं। इन योजनाओं में मुख्यतः शामिल हैं (1) अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि का विकास, (2) समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी सुविधाओं और पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास, (3) राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण, प्रशिक्षण और विस्तार योजना, (4) डाटाबेस और सूचना नेटवर्किंग का सुदृढ़ीकरण तथा (5) विभाग के मात्स्यिकी आधारित संस्थानों को सहायता। इनमें से एक योजना अर्थात् राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण, प्रशिक्षण और विस्तार योजना सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा के साथ–साथ आवास, पेयजल, सामुदायिक हॉल जैसी बुनियादी सुविधाएं देने तथा कमी के मौसम में मछुआरों को वित्तीय सहायता देने के लिए बनाई गई है।

[हिन्दी]

विदेश में रोजगार के अवसर

3577. श्री सुभाष महरिया : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिला रोजगार कार्यालयों में विदेशों में रोजगार के अवसरों से संबंधित सूचना प्राप्त की जा रही तथा रखी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अन्य देशों से प्राप्त विभिन्न श्रेणियों के पदों की देशवार संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इससे लाभान्वित भारतीयों की संख्या कितनी है; और

(घ) विदेश में रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने हेतु रोजगार कार्यालयों द्वारा क्या मापदंड अपनाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) रोजगार कार्यालय रोजगार चलाने वालों का पंजीकरण करते हैं तथा उन्हें देश में अधिसूचित रिक्तियों हेतु नियोक्ताओं को प्रायोजित करते हैं। इन कार्यकलापों के अतिरिक्त, रोजगार कार्यालय पंजीकृत रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा आजीविका परामर्श भी प्रदान करते हैं।

बीज व्यापार

3578. प्रो. एम. रामदास :

श्री मदन लाल शर्मा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियां देश में बीज व्यापार पर धीरे-धीरे नियंत्रण करती जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बीज व्यापार में भारतीय बीज कंपनियों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्रमशः प्रतिशत हिस्सा कितना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) भारतीय बीज उद्योग में विशेषकर धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सूरजमुखी और कपास की संकर किस्मों के बीजों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का शेयर क्रमिक रूप से बढ़ रहा है। ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादित
बीज की मात्रा (2005-06)

(मात्रा लाख क्विंटल में)

फसलें	सार्वजनिक		निजी		कुल मात्रा
	मात्रा	% अंश	मात्रा	%अंश	
1	2	3	4	5	6
गेहूं	24.74	54	20.94	46	45.68
जौ	0.27	38	0.44	62	0.71
धान	27.14	67	13.24	33	40.38
मक्का	0.80	10	7.28	90	8.08
ज्वार	0.45	16	2.36	84	2.81
बाजरा	0.67	29	1.64	71	2.31
अरहर	0.68	57	0.51	43	1.19
उड़द	0.78	53	0.68	47	1.49
मूंग	0.94	58	0.68	42	1.62
चना	1.56	27	4.14	73	5.70
मसूर	0.21	81	0.05	19	0.26
मटर	0.37	84	0.07	16	0.44
मूंगफली	9.24	82	1.99	18	11.23
सोयाबीन	9.23	68	4.25	32	13.48
सरसों/तोरिया	1.12	57	0.85	43	1.97
सूरजमुखी	0.15	15	0.87	85	1.02
कपास	0.46	17.90	2.10	82.10	2.56
पटसन	0.29	80.86	0.07	19.14	0.36
कुल योग	79.1		62.16		141.26

लघु उद्योग वस्तुओं को आरक्षित सूची से हटाना

3579. प्रो. एम. रामदास :

श्री मदन लाल शर्मा :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सलाहकार समिति द्वारा लघु उद्योगों के अंतर्गत उत्पादन हेतु आरक्षित कतिपय वस्तुओं को आरक्षित सूची से हटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं तथा लघु उद्योगों द्वारा किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा;

(ग) क्या इन सिफारिशों के पीछे बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दबाव देने के संबंध में कोई आरोप लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। लघु उद्योग क्षेत्र (अब सूक्ष्म तथा लघु उद्यम क्षेत्र) के लिए आरक्षित मदों की सूची की समीक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है। प्रक्रिया के दौरान संबंधित स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श किया जाता है और उसके बाद उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत गठित सलाहकार समिति की बैठक में विचार-विमर्श किया जाता है। मदों का अनारक्षण सरकार द्वारा सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। समीक्षा के दौरान विशिष्ट विनिर्माण के लिए आरक्षित मदों की सूची में अन्य बातों के साथ-साथ उच्च निवेश के लिए अवसरों का सृजन, प्रौद्योगिकीय उन्नयन को सुगम बनाने, गुणवत्ता में सुधार, निर्यात संवर्धन और उक्त मदों के विनिर्माण में इकॉनोमी ऑफ स्केल को प्राप्त करने के लिए संशोधन किया जाता है। इस समय एम

एस ई क्षेत्र में विशिष्ट विनिर्माण के लिए 114 मदें आरक्षित हैं। इन मदों की सूची लिंक "पब्लिकेशन" के तहत वेबसाईट www.dcmsme@gov.in पर उपलब्ध है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

जैव संवर्धित खाद्य फसलें

3580. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन जैव संवर्धित खाद्य फसलों का ब्यौरा क्या है जिनके मानवों पर प्रभाव के संबंध में सरकार ने अनुसंधान कराया है;

(ख) ऐसे अनुसंधानों से अब तक प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में ऐसी फसलों की खेती की अनुमति देते समय किसानों के हितों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार जोकि नोडल विभाग है, ने आनुवांशिक रूप से संशोधित (जीएम) खाद्य फसलों के मानव पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित विषय पर अनुसंधान नहीं किया है। तथापि मैसर्स महिको, मुम्बई द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की आनुवंशिक मैनीपुलेशन समीक्षा समिति (आरसीजीएम) के अनुमोदन से जी. एम. खाद्य फसल अर्थात बीटी बैंगन पर विषाक्त तथा एलर्जीनीसिटी के अध्ययन किए हैं। मैसर्स महिको, मुम्बई द्वारा प्रस्तुत अध्ययन रिपोर्ट में किसी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव को नहीं दर्शाया गया।

(ग) आनुवंशिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति (जीईएसी), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अभी तक किसानों द्वारा वाणिज्यिक खेती के लिए किसी भी खाद्य फसल को स्वीकृत नहीं किया गया है। समस्त आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य फसलों/आर्गेनिज्म तथा इनके उत्पादों को भारत में पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत सैल नियम 1989 या निर्माण, उपयोग, आयात एवं निर्यात तथा हानिकारक माईक्रो आर्गेनिज्म, आनुवांशिक रूप से तैयार आर्गेनिज्म के लिए नियमों के तहत विनियमित किया जाता है। इन नियमों में यह प्रावधान है कि समस्त खाद्य सामग्री में शामिल अंश और संयोजी तत्वों सहित प्रसंस्करण सहायक तत्व जिसमें आनुवंशिक रूप से तैयार आर्गेनिज्म या सैल शामिल हैं, इनका उत्पादन, विक्रय, आयात या उपयोग नहीं किया जा सकता जब तक कि इस संबंध में आनुवंशिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति (जीईएसी), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। अतः सरकार द्वारा जी. एम. उत्पादों की मामला-दर-मामला अनुमोदन देने की नीति का अनुसरण किया जा रहा है। निर्धारित जैव सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार मानव द्वारा उपयोग के लिए अनुमति देने से पहले इनकी विषाक्तता तथा एलर्जीसिटी का परीक्षण किया जाना जरूरी है।

एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र धारकों को सुविधाएं

3581. श्री शिशुपाल एन. पटले :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री प्रहलाद जोशी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) 'सी' प्रमाणपत्र धारक पूर्व कैडेट रोजगार के अवसरों की कमी के कारण कठिनाइयां झेल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र धारक पूर्व कैडटों को जो पर्याप्त रोजगार के अवसरों की अनुपलब्धता के कारण लाभ प्राप्त नहीं कर सके और जो समर्पित कैडेट सिविलियन क्षेत्रों में किसी रोजगारोन्मुखी/आश्वासन नीति के बिना किसी भी समय राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं, कोई वित्तीय/रोजगार सहायता, कैंटीन (सीएसडी) चिकित्सा सुविधाएं नहीं दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(घ) नए विद्यार्थियों के लिए इस कोर को अधिक आकर्षक तथा लुभावना बनाने तथा पूर्व कैडटों को वित्तीय सहायता, कैंटीन (सीएसडी), चिकित्सा, सिविल क्षेत्र में रोजगार तथा अन्य प्रकार की कल्याण सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ताकि सशस्त्र बलों को प्रशिक्षित, अनुशासित, समर्पित, विश्वासी तथा प्रतिबद्ध अधिकारी प्राप्त हों?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र धारकों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सरकार एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र धारकों के लिए सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए आरक्षण और अर्द्ध-सैनिक संगठनों में अंकों का कुछ वेटेज मुहैया कराती है। संस्थाओं के लिए प्रति वर्ष आरक्षित रिक्तियां इस प्रकार हैं :-

क्रम संख्या	संस्था का नाम	रिक्तियां
(i)	भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून	64
(ii)	अफसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई	100
(iii)	नौसेना अकादमी, एझीमाला	12
(iv)	वायुसेना अकादमी, डुंडीगल	10

भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में प्रवेश लेने के लिए एनसीसी कैडेटों को सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा देनी होती है और सेना चयन बोर्ड साक्षात्कार में उतीर्ण होना होता है। अन्य संस्थाओं के लिए, एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र धारकों को लिखित परीक्षा से छूट दी जाती है।

(ख) से (घ) सरकार के समक्ष इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

इलायची के पौधों में रोग

3582. श्री नकुल दास राई : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलायची के बड़े पौधों में विषाणुजनित रोग फैला है जिससे इसका उत्पादन प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) जी, नहीं। बड़ी इलायची के उत्पादनक राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के राज्य कृषि/बागवानी विभाग और विभिन्न राज्यों में स्थित केन्द्रीय समेकित कृमि प्रबंधन केन्द्रों (सीआईपीएमसी) से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार इलायची पौधों में वायरल रोग के प्रकोप की कोई सूचना नहीं है जिससे इसका उत्पादन प्रभावित हो।

कानपुर छावनी क्षेत्र में अवैध निर्माण

3583. श्री अधीर चौधरी :

श्री निखिल कुमार :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के छावनी क्षेत्रों विशेषतः कानपुर छावनी क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध निर्माण चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी मिली है कि छावनी बोर्ड के अधिकारियों ने अतिक्रमणकारियों के साथ मिलीभगत करके 1000 वर्ग फीट क्षेत्र के आंतरिक पट्टे के स्थान पर 10000 वर्ग फीट क्षेत्र में पंडित उपवन, महात्मा गांधी पार्क, कानपुर छावनी में अवैध निर्माण की अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का छावनी क्षेत्र में ऐसे अवैध निर्माण की जांच सी बी आई द्वारा कराने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक शुरू होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) और (ख) 01 अप्रैल, 2006 से आरंभ होने वाली अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में अवस्थित 13 छावनियों में लगभग 650 अनधिकृत निर्माणों का पता लगा था। इनमें से लगभग 50 अनधिकृत निर्माण कानपुर छावनी से संबंधित हैं।

(ग) कानपुर छावनी में पंडित उपवन, छावनी बोर्ड की सम्पत्ति है। यह 6905 वर्गफुट क्षेत्र में फैला हुआ है तथा इसके निर्माण को छावनी बोर्ड, कानपुर द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपभोक्ता मामलों के निपटान संबंधी पैनल

3584. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ता मामलों को त्वरित निवारण व निपटान सुनिश्चित करने हेतु उपायों की सिफारिश करने के लिए गठित विशेषज्ञ पैनल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उस पैनल द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक केंद्र सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्यों से प्राप्त सुझावों का ब्यौरा क्या है तथा ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ङ) इन सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में आगे और संशोधनों का सुझाव देने के लिए एक कार्यदल गठित किया था। कार्यदल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट फरवरी, 2006 में प्रस्तुत की। कार्यदल द्वारा सिफारिशों का वर्गीकरण निम्नलिखित शीर्षों के तहत किया गया:

(i) अधिनियम में शब्दों की परिभाषा।

(ii) ऑन लाइन खरीद/टेलीमार्केटिंग आदि से उत्पन्न चुनौतियों से निपटान के लिए उपबंध।

(iii) केंद्रीय, राज्य और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषदों के कार्यकरण का सुधार।

(iv) जिला मंचों, राज्य आयोगों और राष्ट्रीय आयोग का संघटन।

(v) शिकायतें दायर करने के लिए शुल्क वसूल करना।

(vi) जिला मंचों, राज्य आयोगों और राष्ट्रीय आयोग की प्रक्रियात्मक दक्षता में सुधार।

(vii) पार्टियों के लिए उपयुक्त लागतों का प्रावधान।

(viii) जिला मंचों, राज्य आयोगों और राष्ट्रीय आयोग के आदेशों के प्रवर्तन में सुधार।

(ix) वैकल्पिक विवाद प्रतितोष का संवर्धन।

(x) सामान्य सिफारिशें।

(ग) और (घ) कार्यदल द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों में आगे संशोधन करने हेतु प्रारूप प्रस्ताव युक्त एक व्यापक नोट तैयार किया था। उस नोट को अन्यों के साथ-साथ सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था। जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने जवाब दिया है उनमें से अधिकांश ने प्रस्तावों का समर्थन किया है जबकि कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रस्ताव में कुछ परिवर्तनों/आशोधनों के सुझाव दिए थे। अधिनियम के संशोधन के लिए प्रारूप प्रस्ताव युक्त नोट को अंतिम रुप देते समय उन सुझावों पर विचार किया गया। इन प्रस्तावों को अभी तक विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा सहमति नहीं दी गई है।

(ङ) ऊपर भाग (ग) और (घ) के उत्तर को देखते हुए इस स्तर पर कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

भारतीय सेना का अभियान

3585. श्री मिलिन्द देवरा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सेना के किसी अभियान ने ऐसे तीन सैनिकों के शव खोजे हैं जो लगभग चालीस वर्ष पूर्व वायुसेना के एंटोनोव-12 सैन्य दल विमान में जाते समय हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में हुई दुर्घटना में मारे गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इतने लम्बे अंतराल के बाद भी मृत सैनिकों के शवों की पहचान कर ली गई है और उनके परिवार के सदस्यों को सूचित कर दिया गया है;

(घ) क्या विमान के मलबे और मृतकों का पता लगाने हेतु तत्काल कोई प्रयास किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय सैन्य अभियान दल ने 1998 में वायुयान दुर्घटना में मारे गए तीन सिपाहियों के शवों को 09 अगस्त, 2007 को बरामद किया। मृतक सिपाहियों के शवों की पहचान कर उनके परिजनों को सौंप दिया गया था। मृतक सिपाहियों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जिस क्षेत्र में मृतक सिपाहियों के शव पाए गए थे, वहां खोजबीन की गई थी तथा अन्य कोई शव बरामद नहीं हुआ।

मृतक सैनिकों का विवरण इस प्रकार है:-

(क) 1452 पायनियर कंपनी के संख्या 946907 पायनियर हरदास सिंह निहारवाल

(ख) 4 मोबाइल लांड्री (आयुध) के संख्या 6871129 लांस नायक कमल सिंह भंडारी

(ग) ई एम ई के संख्या 7072102 क्राफ्टमैन एम एन फूकन।

वर्जीनिया तंबाकू की खेती में कमी

3586. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान (सीटीआरआई) या भारतीय कृषि तथा अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने वर्जीनियां तंबाकू की खेती में कमी करने के लिए कठोर प्रतिबंध हेतु स्वास्थ्य प्राधिकारियों को स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। वर्जिनिया तम्बाकू का क्षेत्र बाजार तथा किसानों की पसंद की मांग के अनुसार हो सकता है।

अस्वस्थ्यकर स्थिति में खाद्यान्न का भंडारण

3587. श्री मिलिन्द देवरा : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम, मैसूर के गोदामों में सड़े हुए चावल और गेहूं तथा अस्वस्थ्यकर सामग्री मिले हुए चावल के खुले थैले पाए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वहां कितने थैले पाए गए तथा वे वहां पर ऐसी स्थिति में कब से पड़े थे;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों की एक समिति ने खाद्य भंडारण डिपु, मैसूर में सम्पूर्ण स्टॉक की जांच की और वहां कोयले से दूषित 22 बोरियां पाई गईं। इन 22 बोरियों में से 14 बोरियां गोदामों में दिनांक 5 जुलाई, 2007 को प्राप्त हुई थीं और रॉ चावल की शेष 8 बोरियां दिनांक 27 जून, 2007 को प्राप्त हुई थीं।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम ने मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की है। समिति ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और भारतीय खाद्य निगम में इस पर गौर किया जा रहा है। इस प्रकार के मामलों में इन चूकों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

फेरा नियमों का उल्लंघन

3588. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई कंपनियां विशेष रूप से मोटोरोला ने विगत में विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम का उल्लंघन किया है और वह निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर भारत संचार निगम लिमिटेड के एक अन्य कार्य को पूरा नहीं कर पाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनियों विशेषकर मोटोरोला को उसके द्वारा की गई अनियमितताओं और सरकारी काम में कठिनाई पैदा करने के कारण काली सूची में डालने हेतु कोई नीति बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या कंपनियां विशेषकर मोटोरोला देश में अन्य सरकारी विभागों के साथ काम कर रही हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (छ) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार मैसर्स मोटरोला द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (एफईआरए) के प्रावधानों के उल्लंघन का कोई मामला नहीं है। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को निरस्त करके विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

विशेष कृषि तथा ग्रामोद्योग योजना

3589. श्री नरहरि महतो : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेष कृषि और ग्रामोद्योग योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत अभी तक किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है और इससे किसानों को क्या लाभ हुआ है;

(ग) क्या इससे कृषि उत्पादों और प्रसंस्कृत कृषि मदों के निर्यात पर प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) विशेष कृषि ग्रामोद्योग योजना 1 अप्रैल, 2004 से आरंभ की गई है।

इस स्कीम का उद्देश्य निम्न के निर्यात संवर्धन करना है:-

(i) कृषि उत्पाद और उनके मूल्यवर्धित उत्पाद;

(ii) गौण वन उत्पादन और उनकी मूल्यवर्धित किस्में;

(iii) ग्राम उद्योग उत्पाद;

(iv) वन आधारित उत्पाद।

ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के लाभ इस उद्देश्य से दिए जाते हैं कि उच्च

परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति की जा सके। हैन्डबुक आफ प्रोसीजर्स (वाल्यूम 1) के परिशिष्ट 37ए में अधिसूचित उत्पादों के निर्यातकों को निर्यात के एफओबी मूल्य (मुक्त विदेशी मुद्रा से प्राप्त) के 5 प्रतिशत के समतुल्य ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप करने का अधिकार होगा। तथापि, जहां निर्यातक ने इस स्कीम के अंतर्गत निर्यात मद से संबंधित कृषि आदानों (प्रेरकों, उपभोज्य वस्तुओं और पैकिंग सामग्री के अलावा) के आयात के लिए विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अध्याय 4 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किए हैं, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के लाभ निर्यातों के एफओबी मूल्य (मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त) के 3.5 प्रतिशत के घटे हुए दर पर प्रदान किए जाएंगे। वर्ष 2005–06 और 2006–07 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत निर्यातकों को प्रदान किए गए लाभ क्रमशः 169.74 करोड़ रुपए और 532.43 करोड़ रुपए हैं।

(ग) और (घ) इस स्कीम से कृषि उत्पादों और प्रसंस्कृत कृषि मदों के निर्यात को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।

भ्रामक विज्ञापन

3590. श्री अजय चक्रवर्ती :

डा. अरविन्द शर्मा :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत कुछ महीनों में टेलीविजन पर सेवनअप पेय पदार्थ के साथ फलों की फांकों को दिखाते हुए विज्ञापन दिखाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और फलों के रस के बिना वातित जल के लिए ऐसे भ्रामक विज्ञापन दिखाने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे भ्रामक विज्ञापनों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, हां। मामले को सरकार के ध्यान में लाया गया है।

(ख) दूरदर्शन चैनलों पर विज्ञापनों का प्रसारण विज्ञापनदाताओं और संबंधित दूरदर्शन चैनलों के बीच समझौतों के आधार पर किया जाता है। दूरदर्शन चैनलों में प्रसारित की जाने वाली सामग्री की निगरानी सामान्यतः सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की जाती है। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा कार्रवाई तभी की जाती है जब कोई उपभोक्ता विशेष प्रकार की शिकायत करता है।

(ग) भ्रामक विज्ञापनों संबंधी मौजूदा नीति के अनुसार शिकायतों को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, मुंबई को भेजा जाता है जो यह निर्णय लेता है कि क्या वह विज्ञापन भ्रामक है अथवा क्या वह विज्ञापन में स्वविनियमन के लिए भारतीय विज्ञापन मानक परिषद संहिता के अनुरूप है। मामले को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के साथ पहले ही उठाया जा चुका है।

इस बीच भारतीय विज्ञापन परिषद ने इस विभाग को सूचित किया है कि उन्हें '7अप' के टी.वी. कमर्शियल के बारे में एक उपभोक्ता से एक और शिकायत प्राप्त हुई है। इस कमर्शियल की भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की उपभोक्ता शिकायत परिषद द्वारा 24 जुलाई, 2007 को आयोजित अपनी बैठक में जांच की गई। उनके निर्णय के अनुसार शिकायत को नहीं माना गया क्योंकि विज्ञापन को भ्रामक नहीं पाया गया क्योंकि विज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख किया गया था 'कन्टेन्स फ्रुट। कन्टेन्स एडेड फ्लेवर।'

भ्रामक विज्ञापनों को रोकने की मौलिक जिम्मेदारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय की है जो केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के संगत खण्डों के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। उपभोक्ता मामले विभाग की भूमिका केवल ऐसी नीतियां बनाने तक सीमित है जिनमें उपभोक्ताओं के हितों और कल्याण की सुरक्षा हो। यह कार्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के जरिए किया जाता है। यह विभाग भ्रामक विज्ञापनों तथा उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित अन्य मुद्दों के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए मल्टी मीडिया प्रचार के जरिए उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम भी चलाता है। उपभोक्ता मामले विभाग ग्राहकों को उनके अधिकारों के बारे में सूचना देने के लिए भी सकारात्मक कदम उठाता है। प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए प्रचार के अलावा उपभोक्ता संबंधी मुद्दों पर अनेक प्रकाशन भी निकाले गए हैं। मोनोग्राफ सिरीज–2 विशेष रूप से 'भ्रामक विज्ञापन और उपभोक्ता' विषय पर है जिसका उद्देश्य ग्राहकों को 'भ्रामक विज्ञापन' तथा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध प्रतितोष तंत्र के बारे में सूचना देना है।

ए आई सी एल की संस्थापना लागत

3591. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अपनी फसलों का बीमा कराने हेतु प्रीमियम का भुगतान करने वाले किसानों की संख्या का ब्यौरा क्या है और कितने किसानों के दावों का निपटान कर दिया गया है; और

(ख) किसानों द्वारा प्रदत्त प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड (एआईसीएल) की संस्थापना लागत कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे किसानों की संख्या जो अपनी फसलों को बीमित कराने हेतु प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं, के साथ उन किसानों की संख्या जिसके दावों का निपटान किया गया, के संबंध में ब्यौरा विवरण में है।

(ख) वर्ष 2006-07 हेतु प्रीमियम की एआईसीएल की स्थापना लागत की प्रतिशतता 2.18 प्रतिशत है।

विवरण

कवर किए गए लाभान्वित किसान (वर्ष 2003-04 से 2005-06)

क्र.सं.	मौसम	कवर किए गए किसान	लाभान्वित किसान
1.	खरीफ 2003	7970830	1704823
2.	रबी 2003-04	4421287	2072916
	कुल 2003-04	12392117	3777739
3.	खरीफ 2004	12687046	2660936
4.	रबी 2004-05	3531045	772779
	कुल 2004-05	16218091	3433715
5.	खरीफ 2005	12674080	2655157
6.	रबी 2005-06	4048524	980511
	कुल 2005-06	16722604	3635668
	कुल योग	45332812	10847122

[हिन्दी]

संचार हाटों में पड़े मोबाइल सेट

3592. **चौ. मनुव्वर हसन :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 15 अगस्त, 2007 की स्थिति के अनुसार दिल्ली और मुंबई में एमटीएनएल के संचार हाटों में पड़े कुल कितने नए और पुराने मोबाइल सेट हैं और इनका मूल्य क्या है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपभोक्ताओं को ये सेट पसंद नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार इन सेटों का निपटारा कैसे करेगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) 15 अगस्त, 2007 की स्थिति के अनुसार दिल्ली और मुंबई में एमटीएनएल के संचार हाटों में पड़े कोड डिवीजन मल्टिपल एक्सेस (सीडीएमए) मोबाइल सेटों की कुल संख्या और उनका मूल्य नीचे दिया गया है:-

	सीडीएमए मोबाइल सेटों की संख्या	मोबाइल सेटों का कुल मूल्य (रु. में)
दिल्ली	8386	4,17,44,424
मुंबई	14228	8,89,13,530

(ख) सीडीएमए टर्मिनलों के पुराने और नए मॉडलों की संख्या नीचे दी गई है:-

सेटों की किस्म	दिल्ली	मुंबई
नए सेट		
के-414	1309	667
सी-677	1900	561
सीएक्स-858	1434	13000
सी-300	1360	शून्य
पुराने सेट		
के-112	857	शून्य
के-2235	121	शून्य
हंयुडाई-120	1405	शून्य

नए मॉडल लगभग 1 से 6 माह तक की अवधि से पड़े हैं और इनका उपयोग नए कनेक्शन देने के लिए किया जा रहा है। पुराने मॉडल एक वर्ष से पड़े हैं जिनमें कुछ लौटाए गए सेट भी शामिल हैं।

इन सेटों का उपयोग अनुरक्षण उद्देश्यों और दोषपूर्ण सेटों आदि को बदलने के लिए किया जा रहा है।

(ग) उपभोक्ता एमटीएनएल द्वारा वर्तमान में उपयोग में लाए जा रहे नए मॉडल के सीडीएमए हैंडसेटों को पसंद करते हैं। एमटीएनएल की गरुड़ मोबाइल सेवाओं की काफी मांग है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि प्रणाली

3593. **श्री के. जे. एस. पी. रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसंधान और संसाधनों दोनों के उपयोग हेतु फ़सल पशुधन समेकित उत्पादन प्रणाली वाली एक कृषि प्रणाली की जानकारी देने की तत्काल आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) सीमांत, छोटे तथा मझौले फार्म हाउसहोल्डरों के उत्थान के लिए समेकित कृषि प्रणालियों पर एक नेटवर्क परियोजना का 11वीं योजना के दौरान प्रस्ताव किया जा रहा है जिसमें देश के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के 32 केन्द्र शामिल हैं। इस परियोजना में स्थान विशिष्ट समेकित कृषि प्रणालियों का विकास किया जाएगा जिसमें फसलें, बागवानी, पशुधन, मात्स्यिकी तथा विभिन्न कृषि उद्यम शामिल हैं।

[हिन्दी]

टिड्डी दल का आक्रमण

3594. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में गुजरात के कई गांवों में टिड्डी दल का आक्रमण हुआ था जिससे क्षेत्र में कृषि उत्पाद को भारी नुकसान पहुंचा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई;

(ग) क्या सरकार ने देश के अन्य भागों में टिड्डी दल के आक्रमण के बारे में रेड अलर्ट घोषित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) एफएओ की दिनांक 27 जून, 2007 की चेतावनी (एलर्ट) के आधार पर गुजरात के कच्छ जिले में निगरानी क्रियाकलाप तीव्र कर दिए गए। 3–4 जुलाई, 2007 को कच्छ जिले के लखपत तालुका में पाई गई टिड्डी बिखरी हुई तथा इसके लिए किसी भी नियंत्रण संबंधी उपाय की जरूरत नहीं थी। गुजरात के किसी भी जिले से टिड्डी दल के झुण्ड में उड़ने/ठहरने और किसी भी जमावड़े की कोई रिपोर्ट नहीं है। तथापि निगरानी दल ऐसे आक्रमण के संभावित क्षेत्रों पर निगरानी रख रहे हैं।

[अनुवाद]

नेटवर्क केन्द्रित युद्ध स्थिति

3595. श्री आनंदराव विठोबा अडसुल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडोनेशिया नेटवर्क केन्द्रित युद्ध–स्थिति की जानकारी प्रदान किए जाने और समग्र रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन व्यवस्था के लिए भारत से संपर्क कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इंडोनेशिया के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (ग) भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा के सहयोगात्मक कार्यकलापों से संबंधित एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। करार के विभिन्न क्षेत्रों में रक्षा सहयोग की बात पर विचार किया गया है। करार के उद्देश्यों के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए गठित संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की जून, 2007 में आयोजित पहली बैठक में प्राकृतिक आपदा राहत प्रबंधन, शान्ति–स्थापना संक्रियाओं तथा आतंकवाद का सामना करने, इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रशिक्षण और सूचना तथा प्रौद्योगिकी की साझेदारी आदि के अनुभवों के आदान–प्रदान सहित रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई थी।

एच ए एल बंगलौर में नेतृत्व विकास केन्द्र

3596. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री एस. के. खारवेन्थन :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच ए एल), बंगलौर में एक विश्वस्तरीय नेतृत्व विकास केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त केन्द्र कब से काम करना शुरू कर देगा;

(घ) क्या एच ए एल का कुछ देशों में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार

3597. डा. शफीकुर्रहमान बर्क : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण से यह पता चला है कि विभिन्न मंत्रालयों, निगमों और विभागों के अंतर्गत कार्यरत अल्पसंख्यकों की संख्या अन्य समुदाय के लोगों की तुलना में काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मंत्रालय, निगम और विभाग–वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न मंत्रालयों निगमों और विभागों और विशेषकर प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत ऐसे लोगों का समुदायवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न मंत्रालयों, निगम और विभाग में अल्पसंख्यकों की भर्ती हेतु शुरू की गई नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी और निजी दूरसंचार कंपनियों का हिस्सा

3598. श्री मोहन सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में समस्त दूरसंचार सेवा नेटवर्क में प्रतिशत के संदर्भ में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), रिलायंस, भारती, टाटा टेली सर्विस, हच, आइडिया आदि का अलग–अलग हिस्सा कितना है;

(ख) देश के सेवा क्षेत्र में निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की वृद्धि दर कितनी है;

(ग) क्या बीएसएनएल ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने हेतु वर्ष 2006 में 45 मिलियन लाइनें बिछाने हेतु निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(घ) यदि हां, तो किन–किन कंपनियों ने निविदाओं के लिए आवेदन किया है;

(ङ) क्या निविदा के अनुसार काम करने हेतु आदेश जारी कर दिए गए हैं;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या अभी तक काम शुरू न होने के कारण दूरसंचार सेवा का संभावित विस्तार रूक गया है जिससे बीएसएनएल को सीधे नुकसान हुआ है; और

(ज) सरकार द्वारा यह काम जल्दी करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) 31.07.07 की स्थिति के अनुसार देश के टेलीफोन नेटवर्क में बीएसएनएल, रिलायंस, भारती, टाटा टेलीसर्विसिज़, हच, आइडिया इत्यादि की बाजार हिस्सेदारी निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	कंपनियों के नाम	बाजार हिस्सेदारी का प्रतिशत
1.	बीएसएनएल	28.06
2.	भारती एयरटेल	20.09
3.	रिलायंस टेली	14.43
4.	वोडाफोन एस्सार	13.94
5.	टाटा इंडिकॉम	8.03
6.	आइडिया	7.31
7.	एयरसेल	2.16
8.	एमटीएनल	2.81
9.	स्पाइस टेलीकॉम	1.41
10.	डिशनेट	0.92
11.	एपीएल	0.47
12.	रिलायबल	0.14
13.	एचएफसीएल इन्फोटेल	0.14
14.	श्याम टेलीकॉम	0.11
	जोड़	100

(ख) निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में पिछले तीन वर्षों की टेलीफोन वृद्धि–दर निम्नानुसार है:–

क्र.स.	तारीख	टेलीफोनों की कुल संख्या (लाख लाइनों में)		वृद्धि–दर का प्रतिशत	
		निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र
1.	31.3.04	300.57	464.82		
2.	31.3.05	463.35	520.87	54.16	12.06
3.	31.3.06	764.36	610.83	64.96	17.27
4.	31.3.07	1354.36	713.91	77.19	16.88

(ग) जी, हां।

(घ) निम्नलिखित पांच विक्रेताओं ने निविदा के जवाब में अपनी बोलियां प्रस्तुत की थीं:–

मैसर्स एरिक्कसन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

मैसर्स मोटोरोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

मैसर्स नोकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

मैसर्स सीमेन्स पब्लिक कम्युनिकेशन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड

मैसर्स जेडटीई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(ङ) जी, हां। एल–1 बोलीदाता को अग्रिम खरीद आदेश (एपीओ) दे दिया गया है, जिसे अभी सफल बोलीदाता द्वारा स्वीकृत किया जाना है। अग्रिम खरीद आदेश (एपीओ) की स्वीकृति की तारीख से लगभग छह माह के समय में उत्तरोत्तर रुप से इस उपस्कर के उपलब्ध होने की संभावना है।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) एक बोलीदाता द्वारा दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर करने के कारण जीएसएम निविदा को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ था। विक्रेता ने मुकदमा वापिस ले लिया है और निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है। तथापि, मोबाइल नेटवर्क में क्षमता की कमी है, जिससे बीएसएनएल के मोबाइल उपभोक्ताओं की वृद्धि दर प्रभावित हो रही है।

(ज) मौजूदा विक्रेताओं को लगभग 45 मिलियन जीएसएम लाइनों की आपूर्ति के लिए खरीद आदेश जारी कर दिए गए हैं। वर्तमान वर्ष की अगली दो तिमाहियों के दौरान उत्तरोत्तर रुप से जीएसएम क्षमता उपलब्ध हो जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

चावल की भूसी के तेल का उत्पादन

3559. श्रीमती जयाप्रदा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चावल की भूंसी के तेल के उत्पादन में सहायता करने हेतु चावल की भूसी के तेल के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारक मानक की पुनरीक्षा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) भौतिक साधनों के माध्यम से परिष्कृत चावल भूसी तेल हेतु असाबुनीकरणीय पदार्थ की सीमा की समीक्षा करने तथा आरिजानोल का न्यूनतम स्तर निर्धारित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

डायऑक्सिन का संदूषण

3600. श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानव के लिए सर्वाधिक विषैले रसायन में से एक डायआक्सिन कृषि, कुक्कुट पालन और मीट उत्पादों के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रक्रिया का अध्ययन करने हेतु कोई समिति बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संसाधनों का दुर्विनियोजन

3601. डा. एम. जगन्नाथ :
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संसाधनों के भारी दुर्विनियोजन और खाद्यान्नों के अन्यत्र उपयोग के बारे में खुलासा किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा एनएसएसओ के निष्कर्षों के परिप्रेक्ष्य में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (2004–05) के 61वें दौर पर आधारित परिवार खपत

के अन्य स्रोतों के बारे में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इस रिपोर्ट में परिवारों की खपत में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त खाद्यान्नों के अनुपातों के संबंध में सर्वेक्षण के निष्कर्ष निहित हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुशलता, जवाबदेही और प्रभावकारिता में सुधार करने के लिए इसे मजबूत करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पूर्व के अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा एक 9 सूत्री कार्य योजना पहले से ही क्रियान्वित की जा रही है। कार्य योजना के क्रियान्वयन की निगरानी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 61वें दौर की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सचिवों के साथ दिनांक 6.8.2007 को विचार-विमर्श किया गया है और रिपोर्ट की प्रतियां उन्हें भेज दी गई हैं। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य निष्पादन का गुण दोष आधार पर मूल्यांकन करने और इसमें सुधार के लिए कार्रवाई करने हेतु इस रिपोर्ट के निष्कर्षों का उपयोग करें।

[हिन्दी]

तार कार्यालय खोलना

3602. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2007-08 के दौरान देश में विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में तार कार्यालय खोलने तथा एस टी डी की सुविधा वाले दूरभाष केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपने नेटवर्क में वर्ष 2007-08 के दौरान एस टी डी सुविधायुक्त 136 टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित करने की योजना बनाई है, जिसमें से 8 एक्सचेंज पूर्वोत्तर क्षेत्र में खोले जाएंगे। इसे वित्तीय वर्ष के दौरान असम और सिक्किम में एक्सचेंजों की संस्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा देश में टेलीग्राफ कार्यालय खोलने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है।

एमटीएनएल में नए क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ एक्सचेंजों में उपस्करों को पुनः नियोजित करने को छोड़कर नए लैंडलाइन टेलीफोन एक्सचेंज नहीं खोले जा रहे हैं।

(ख) बीएसएनएल नेटवर्क में वर्ष 2007-08 के दौरान संस्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों का दूरसंचार सर्किल-वार विवरण संलग्न है।

विवरण

बीएसएनएल नेटवर्क में वर्ष 2007-08 के दौरान संस्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों का सर्किल-वार ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल का नाम	वर्ष 2007-08 के दौरान संस्थापित किए जाने वाले एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार	0
2.	आंध्र प्रदेश	11
3.	बिहार	25
4.	छत्तीसगढ़	02
5.	गुजरात	3
6.	असम	0
7.	हरियाणा	0
8.	हिमाचल प्रदेश	5
9.	जम्मू-कश्मीर	6
10.	झारखंड	0
11.	कर्नाटक	15
12.	केरल	0
13.	मध्य प्रदेश	2
14.	महाराष्ट्र	14
15.	पूर्वोत्तर-I	4
16.	पूर्वोत्तर-II	4
17.	उड़ीसा	4
18.	पंजाब	0
19.	राजस्थान	1
20.	तमिलनाडु	2

1	2	3
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	0
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	3
23.	उत्तरांचल	8
24.	पश्चिम बंगाल	1
25.	कोलकाता	11
26.	चेन्नई	15
	कुल	136

कृषि योग्य भूमि

3603. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल कितनी भूमि कृषि योग्य है तथा उन पर कितने किसानों के परिवारों का भरण-पोषण हो रहा है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार किसानों को सेवा क्षेत्र में अधिकाधिक रोजगार देने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) उपलब्ध अनुमानों के अनुसार देश में वर्ष 2005-06 में कुल कृष्य/कृषि योग्य भूमि 182.57 मिलियन हैक्टेयर है और 127.30 मिलियन किसान और 106.80 मिलियन कृषि श्रमिक है।

भारत सरकार ने 25 अगस्त, 2005 को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) बनाया है, जिसमें सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ दिवस के रोजगार की विधिक गारंटी का प्रावधान है। 200 जिलों में 2 फरवरी, 2006 को शुरू हुई यह स्कीम पांच वर्षों में सभी जिले कवर करेगी। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2007-08 में 130 अतिरिक्त जिलों में इसके क्रियान्वयन की घोषणा की। इसके अलावा, भारत सरकार ने वर्तमान स्कीमों अर्थात जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) और रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) को मिलाकर 25 सितम्बर, 2001 को एक संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना भी शुरू की है। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी समुदाय, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना के सृजन के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है।

भारत सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार अवसर सृजित करने में सहायक अवक्रमित भूमि के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी क्रियान्वित कर रही है नामतः (i) वर्षा सिंचित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए), (ii) नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदी (आरवीपी और एफपीआर) के आवाह क्षेत्रों में अवक्रमित भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण, (iii) क्षारीय मृदा का पुनरूद्धार (आरएएस), (iv) झूम खेती क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यूडीपीएससीए), (v) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), (vi) मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी), (vii) समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना (आईडब्ल्यूडीपी)।

[अनुवाद]

गांवों में दूरसंचार क्रांति

3604. श्री संतोष गंगवार :

श्रीमती निवेदिता माने :

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के सॉफ्टवेयर लाबी ग्रुप नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नासकॉम) ने हाल ही में जारी श्वेत पत्र में कहा है कि सॉफ्टवेयर में एक वैश्विक पावर हाउस और बैक-ऑफिस ऑफ-श्योरिंग के रूप में भारत की स्थिति को अगले तीन से पांच सालों में चीन से खतरा है जैसा कि दिनांक 22 अगस्त, 2007 के 'मिन्ट' समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में सॉफ्टवेयर और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) चीन के सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सेवा उद्योग के विकास की खोज पर नैसकॉम के श्वेत-पत्र के मुख्य अंशों के अनुसार:

"चीन में एक बड़े सूचना प्रौद्योगिकी-बीपीओ उद्योग का विकास करने की क्षमता है। इसका आधार घरेलू बाजार की पर्याप्त क्षमता, एक बृहत शिक्षित कार्यदल तथा इस क्षेत्र के विकास पर सरकार द्वारा अत्यधिक महत्व दिया जाना है।

इस समय चीन में सूचना प्रौद्योगिकी-बीपीओ उद्योग अपने विकास के आरंभिक चरण में है। भारत के साथ इसकी अक्सर तुलना करना और चीन द्वारा भारत का स्थान लेने की टिप्पणी सही नहीं है।

चीन के वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य की भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी-

बीपीओ के आरंभिक वर्षों के साथ कुछ समानता है। किंतु, प्रणालीगत कमजोरी और तुलनात्मक दृष्टि की बढ़ी हुई मांग तथा प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश के कारण आज कुछ अतिरिक्त चुनौतियां विद्यमान हैं।

चीन की सरकार इस क्षेत्र के संवर्धन के लिए उत्सुक है। मूलसंरचना और क्षमता निर्माण के मूलसंरचना और क्षमता निर्माण के 'वास्तविक' पहलुओं पर तीव्र गति से हुई प्रगति स्पष्ट है, अस्पष्ट पहलुओं की चुनौती बनी हुई है।

चीन द्वारा अगले 3–5 वर्षों में वैश्विक सेवा स्रोत में भारत को हासिल अग्रता की बराबरी करने की संभावना नहीं है......"

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

1. व्यवसाय से उपभोक्ता (B2C) ई–वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के प्रस्तावों को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अनुमोदन।

2. सीमा शुल्क की उच्चतम दर को घटाकर 10% कर दिया गया है। आईटीए–1 (217 वस्तुएं) पर सीमा शुल्क को 1.3.2005 से समाप्त कर दिया गया है। आईटीए–1 की वस्तुओं के विनिर्माण के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अधीन सीमा शुल्क से छूट दी गई है।

3. कम्प्यूटरों पर उत्पाद शुल्क 12% है। माइक्रोप्रोसेसरों, हार्ड डिस्क ड्राइवों, फ्लोपी डिस्क ड्राइवों, सीडी रॉम ड्राइवों डीवीडी ड्राइवों, यूएसबी फ्लैश मेमोरी तथा कॉम्बो ड्राइवों पर उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

4. इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों/निर्यात उन्मुखी इकाईयों/विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों द्वारा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए–1) वस्तुओं तथा अधिसूचित शून्य शुल्क दर संचार/इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की आपूर्तियों को धनात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय (एनएफई) को पूरा करने के प्रयोजन से गिना जाएगा।

5. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की स्थापना की जा रही है। घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से एसईजेड की बिक्री वास्तविक निर्यात माना जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप देशीय आपूर्तिकर्ताओं को शुल्क वापसी/डीईपीबी के लाभ, केन्द्रीय बिक्री कर से छूट तथा सेवा कर से छूट के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। निर्यात लाभ पर 100% आयकर से छूट एसईजेड इकाइयों को 5 वर्षों तक उपलब्ध है, अगले 5 वर्षों तक 50% और उसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए प्लाफ बैंक लाभ का 50%।

6. निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ईपीसीजी) 5% के सीमा शुल्क के भुगतान पर पूंजीगत वस्तुओं की अनुमति है। इस योजना के अंतर्गत निर्यात की बाध्यता बचत किए गए शुल्क से जुड़ी है और आयात की गई पूंजीगत वस्तुओं पर बचत किए गए शुल्क का 8 गुना है, जिसे 8 वर्षों में पूरा करना है।

7. निर्यात उन्मुखी इकाईयों (ईओयू)/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी/ईएचटीपी/विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) योजनाओं के अंतर्गत सभी प्रकार की इकाइयों के मामले में कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर पेरिफरलों पर मूल्यह्रास 5 वर्ष की अवधि में 100% उपलब्ध है।

8. पुरानी पूंजीगत का आयात मुक्त रूप से किया जा सकता है।

9. इलेक्ट्रानिक उपस्करों, कम्प्यूटरों एवं दूरसंचार उपस्कारों का व्यवसाय करने वाली कम्पनी के मामले में कम्पनी में ही किए जाने वाले अनुसंधान एवं विकास पर किए गए व्यय पर आयकर अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2एबी) के खण्ड (1) के अंतर्गत 150% की भारित कटौती उपलब्ध कराई गई है।

10. किसी उद्यम पूंजी निधि के लाभांश अथवा दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ के रूप में आय अथवा किसी उद्यम पूंजी उपक्रम मे इक्विटी शेयर के रूप में किए गए पूंजीनिवेश से उद्यम पूंजी कम्पनी की आय, जिसके कार्य क्षेत्र में विस्तार करके सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को शामिल किया गया है, को अब कुछ आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। उद्यम पूंजी वित्त का महत्व देने के लिए सेबी को देशीय एवं विदेशी दोनों ही उद्यम पूंजी निधि के पंजीकरण एवं विनियमन के लिए एकल बिन्दु मुख्य एजेंसी बनाया गया है।

11. साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और सूचना से संबधित विधिक पहलूओं के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 उपलब्ध है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से ई–वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहन दिया गया है।

रोजगार/बेरोजगारी संबंधी एनएसएसओ सर्वेक्षण

3605. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोजगार और बेरोजगारी के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श

सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) और जनसांख्यकीय गणना के निष्कर्ष पर आधारित है; और

(ख) यदि हां, तो श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा ऐसे सर्वेक्षण के परिणामों का सही होना सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यपद्धति अपनाई जा रही है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) श्रम बल के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। रोजगार और बेरोजगारी के अनुमान एन एस एस ओ सर्वेक्षण के माध्यम से अंतर–जनांकिकी जनगणना अंतर्वेशन अथवा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के जनसंख्या प्रक्षेपण पर तकनीकी समूह द्वारा तैयार जनसंख्या प्रक्षेपणों से प्राप्त अनुपातों का प्रयोग करते हुए तैयार किए जाते हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, सर्वेक्षण करने के लिए प्रमुख एजेंसी हैं तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय इन्हें प्रयोग करने वाले संगठनों में से एक हैं।

सेना में आई एस आई एजेंटों की घुसपैठ

3606. डा. राजेश मिश्रा :

श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काठमांडू बेस के आई एस आई के एजेंटों ने भारतीय सेना में गहरी घुसपैठ कर ली है और एक गंभीर सुरक्षा संबंधी चिंता उत्पन्न हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) और (ख) वर्ष 2007 के दौरान काठमांडू बेस के पाकिस्तानी आसूचना कार्मिकों (इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स) के संबंध में सुरक्षा को भंग करने तथा भारतीय सेना में घुसपैठ करने की कोई रिपोर्ट नहीं है। शत्रु के आसूचना प्रयासों का पता लगाने, उनकी पहचान करने तथा उनको निष्प्रभावी करने के लिए सेना के पास एक कारगर अंतर्निर्मित प्रति आसूचना तंत्र विद्यमान है। सुरक्षा तंत्र को अभेद्य बनाने हेतु परिवेश को संवेदनशील बनाने की दृष्टि से समय–समय पर व्यापक निवारक उपायों को लागू किया जा रहा है तथा नियमित रूप से सुरक्षा–समीक्षा की जाती है।

निवेदित दर (कोटेशन) का रद्द किया जाना

3607. श्री एन. एन. कृष्णदास : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) हाल ही में सिम कार्डों हेतु अपने किसी निवेदित दर (कोटेशन) को रद्द करने वाला था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बाल श्रमिकों की मृत्यु

3608. श्री देविदास पिंगले : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को नासिक के निकट पास्ता गांव में एक विस्फोट में कुछ बाल श्रमिकों के मारे जाने के संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार के श्रम विभाग द्वारा बाल श्रमिकों को भर्ती करने की अनुमति दी गयी थी;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई जांच करवाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पूरे देश में अन्य फैक्टिरियों में बाल श्रमिक काम कर रहे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी नहीं। श्रम और रोजगार मंत्रालय में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 15 जोखिमकारी व्यवसायों तथा 57 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध करता है। जनगणना 2001 के अनुसार, देश में कामकाजी बच्चों की संख्या 1.26 करोड़ है। राज्य–वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(छ) और (ज) चूंकि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों में बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रवर्तन का दायित्व क्रमशः उन्हीं का है, अतः यदि कोई कार्रवाई की जानी हो तो वह संबंधित सरकारों द्वारा ही की जाती है।

विवरण

2001 की जनगणना के अनुसार 5-14 वर्ष के आयु वर्ग में कामकाजी बालकों का राज्य वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2001
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1363339
2.	असम	351416
3.	बिहार	1117500
4.	गुजरात	485530
5.	हरियाणा	253491
6.	हिमाचल प्रदेश	107774
7.	जम्मू और कश्मीर	175630
8.	कर्नाटक	822615
9.	केरल	26156
10.	मध्य प्रदेश	1065259
11.	महाराष्ट्र	764075
12.	छत्तीसगढ़	364572
13.	मणिपुर	28836
14.	मेघालय	53940
15.	झारखंड	407200
16.	उत्तरांचल	70183
17.	नागालैण्ड	45874
18.	उड़ीसा	377594
19.	पंजाब	177268
20.	राजस्थान	1262570
21.	सिक्किम	16457
22.	तमिलनाडु	418801
23.	त्रिपुरा	21756
24.	उत्तर प्रदेश	1927997
25.	पश्चिम बंगाल	857087
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1960
27.	अरुणाचल प्रदेश	18482
28.	चंडीगढ़	3779
29.	दादरा और नगर हवेली	4274
30.	दिल्ली	41899
31.	दमन और दीव	729
32.	गोवा	4138
33.	लक्षद्वीप	27
34.	मिजोरम	26265
35.	पांडिचेरी	1904
	कुल	12666377

[अनुवाद]

दिल्ली में जल जमाव

3609. डा. के. धनराजू : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्षा के दौरान दिल्ली की सड़कों पर जल जमाव हो जाता है जिससे यातायात में कठिनाई होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने संबंधित प्राधिकारियों को इस जल को एकत्रित करके इसका उपयोग सिंचाई प्रयोजनों हेतु करने का दिशानिर्देश जारी किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्राधिकारियों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) भारी वर्षा हो जाने से सड़कों पर पानी इक्टठा होने की कुछ रिपोर्टें मिली हैं। केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने भूजल के पुनर्भरण के लिए अधिशेष वर्षा जल का इस्तेमाल करने के लिए प्रदर्शनात्मक स्कीमें कार्यान्वित की हैं और केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को

वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के उपाय अपनाने की सलाह दी है। जल संसाधन मंत्रालय ने अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों/रेल, रक्षा, डाक, दूरसंचार विभागों और भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से भी उनके नियंत्रणाधीन भवनों में छत के वर्षा जल संचयन संरचनाएं मुहैया कराने का अनुरोध किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने भी वर्षा जल संचयन के कई उपाय प्रारंभ किए हैं।

नदियों के बहाव की नियमित निगरानी

3610. श्री रेवती रमन सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी पुलों, बांधों, वीयरों इत्यादि के नदी चैनलों अपस्ट्रीम/डाउनस्ट्रीम के प्रवाह की जो कि नदियों की प्राकृतिक धारा को प्रभावित करता है, नियमित निगरानी करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि नदियों पर बने पक्के ढांचों को होने वाली संभावित क्षति का समय पर उपचार किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश ढांचों के मामले में इस प्रकार का उपचारात्मक कार्य नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यह कार्य कब तक किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ङ) केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा चुनिन्दा स्थानों पर मुख्य नदियों के गेज, निस्सरण, तलछट संबंधी अध्ययन नियमित रूप से किया जाता है। यह चुनिन्दा स्थानों पर मानसून से पूर्व तथा पश्चात नदियों के क्रास–सैक्शन का भी प्रेक्षण करता है। ये सूचनाएं नदी मार्ग की मुख्य संरचनाओं को अभिकल्प तैयार करने में काम आती हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर विशिष्ट अध्ययन करने के लिए इन आंकड़ों का प्रयोग किया जा सकता है। सभी पुलों, बांधों, वीयरों इत्यादि के अपस्ट्रीम/डाउनस्ट्रीम के प्रवाह की विशेष तौर पर निगरानी केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नहीं की जाती है। तथापि, गंडक, घाघरा तथा सतलुज नदी का दूर संवेदी तकनीक का उपयोग करते हुए आकारिकी अध्ययन किया जा रहा है। जिसमें आकारिकी दृष्टिकोण से अब तक निष्पादित तटबंधों, स्पर्स, पुलों इत्यादि जैसे मुख्य बाढ़ नियंत्रण/जलीय संरचनाओं तथा नदी के रूख का इस पर होने वाले प्रभाव का निष्पादन मूल्यांकन शामिल है।

पुलों, बांधों, वीयरों इत्यादि संरचनाओं का रखरखाव संबंधित राज्य सरकार/परियोजना मालिकों के कार्य क्षेत्र में आता है जिसे अभियांत्रिकी दृष्टिकोण से इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर उपचारी उपाय करते हुए इनका नियमित निरीक्षण करके किया जाता है। जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय जल आयोग आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार/परियोजना मालिकों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

कमोडिटी एक्सचेंजों का कारोबार

3611. श्रीमती निवेदिता माने :

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कमोडिटी एक्सचेंजों में कारोबार घटा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हाल के महीनों में वायदा बाजार कारोबार में गिरावट की प्रवृत्ति रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कामेडिटी और वायदा बाजार को सुचारु बनाने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) जी, हां। चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल, 2007 से जुलाई, 2007) में 11.8 लाख करोड़ रुपए के मूल्य का व्यापार पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान व्यापार के मूल्य से कम है जो 12.6 लाख करोड़ था। व्यापार की मात्रा में गिरावट कुछ कृषिजन्य वस्तुओं अर्थात गेहूं, चावल, उड़द और तूर को सूची से हटाने के कारण आई।

(ग) और (घ) जुलाई, 2007 के व्यापार का मूल्य (2.82 लाख करोड़ रुपए) जून, 2007 के व्यापार के मूल्य (2.83 लाख करोड़ रुपए) से मामूली कम है। व्यापार के मूल्य में गिरावट मामूली रही है और इसके लिए कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया जा सकता।

(ङ) सरकार ने 21.3.2006 को अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया जिसमें अन्य बातों के अलावा वायदा बाजार आयोग के पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण का प्रावधान है ताकि वह भावी सौदा बाजार को अधिक प्रभावी ढंग से विनियमित कर सके। वायदा बाजार आयोग ने एक्सचेंजों के सहयोग से पणधारियों के बीच जागरूकता पैदा करने तथा किसानों और अन्य पणधारियों के लिए वास्तविक आधार पर भावी मूल्य निश्चित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी शुरू किए हैं।

[हिन्दी]

डाकघरों से सिक्कों को बदलना

3612. श्री अजीत जोगी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार डाकघरों में एक अथवा दो रुपये के सिक्कों तथा कटे–फटे पुराने करेंसी के नोटों को बदलने की कोई सुविधा मुहैया कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सुविधा कब तक मुहैया कराए जाने की संभावना है; और

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें उक्त सुविधा मुहैया कराए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (घ) सिक्कों के रिटेल एवं कटे–फटे और पुराने नोटों को बदलने हेतु व्यापक मार्ग अपनाने के क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक ने सिक्कों के वितरण एवं कटे–फटे और पुराने करेंसी नोटों को बदलने के लिए देश में डाकघरों का इस्तेमाल करने के लिए डाक विभाग से संपर्क किया है। यह स्कीम विभिन्न डाक सर्किलों के सीमित डाकघरों में भारतीय रिज़र्व बैंक की संबंधित शाखा के सहयोग से कार्यान्वित की गई है। इसका ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

उन डाक सर्किलों का ब्यौरा जहां इस स्कीम को क्रियान्वित किया गया है

क्रम सं.	डाक सर्किल	क्रियान्वयन का चरण
1.	गुजरात	स्कीम को 01.09.07 से क्रियान्वित किया गया है
2.	कर्नाटक	स्कीम को 16.08.07 से क्रियान्वित किया गया है
3.	केरल	स्कीम को 20.08.07 से क्रियान्वित किया गया है
4.	महाराष्ट्र	स्कीम को 06.08.07 से क्रियान्वित किया गया है
5.	राजस्थान	स्कीम को 01.08.07 से क्रियान्वित किया गया है
6.	उत्तराखण्ड	स्कीम को 31.08.07 से क्रियान्वित किया गया है

दिल्ली में जल की आपूर्ति

3613. श्री रशीद मसूद : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली राज्य सरकार ने यमुना नदी पर एक और बैराज का निर्माण करने के संबंध में केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) दिल्ली की उन कालोनियों की संख्या कितनी है जहां दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जल की आपूर्ति नहीं की जाती है; और

(घ) सरकार द्वारा दिल्ली में जल संकट से निपटने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) दिल्ली सरकार दिल्ली में यमुना नदी के पल्ला अनुप्रवाह पर बैराज के निर्माण की संभावनाओं की जांच कर रही है और उसने इस परियोजना संबंधी पूर्व–व्यवहार्यता अध्ययन के लिए केन्द्रीय जल आयोग से अनुरोध किया है। इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(ग) दिल्ली जल बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, सभी नियोजित कालोनियों और 567 अनधिकृत/विनियमित कालोनियों में से 557 कालोनियों को पाइप नेटवर्क द्वारा जल की आपूर्ति की जा रही है। 1500 अनधिकृत कालोनियों में से 408 कालोनियों में जल आपूर्ति के लिए पाइप नेटवर्क उपलब्ध कराया गया है। शेष अनाधिकृत/विनियमित कालोनियों में टैंकर तथा गहरे बोर हैंड पंप माध्यम से पेय जल उपलब्ध कराया गया है।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन सी टी) दिल्ली में जल का संकट नहीं है। स्थिति में सुधार के लिए किए जाने वाले विभिन्न उपाय हैं : सोनियां विहार जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यू टी पी) से वितरण अवसंरचना को बढ़ाना, नांगलोई डब्ल्यू टी पी को अपरिष्कृत जल की पूरी आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना, मुनक से हैदरपुर डब्ल्यू टी पी तक समानान्तर लाइन चैनल को पूरा करना और ऊपरी यमुना बेसिन में रेनुका, किशाऊ एवं लखवर व्यासी में भण्डारण बांध का कार्य शुरू करना।

नदियों को आपस में जोड़ना

3614. श्री थावरचन्द गेहलोत :
श्री किन्जरपु येरननायडु :
श्री अनिल शुक्ल वारसी :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नदियों को जोड़ने संबंधी राष्ट्रीय परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना के विभिन्न चरणों की स्थानवार, चरणवार और लागतवार प्रगति क्या है;

(ग) इस परियोजना में शामिल की गयी नदी का चरणवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना के अंतर्गत कार्यों की धीमी गति के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जल संसाधन मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर) (तत्कालीन कृषि मंत्रालय) और केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने वर्ष 1980 में जल संसाधन विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की जिसमें जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल हंस्तातरण की योजना है। इसमें दो घटक अर्थात हिमालयी नदी विकास घटक और प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक शामिल हैं। वर्ष 1982 में जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) का गठन किया गया था। जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रस्तावों की व्यवहार्यता स्थापित करने तथा इसे ठोस रुप देने के लिए विभिन्न प्रकार का तकनीकी अध्ययन करना था। विभिन्न प्रकार के कराये गये अध्ययनों के आधार पर व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआरएस) तैयार करने के लिए एनडब्ल्यूडीए ने 30 संपर्कों (प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 16 और हिमालयी घटक के अंतर्गत 14) की पहचान की है। इनमें से प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 14 संपर्कों और हिमालयी घटक के अंतर्गत 2 संपर्कों (भारतीय भाग) को पूरा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत एक संपर्क अर्थात केन–बेतवा संपर्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का कार्य एनडब्ल्यूडीए को सौंपा है।

(ख) और (ग) नदियों और संबंधित राज्यों को दर्शाते हुए प्रायद्वीपीय घटक और हिमालयी घटक के अंतर्गत विभिन्न संपर्कों के कार्यों की प्रगति का ब्यौरा विवरण I एवं II पर दिया गया है। प्रारंभिक प्राक्कलन के अनुसार, 2002 मूल्य स्तर पर नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यक्रम पर लगभग 5,60,000 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। वर्तमान में परस्पर जोड़ने संबंधी कोई परियोजना कार्यान्वयनाधीन नहीं है।

एफआर स्तर पर अंतर बेसिन जल हस्तांतरण संपर्क प्रस्तावों की पुष्टि करने के साथ–साथ 31 मार्च, 2007 तक केन–बेतवा संपर्क की डीपीआर तैयार करने के लिए विभिन्न अध्ययनों पर कुल 201.19 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

(घ) अंतरबेसिन जल हस्तांतरण प्रस्ताव का कार्यान्वयन संबंधित राज्यों की सहमति और सहयोग तथा पड़ोसी देशों के साथ समझौतों पर निर्भर करता है।

विवरण-I

प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत संपर्कों का उनकी वर्तमान स्थिति दर्शाने वाला ब्यौरा

क्रम. सं.	नाम	संबंधित राज्य	लाभान्वित राज्य	कार्यों की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	महानदी (मणिभद्रा) – गोदावरी (दोलेश्वरम) संपर्क	उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश कर्नाटक एवं छत्तीसगढ़	आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा उड़ीसा	एफआर पूर्ण
2.	गोदावरी (पोलावरम) – कृष्णा (विजयवाड़ा) संपर्क	उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं छत्तीसगढ़	आंध्र प्रदेश	एफआर पूर्ण
3.	गोदावरी (इंचमपल्ली – कृष्णा (नागार्जुन सागर) संपर्क	उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं छत्तीसगढ़	–वही–	एफआर पूर्ण
4.	गोदावरी (इंचमपल्ली) – कृष्णा (पुलिंचिताला) संपर्क	–वही–	–वही–	एफआर पूर्ण
5.	कृष्णा (नागार्जुन सागर) – पेन्नार (सोमासिला) संपर्क	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक	–वही–	एफआर पूर्ण
6.	कृष्णा (श्री सैलम) – पेन्नार संपर्क	–वही–	–	एफआर पूर्ण

1	2	3	4	5
7.	कृष्णा (अलमट्टी) – पेन्नार संपर्क	–वही–	आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक	एफआर पूर्ण
8.	पेन्नार (सोमसिला) – कावेरी (ग्रैण्ड एनीकट) संपर्क	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल एवं पांडिचेरी	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, एवं पांडिचेरी	एफआर पूर्ण
9.	कावेरी (कट्टालाई) – वैगई – गुन्डार संपर्क	कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल एवं पांडिचेरी	तमिलनाडु	एफआर पूर्ण
10.	पार्वती – कालीसिंध – चंबल संपर्क #	मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश (सर्वसम्मति बनाने हेतु उत्तर प्रदेश से परामर्श लेने का अनुरोध किया गया है)	मध्य प्रदेश एवं राजस्थान	एफआर पूर्ण
11.	दमनगंगा – पिंजाल संपर्क #	महाराष्ट्र एवं गुजरात	महाराष्ट्र (मुंबई को केवल जल की आपूर्ति)	एफआर पूर्ण
12.	पार–तापी – नर्मदा संपर्क #	–वही–	गुजरात	एफआर पूर्ण
13.	केन – बेतवा संपर्क #	उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश	एफ आर पूर्ण डीपीआर प्रारंभ
14.	पंबा–अचंकोविल–वैप्पार संपर्क	केरल एवं तमिलनाडु	तमिलनाडु	एफआर पूर्ण
15.	बेदती – वर्दा संपर्क	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक	कर्नाटक	एफआर पूर्ण
16.	नेत्रावती – हेमावती संपर्क	कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल	कर्नाटक	पीएफआर पूर्ण

डीपीआर – विस्तृत परियोजना रिपोर्ट; एफआर–व्यवहार्यता रिपोर्ट; पीएफआर – पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट

विवरण-II

हिमालयी घटक के अंतर्गत संपर्कों का उनकी वर्तमान स्थिति दर्शाने वाला ब्यौरा

क्रम. सं.	संपर्क का नाम	संबंधित राज्य	लाभान्वित राज्य	कार्यों की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	कोसी – मेची संपर्क	बिहार एवं पश्चिम बंगाल	बिहार	एफआर प्रारंभ किया गया
2.	कोसी – घाघरा संपर्क	बिहार एवं उत्तर प्रदेश	बिहार एवं उत्तर प्रदेश	एफआर प्रारंभ किया गया
3.	गंडक – गंगा संपर्क	–वही–	उत्तर प्रदेश	एफआर प्रारंभ किया गया
4.	घाघरा – यमुना संपर्क	–वही–	उत्तर प्रदेश	एफआर पूर्ण (भारतीय भाग)
5.	सारदा – यमुना संपर्क	बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान एवं उत्तरांचल	उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल	एफआर पूर्ण (भारतीय भाग)
6.	यमुना–राजस्थान संपर्क	उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा एवं राजस्थान	हरियाणा एवं राजस्थान	एफआर प्रारंभ किया गया
7.	राजस्थान–साबरमती संपर्क	–वही–	राजस्थान एवं गुजरात	एफआर प्रारंभ किया गया

1	2	3	4	5
8.	चुनार–सोन बैराज संपर्क	बिहार एवं उत्तर प्रदेश	बिहार एवं उत्तर प्रदेश	एफआर प्रारंभ किया गया
9.	सोन बांध–गंगा संपर्क की दक्षिणी सहायक वितरिकाएं	बिहार एवं झारखंड	बिहार एवं झारखंड	एफआर प्रारंभ किया गया
10.	मानस–संकोश–तीस्ता–गंगा (एम.एस.टी.जी.) संपर्क	असम, पश्चिम बंगाल एवं बिहार	असम, पश्चिम बंगाल एवं बिहार	एफआर प्रारंभ किया गया
11.	जोगीघोपा–तीस्ता–फरक्का संपर्क (एम.एस.टी.जी. तक वैकल्पिक)	–वही–	असम, पश्चिम बंगाल एवं बिहार	एफआर प्रारंभ किया गया
12.	फरक्का–सुन्दरबन संपर्क	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	एफआर प्रारंभ किया गया
13.	गंगा–फरक्का–दामोदर–सुवर्ण रेखा संपर्क	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड	एफआर प्रारंभ किया गया
14.	सुवर्ण रेखा–महानदी संपर्क	पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा	पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा	एफआर प्रारंभ किया गया

डीपीआर–विस्तृत परियोजना रिपोर्ट; एफआर–व्यवहार्यता रिपोर्ट; पीएफआर–पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट

[अनुवाद]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का क्रियान्वयन

3615. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के क्रियान्वयन के प्रभाव का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं तथा उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन के समय से उपभोक्ताओं को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, नहीं। उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के कार्यान्वयन के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक पार्क अध्यादेश

3616. श्री हरिन पाठक :

श्री पी. एस. गढ़वी :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी राज्य सरकार विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्र ने वर्ष 2006–07 में औद्योगिक पार्क अध्यादेश के संबंध में केन्द्र सरकार के पास अनुमोदन हेतु संशोधित प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने संशोधित प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) गुजरात की राज्य सरकार ने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार औद्योगिक पार्क अध्यादेश के संबंध में परिशोधित प्रस्ताव नहीं भेजा है।

औद्योगिक पार्क के संबंध में महाराष्ट्र राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

क्वायर बोर्ड संबंधी क्रियाकलापों का विस्तार

3617. श्री अनवर हुसैन : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्वायर बोर्ड संबंधी क्रियाकलापों का विस्तार करने तथा गुवाहाटी स्थित

शाखा कार्यालय का उन्नयन एक पूर्णरूपेण क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) कॉयर बोर्ड द्वारा कॉयर उद्योगों के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में शुरू किए जा रहे कुछ कार्यक्रम निम्नवत् हैं–

(i) कॉयर उत्पादों के विपणन तथा प्रदर्शन दौरे पर विशेष बल देते हुए उद्यमिता विकास कार्यक्रम।

(ii) कॉयर –जियो–वस्त्रों के अनुप्रयोग संबंधी संगोष्ठियां।

(iii) मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना।

(iv) इलेक्ट्रोनिक तथा प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार कार्यक्रम।

(v) पूर्वोत्तर क्षेत्र के अनुरूप कॉयर प्लाई, कॉयर कम्पोज़िट्स (काष्ठ प्रतिस्थानी), आदि जैसे नवीन उत्पादों के प्रयोग का प्रदर्शन।

(vi) स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं।

(vii) उन स्कूलों को जहां बच्चों के बैठने की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, कॉयर चटाइयां उपलब्ध कराना।

वर्ष 2006–2007 के लिए 1 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की तुलना में वर्ष 2007–2008 के बजट अनुमानों में पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में मौजूदा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 1.30 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में वर्ष 2007–2008 के दौरान कॉयर बोर्ड के कार्यकलापों में वृद्धि मिली।

इसके अलावा "पारम्परिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि योजना" के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र मे दो कॉयर कलस्टर (असम में मानस (गुवाहाटी) और त्रिपुरा में अगरतला) चिन्हित किए गए हैं।

इस समय, गुवाहाटी में कॉयर बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

विभिन्न फसलों की प्रति हेक्टेयर पैदावार में वृद्धि

3618. डा. चिन्ता मोहन :

श्री रामजीलाल सुमन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में कृषि उत्पादों की प्रति हेक्टेयर पैदावार में पर्याप्त गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक गेहूं, धान, दलहनों और तिलहनों की पैदावार दरों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी वर्षों में उक्त फसलों की प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए जाएंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) तथा (ख) 2004–05 से 2006–07 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में उत्पादित प्रमुख कृषि उत्पादों की प्रति हेक्टेयर उपज दरें नीचे की सारणी में दी गई हैं:–

(किलोग्राम/हैक्टेयर)

वर्ष	गेहूं	धान	खाद्यान्न	दालें	तिलहन	गन्ना	कपास
2004–05	2602	2976	1652	577	885	64752	318
2005–06	2619	3153	1716	597	1004	66928	362
2006–07*	2671	3191	1750	616	917	71081	422

*19.7.2007 को जारी किए गए चौथे अग्रिम अनुमान

तिलहनों को छोड़कर अन्य सभी कृषि उत्पादों की प्रति हैक्टेयर उपज 2004–05 से वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाती है।

(ग) अनाजों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अक्तूबर 2000 से 'चावल' गेहूं तथा मोटे अनाजों में एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.)' नामतः केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। इसी प्रकार तिलहनों, दालों तथा मक्का की उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "तिलहन, दालों, पाम आयल तथा मक्का पर केन्द्रीय प्रायोजित एकीकृत स्कीम' 1.4.2004 से कार्यान्वयन में हैं।

भारत सरकार ने अभी हाल ही में दो स्कीमों की मंजूरी प्रदान कर दी है यथा (i) गेहूं चावल तथा दालों का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, तथा (ii) कृषि क्षेत्र में और अधिक निवेश जिससे कि क्षेत्र की सम्पूर्ण वृद्धि संभावित है हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम।

[अनुवाद]

एम.टी.एन.एल. द्वारा निजी टी.वी. चैनलों का चयन

3619. श्री पी. एस. गढ़वी :

श्री अवतार सिंह भड़ाना :

श्री जे. एम. आरून रशीद :

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) द्वारा वर्ष 2006–2007 के दौरान विज्ञापन हेतु निजी टी.वी. चैनलों का चयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में इनमें से प्रत्येक को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है;

(ग) उन निजी चैनलों के नाम क्या हैं जिन्होंने वर्ष 2007–08 के दौरान अपने दर्शकों की संख्या दर्शाते हुए मीडिया प्लान हेतु एम.टी.एन.एल. के पास अपने प्रस्ताव जमा किए हैं तथा प्रत्येक चैनल को कितनी धनराशि का भुगतान किया जाएगा;

(घ) क्या कुछ प्रसिद्ध निजी टी.वी. चैनलों का चयन नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2006–07 के दौरान, विज्ञापन देने के लिए एमटीएनएल द्वारा निम्नलिखित नौ टीवी चैनलों का चयन किया गया था, यथा-स्टार प्लस, सोनी, ज़ी टीवी, आज तक, एनडीटीवी इंडिया, ज़ी न्यूज, स्टार न्यूज, एमटीवी, चैनल V। तथापि, शर्तों के अनुसार सौदे (डील वैल्यू) को गोपनीय रखना अपेक्षित है।

(ग) ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। कुछ प्रमुख निजी चैनलों का चयन नहीं किया गया है, क्योंकि यह चयन विभिन्न कारकों जैसे दर्शकों की किस्म, लक्ष्य बाजार, विपणन के लिए अपेक्षित विविध उत्पादों पर आधारित लक्ष्य दर्शक, प्रत्येक चैनल पर विज्ञापन की लागत तथा निधि की उपलब्धता आदि पर आधारित होता है।

विवरण

उन निजी चैनलों के नाम, 2007–08 के दौरान दर्शकों की संख्या सहित मीडिया प्लान के लिए एमटीएनएल को अपने प्रस्ताव दिए हैं

चैनल का नाम	दर्शक
1	2
सोनी*	1,31,93,000
ज़ी टीवी*	1,25,72,000
ज़ी न्यूज	85,77,000
ईएसपीएन स्पोर्टस	64,19,000
सीएनबीसी टीवी 18*	25,98,000
सहारा समय	73,42,000
आज तक/दिल्ली आज तक/तेज हैड लाइन्स टुडे*	1,32,37,000
एनडीटीवी इंडिया	99,56,000
एनईओ स्पोर्टस	39,85,000
सीएनएन–आईबीएन*	32,80,000
टाइम्स नाव*	50,21,000
स्टार प्लस	1,53,42,000
डिस्कवरी*	23,74,000
स्टार वन	1,09,27,000

म्यूज़िक चैनल टीवी 15–24 एबी, डब्ल्यूके 44–49/2006, प्रतिशत में पहुंच

एमटीवी*	6%
चैनल वी*	3%

*वर्ष 2007–08 के लिए एमटीएनएल द्वारा चुने गए चैनल शर्तों के अनुसार सौदे को गोपनीय रखा जाना अपेक्षित है।

राष्ट्रीय बांस मिशन

3620. श्री मणि चारेनामी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय बांस मिशन का क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2007–08 के दौरान राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और अन्य सहायक तकनकी एजेंसियों को कितनी धनराशि जारी की गयी;

(ग) तकनीकी एजेंसियों द्वारा किसानों को दिए गए प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है तथा इनमें कितने किसान प्रशिक्षित हुए;

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में बांस उत्पाद विकास की स्थापना हेतु किन केन्द्रों का चयन किया गया है; और

(ङ) वर्ष 2007–08 के दौरान पौध रोपण हेतु राज्यवार लक्षित क्षेत्र कौन से हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय बांस मिशन की कार्यान्वयन एजेंसियां और वर्ष 2007–08 के दौरान निर्मुक्त राज्यवार राशि जिसमें इन राज्यों को सौंपे गए पौध रोपण लक्ष्य शामिल हैं; को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

केन और बांस प्रौद्योगिकी केन्द्र (गुवाहाटी), राष्ट्रीय बांस मिशन

के अंतर्गत अभिनामित बांस तकनीकी सहायता दल ने मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम और उड़ीसा के क्रमशः 21, 27, 63 और 19 किसानों को अग्रणी कृषक स्तरीय प्रशिक्षण दिया है।

राष्ट्रीय बांस मिशन ने अभी तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में बांस उत्पादन विकास की स्थापना करने के लिए किसी केन्द्र का चयन नहीं किया है।

विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/बी टी एस जी*	राज्य में कार्यान्वयनकारी एजेंसी	2007-08 के दौरान निर्मुक्त राशि	पौधरोपण लक्ष्य (हेक्टेयर)
1.	आंध्र प्रदेश	वन विभाग	56.40	500
2.	अरूणाचल प्रदेश	वन विभाग	–	–
3.	असम	वन विभाग	–	–
4.	बिहार	बागवानी विभाग	–	–
5.	छत्तीसगढ़	वन विभाग	–	–
6.	गुजरात	वन विभाग	102.49	1700
7.	जम्मू और कश्मीर	वन विभाग	75.50	1000
8.	केरल	वन विभाग	–	–
9.	मध्य प्रदेश	कृषि विभाग	–	–
10.	महाराष्ट्र	बागवानी विभाग	–	–
11.	मणिपुर	वन विभाग	–	–
12.	मेघालय	वन विभाग	–	–
13.	मिजोरम	वन विभाग	–	–
14.	नागालैंड	वन विभाग	–	–
15.	उड़ीसा	वन विभाग	–	–
16.	राजस्थान	बागवानी विभाग	–	–
17.	सिक्किम	वन विभाग	–	–
18.	तमिलनाडु	वन विभाग	–	–
19.	त्रिपुरा	वन विभाग	–	–
20.	उत्तर प्रदेश	वन विभाग	–	–
21.	उत्तरांचल	वन विभाग	–	–
22.	पश्चिम बंगाल	बागवानी विभाग	–	–
23.	*बीटीएसजी (केरल)	वन अनुसंधान संस्थान, पीची	28.22	–
24.	*बीटीएसजी (उत्तरांचल)	आईसीएफआरई, देहरादून	34.30	–
25.	*बीटीएसजी (असम)	केन एवं बांस प्रौ. केन्द्र गुवाहाटी	–	–

*बांस प्रौद्योगिकी सहायता समूह

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में मोबाइल सेवा

3621. श्री अनंत गुढ़े :
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में विदर्भ जोन के विभिन्न जिलों में भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाइल सेवाएं शुरू नहीं की गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त जोन के उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां इन सेवाओं की अनुमति दी गयी है;

(घ) इस मोबाइल सेवा को उन राज्यों में कब तक शुरू करने की संभावना है और इस सेवा को उन राज्यों में शुरू करने हेतु कब तक अनुमति दिए जाने की संभावना है जहां यह सेवा वर्तमान में उपलब्ध नहीं है; और

(ङ) इस संबंध में अनुमति देने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) आरंभिक चरण में रोल-आउट के भाग के रूप में जिला मुख्यालयों को टेलीफोन सुविधायुक्त करने के बाद बीएसएनएल ने अगले चरण में उप-मंडलीय मुख्यालयों को सुविधायुक्त करने हेतु नीति बनाई है। बीएसएनएल, अब 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों को सुविधायुक्त करने का कार्य कर रहा है और इसका महाराष्ट्र के विदर्भ जोन सहित, देश के समस्त जिलों में 1000 की आबादी वाले गांवों को टेलीफोन सुविधायुक्त करने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वित्तीय और विनियामक लेवी में परिवर्तन

3622. श्री एल. राजगोपाल : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने निजी टेलीकॉम आपरेटरों के लिए वित्तीय और विनियामक लेवी में बड़ा परिवर्तन करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ट्राई ने लाइसेंस शुल्क के साथ प्रवेश (एंट्री) शुल्क लगाने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (घ) हाल ही में 29.08.2007 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने "लाइसेंस संबंधी शर्तों की समीक्षा तथा अभिगम सेवा प्रदाताओं की अधिकतम सीमा के निर्धारण संबंध में सिफारिशें दी हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें शामिल हैं:-

* कोई भी लाइसेंसधारक जो ग्राहकों की एक निर्धारित संख्या प्राप्त करने के बाद मौजूदा 2जी बैंड के 10 मेगाहर्ट्ज से अधिक अतिरिक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त करना चाहता है तो उसे ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल (जीएसएम) टेक्नोलॉजी के मामले में 10 मेगाहर्ट्ज से अधिक और कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस (सीडीएमए) के मामले में 5 मेगाहर्ट्ज से अधिक स्पेक्ट्रम के बाद प्रत्येक मेगाहर्ट्ज अथवा उसके एक भाग के आबंटन के लिए यथानुपात आधार पर नीचे दी गई सारणी के अनुसार एक बारगी स्पेक्ट्रम प्रभार का भुगतान करना होगा।

सेवा क्षेत्र	2×5 मेगाहर्ट्ज का मूल्य (मिलियन रु. में)
मुंबई, दिल्ली और श्रेणी क	800
चेन्नई, कोलकाता और श्रेणी ख	400
श्रेणी ग	150

उदाहरण के लिए मुंबई, दिल्ली और श्रेणी क सेवा क्षेत्रों में एक मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आबंटन हेतु सेवा प्रदाता को एक बारगी स्पेक्ट्रम प्रापण प्रभार के रूप में 160 मिलियन रुपये का भुगतान करना होगा। नीचे सारणी में यथा उल्लिखित राजस्व हिस्सेदारी स्पेक्ट्रम प्रभार लागू किए जा सकते हैं:-

स्पेक्ट्रम	वर्तमान	प्रस्तावित
2 × 4.4 मेगाहर्ट्ज तक	2%	कोई परिवर्तन नहीं
2 × 6.2 मेगाहर्ट्ज/ 2 × 5 मेगाहर्ट्ज	3%	कोई परिवर्तन नहीं
2 × 8 मेगाहर्ट्ज तक	4%	कोई परिवर्तन नहीं
2 × 10 मेगाहर्ट्ज तक	4%	5.00%
2 × 12.5 मेगाहर्ट्ज तक	5%	6.00%
2 × 15 मेगाहर्ट्ज तक	6%	7.00%
2 × 15 मेगाहर्ट्ज तक	–	8.00%

* मौजूदा लाइसेंसधारक को बेतार अभिगम सेवा प्रदान करने के

लिए वैकल्पिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि वह ऐसे एकमुश्त शुल्क का भुगतान करे जो कम से कम उस सेवा क्षेत्र में एकीकृत अभिगम सेवा (यूएएस) लाइसेंस के प्रवेश शुल्क के बराबर हो।

[हिन्दी]

जाली वारंट आदेश

3623. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री काशीराम राणा :
क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलगाड़ियों में यात्रा हेतु जाली वारंट आदेश जारी किए जाने की बात सामने आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या सफलता हासिल हुई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, रेलवे प्राधिकारियों ने 4 अगस्त, 2006 को 2779 अप गोवा एक्सप्रेस में एक सैनिक तथा चार सिविलियनों सहित पांच व्यक्तियों द्वारा सैन्य वारंटों के जानबूझकर अप्राधिकृत रूप से इस्तेमाल के एक मामले की सूचना दी थी। एम.एच. मेरठ के आरोपी कार्मिकों को सिविल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था तथा यह मामला इस समय न्यायालय में है। गलती करने वाले रक्षा कार्मिकों के विरुद्ध एक स्टाफ जांच अदालत का आदेश भी दिया गया है। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए रेलवे बोर्ड ने टिकट चैकिंग और रिज़र्वेशन स्टाफ को किन्हीं संभावित जाली वारंटों अथवा इस समय परिचालन में प्रयोगरत वारंटों के दुरुपयोग के प्रति कड़ी निगाह रखने तथा ऐसे वारंटों पर यात्रा कर रहे सैन्य कार्मिकों की नियमित जांच करने के अनुदेश दे दिए हैं।

[अनुवाद]

रक्षा भूमि से संबंधित मुकदमें

3624. डा. एच. टी. संगलियाना : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रक्षा भूमि से संबंधित मुकदमों और विवाद मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार समस्या की वास्तविक तरीके से जांच के लिए एक समिति की नियुक्ति करने का है ताकि समस्याओं का हल न्यायालयों के बाहर निकाला जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

डेयरी क्षेत्र में विदेशी सहयोग

3625. श्री ए. साई प्रताप : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान डेयरी क्षेत्र के विकास एवं विस्तार के लिए विभिन्न राज्यों, विशेषकर मध्य प्रदेश को प्रदान की गई सहायता की प्रकृति का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या डेयरी क्षेत्र में विदेशी सहयोग के लिए स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) यह विभाग गुणवत्ता तथा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं यानि सघन डेयरी विकास कार्यक्रम (आई डी डी पी) तथा स्वच्छ एवं गुणवत्ता दुग्ध के उत्पादन के लिए मूलभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण (सी एम पी) तथा सहकारिता के सेट अप में डेयरी उद्योग के विकास तथा इसके विस्तार के लिए यानि सहकारिताओं को सहायता नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना को क्रियान्वित कर रहा है। आई डी डी पी योजना के अंतर्गत, राज्य दुग्ध संघ/जिला सहकारिता दुग्ध संघ को 100% सहायता अनुदान के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है, जबकि सी एम पी योजना के तहत, राज्य दुग्ध संघों/जिला सहकारिता दुग्ध संघ को दुग्ध चिलिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए 75: सहायता प्रदान करने को छोड़कर, सभी घटकों के लिए राज्य सरकार के माध्यम से 100% सहायता अनुदान के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। सहकारिताओं को सहायता नामक योजना के तहत, राज्य दुग्ध संघ/जिला सहकारिता दुग्ध संघ के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से केन्द्र तथा संबंधित राज्य सरकार के बीच 50:50 व्यय वहन के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान, आंध्र प्रदेश को प्रदान की गई वर्षवार सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचना दी है कि इंडो-फ्रेंच प्रोटोकोल के तहत, राज्य सरकार ने लांग शेल्फ लाईफ ट्रीटमेंट के लिए कतिपय संयंत्रों तथा उपकरणों के आयात को स्वीकृत दे दी थी तथा यह परियोजना अभी आरंभ की जानी है। विशाखा जिला सहकारिता दुग्ध उत्पादक संघ लि. विशाखापट्नम ने भी आस्ट्रेलियाई फर्मों से दो मशीन प्राप्त किए हैं, जिसके लिए विदेशी सहयोग के लिए कोई विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

विवरण

(लाख रुपए में राशि)

क्र. सं.	योजना का नाम	2004–05 के दौरान जारी	2005–06 के दौरान जारी	2006–07 के दौरान जारी
(क)	सघन डेयरी विकास कार्यक्रम	0.00	135.00	288.45
(ख)	स्वच्छ एवं गुणवत्ता दूध के उत्पादन के लिए मूलभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण	39.37	65.50	83.75
(ग)	सहकारिताओं को सहायता	0.00	0.00	0.00
	राज्यों को कुल	39.37	200.50	372.20

राष्ट्रीय हार्डवेयर विकास नीति

3626. श्री रवि प्रकाश वर्मा :

श्री दानवे रावसाहेब पाटील :

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व की बड़ी हार्डवेयर कंपनियों को भारत में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय हार्डवेयर विकास नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान विश्व की बड़ी हार्डवेयर कंपनियों से भारत मे विनिर्माता इकाइयों की स्थापना के लिए ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) विश्व के व्यवसायियों को भारत में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना करने के लिए आकृष्ट करने हेतु क्या सुविधाएं प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(च) आज की स्थिति के अनुसार देश में स्थापित हार्डवेयर इकाइयों की राज्य–वार संख्या कितनी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (घ) पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं, जो विवरण में दिए गए हैं। यह एक चालू प्रक्रिया है।

सरकार द्वारा सतत् आधार पर उठाए गए विभिन्न कदमों के फलस्वरूप भारत का अब कई अग्रणी वैश्विक इलेक्ट्रॉनिकी/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माताओं की सूची में बहुत ऊंचा स्थान है। विकास की क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए हार्डवेयर विनिर्माण के क्षेत्र में कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने या तो अपनी इकाइयां स्थापित् की हैं अथवा देश में निवेश करने के लिए सामने आ रही हैं। इनमें नोकिया, मोटोरोला, फॉक्सकॉन, फ्लेक्सट्रॉनिक्स, एस्पोकॉम्प, सैमसंग, एलजी, एलकोटेक, एरिकसन, अलकाटेल, टेसोल्व तथा डेल जैसी विश्व विख्यात कम्पनियां शामिल हैं।

(ङ) भारत में सेमीकण्डक्टर संविरचना तथा अन्य सूक्ष्म एवं नैनो प्रौद्योगिकी विनिर्माण उद्योग स्थापित करने के लिए पूंजीनिवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना की घोषणा दिनांक 21 मार्च, 2007 की गजट अधिसूचना सं. 78, भाग–I, खण्ड–I के जरिए की गई है। अधिसूचना की प्रतिलिपि वेबसाइट http://www.mit.gov.in पर उपलब्ध है।

(च) वर्ष 2006–07 के दौरान 3020 हार्डवेयर विनिर्माण इकाइयों ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को उत्पादन की सूचना दी है। राज्यवार ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है।

विवरण I

देश में इलेक्ट्रॉनिकी/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

1. इलेक्ट्रॉनिकी/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र में 100% तक सभी विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के अनुमोदन स्वचालित मार्ग के अंतर्गत हैं।
2. सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर सहित विनिर्माण उद्योग के विकास को शक्ति प्रदान करने और कायम रखने पर जोर दिया गया है।
3. सीमा शुल्क की उच्चतम दर को घटाकर 12.5% कर दिया गया है। आईटीए–1 (217 वस्तुएं) पर सीमा शुल्क को 1.3.2005 से समाप्त कर दिया है। आईटीए–1 की वस्तुओं के विनिर्माण के

लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अधीन सीमा शुल्क से छूट दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक संघटक पूर्जों अथवा प्रकाशिक तंतुओं/केबलों के विनिर्माण में प्रयोग की जाने वाली निर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों/उपादानों पर सीमा शुल्क 0% है। इलैक्ट्रॉनिक वस्तुओं/समीकंडक्टरों के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं का सीमा शुल्क 0% है।

4. कम्प्यूटरों पर उत्पाद शुल्क 12% है। माइक्रोप्रोसेसरों, हार्ड डिस्क ड्राइवों, फ्लोपी डिस्क ड्राइवों सीडी रॉम ड्राइवों, डीवीडी ड्राइवों, युएसबी फ्लैश मेमोरी तथा कॉम्बो ड्राइवों पर उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है। सेल्यूलर फोन सहित मोबाइल हैण्ड सैटों के पूर्जों, संघटक पूर्जों तथा सहायक सामग्रियों पर उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

5. निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ईपीसीजी) में 5% के सीमा शुल्क के भुगतान पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति है। सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-I) वस्तुओं की आपूर्ति डीटीए को करके ईपीसीजी योजना अंतर्गत निर्यात की बाध्यता को भी पूरा किया जा सकता है बशर्ते आय निशुल्क विदेशी मुद्रा में हो।

6. इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों (ईएचटीपी/निर्यात उन्मुखी इकाइयों (ईओयू) द्वारा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-1) वस्तुओं तथा अधिसूचित शून्य शुल्क दूरसंचार/इलैक्ट्रॉनिक वस्तुओं की आपूर्तियों को धनात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय (एनएफई) को पूरा करने प्रयोजन से गिना जाएगा।

7. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की स्थापना की जा रही है। घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से एसईजेड को बिक्री वास्तविक निर्यात माना जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप देशीय आपूर्तिकर्ताओं को शुल्क वापसी/डीईपीबी के लाभ, केन्द्रीय बिक्री कर से छूट तथा सेवा कर से छूट के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। निर्यात लाभ पर 100% आयकर से छूट एसईजेड इकाइयां को 5 वर्षों तक उपलब्ध है, अगले 5 वर्षों तक 50% और उसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए प्लाऊ बैक लाभ का 50% ।

8. पुरानी पूंजीगत का आयात मुक्त•रूप से किया जा सकता है।

9. इलैक्ट्रॉनिक उपस्करों, कम्प्यूटरों एवं दूरसंचार उपस्करों का व्यवसाय करने वाली कम्पनी के मामले में कम्पनी में ही किए जाने वाले अनुसंधान एवं विकास पर किए गए व्यय पर आयकर अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2एबी) के खण्ड (1) के अंतर्गत 150% की भारित कटौती उपलब्ध कराई गई है।

विवरण-II

राज्य	हार्डवेयर/विनिर्माण इकाइयों की संख्या
आंध्र प्रदेश	151
असम	3
बिहार	7
चण्डीगढ़	19
छत्तीसगढ़	2
दादर और नागर हवेली	2
दमन	3
दिल्ली	350
गोवा	12
गुजरात	227
हरियाणा	77
हिमाचल प्रदेश	14
जम्मू और कश्मीर	2
झारखण्ड	13
कर्नाटक	351
केरल	83
मध्य प्रदेश	36
महाराष्ट्र	906
मेघालय	1
उड़ीसा	8
पांडिचेरी	17
पंजाब	34
राजस्थान	73
तमिलनाडु	290
उत्तर प्रदेश	163
उत्तराखण्ड	22
पश्चिम बंगाल	154
योग	3020

श्रीलंका को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति

3627. श्री एम. अप्पादुरई : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार श्रीलंका की सेना को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) और (ख) श्रीलंका के साथ रक्षा सहयोग हमारे द्विपक्षीय, सामरिक और राजनयिक संबंधों पर आधारित है जो अधिकांशतः श्रीलंका के रक्षा कार्मिकों को भारत में प्रशिक्षण देने और दौरों के आदान–प्रदान तक सीमित है। इस संबंध में और अधिक जानकारी प्रकट करना राष्ट्र हित में नहीं होगा।

कृषि मजदूरों के लिए राष्ट्रीय नीति

3628. श्री अबु अयीश मंडल : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कृषि मजदूरों के लिए एक राष्ट्रीय नीति लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस नीति को किस प्रकार क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राष्ट्रीय किसान आयोग

3629. श्रीमती प्रिया दत्त : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय किसान आयोग ने बताया है कि सीमांत और छोटे किसानों का इरादा कृषि की बजाए अधिक लाभदायक व्यवसाय को अपनाने का है क्योंकि कृषि आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने उत्तराखण्ड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और सिक्किम जैसे राज्यों में जैव–संरक्षण के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) राष्ट्रीय किसान आयोग ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 40% किसान, यदि ऐसा विकल्प मिलता है, खेती का कार्य छोड़ना चाहेंगे। तथापि, चूंकि ऐसे विकल्प सीमित हैं, अतः आयोग ने राष्ट्रीय किसान नीति के अपने संशोधित मसौदे में उत्पादन–प्रसंस्करण–मूल्य वर्द्धन–विपणन–उपभोक्ता श्रृंखला को सुदृढ़ करते हुए रोजगार के अवसरों का विविधीकरण करने तथा लघु फार्मों एवं किसानों की आय तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए बहुत से उपायों की सिफारिश की है। आयोग ने सहकारी खेती, स्वयं मदद समूहों द्वारा सामूहिक खेती, छोटे धारकों की सम्पदा, अनुबंध खेती तथा किसान कम्पनियों आदि जैसी बहुत सी विधियों की सिफारिश की जिनके जरिए छोटे तथा सीमान्त किसान क्षमता तथा आर्थिक कुशलता हासिल कर सकते हैं। सरकार किसानों को समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत से कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है जिनमें अन्यों के साथ–साथ राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र, प्राधिकरण, वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना, कृषि विस्तार सेवा के लिए सुधार तथा सहायता, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शामिल है।

(ग) और (घ) मौजूदा राष्ट्रीय कृषि नीति का उद्देश्य मृदा, जल एवं जैव–विविधता के संरक्षण तथा संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर आधारित विकास प्राप्त करना है। सरकार इस मामले में बहुत से कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है जैसे–राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, समेकित पोषक तत्व प्रबंध, समेकित कीट प्रबंध, राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तथा उत्तराखंड में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन।

एमटीएनएल/बीएसएनएल द्वारा सीडीएमए प्रौद्योगिकी

3630. श्री अनिल बसु : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड/भारत संचार निगम लिमिटेड (एमटीएनएल/बीएसएनएल) को कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस (सीडीएमए) प्रौद्योगिकी से वंचित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा सरकार को कितनी लाभांश राशि का भुगतान किया गया है;

(घ) क्या निजी टेलीकॉम ऑपरेटरों को सीडीएमए प्रौद्योगिकी की अनुमति दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, नहीं। एमटीएनएल और बीएसएनएल अपने नेटवर्क में कोर्ड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस (सीडीएमए) तथा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्यूनिकेशन्स (जीएसएम), दोनों प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर रहे हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान एमटीएनएल और बीएसएनएल द्वारा सरकार को अदा की गई लाभांश की राशि निम्नानुसार है:

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	वित्तीय वर्ष (करोड़ रुपए में)		
	2004–05	2005–06	2006–07
एमटीएनएल	159.47	141.75	106.31
बीएसएनएल	1175.00	1175.00	1175.00*

*बीएसएनएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए अधिमान शेयर पूंजी पर लाभांश की 675 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान, वार्षिक आम बैठक में शेयर धारकों के अनुमोदन के बाद किया जाएगा।

(घ) और (ङ) जी हां। मैसर्स रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, टाआ टेलीसर्विसिज़ लिमिटेड, टाटा टेलीसर्विसिज़ (महाराष्ट्र) लिमिटेड, एचएफसीएल इन्फोटेल लिमिटेड तथा श्याम टेलीलिंक लिमिटेड, सीडीएमए आधारित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

जीएसएम तथा सीडीएमए प्रौद्योगिकी का उपयोग

3631. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जी. एस. एम. और सी. डी. एम. ए. दोनों प्रौद्योगिकियों के उपयोग की संभावनाओं का पता लगा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय लिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शकील अहमद) : (क) से (ग) दिनांक 13.04.2007 को, सरकार ने प्रत्येक सेवा–क्षेत्र के अभिगम प्रदाताओं की संख्या सीमित करने के मुद्दे पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को अपनी सिफारिशें देने तथा सेवा प्रदाताओं को प्रौद्योगिकियों (सीडीएमए, जीएसएम और/या कोई अन्य) के संयोजन का उपयोग करते हुए उसी लाइसेंस के तहत अभिगम सेवाओं की पेश–कश करने की अनुमति प्रदान करने सहित अभिगम प्रदाता लाइसेंस की कतिपय शर्तों की समीक्षा करने को कहा था। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 29.8.2007 को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। आज की तिथि के अनुसार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की इन सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

नर्मदा जल का उपयोग

3632. श्री वी. के. ठुम्मर :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा नदी के जल का उचित ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप कुछ राज्यों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) नर्मदा नदी के जल का उचित ढंग से उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) नर्मदा जल विवाद अधिकरण (एनडब्ल्यूडीटी) ने अपने पंचाट में नर्मदा नदी के जल की उपयोज्य मात्रा (28 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) को गुजरात (9 एमएएफ), मध्य प्रदेश (18.25 एमएएफ), महाराष्ट्र (0.25 एमएएफ) और राजस्थान (0.5 एमएएफ) राज्यों को आबंटित करने का निर्णय किया है। ये राज्य सरकारें एनडब्ल्यूडीटी द्वारा नर्मदा नदी के इस प्रकार आबंटित जल का उपयोग करने के लिए अपने क्षेत्रों में विभिन्न जल आपूर्ति, सिंचाई, जल विद्युत परियोजनाओं इत्यादि की आयोजना और निष्पादन कर रही है।

(ख) और (ग) नदियों के जल के उचित उपयोग के लिए आपूर्ति, सिंचाई, जल विद्युत परियोजनाओं इत्यादि की आयोजना और निष्पादन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को सभी प्रकार की संभव तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(घ) वर्ष 2005–06 के संबंध में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के वार्षिक जल लेखे के अनुसार जल विद्युत उत्पादन के अतिरिक्त अन्य उपयोगों के लिए नर्मदा नदी के 6.43 एमएएफ जल (मध्य प्रदेश–4.46 एमएएफ, गुजरात 1.97 एमएएफ) को उपयोग में लाया गया है।

[अनुवाद]

एयर फोर्स बेस

3633. श्री नवीन जिन्दल :
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोत्चा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने एयर फोर्स बेस हैं;

(ख) क्या इन सभी पर रात्रि लैंडिंग सुविधाएं हैं;

(ग) यदि नहीं, तो कितने बेसों पर ऐसी सुविधाएं नहीं हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन बेसों का उपयोग अल्प सूचना पर किया जा सकता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या रनवे पर नील गायों तथा अन्य आवारा पशुओं के द्वारा बेसों पर संचालन बाधित और अस्त–व्यस्त हो जाता है; और

(छ) यदि हां, तो रनवे को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (ङ) अधिकांश भारतीय वायुसेना बेसों में रात्रि लैंडिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। तथापि, ऐसे वायुसेना बेसों में जहां रात्रि लैंडिंग सुविधाएं नहीं हैं वहां समीप के एयर बेसों से अपेक्षित संसाधन जुटाकर उपयुक्त नोटिस पर आपाती रनवे लाइटों को सक्रिय किया जा सकता है।

(च) और (छ) कुछेक भारतीय वायुसेना एयर बेसों ने रनवे पर नील गायों तथा अन्य आवारा पशुओं की समस्या का सामना किया है। इन पशुओं को समुचित बाड़ लगाकर और रात्रि ऑपरेशनों के प्रारंभ होने या प्रत्याशित विमान मूवमेंट से पूर्व उन्हें डराने के उपाय करके रनवे से दूर रखने के लिए सतत प्रयास किए जाते हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार/वन अधिकारियों से भी संपर्क किया जाता है।

[हिन्दी]

सी. आई. आई. और एसोचैम की सदस्य कंपनियों पर ई.पी.एफ. की बकाया राशि

3634. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) तथा एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचैम) की विभिन्न सदस्य कम्पनियों ने अभी तक अपनी ई. पी. एफ. बकाया राशि को जमा नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो कंपनियों के नाम तथा उन पर बकाया राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा अभी तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा उन प्रतिष्ठानों का अलग से रिकार्ड नहीं रखा जाता है जो भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) तथा एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचैम) के सदस्य हैं। तथापि, 31.03.2006 की स्थिति के अनुसार चूककर्ता प्रतिष्ठानों पर 2,530.07 करोड़ रुपये की धनराशि बकाया थी।

(ग) बकाया देयों की वसूली के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार सभी कार्रवाइयां की जाती हैं। इसमें चल/अचल संपत्ति की कुर्की/बिक्री, चूककर्ताओं को गिरफ्तार किया जाना आदि शामिल है।

[अनुवाद]

सेना में शराब घोटाला

3635. श्री उदय सिंह : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा बलों में शराब घोटाला व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रक्षा अधिकारी काफी सब्सिडी प्राप्त सेना के लिए शराब को खुले बाजार में बेचने और सार्वजनिक निधियों के दुर्विनियोजन में संलिप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस प्रथा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (ङ) सेना से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार सेना कार्मिकों द्वारा अनधिकृत व्यक्तियों को की गई शराब की बिक्री की गत सात वर्ष में दो घटनाएं हुई हैं।

इन मामलों में अनधिकृत व्यक्तियों को की गई शराब की बिक्री में शामिल सेना अधिकारियों को चेतावनीपूर्ण दण्ड दिए गए हैं जिनमें कठोर कारावास की सजा और सकलंक पदच्युत करने का दण्ड शामिल है।

जब कभी ऐसे मामले की रिपोर्ट की जाती है, इसकी पूरी जांच की जाती है और संलिप्त सैन्य कार्मिकों के धारित रैंक की परवाह किए बिना उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों के बोर्ड द्वारा कैंटीनों में आवधिक रूप से औचक निरीक्षण किए जाते हैं। शराब की अनधिकृत बिक्री पर सेना पुलिस और सेना आसूचना यूनिटों द्वारा सतत् निगरानी भी रखी जाती है। यूनिट संचालित कैंटीनों से शराब की बिक्री को विनियमित करते हुए रक्षा कार्मिकों को उनकी पात्रता के अनुसार स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं।

नए आर्डरों का अन्यत्र भेजा जाना

3636. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं आउटसोर्सिंग फर्में विदेशों से प्राप्त नए आर्डरों को अन्यत्र भेज रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विदेशों में भारतीय कंपनियों द्वारा कितने डेवलपमेंट केन्द्रों की स्थापना किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में कितना लाभ अर्जित किया जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) के अनुसार अब तक ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं प्राप्त हुई है।

(ग) और (घ) इलेक्ट्रॉनिकी एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद (ईएससी) के अनुसार काफी संख्या में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियां विशेष रूप से बड़ी कम्पनियां विश्वभर में कम्पनियों का अधिग्रहण कर रही हैं तथा विदेश में अपने कार्यालय स्थापित कर रही हैं। ईएससी के पास लाभ से संबंधित और स्थापित किए जाने वाले विकास केन्द्रों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं है।

खाद्यान्नों का स्टॉक

3637. श्री अनंत कुमार :

श्री विजय कृष्ण :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में वर्ष-वार, राज्य-वार तथा मद-वार खाद्यान्नों का कितना स्टॉक है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त गोदामों में वर्ष-वार, राज्य-वार और मद-वार स्टोर किए गए एवं उठाए गए खाद्यान्नों की मात्रा कितनी है;

(ग) क्या इन गोदामों में पांच वर्षों अथवा इससे अधिक समय से खाद्यान्नों का स्टॉक रखा जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त पुराने स्टॉकों का उपयोग किस प्रकार किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) गत पांच वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) के स्टॉक तथा लंबित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) के उठान का ब्यौरा विवरण I से III में दिया गया है।

(ग) से (ङ) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में इस समय पांच या अधिक वर्षों से रखे चावल तथा गेहूं के स्टाक तथा उसके कारण नीचे दिए गए हैं:-

राज्य	मात्रा	अब तक निपटान न किए जाने के कारण
पंजाब	310 टन चावल और 33 टन गेहूं	मुकदमा चल रहा है
बिहार	2925 टन चावल	250 टन मुकदमे के अधीन है, शेष 2675 टन के लिए भारतीय खाद्य निगम के मानदंडों के अनुसार पशुचारे श्रेणी के तहत निपटान की प्रक्रिया चल रही है।

विवरण-I

वर्ष 2002 से 2006 (प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार) के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) की स्टाक स्थिति

(लाख टन में)

	2002		2003		2004		2005		2006	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आन्ध्र प्रदेश	19.96	3.45	16.96	0.39	7.44	0.22	12.82	0.26	11.53	0.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अरुणाचल प्रदेश	0.04	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.04	0.00
असम	0.51	0.16	0.23	0.32	0.10	0.03	0.70	0.08	0.91	0.04
बिहार	1.82	1.23	0.77	1.09	1.83	0.29	1.25	0.70	2.26	0.63
छत्तीसगढ़	7.40	0.24	2.30	0.12	4.30	0.06	5.62	0.15	10.86	0.14
दिल्ली	0.52	2.74	0.41	1.29	0.10	0.99	0.37	0.95	0.32	0.38
गोवा	0.07	0.06	0.03	0.02	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	1.19	6.49	0.68	3.23	0.25	0.17	0.77	2.50	1.32	0.56
हरियाणा	18.86	0.60	5.08	9.07	4.17	1.77	5.21	0.64	4.45	1.20
हिमाचल प्रदेश	0.07	0.03	0.07	0.09	0.06	0.11	0.07	0.00	0.09	0.07
जम्मू और कश्मीर	0.44	0.27	0.25	0.11	0.41	0.27	0.40	0.23	0.38	0.17
झारखंड	0.34	0.34	0.02	0.06	0.15	0.24	0.36	0.13	0.47	0.31
कर्नाटक	5.04	2.21	2.58	0.62	0.91	0.18	3.49	0.69	2.20	0.49
केरल	5.85	0.29	3.28	0.07	0.61	0.18	1.51	0.45	1.75	0.55
मध्य प्रदेश	2.76	3.38	1.41	2.97	0.96	0.80	0.72	2.21	1.12	0.62
महाराष्ट्र	6.02	10.45	2.82	3.06	1.05	1.19	1.75	5.20	2.97	1.91
मणिपुर	0.06	0.01	0.05	0.03	0.03	0.00	0.00	0.01	0.10	0.00
मेघालय	0.04	0.00	0.04	0.02	0.02	0.00	0.16	0.04	0.15	0.02
मिजोरम	0.07	0.01	0.05	0.03	0.01	0.00	0.08	0.01	0.01	0.00
नागालैण्ड	0.15	0.00	0.10	0.01	0.04	0.01	0.29	0.00	0.17	0.01
उड़ीसा	5.10	0.26	1.61	0.06	2.81	0.19	2.33	0.36	4.05	0.12
पंजाब	98.23	7.16	86.53	6.48	59.01	9.00	45.39	6.60	45.10	1.26
राजस्थान	1.04	14.19	0.73	1.99	0.47	1.90	0.13	2-85	0-34	2-36
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	9.93	2.05	4.00	0.29	0.52	0.34	2.91	1.31	3.94	0.63
त्रिपुरा	0.012	0.04	0.18	0.00	0.11	0.01	0.13	0.01	0.14	0.01
उत्तर प्रदेश	20.02	13.24	15.09	2.52	12.41	0.88	3.10	2.83	1.88	1.41
उत्तराखंड	1.89	0.12	0.91	0.16	1.37	0.16	1.33	0.23	0.98	0.10
पश्चिम बंगाल	2.84	2.71	1.36	1.16	3.29	0.38	2.51	0.81	3.11	0.57
चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दादरा और नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जे.एम. (पी.ओ.) विज़ग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
जे.एम. (पी.ओ.) कांदला	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जे.एम.(पी.ओ.) चेन्नई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जे.एम.(पी.ओ.) कोलकात्ता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मार्गस्थ स्टाक	2.50	3.00	2.90	3.19	3.48	3.58	4.79	2.94	3.42	1.74
सकल जोड़	212.88	74.73	150.46	38.45	105.91	23.00	98.21	32.30	104.09	15.54

विवरण-II

वर्ष 2002–03 से 2006–07 के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं का राज्यवार उठान

(हजार टन में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002–03 उठान	2003–04 उठान	2004–05 उठान	2005–06 उठान	2006–07 उठान
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	7.61	15.08	35.62	50.73	55.59
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.68	11.07	11.11	7.40	5.14
3.	असम	369.60	218.24	403.04	280.24	250.05
4.	बिहार	586.94	806.46	934.77	807.77	494.65
5.	छत्तीसगढ़	77.29	125.53	125.93	132.48	55.98
6.	दिल्ली	235.81	453.47	432.06	366.57	400.94

1	2	3	4	5	6	7
7.	गोवा	2.96	3.04	0.00	3.83	5.57
8.	गुजरात	376.21	436.31	533.15	605.78	468.15
9.	हरियाणा	268.68	373.22	437.33	257.03	248.72
10.	हिमाचल प्रदेश	72.56	129.40	155.79	160.77	178.17
11.	जम्मू और कश्मीर	156.22	183.63	210.51	223.26	228.77
12.	झारखंड	262.98	300.09	297.48	630.74	285.97
13.	कर्नाटक	401.36	321.14	361.58	376.52	298.50
14.	केरल	167.23	161.18	294.97	377.42	281.98
15.	मध्य प्रदेश	1030.68	1179.42	1368.06	1554.92	1348.31
16.	महाराष्ट्र	1117.48	1296.08	1553.82	1563.47	1381.12
17.	मणिपुर	9.25	17.76	16.72	18.14	8.24
18.	मेघालय	7.22	6.29	8.19	6.97	7.29
19.	मिजोरम	11.74	11.01	11.78	7.55	8.99
20.	नागालैण्ड	32.72	52.68	91.41	63.06	34.19
21.	उड़ीसा	62.77	141.75	153.52	108.35	132.29
22.	पंजाब	112.92	153.00	157.80	95.73	118.31
23.	राजस्थान	931.82	900.18	1183.53	953.62	915.41
24.	सिक्किम	2.27	2.40	4.77	4.65	5.38
25.	तमिलनाडु	21.27	47.53	59.94	77.98	90.18
26.	त्रिपुरा	7.84	15.26	21.28	29.94	21.47
27.	उत्तर प्रदेश	2346.26	1990.81	2240.79	1616.39	1497.25
28.	उत्तराखण्ड	44.34	81.39	83.44	103.99	128.28
29.	पश्चिम बंगाल	874.34	1221.65	1701.03	1822.70	1290.94
30.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	5.76	6.46	0.89	4.31	4.70
31.	चण्डीगढ़	1.29	0.63	0.00	0.00	0.00
32.	दादरा और नागर हवेली	0.4	0.99	0.00	0.75	0.36
33.	दमन और दीव	0.31	0.29	0.00	0.19	0.12

1	2	3	4	5	6	7
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05
35.	पांडिचेरी	0.64	0.48	0.06	1.01	1.41
	जोड़	9615.97	10663.87	12890.36	12044.28	10252.47

विवरण-III

वर्ष 2002–03 से 2006–07 के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल का राज्यवार उठान

(हजार टन में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002–03 उठान	2003–04 उठान	2004–05 उठान	2005–06 उठान	2006–07 उठान
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	2018.488	2069.101	2819.953	3166.77	3153.481
2.	अरुणाचल प्रदेश	72.288	84.554	83.87	73.77	55.243
3.	असम	680.725	865.807	881.03	940.91	1261.867
4.	बिहार	188.81	208.635	267.528	310.85	529.526
5.	छत्तीसगढ़	15.115	553.989	653.557	685.762	811.506
6.	दिल्ली	51.192	71.48	140.773	103.38	146.687
7.	गोवा	12.39	11.286	5.04	8.521	21.44
8.	गुजरात	162.705	134.379	231.048	235.96	394.044
9.	हरियाणा	0	0	0	33.18	61.627
10.	हिमाचल प्रदेश	123.405	149.868	156.518	169.46	192.327
11.	जम्मू और कश्मीर	341.861	374.616	361.352	422.56	430.482
12.	झारखंड	76.497	148.107	256.712	323.96	455.179
13.	कर्नाटक	1433.328	1763.277	1760.63	1755.09	1786.547
14.	केरल	430.397	533.534	619.428	584.207	744.133
15.	मध्य प्रदेश	235.869	218.445	260.005	324.73	441.915
16.	महाराष्ट्र	650.766	703.929	884.85	947.63	1124.789
17.	मणिपुर	49.82	55.74	39.251	44.64	70.13
18.	मेघालय	77.159	94.776	90.128	93.06	108.392
19.	मिजोरम	63.652	68.712	66.967	76	60.056
20.	नागालैण्ड	44.56	65.932	72.213	83.65	113.487

1	2	3	4	5	6	7
21.	उड़ीसा	543.791	849.338	1360.707	1249.321	1115.981
22.	पंजाब	1.011	0.077	1.296	2.46	31.955
23.	राजस्थान	0.827	0.633	0.345	20.69	110.46
24.	सिक्किम	23.903	29.039	31.842	37.76	38.807
25.	तमिलनाडु	1604.287	2275.45	2660.566	3635.047	3349.226
26.	त्रिपुरा	138.802	139.925	164.935	158.32	203.866
27.	उत्तर प्रदेश	731.136	948.502	1670.141	2422.328	3001.899
28.	उत्तराखण्ड	77.041	113.489	153.65	150.228	156.153
29.	पश्चिम बंगाल	561.249	690.261	744.069	955.469	1107.724
30.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	17.042	14.666	2.023	13.82	12.43
31.	चण्डीगढ़	1.098	0.888	0.631	0	0.28
32.	दादरा और नागर हवेली	4.055	3.786	0	2.53	4.08
33.	दमन और दीव	0.339	0.851	0	0.62	0.96
34.	लक्षद्वीप	2.65	2.85	0	3.75	3.18
35.	पांडिचेरी	13.96	21.151	3.885	24.63	17.13
	जोड़	10,450.22	13,267.07	16,467.67	19,061.06	21,116.99

[हिन्दी]

फार्मर्स पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च कार्यक्रम

3638. श्री जे. एम. आरून रशीद : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के 5000 गांवों में विशिष्टता प्राप्त एजेंसियों को शामिल करते हुए अनुसंधानोंमुखी तरीके से फार्मर्स पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ अभी तक कितनी राशि आबंटित और उपयोग की गई है;

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक राज्यवार कितने गांवों को शामिल किया गया है; और

(ङ) शेष गांवों को कब तक शामिल किया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) डेयर/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 5000 ग्रामों में कार्यान्वित किए जाने वाले फार्मर्स पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च कार्यक्रम से संबंधित इस प्रकार की कोई स्कीम नहीं है। तथापि, इस विभाग ने देश के ग्रामीण जिलों में 554 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की है। ये कृषि विज्ञान केन्द्र प्रारंभिक रूप से प्रौद्योगिक मूल्यांकन, परिशोधन और अग्रवर्ती प्रौद्योगिकी/उत्पाद के प्रदर्शन के कार्य में लगे हैं। कृषि विज्ञान केन्द्र विभिन्न खेती प्रणालियों के अंतर्गत स्थान विशिष्ट आधार पर कृषि प्रौद्योगिकियों के निर्धारण और उनके प्रभाव का मूल्यांकन करने क लिए खेत पर परीक्षण भी करते हैं। वर्ष 2006–07 के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा 4109 खेत संबंधी परीक्षण किए गए।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

स्मारक डाक टिकट जारी किया जाना

3639. श्री एस. अजय कुमार : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों और संगठनों ने केन्द्र सरकार से स्मारक डाक टिकट जारी करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक कुल कितने स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं और इनके शीर्षक क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 2007 में राज्य सरकारों एवं संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों की सूची विवरण – I में दी गई है।

(ग) 31 अगस्त, 2007 की स्थिति के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी स्मारक डाक टिकटों की उनके शीर्षकों के नामों सहित सूची विवरण – II में दी गई है।

विवरण-I

भारतीय डाक टिकट जारी करने के संबंध में वर्ष 2007 में राज्य सरकारों और संगठन से प्राप्त प्रस्तावों की सूची

क्र.सं.	राज्य सरकार/संगठन	प्रस्ताव का नाम
1	2	3
1.	महाराष्ट्र सरकार	महाराष्ट्र पुलिस एकादमी
2.	तमिलनाडु सरकार	1. उडुमलाई नारायण कवि 2. सदावदानी शेक थम्बी पवालार 3. पासुमपोन मुतरमालिंग तेवर
3.	पांडुचेरी सरकार	1. सदावदानी शेक थम्बी पवालार 2. अंसारी पी. दुरैईस्वामी
4.	मिजोरम सरकार	सिकुलपुई आइजोल
5.	अंडमान–निकोबार द्वीपसमूह सरकार	अंडमान एवं निकोबार की एंडेमिक तितलियां
6.	कर्नाटक सरकार	श्रीमती यशोधरम्मा दासप्पा
7.	हिमाचल प्रदेश सरकार	बरनेस कोर्ट (राजभवन शिमला)
8.	उत्तर प्रदेश सरकार	1. राजभवन नैनीताल 2. जयनन्द भारतीय 3. आचार्य जयमालजी महाराज
9.	गुजरात सरकार	गुजरात राज्य की गोल्डन जुबली
10.	उड़ीसा सरकार	हीराकुंड बांध
11.	गोवा सरकार	केन्द्रीय पुस्तकालय
12.	दिल्ली सरकार	डा. डी. एस. कोठारी
13.	बिहार सरकार	बिहार कृषि कॉलेज साबोर
14.	बाल अधिकार एवं आप (सीआरवाई) मुम्बई	शिक्षा
15.	बुद्धदेव बोस शताब्दी समिति कोलकाता	बुद्धदेव बोस
16.	सेंट्रल क्रोनिकल भोपाल	सेंट्रल क्रोनिकल
17.	रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम, पश्चिम बंगाल	रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम
18.	द इंडियन ऑफिसर्स एसोसियेशन चैन्नई	द इंडियन ऑफिसर्स ऐसोसियेशन
19.	मपरानम होली क्रास चर्च केरल	मपरानम होली क्रास चर्च
20.	अखिल भारतीय उद्योग संघ मुम्बई	अखिल भारतीय उद्योग संघ
21.	आईएनटीएसीएच, नई दिल्ली	आईएनटीएसीएच
22.	तमिलनाडु स्टेट अपेक्स को. बैंक लि. तमिलनाडु	तमिलनाडु स्टेट अपेक्स को. बैंक लि.
23.	के.आर. नारायणन फाउंडेशन केरल	के.आर. नारायणन
24.	केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, कोचीन	केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान
25.	केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान कोचीन	केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान
26.	भारतीय जीवन बीमा निगम	केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान
27.	दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली	दिल्ली विकास प्राधिकरण
28.	चैन्नई पुलिस	चैन्नई सिटी पुलिस

1	2	3
29.	पूर्वी बिहार वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर पटना	पूर्वी बिहार वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर
30.	आई आई टी मुम्बई	आई आई टी मुम्बई
31.	भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर	भारतीय विज्ञान संस्थान
32.	राष्ट्रीय कृषक आयोग	डा. बी. पी. पॉल
33.	विल्सन कॉलेज मुम्बई	विल्सन कॉलेज
34.	डेली कॉलेज, इंदौर	डेली कॉलेज
35.	टाटा स्टील, जमशेदपुर	टाटा स्टील
36.	लारसन एंड टुबरो, मुम्बई	लारसन
37.	स्नोस बैसिलिक्स चर्च, तमिलनाडु	स्नोस बैसिलिक्स चर्च
38.	सच खंड गुरुद्वारा, नांदेड	सच खंड गुरुद्वारा
39.	आगा खां फाउंडेशन इन इंडिया	आगा खां फाउंडेशन
40.	कलकत्ता क्लब, कोलकाता	कलकत्ता क्लब
41.	डफ हाई स्कूल फार गर्ल्स, कोलकाता	डफ हाई स्कूल फार गर्ल्स
42.	वाईएमसीए, कोलकाता	वाईएमसीए

विवरण-II

डाक टिकट जारी करने संबंधी कार्यक्रम 2005

क्रम संख्या	डाक टिकट का नाम	जारी होने की तारीख
1	2	3
1–4	स्वानों की प्रजातियां (शीटलेट में)	09.01.2005
5	पदमपत सिंहानियां	03.02.2005
6	रोटेरी इंटरनेशनल	23.02.2005
7	कृष्ण कांत	27.02.2005
8	माधवराव सिन्धिया	10.03.2005
9–12	पूर्वोत्तर भारत के वनस्पति एवं जीव जन्तु	24.03.2005
13	अंतराष्ट्रीय भौतिकी वर्ष (नियत डाक टिकट)	31.03.2005
14–17	दांडी मार्च (मिनियेचर शीट सहित)	05.04.2005
18	15 पंजाब	13.04.2005
19	बांडुंग सम्मेलन	18.04.2005
20	नारायण मेघानजी लोखांडे	03.05.2005
21	सहकारी आन्दोलन	08.05.2005
22	विश्व पर्यावरण दिवस (हरित शहर)	05.06.2005
23	अब्दुल कय्यर अंसारी	01.07.2005
24	धीरन चिन्नमलै	31.07.2005
25	भारतीय स्टेट बैंक	31.08.2005
26	अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस	21.09.2005
27	प्रताप सिंह कैरों	01.10.2005
28	ए. एम. एम. मुरुगप्पा चैट्टियार	01.10.2005
29	डा. टी. एस. सौन्द्रम	02.10.2005
30–33	लैटरबॉक्स (मिनियेचर शीट सहित)	18.10.2005
34	कविमणि एस. देशक विनायकम पिल्लै	21.10.2005
35	वी. कल्याणसुंदरनार	21.10.2005
36	अयोतिदास पंडियार	21.10.2005
37	प्रबोधचन्द्र	24.10.2005
38	बाल दिवस	14.11.2005
39.	बाल चित्र समिति	14.11.2005
40.	पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स	16.11.2005
41.	सूचना सोसाइटी पर विश्व सम्मेलन	17.11.2005
42.	कोलकाता पुलिस कमीशनरी	19.11.2005
43.	भारत में नवजात शिशु स्वास्थ्य	24.11.2005
44.	जवाहरलाल दरदा	02.12.2005

1	2	3
45.	स्व–निर्माणित नौसेना	04.12.2005
46.	एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी	18.12.2005
47.	सवारी डिब्बा कारखाना	19.12.2005
48.	यादवपुर विश्वविद्यालय	21.12.2005
49.	वायु सेना की 16 स्क्वॉड्रन	27.12.2005
50.	पांडिचेरी का यर्थावतः हस्तांतरण	30.12.2005

डाक टिकट जारी करने संबंधी कार्यक्रम 2006

क्रम संख्या	डाक टिकट का नाम	जारी होने की तारीख
1	2	3
1.	पोंगल	12.01.2006
2.	ए.बी. मेय्यप्पन	22.01.2006
3.	एनएमआर सुब्बारामन	29.01.2006
4.	3 सिख (रक्षा संबंधी विषयक)	01.02.2006
5–8	राष्ट्रपति द्वारा बेडा पुनरीक्षण (रक्षा संबंधी विषयक)	12.02.2006
9	थिरुमुरुगु किरुबानन्दा वेनियार	18.02.2006
10	देवेन्या पावनार	18.02.2006
11	डा. यू. वी. स्वामीनाथ अैयर	18.02.2006
12	तमिलावेल उमामैश्वरर	18.02.2006
13	सेंट बेडेस कॉलेज शिमला	24.02.2006
14	जेमिनि गणेशन	25.02.2006
15	भारत मे डॉन बोस्को सेलेशियन	27.02.2006
16	एम. सिंगारवेलर	02.03.2006
17	विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस	15.03.2006
18	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	30.03.2006
19.	62 कैवलरी (रक्षा संबंधी विषयक)	01.04.2006
20–21	भारत–साइप्रस संयुक्त डाक टिकट (शीटलेट+मिनियेचर शीट)	12.04.2006
22	कलकत्ता गर्ल्स हाई स्कूल कोलकाता	21.04.2006
23	पन्ना लाल बारूपाल	28.04.2006
24	कुरिंजी (मिनियेचर शीट सहित)	29.04.2006
25	वर्षा जल संग्रहण	05.06.2006
26	श्री प्रताप कॉलेज श्रीनगर	15.06.2006
27	इन्द्रप्रस्थ गर्ल्स स्कूल	08.07.2006
28	वूरहीज कॉलेज	10.07.2006
29	1806 की वैल्लोर क्रांति	10.07.2006
30	जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय	29.07.2006
31	पंकज कुमार मलिक	04.08.2006
32	ओएनजीसी	14.08.2006
33	भः पो सिवाग्रयिनम	15.8.2006
34	मद्रास विश्वविद्यालय	04.09.2006
35	एल.वी. प्रसाद	05.09.2006
36	इंडियन मर्चेंट चैम्बर	07.09.2006
37–38	भारत–मंगोलिया संयुक्त डाक टिकट (मिनियेचर शीट सहित)	11.09.2006
39–42	भारत के लुप्तप्राय पक्षी (मिनियेचर शीट सहित)	05.10.2006
43	मध्य प्रदेश चैम्बर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री	12.10.2006
44	विश्वनाथ राय	31.10.2006
45	जी. वरदराज	01.11.2006
46–50	हिमालय की झीलें सेता झील–अरूणाचल प्रदेश चन्द्रताल–हिमाचल प्रदेश रूप कुंड–झील उत्तरांचल चुन्मु झील–सिक्किम सोमो री री झील लद्दाख जम्मू–कश्मीर	06.11.2006
51	लाला दीन दयाल	11.11.2006

1	2	3
52–53	बालदिवस (मिनियेचर शीट सहित)	14.11.2006
54	द ट्रिब्यून	21.11.2006
55	विश्व एड्स दिवस, एचआईवी	01.12.2006
56–59	फील्ड डाकघर के 150 वर्ष (मिनियेचर शीट सहित)	08.12.2006
60	बार्थोलोमेयस सीगनबाला	10.12.2006
61	चंदन (सुगन्धित डाक टिकट+ मिनियेचर शीट)	13.12.2006
62–65	बाल श्रम मिटाएं	26.12.2006

वर्ष 2007 के लिए डाक–टिकट जारी करने का अनंतिम कार्यक्रम

क्रम संख्या	डाक टिकट का नाम	जारी होने की तारीख
1	2	3
1	बिमल राय	08.01.2007
2	तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन	26.01.2007
3–6	**महक गुलाबों की** (सुगंधित डाक टिकटें) मिनिएचर शीट सहित	07.02.2007
	भीम	
	दिल्ली राजकुमारी	
	जवाहर	
	नीलम	
7.	मनोहरभाई पटेल	09.02.2007
8–11	भारतीय मेले	27.02.2007
	गोवा कार्निवल	
	पुष्कर मेला	
	सोनपुर मेला	
	बाउल उत्सव	
12–15	**महिला दिवस**	08.03.2007
	मिनिएचर शीट सहित	
16	राजनारायण	23.03.2007
17	महबूब खान	30.03.2007
18	डॉ. आर. एम. अलगप्पा चेट्टियार	06.04.2007
19–24	**बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 2550 वर्ष**	02.05.2007
	मिनिएचर शीट सहित	
25–29	**भारतीय राष्ट्रीय उद्यान**	31.05.2007
	मुदुमलई, तमिलनाडु	
	बांदीपुर, कर्नाटक	
	पेरियार, केरल	
	काज़ीरंगा, असम	
	बांधवगढ़, मध्य प्रदेश	
30–31	**प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ**	09.08.2007
	मिनिएचर शीट सहित	
32	मरईमलई अडिगल	17.08.2007
33	वी. जी. सूर्यनारायण शास्त्रीयार	17.08.2007
34	संत वल्ललर	17.08.2007
35–38	**भारत के प्रसिद्ध सेतु**	17.08.2007
	मिनिएचर शीट सहित	
	हावड़ा ब्रिज	
	महात्मा गांधी सेतु	
	पामबान ब्रिज	
	विद्यासागर सेतु	
39	जे. पी. नायक	05.09.2007
40	53वां राष्ट्रकुल संसदीय सम्मेलन	23.09.2007
41	एस. बी. चव्हाण	निर्णय किया जाना है
42–43	चमेली (सुगंधित डाक टिकट)	निर्णय किया जाना है
44	ऋत्विक घटक	निर्णय किया जाना है
45	एस. डी. बर्मन	निर्णय किया जाना है
46	परमतेश बरुआ	निर्णय किया जाना है

1	2	3
47–50	**भारतीय रेलवे स्टेशन**	निर्णय लिया जाना है
	छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुम्बई	
	हावड़ा रेलवे स्टेशन, कोलकाता	
	पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली	
	सेन्ट्रल स्टेशन, चेन्नई	
51–54	सत्याग्रह की शताब्दी मिनिएचर शीट सहित	02.10.2007
55–58	भारतीय वायु सेना की प्लेटीनम जुबली	08.10.2007
59	चौथी विश्व सैन्य क्रीड़ा–2007	14.10.2007
60–63	अंडमान एवं निकोबार की एंडेमिक तितलियां	दिसंबर, 2007
64	14–पंजाब–स्थापना के 250 वर्ष	24.10.2007
65	महाराष्ट्र पुलिस एकादमी	अक्तूबर, 2007
66	बत्तख अली अंसारी	अक्तूबर, 2007
67	कछुआ	अक्तूबर, 2007
68–69	बाल दिवस मिनीएचर शीट सहित	14.11.2007
70	4जीआर–स्थापना के 150 वर्ष	27.11.2007
71	थिलाईयाडी वल्लीयम्माई	नवम्बर, 2007
72	उडुमलाई नारायण कवि	नवम्बर, 2007
73	ए.टी. पनीरसेलवम	नवम्बर, 2007
74	सदावदानी शेक थम्बी पवालार	नवम्बर, 2007
75	स्नोस बसिलिका चर्च	नवम्बर, 2007
76	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	नवम्बर, 2007
77–78	पूर्वोत्तर के दुर्लभ जानवर	नवम्बर, 2007
79	दामोदरम संजीवैया	नवम्बर, 2007
80	विकलांगों का अंतराष्ट्रीय वर्ष	03.12.2007
81	जल वर्ष 2007	दिसंबर, 2007
82	लारसन	दिसंबर, 2007
83	विल्सन कॉलेज, मुम्बई	दिसंबर, 2007
84	महानब्रता ब्रह्मचारी	दिसंबर, 2007
85	डेली कॉलेज, मुम्बई	दिसंबर, 2007
86	मौलाना अतिकुर रहमान अर्वी	दिसम्बर, 2007
87	महर्षि बुलुसु संबा मूर्ति	दिसंबर, 2007

[हिन्दी]

टेलीफोन बिलों की बकाया राशि

3640. श्री मित्रसेन यादव : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और मुंबई में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों के टेलीफोन बिलों की बकाया राशि में निरंतर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 30 जून 2007 तक उक्त शहरों में टेलीफोन बिलों की बकाया राशि कितनी है;

(ग) क्या इस बकाया राशि को वसूल करने के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, नहीं। 30.06.2007 तक 12 महीनों की अवधि में बकाया की कुल राशि 5.7% तक घटी है। 30 जून, 2007 की स्थिति के अनुसार एमटीएनएल, दिल्ली की बकाया राशि 786 करोड़ रुपए एमटीएनएल मुंबई की बकाया राशि 443 करोड़ रुपए थी।

(ग) जी, हां। एमटीएनएल द्वारा बकाया राशि वसूलने के लगातार जोरदार प्रयास किये जा रहे हैं।

(घ) ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

बकाया राशि में कमी लाने के संबंध में किये जा रहे विभिन्न प्रयास निम्नलिखित हैं:–

1. निगमित कार्यालय, तथा क्षेत्रीय स्तर सहित यूनिटों के मुख्यालय स्तर पर बकाया राशि का सशक्त निगरानी उच्च लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और यूनिटों पर इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरन्तर दबाव बनाया गया था।

2. वसूली के लिए प्राइवेट वसूली एजेन्टों को भी नियुक्त किया गया था।

3. एमटीएनएल में रेवेन्यू एश्योरेंश कार्यक्रम भी कार्यान्वित किया गया है, जिसमें अधिकतम राजस्व बिलिंग और राजस्व वसूली सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे बकाया राशि में और कमी आए।

4. बकाया की वसूली की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कन्वर्जेन्ट बिलिंग सिस्टम की शुरूआत की जा रही है।

5. जो उपभोक्ता अपने बिलों का भुगतान करने में चूक करते हैं, उन्हें टेलीफोन से स्वचालित अनुस्मारक देना।

6 यदि भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो उपभोक्ता का टेलीफोन कनेक्शन काट देने संबंधी अगली कार्रवाई भी की जाती है जिसमें उसके अन्य कार्यरत टेलीफोन कनेक्शन को काटने की कार्रवाई भी शामिल है।

7. जो उपभोक्ता अनुस्मारकों के बावजूद टेलीफोन बिलों का भुगतान नहीं करते हैं, उन्हें कानूनी नोटिस भी दिया जाता है।

8. उपर्युक्त प्रयासों का कोई अनुकूल परिणाम प्राप्त न होने पर, जहां भी संभव होता है, अदालत में वसूली संबंधी मुकदमें भी दायर किये जाते हैं।

टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता

3641. चौधरी बिजेन्द्र सिंह : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों की विद्यमान क्षमता कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी क्षमता का उपयोग किया गया;

(ग) क्षमता के कम उपयोग के परिणामस्वरूप राजस्व की कुल कितनी हानि हुई है; और

(घ) क्षमता के कम उपयोग के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) 31.7.07 की स्थिति के अनुसार देश में भारत संचार निगम लिमिटेड के टेलीफोम एक्सचेंजों की मौजूदा क्षमता 4,71,87,957 लाइन हैं, जिसमें से 40,50,787 लाइन उत्तर प्रदेश में है। बीएसएनएल द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया क्षमता उपयोग निम्नानुसार है:—

निम्न तारीख तक	सुसज्जित क्षमता	चालू कनेक्शन	प्रतिशत में क्षमता का उपयोग
31.3.05	4,71,30,957	3,58,59,482	76.08
31.3.06	4,74,17,653	3,54,22,889	74.70
31.3.07	4,73,22,278	3,37,38,604	71.30

एमटीएनएल के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान और 31.07.07 तक प्रतिशत उपयोग सहित क्षमता निम्नानुसार है।

निम्न तारीख तक	सुसज्जित क्षमता	चालू कनेक्शन	प्रतिशत में क्षमता का उपयोग
31.3.05	59,61,477	40,75,340	68.36
31.3.06	58,53,314	38,75,772	66.21
31.3.07	55,45,662	38,01,570	68.54

(ग) और (घ) क्षमता के कम उपयोग के कारण राजस्व की कोई प्रत्यक्ष हानि नहीं हुई। क्षमता के उपयोग में कमी आने का प्रमुख कारण इन उपभोक्ताओं का मोबाइल प्रौद्योगिकियों जैसे कोड डिविजन मल्टिपल एक्सेस (सीडीएमए) और ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन (जीएसएम) की ओर चले जाना है।

उपरोक्त रूझान के कारण, केवल अपरिहार्य और पूर्वोत्तर जैसे दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर एक्सचेंज क्षमता में वृद्धि नहीं की जा रही है।

[अनुवाद]

दिल्ली में जल स्तर में गिरावट

3642. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के अधिकांश भागों में जल स्तर में काफी तीव्र गति से गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर द्वारका सब–सिटी में, जहां जल आपूर्ति लगभग संकट स्तर पर पहुंच गई है, पेय जल उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) वर्ष 2004 में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) तथा राज्य द्वारा संयुक्त रूप से किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भूजल संसाधनों के नवीनतम आकलन के अनुसार 9 जिलों में से 7 को अतिदोहित (जहां भूजल दोहन की स्थिति 100

प्रतिशत से अधिक है) श्रेणी में रखा गया है तथा भूजल स्तर में उल्लेखनीय गिरावट दिखाई गई है। ये 7 जिले दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम, नई दिल्ली, उत्तर-पश्चिम, पूर्व तथा उत्तर-पूर्व है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भूजल के विनियमन के लिए भूजल अधिनियम में संशोधन करने की योजना बनाई है। द्वारका उपनगर में पेयजल की आपूर्ति नांगलोई जल उपचार संयंत्र से की जाती है जो वर्तमान में अपनी आधी क्षमता से कार्य कर रहा है अर्थात यह अपनी क्षमता 40 मिलियन गैलन प्रतिदिन की अपेक्षा 20 मिलियन गैलन प्रतिदिन जल का उत्पादन कर रहा है। नांगलोई जल उपचार संयंत्र को पूर्णतया सक्रिय करके द्वारका उपनगर में जल की आपूर्ति में सुधार किया जा सकता है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा भी द्वारका में 50 मिलियन गैलन प्रतिदिन की क्षमता का जल उपचार संयंत्र का निर्माण करने की योजना बनाई जा रही है।

जनजातियों के लिए खाद्यान्न

3643. श्री एन. जनार्दन रेड्डी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जनजातियों को उनके घर पर खाद्यान्न प्रदान करने के लिए नासिक, महाराष्ट्र में प्रयोगात्मक आधार पर एक योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है तथा योजना में देखी गई खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या उक्त योजना का विस्तार अन्य क्षेत्रों में किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसको कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी नहीं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कोई नई योजना प्रारंभ नहीं की गई है। नासिक और नंदूरबार जिलों में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने प्रायोगिक तौर पर एक नई विधि द्वारा खाद्यान्नों का वितरण प्रारंभ किया है।

(ख) इस विधि के तहत लाभभोगियों की पूर्व सहमति से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उनके कोटे का खाद्यान्न 3/6/12 महीनों के लिए गांवों में ग्राम सभा की बैठकों के दौरान उन्हें एक मुश्त वितरित कर दिया जाता है।

(ग) और (घ) नयी विधि से खाद्यान्नों के वितरण की वर्तमान व्यवस्था केवल प्रायोगिक तौर पर है, इसके विस्तृत परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए इसे अन्य स्थानों में लागू करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

सैनिक सुरक्षा वाहन

3644. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस डिपार्टमेंट ने भारत सरकार से इजरायली मदद से भारत में बने सैनिक सुरक्षा वाहन का परीक्षण करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों के लिए कानून

3645. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्यमों से संबंधित कानून विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या एकरूपता तथा प्रभावशीलता लाने के लिए इन कानूनों में संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) भारत सरकार ने 2 अक्तूबर, 2006 से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एम एस एम ई डी) अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन शुरू किया है। इस कानून में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संवर्धन तथा विकास को सुकर बनाने एवं उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और तत्संबंधी अथवा प्रासंगिक मामलों का प्रावधान है। एम एस एम ई के संवर्धन तथा विकास की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है और भारत सरकार इस प्रयास को अनुपूरित करती है। एम एस एम ई डी अधिनियम, 2006 को अधिनियमित करने के बाद, उद्यमों द्वारा उद्यमियों के ज्ञापन प्रस्तुत करने की पद्धति, एम एस एम ई हेतु संवर्धन एवं सहायता के लिए प्रयोग किए जा सकने वाले सक्षम प्रावधानों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को विलम्बित भुगतानों की जांच हेतु उपायों, राज्य सरकारों अथवा भारत सरकार द्वारा विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, आदि के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा निर्मित उत्पादों तथा प्रदत्त सेवाओं के लिए अधिप्राप्ति वरीयता नीतियां अधिसूचित करने हेतु सक्षम प्रावधान आदि के बारे में देश में एकरूपता है।

[अनुवाद]

उद्योग विशिष्ट प्रशिक्षण केन्द्र

3646. श्री के. एस. राव : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कामगारों विशेषकर कमजोर वर्गों के कामगारों के लिए कौशल तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उद्योग विशिष्ट प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित करने में गैर-सरकारी संगठन तथा न्यास किस सीमा तक शामिल हो रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सी टी एस) का कार्यान्वयन 110 औद्योगिक व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करते हुए 5114 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई टी आईज)/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से किया जा रहा है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा उद्योग की विशिष्ट आवश्यकताओं जिनमें समाज के कमजोर वर्ग भी शामिल हैं की पूर्ति हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. वर्ष 2005-06 के दौरान 100 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा विश्व बैंक की सहायता से "व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना (वीटीआईपी)" के अंतर्गत 400 अन्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन द्वारा 20 विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों में बहु-कौशलीय पाठयक्रम आरंभ करना।

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष में सार्वजनिक-निजी भागीदारी माध्यम से शेष 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन।

(ख) 5114 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में से, 3218 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र गैर सरकारी संगठनों तथा ट्रस्टों इत्यादि के स्वामित्व/प्रबंधन में है।

लेवी की संरचना से संबंधित समिति

3647. श्री एन. शिवण्णा : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है कि उद्योगों के लिए लागू विभिन्न प्रकार के करों, शुल्कों तथा फीस को इकट्ठा कर देना चाहिए तथा राजस्व पर एक ही लेवी संग्रहीत की जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने लेवी की वर्तमान संरचना का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में वित्त मंत्रालय से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) केन्द्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2007-08 का बजट प्रस्तुत करते समय बजट भाषण के पैरा - 159 में दूरसंचार विभाग से वर्तमान लेवी ढांचे के अध्ययन करने और सरकार को समुचित सिफारिशें करने के लिए एक समिति के गठन करने का अनुरोध किया था। इसी के अनुपालन में दूरसंचार क्षेत्र में लागू करों और लेवी संबंधी वर्तमान ढांचे के अध्ययन के लिए सदस्य (वित्त) दूरसंचार आयोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति की संरचना निम्नवत है:-

सदस्य (वित्त)	-	अध्यक्ष
वरि. उपमहानिदेशक (एलएफ)	-	सदस्य
उप महानिदेशक (डब्ल्यूपीएफ)	-	सदस्य
संयुक्त सचिव (टी)	-	सदस्य
उप महानिदेशक (अभिगम सेवा)	-	सदस्य

(ङ) समिति से सितम्बर, 2007 के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आशा है।

राई के उत्पादन में कमी

3648. श्री पी. सी. गद्दीगौडर : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर कर्नाटक में कुल कितनी मात्रा में राई का उत्पादन हुआ;

(ख) क्या देश में विशेषकर कर्नाटक में राई के उत्पादन में तीव्र कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में राई के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) निम्नलिखित सारणी पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में तथा कर्नाटक में उत्पादित राई (रेपसीड तथा सरसों) की कुल मात्रा दर्शाती है:

(हजार टन)

राज्य	2004–05	2005–06	2006–07*
अखिल भारत	7593.0	8131.0	7097.0
कर्नाटक	2.0	2.0	1.0

* 19.7.2007 के चौथे अग्रिम अनुमान

देश में रेपसीड तथा सरसों के उत्पादन में आई गिरावट 2005–06 की तुलना में 2006–07 में रेपसीड तथा सरसों के कवरेज क्षेत्र तथा पैदावार दोनों मे गिरावट के कारण है। कर्नाटक में रेपसीड तथा सरसों के उत्पादन का स्तर नगण्य है।

(घ) देश में रेपसीड तथा सरसों के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना "तिलहन, दालों, पाम आयल तथा मक्का की एकीकृत स्कीम" (आइसोपॉम) 1.4.2004 से कार्यान्वयन में है। इस स्कीम के अंतर्गत, बस्ली बीज, फाउंडेशन बीज तथा प्रमाणित बीजों का उत्पादन, गुणवत्ता बीज उत्पादन के लिए क्रेश कार्यक्रम, प्रमाणित बीजों तथा मिनिकिट्स का वितरण, बुनियादी ढांचे का विकास तथा एकीकृत कीट प्रबंधन के लिए, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच 75 : 25 के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है।

अवभूमि जल का अत्यधिक दोहन

3649. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अवभूमि जल के दोहन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ किन–किन स्थानों को चिंहित किया गया है;

(ग) उक्त अवभूमि जल स्रोतों को इष्टतम दोहन किस प्रकार से किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) देश में भूजल संसाधनों के आकलन, मानीटरिंग एवं प्रबंधन के उद्देश्य से भूजल सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य करता है। सीजीडब्ल्यूबी एवं राज्यों द्वारा किए गए भूजल संसाधनों के नवीनतम आकलन के अनुसार 5723 आकलन इकाइयों (ब्लॉक/मंडल/तालुक) में से 839 इकाई 'अति–दोहित' हैं (जहां भूजल का स्तर १००% से अधिक है) और 226 इकाई 'गंभीर' हैं (जहां भूजल दोहन 90% और 100% के बीच है)। देश की मुख्य नदी बेसिनों के कछारी क्षेत्रों में गहन एवं उत्पादक जलभृत्तों की पहचान की गई है। गोंडवाना, लाथी, टिपम, कुड्डालोर बलुआ पत्थरों आदि जैसी अर्द्ध–संघनित संरचनाओं में भी संभावित जलभृत्तों का निर्धारण किया गया है। संघनित संरचनाओं, जो देश के लगभग दो तिहाई, विशेषकर प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित हैं और द्वितीयक छिद्रिलता की विशेषता वाली हैं, की जल क्षमता सीमित है और ये अपक्षीण और विखंडित क्षेत्रों में ही स्थित है।

(ग) और (घ) 'जल' राज्य का विषय होने के कारण, संबंधित राज्यों में भूजल विकास एवं प्रबंधन के विनियमन के लिए आवश्यक कदम उठाना संबंधित राज्य सरकारों का दायित्व है। हालांकि सीजीडब्ल्यूबी भूजल संसाधन के आकलन के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती है। सीजीडब्ल्यूबी ने संबंधित अभिकरणों के उपयोग के लिए मैनुअल, दिशानिर्देश आदि भी तैयार किए हैं।

खाद्यान्नों का आयात

3650. श्री प्रहलाद जोशी :

श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारी मात्रा में अमेरिका से खाद्यान्न जैसे दलहन, मटर, मसूर दाल तथा चने का आयात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमेरिका के निर्यातक भारत सरकार के अनुरोध के अनुसार इन खाद्यान्नों को अच्छी तरह से कीटाणु रहित कर आपूर्ति करने पर सहमत हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने आयात ठेकों को रद्द करने का कोई प्रावधान किया है यदि आपूर्तिकर्ता संदूषित खाद्यान्नों के आयात पर रोक लगाने के लिए उपाय करने पर सहमत नहीं होते हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) गुणवत्ता पैरामीटरों को संविदा में शामिल किया जाता है। कार्गो का पर्यवेक्षण और सर्वेक्षण लॉन पत्तन पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के स्वतंत्र सर्वेक्षकों द्वारा किया जाता है और वे यह प्रमाणित करते हैं कि कार्गो संविदा में दी गई गुणवत्ता और विनिर्देशनों के अनुरूप है। इसके अलावा, कार्गो को पत्तनों पर प्लांट हैल्थ आर्गनाइजेशन/प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन अथॉरिटी द्वारा क्लीयरेंस दी जानी होती है।

लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए कलस्टर

3651. डा. सुजान चक्रवर्ती : क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो) ने लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए कलस्टरों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए भारत के लिए पंचवर्षीय देश रणनीति (2007–2012) का प्रस्ताव किया है जैसा कि दिनांक 06 अगस्त, 2007 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस संबध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत किन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा; और

(ङ) इसके लिए विनिर्दिष्ट स्थानों के नाम क्या हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को भारत में यूनिडो के क्षेत्रीय कार्यालय से "भारत गणराज्य और यूनिडो 2007–2012 के बीच समेकित सहयोग कार्यक्रम" से संबंधित एक प्रारंभिक प्रारूप प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस समेकित कार्यक्रम 2007–2012 का उद्देश्य दो स्तरों: उत्पादकता बढ़ाने, गुणवत्ता, ऊर्जा दक्षता, व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा बढ़ाने, औद्योगिक उत्पादन को पर्यावरणात्मक रूप से बनाए रखने के लिए प्रौद्योगिकी उन्मुखी पहलों के माध्यम से फर्म स्तर पर और वैयक्तिक स्तर पर, सामाजिक पूंजी विकसित करने की दक्षता, संबंधी हस्तक्षेपों के संयोजन के माध्यम से लघु एवं मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है। यह कार्यक्रम अन्य विकासशील देशों का सहयोग देने हेतु भारत की विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकी तथा जानकारी पर भी आधारित होगा।

(ग) से (ङ) सरकार को अभी इस प्रस्ताव पर विचार करना है।

[हिन्दी]

जलाशयों का जल स्तर

3652. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :
श्री ब्रजेश पाठक :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उन जलाशयों की संख्या कितनी है जिनका जल स्तर 133 मिलियन क्यूबिक मीटर है;

(ख) क्या उक्त जलाशयों के स्तर में गत कुछ वर्षों में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन जलाशयों में जल स्तर को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) केन्द्रीय जल आयोग देश के 81 महत्वपूर्ण जलाशयों की भंडारण स्थिति की मानीटरी करता है। इनमें से 77 जलाशयों में 133 मिलियन घनमीटर (एमसीएम) से अधिक की सक्रिय भंडारण क्षमता है। इन जलाशयों की सूची विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) पिछले पांच वर्षों में 30 अगस्त की स्थिति के अनुसार उपरोक्त जलाशयों के संयुक्त सक्रिय भंडारण आंकड़ों से इन जलाशयों के सक्रिय भंडारण में गिरावट का कोई रूझान नहीं पाया गया है।

विवरण

सीडब्ल्यूसी द्वारा मानीटर किए गए जलाशयों की सूची जिनके पास 133 मिलियन घनमीटर से अधिक की सक्रिय भंडारण क्षमता है

क्र.सं.	जलाशय का नाम	(राज्य)	सक्रिय क्षमता (मिलियन घन मीटर)
1	2	3	4
1.	श्रीसैलम	(आंध्र प्रदेश)	8288
2.	नागार्जुन सागर	(आंध्र प्रदेश)	6841
3.	श्रीरामसागर	(आंध्र प्रदेश)	2300
4.	सोमसिला	(आंध्र प्रदेश)	1994
5.	निचली मानेर	(आंध्र प्रदेश)	621
6.	तेनुघाट	(झारखंड)	821
7.	मैथोन	(झारखंड)	471
8.	पंचेट पहाड़ी	(झारखंड)	184
9.	कोनार	(झारखंड)	176
10..	तिलैया	(झारखंड)	142
11.	उकई	(गुजरात)	6615

1	2	3	4
12.	साबरमती (धारोई)	(गुजरात)	735
13.	कदाना	(गुजरात)	1472
14.	सेतरंजी	(गुजरात)	300
15.	भादर	(गुजरात)	188
16.	दमनगंगा	(गुजरात)	502
17.	दांतीवाड़ा	(गुजरात)	399
18	पनाम	(गुजरात)	697
19.	गोबिन्द सागर (भाकड़ा)	(हिमाचल प्रदेश)	6229
20.	पोंग बांध	(हिमाचल प्रदेश)	6157
21.	कृष्णाराजा सागर	(कर्नाटक)	1163
22.	तुंगभद्रा	(कर्नाटक)	3276
23.	घटप्रभा	(कर्नाटक)	1391
24.	भद्रा	(कर्नाटक)	1785
25.	लिंगानामाक्की	(कर्नाटक)	4294
26.	नारायणपुर	(कर्नाटक)	863
27.	मालप्रभा (रेणूका)	(कर्नाटक)	972
28.	काबिनी	(कर्नाटक)	275
29.	हेमावती	(कर्नाटक)	927
30.	हारंगी	(कर्नाटक)	220
31.	सुपा	(कर्नाटक)	4120
32.	वनीविलास सागर	(कर्नाटक)	802
33.	अलमाट्टी	(कर्नाटक)	3105
34.	कल्लादा (परप्पार)	(केरल)	507
35.	इदमल्यार	(केरल)	1018
36.	इदुक्की	(केरल)	1460
37.	कक्की	(केरल)	447
38.	पेरियार	(केरल)	173
39.	गांधी सागर	(मध्य प्रदेश)	6827
40.	तावा	(मध्य प्रदेश)	1944
41.	बारगी	(मध्य प्रदेश)	3180
42.	बाणसागर	(मध्य प्रदेश)	5410
43.	इंदिरा सागर	(मध्य प्रदेश)	9745
44.	मिनिमाता बांगो	(छत्तीसगढ़)	3046
45.	महानदी	(छत्तीसगढ़)	767
46.	जायकवादी (पैथन)	(महाराष्ट्र)	2171
47.	कोयना	(महाराष्ट्र)	2652
48.	भीमा (उज्जानी)	(महाराष्ट्र)	1517
49.	इसापुर	(महाराष्ट्र)	965
50.	मुला	(महाराष्ट्र)	609
51.	येलदारी	(महाराष्ट्र)	809
52.	गिरना	(महाराष्ट्र)	524
53.	ऊपरी वैतरणा	(महाराष्ट्र)	331
54.	ऊपरी तापी	(महाराष्ट्र)	255
55.	पेंच (टोटलादोह)	(महाराष्ट्र)	1091
56.	हीराकुंड	(उड़ीसा)	5378
57.	बालीमेला	(उड़ीसा)	2676
58.	सालानदी	(उड़ीसा)	558
59.	रेंगाली	(उड़ीसा)	3432
60.	मचकुंड (जलपुत)	(उड़ीसा)	893
61.	ऊपरी कोलाब	(उड़ीसा)	935
62.	ऊपरी इंद्रावती	(उड़ीसा)	1456
63.	थेन	(पंजाब)	2344
64.	माही बजाज सागर	(राजस्थान)	1711
65.	राणा प्रताप सागर	(राजस्थान)	1436
66.	लोअर भवानी	(तमिलनाडु)	792
67.	मेत्तूर (स्टानले)	(तमिलनाडु)	2647
68.	वैगाई	(तमिलनाडु)	172

1	2	3	4
69.	पारंबीकुलम	(तमिलनाडु)	380
70.	शोलायार	(तमिलनाडु)	143
71.	गुमती	(त्रिपुरा)	312
72.	माताटीला	(उत्तर प्रदेश)	707
73.	रिहंद	(उत्तर प्रदेश)	5649
74.	रामगंगा	(उत्तरांचल)	2196
75.	टेहरी	(उत्तरांचल)	2615
76.	मयूराक्षी	(पश्चिम बंगाल)	480
77.	कंग्साबती	(पश्चिम बंगाल)	914

[अनुवाद]

के वी आई सी द्वारा प्रदान की गई धनराशि

3653. श्री अनिल शुक्ल वारसी : क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आबंटित की गई तथा प्रदान की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) खादी एवं ग्रामोद्योग के विकास और तत्संबंधी मामलों के लिए खादी एवं ग्रामोद्याग आयोग अधिनियम, 1956 द्वारा स्थापित खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) एक सांविधिक निकाय है। तदनुसार, के वी आई सी खादी एवं ग्रामोद्योग के विकास तथा संवर्धन के लिए अनेक कार्यक्रम/योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। यद्यपि के वी आई सी द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रम/योजनाएं विशिष्ट तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का लक्षित नहीं करते, इन कार्यक्रमों के लाभार्थी खादी कताईकारों, बुनकरों, आदि सहित अथवा गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त के वी आई सी के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आई ई जी पी) के तहत, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अल्पसंख्यकों/महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांगों आदि सहित समाज के कमजोर वर्गों को सामान्य श्रेणी के लिए 25% की तुलना में 30% की उच्चतर सब्सिडी प्रदान की जाती है। खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान के वी आई कार्यक्रम के तहत प्रदत्त निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रावार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) ग्रामोद्योग तथा खादी क्षेत्रों में वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान रोजगार के संबंध में लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या निम्नवत है:-

वर्ष	रोज़गार (लाख व्यक्ति)	
	खादी	ग्रामोद्योग
2004-05	8.64	68.14
2005-06	8.68	74.09
2006-07	8.84	80.08

विवरण

वर्ष 2004-05, 2004-05 तथा 2006-07 के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योगों में विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए प्रदत्त निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खादी			ग्रामोद्योग		
		2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	1.38
2.	दिल्ली	262.4	280.66	438.34	1051.10	307.58	263.73
3.	हरियाणा	325.72	331.44	565.31	2192.81	1348.76	1579.61
4.	हिमाचल प्रदेश	142.34	131.33	268.56	697.68	833.23	1146.76
5.	जम्मू और कश्मीर	110.30	60.65	252.32	712.96	786.43	933.59

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	पंजाब	463.38	224.43	490.89	2178.85	1868.63	1743.19
7.	राजस्थान	607.83	643.59	926.65	2794.05	3364.09	3415.15
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	104.09	149.78	100.25
9.	बिहार	264.52	161.72	301.37	584.70	733.84	835.01
10.	झारखंड	121.95	53.47	168.73	182.79	778.86	882.10
11.	उड़ीसा	15.39	48.21	23.14	1156.83	975.20	1054.86
12.	पश्चिम बंगाल	280.90	87.30	384.69	2606.58	2395.38	2473.26
13.	अरुणाचल प्रदेश	3.84	2.00	2.16	91.12	182.00	166.20
14.	असम	82.26	63.27	126.07	1364.83	2948.35	2250.77
15.	मणिपुर	8.16	4.83	4.46	177.55	286.93	239.20
16.	मेघालय	3.02	3.02	1.88	299.60	420.86	370.02
17.	मिजोरम	2.00	2.00	3.80	454.66	1142.46	1164.66
18.	नागालैंड	8.11	6.00	37.06	223.71	248.75	221.90
19.	त्रिपुरा	13.57	4.96	0.00	192.38	164.44	151.84
20.	सिक्किम	5.09	1.00	0.00	337.61	305.03	272.32
21.	आंध्र प्रदेश	162.07	117.13	273.73	3019.60	4174.51	3951.20
22.	कर्नाटक	196.15	435.68	916.36	1800.69	2402.23	2508.95
23.	केरल	310.88	286.62	801.25	1424.13	1735.84	1743.36
24.	तमिलनाडु	767.70	1687.71	0.00	1507.99	1604.00	1822.99
25.	पांडिचेरी	0.00	0.00	1317.80	12.28	5.61	54.67
26.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.66
27.	गोवा	6.67	5.58	6.28	279.93	179.70	369.37
28.	गुजरात	619.07	554.96	604.86	767.31	1111.88	896.20
29.	महाराष्ट्र	89.35	211.20	184.58	2452.80	2516.11	2235.26
30.	छत्तीसगढ़	27.31	54.23	55.97	1165.16	1179.46	1169.19
31.	मध्य प्रदेश	176.60	119.71	118.64	1710.57	1517.56	1336.49
32.	उत्तराखंड	230.82	405.66	353.76	695.12	675.21	738.42
33.	उत्तर प्रदेश	3296.52	2295.04	3657.31	4494.43	4941.94	4484.12
	योग	3731.25	2874.64	4185.68	8065.28	8314.17	7728.22
34.	के वी आई सी की विभागीय इकाइयां	242.54	410.32	52.27	3957.68	5057.23	5764.25
	कुल जोड़	8847.00	8693.72	12338.24	40691.59	46344.83	46348.93

डाक सिविल प्रभाग को बन्द किया जाना

3654. श्री पन्नियन रवीन्द्रन :

श्रीमती किरण माहेश्वरी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिवेन्द्रम स्थित डाक सिविल विभाग को किसी अन्य राज्य में स्थानान्तरित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

संचार केन्द्र

3655. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में बाराबंकी मे उन संचार केन्द्रों को कार्यशील बनाने का है जिनका निर्माण कार्य कई वर्ष पहले पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इन केन्द्रों के कब तक कार्यशील हो जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थित भारत संचार निगम लिमिटेड के सभी संचार केन्द्र (वास्तव में ग्राहक सेवा केन्द्र) पहले से ही कार्यरत हैं और ये संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

(ख) इस समय, बाराबंकी के जिला तार घर, आवास विकास और फतेहपुर में एक-एक अर्थात् तीन ग्राहक सेवा केन्द्र कार्यरत हैं।

(ग) और (घ) उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

निजी दूरसंचार क्षेत्र में सब्सिडी

3656. प्रो. महादेवराव शिवनकर :

श्री शिशुपाल एन. पटले :

श्री मो. ताहिर :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र की सरकारी सब्सिडी जारी है;

(ख) इन कंपनियों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार कितनी सब्सिडी प्राप्त तथा खर्च की गई;

(ग) क्या सभी निजी दूरसंचार प्रदाता कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों में सब्सिडाईज्ड दरों पर लाइनें बिछा रही हैं या बिछा चुकी हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन कंपनियों के ग्रामीण सर्किलों का कोई निरीक्षण किया है;

(ङ) यदि हां, तो कितनी कंपनियां अनियमितताओं में शामिल पाई गई हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओ) ने ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान आर्थिक सहायता के रूप में 483.58 करोड़ रु. की राशि वितरित की है। 2004-05 से 2006-07 तक के तीन वर्षों के दौरान निजी सार्वभौमिक सेवा प्रदाताओं (यूएसपी) को प्रदत्त आर्थिक सहायता के राज्य-वार वितरण को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) सफल सार्वभौमिक सेवा प्रदाताओं ने यूएसओएफ के साथ हुए अपने विभिन्न करारों के अंतर्गत अपने अनुबंधित क्षेत्रों में ग्रामीण लाइनें प्रदान की हैं। इन सफल सार्वभौमिक सेवा प्रदाताओं को आर्थिक सहायता का वितरण, उनके दावे के अनुसार लाइनों की उपलब्धता हेतु मानक दर के आधार पर किया जाता है।

(घ) सभी सार्वभौमिक सेवा प्रदाताओं के दावों के संबंध में सेवा क्षेत्रों में नियंत्रक/संयुक्त नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय द्वारा पोस्ट पेमेंट सैम्पल साइज जांच/निरीक्षण किया जाता है।

(ङ) सभी सार्वभौमिक सेवा प्रदाताओं के मामले में विभिन्न सर्किलों में कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। तथापि, इन पर संबंधित करारों के निबंधन और शर्तों के अनुसार कार्रवाई की गई है।

(च) सार्वभौमिक सेवा प्रदाताओं का दावा निपटान, स्व-प्रमाणन और शपथ-पत्र के आधार पर होता है। तथापि, नमूना सत्यापन/क्षेत्र निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर ध्यान दिया जाता है तथा पाए गए अनियमित दावे, करार के निबंधन और शर्तों के अनुसार, किसी अन्य कार्रवाई पर प्रभाव डाले बिना रोक लिए/अस्वीकृत कर दिए जाते हैं।

विवरण

2004–05 से 2006–07 के गत तीन वर्षों के दौरान निजी सार्वभौमिक सेवा प्रदाताओं (यूएसपी) को आर्थिक सहायता का राज्य–वार ब्यौरा

(आंकड़े करोड़ रु. में)

	2004–05					2004–05 जोड़	2005–06			2005–06 जोड़	2006–07			2006–07 जोड़
राज्य का नाम	भारती	रिलायंस	श्याम	टाटा	टीटीएमएल*		रिलायंस	टाटा	टीटीएमएल		रिलायंस	टाटा	टीटीएमएल	
आंध्र प्रदेश				1.12		1.12	1.38	1.1		2.48	38.16	0.56		38.72
असम						0				0				0
बिहार						0	1.4	0.12		1.52	4.32	19.2		23.51
छत्तीसगढ़	0.1					0.1				0				0
गुजरात		0.9				0.9	0.65			0.65	20.68			20.68
हरियाणा						0	0.9	0.15		1.05	2.53	15.7		18.25
हिमाचल प्रदेश						0				0	6.45			6.45
झारखण्ड						0				0				0
कर्नाटक						0	0.04	0.13		0.17	25.82	22.5		48.33
केरल						0				0	15.15			15.15
महाराष्ट्र					0.95	0.95	7.97		1.31	9.28	5.04		67.8	72.84
मध्य प्रदेश	0					0	0.2	0.12		0.32	6.43	24		30.42
उड़ीसा						0				0				0
पंजाब						0	0.87	0.01		0.88	0.81	31.9		32.73
राजस्थान			0.1			0.1	0.43	0.51		0.94	10.42	59.9		70.36
तमिलनाडु						0	1.73			1.73	38.69			38.69
उत्तर प्रदेश (पूर्व)						0	1.62	0.21		1.83	3.96	13.1		17.02
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)						0	0.16			0.16	8.11	12		20.13
उत्तरांचल						0				0				0
पश्चिम बंगाल						0	1.43			1.43	4.69			4.69
कुल जोड़	0.1	0.9	0.1	1.12	0.95	3.17	18.78	2.35	1.31	22.44	191.26	199	67.8	457.97

नोट :– 1. 2004–05 हेतु झारखण्ड के भुगतान संबंधी आंकडे बिहार के आंकड़ों में शामिल है।

2. महाराष्ट्र के भुगतान संबंधी आंकड़ों में गोवा शामिल है।

3. अण्डमान और निकोबार, जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में किसी भी निजी दूरसंचार प्रचालक को आर्थिक सहायता का भुगतान नहीं किया गया है।

*टीटीएमएल–टाटा महाराष्ट्र लिमिटेड

दुग्ध पाउडर के निर्यात पर प्रतिबंध

3657. श्री विजय कृष्ण : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुग्ध पाउडर निर्यातक संगठनों ने दुग्ध पाउडर के निर्यात पर रोक लगने के बाद केसीन का निर्यात करना शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, नहीं। दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के निर्यात से जुड़े संगठनों द्वारा दुग्ध पाउडर के निर्यात पर प्रतिबंध लागू करने से पहले से ही केसीन का निर्यात किया जा रहा था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हेड वर्क्स का भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड को हस्तान्तरण

3658. श्री दुष्यंत सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोपड़, हरिके तथा फिरोजपुर, पंजाब स्थित हेड वर्क्स का भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के नियंत्रण में हस्तांतरण करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) रोपड़, हरिके तथा फिरोजपुर, पंजाब स्थित हेड वर्क्स के नियंत्रण को बीबीएमबी को अंतरित करने का मामला न्यायाधीन है। पंजाब द्वारा दायर की गई एक विशेष अनुमति याचिका के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले पर एक जनहित याचिका में राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 02.05.2005 के आदेश को लागू करने पर रोक लगा दी थी। इस मामले का अधिनिर्णय अभी नहीं हुआ है। तथा माननीय उच्चतम न्यायालय में इसकी अगली सुनवाई दिनांक 18.09.2007 को निर्धारित की गई है।

कर्नाटक से प्रस्ताव

3659. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने सिंचाई संबंधी कार्यों तथा बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा कितनी धनराशि की मांग की गई और संवितरित की गई एवं किसानों को वास्तव में कितनी धनराशि संवितरित की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण राज्य का विषय है तथा इसके वास्ते आयोजना, निष्पादन तथा निष्पादन की प्राथमिकता तय करना तथा वित्त पोषण करना संबंधित राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आता है। कर्नाटक राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने जुलाई, 2006 के दौरान 17 निर्माणाधीन वृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने तथा राज्य के 6 जिलों में किसानों की दुर्दशा कम करने के लिए प्रधानमंत्री के विशेष पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत 2410.75 करोड़ रुपये की तर्ज पर केन्द्रीय सहायता की मांग की थी।

प्रधानमंत्री के विशेष पुनर्वास पैकेज में शामिल वृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए एआईबीपी के दिशा–निर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता मुहैया की जानी है। वर्ष 2006–2007 के दौरान प्रधानमंत्री पैकेज में शामिल दो निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए कर्नाटक सरकार को 44.305 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम के तहत राज्यों को कार्यक्रम में शामिल सिंचाई परियोजनाओं के कमान क्षेत्रों में खेत संबंधी विकास कार्यों तथा सॉफ्टवेयरों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, कर्नाटक सरकार द्वारा मांगी गई 35151608 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता राज्य को जारी कर दी गई है।

एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम दोनों के तहत राज्य सरकार को निधियां उपलब्ध कराई गई हैं।

नई कर्मचारी पेंशन योजना, 1996

3660. श्री रनेन बर्मन : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ईपीएफएस) का ब्यौरा एवं उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या वर्ष 1995 में शुरू की गई कर्मचारी पेंशन योजना में वर्ष 1996 में कर्मचारी पेंशन योजना अधिनियम के जरिए संशोधन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो कर्मचारी पेंशन योजना के संशोधित स्वरूप की मुख्य विशेषताएं क्या है;

(घ) क्या कर्मचारियों पर संशोधित कर्मचारी पेंशन योजना को चुनने तथा इसमें अंशदान देने पर कोई रोक है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं तथा इसके क्या कारण है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत बनायी गयी कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 तथा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 का उद्देश्य सदस्यों और उनके परिवारों को भविष्य निधि, पेंशन संबंधी लाभों के रुप में सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना है।

(ख) और (ग) जी, हां। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में संशोधन का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, सदस्यों को संराशीकरण, गारंटीकृत पेंशन संबंधी लाभों का विकल्प उपलब्ध कराना है।

(घ) और (ङ) पेंशन योजना किसी सदस्य द्वारा इसका विकल्प देने/अंशदान करने पर रोक नहीं लगाती है, बशर्ते कि वे योजना के पात्रता संबंधी उपबंधों का पूरा करते हों। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर समुचित दिशानिर्देश/अनुदेश जारी किये गये हैं।

बीड़ी कामगारों के कल्याणार्थ योजनाएं

3661. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बीड़ी कामगारों के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार कितने स्वास्थ्य कैंप चल रहे हैं/आयोजित किए गए;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा उसके बाद महिला बीड़ी कामगारों को दिए गए अतिरिक्त लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक बीड़ी कामगारों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं को लागू करने में अन्य राज्यों से पिछड रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में विशेषकर कर्नाटक में बीड़ी कामगारों की सहायता में संलग्न कल्याण संगठनों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) ब्यौरे दर्शाता हुआ विवरण संलग्न है (विवरण-I)

(ख) ब्यौरे दर्शाता हुआ विवरण संलग्न है (विवरण-II)

(ग) और (घ) जी, नहीं। कर्नाटक में चालू वर्ष (अगस्त, 2007 तक) प्रसूति प्रसुविधा स्कीम के अंतर्गत 1147 कामगारों को 1000/- रुपये प्रति कामगार की दर से वित्तीय सहायता मंजूर की गई है। दो विधवा कामगारों को अपनी पुत्रियों की शादी के लिए प्रत्येक को 5000/- रुपये की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। तीन कामगारों के स्त्री संबंधी रोगों के इलाज हेतु 11,160/- रुपए की राशि भी व्यय की गई है। तथापि, किसी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन नहीं किया गया।

(ङ) कर्नाटक में, वर्तमान में जिन बीड़ी कामगारों को नामावली में नहीं दर्शाया गया है उनकी पहचान करने हेतु सर्वेक्षण कराने के लिए राज्य सरकार से सहायता मांगी गई है। कामगारों को विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरुकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

विवरण-I

2006-07 के दौरान सरकार द्वारा देश में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों का ब्यौरा

क्रम. सं.	क्षेत्र/राज्य	आयोजित किए गए शिविरों की संख्या
1	2	3
1.	**अजमेर क्षेत्र**	
	1. गुजरात	शून्य
	2. राजस्थान	04
2.	**इलाहाबाद क्षेत्र**	
	उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड	14
3.	**बंगलौर क्षेत्र**	
	1. कर्नाटक	शून्य
	2. केरल	शून्य
4.	**भुवनेश्वर क्षेत्र**	
	उड़ीसा	शून्य
5.	**हैदराबाद क्षेत्र**	
	1. आंध्र प्रदेश	28
	2. तमिलनाडु	18
6.	**जबलपुर क्षेत्र**	
	1. मध्य प्रदेश	04
	2. छत्तीसगढ़	शून्य

1	2	3
7.	**करमा क्षेत्र**	
	1. बिहार	शून्य
	2. झारखण्ड	02
8.	कोलकाता क्षेत्र	
	पश्चिम बंगाल, असम एवं त्रिपुरा	31
9.	नागपुर क्षेत्र	
	महाराष्ट्र एवं गोवा	32

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान बीड़ी कामगारों को प्रदान किए गए अतिरिक्त हितलाभ

क्रम. सं.	क्षेत्र/राज्य का नाम	प्रसूति हितलाभ		
		वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	राशि (रुपए हजारों में)
1	2	3	4	5
1.	**अजमेर क्षेत्र**			
	राजस्थान एवं	2004-05	266	266
	गुजरात	2005-06	344	344
		2006-07	420	420
2.	**इलाहाबाद क्षेत्र**			
	उत्तर प्रदेश एवं	2004-05	289	282
	उत्तराखण्ड	2005-06	242	242
		2006-07	348	348
3.	**बंगलौर क्षेत्र**			
	कर्नाटक एवं	2004-05	1081	1081
	केरल	2005-06	1375	1375
		2006-07	1028	1028
4.	**भुवनेश्वर क्षेत्र**			
	उड़ीसा	2004-05	386	355
		2005-06	227	227
		2006-07	336	336
5.	**हैदराबाद क्षेत्र**			
	आंध्र प्रदेश एवं	2004-05	318	232
	तमिलनाडु	2005-06	104	97
		2006-07	228	239
6.	**जबलपुर क्षेत्र**			
	मध्य प्रदेश एवं	2004-05	348	310
	छत्तीसगढ़	2005-06	549	577
		2006-07	409	429
7.	**करमा क्षेत्र**			
	बिहार एवं	2004-05	96	90
	झारखण्ड	2005-06	शून्य	शून्य
		2006-07	81	81
8.	**कोलकाता क्षेत्र**			
	पश्चिम बंगाल,	2004-05	2704	1818
	असम एवं त्रिपुरा	2005-06	1674	1537
		2006-07	3289	3287
9.	**नागपुर क्षेत्र**			
	महाराष्ट्र एवं गोवा	2004-05	604	558
		2005-06	244	244
		2006-07	671	671

आपदा राहत कोष तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से सहायता

3662. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपदा राहत कोष (सीआरएफ) तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि (एनसीसीएफ) से सहायता प्राप्त करने के मानदण्ड पुराने हो चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मानदण्डों में संशोधन के लिए सुझाव देने के लिए किसी समिति का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ङ) गृह मंत्रालय आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से सहायता के लिए व्यय की मदों और मानकों से संबंधित मामलों की देखभाल करता है। उसने सूचित किया है कि सरकार द्वारा उत्तरोत्तर वित्तीय आयोगों के निर्णय की स्वीकृति के पश्चात सहायता के मानकों और मदों की तत्काल समीक्षा और संशोधन करना एक सामान्य प्रणाली है। 12वें वित्त आयोग के निर्णय के पश्चात सीआरएफ/एनसीसीएफ से सहायता के मानकों और मदों की समीक्षा करने तथा उसमें संशोधन की सिफारिश करने के लिए गृह मंत्रालय में एक विशेषज्ञ समूह गठित किया गया था।

गृह मंत्रालय ने आगे सूचित किया है कि भारत सरकार ने विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों पर विचार करते हुए सीआरएफ/एनसीसीएफ से सहायता के मानकों और मदों में संशोधन को अनुमोदित कर दिया है, जिसे 27 जून, 2007 को सभी राज्यों तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों को उनके द्वारा परिचालित कराया गया है।

[हिन्दी]

मोबाइल फोन सेवा

3663. श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री वी. के. ठुम्मर :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितनी जनसंख्या तथा क्षेत्र को मोबाइल फोन सेवा उपलब्ध है;

(ख) गुजरात में मोबाइल फोन सेवा के विस्तार तथा विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है जो भारत सरकार के विचाराधीन है;

(ग) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की मोबाइल फोन सेवा असंतोषजनक रूप से कार्य कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में बीएसएनएल अधिकारियों के कार्यकरण का आकलन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) भारत संचार निगम लिमिटेड ने गुजरात राज्य में अपनी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल (जीएसएम) सेवाओं से 70,800 वर्ग कि.मी. क्षेत्र और लगभग 3,38,50,000 जनसंख्या को कवर किया है।

(ख) इस समय 3.5 लाख जी एस एम लाइनों का विस्तार कार्य चल रहा है और इसके अलावा बीएसएनएल ने अगले तीन वर्षों में 15 लाख जीएसएम लाइनों की उत्तरोत्तर वृद्धि की योजना बनायी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) बीएसएनएल के कर्मचारियों के कामकाज का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है और उनका कार्य निष्पादन पूर्णतः संतोषजनक है जिसके परिणामस्वरूप देश भर में बीएसएनएल के दूरसंचार नेटवर्क में समग्र रूप से सकारात्मक वृद्धि हो रही है।

एच.ए.एल. कारखाने से गोलाबारूद की चोरी

3664. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के ओझर स्थित हिंदुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) से कड़ी सुरक्षा प्रणाली के बावजूद कार्ट्रीजिज़ चोरी हो गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस घटना की जांच के लिए कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) चार प्रकार की वस्तुओं की चोरी 8 अप्रैल, 2007 को हुई थी।

(ग) और (घ) जी, हां। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लि. द्वारा विभागीय जांच करवाई गई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक उपाए किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

[अनुवाद]

शिल्पकारों हेतु बीमा योजना

3665. श्री ई. जी. सुगावनम : क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) अपने क्रियाकलापों की आउटसोर्सिंग कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या के वी आई सी ने शिल्पकारों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई योजना शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस योजना में अब तक कितने लोगों को बीमा सुरक्षा

प्रदान किया जा चुका है तथा शिल्पकारों के साथ हुई दुर्घटना के मामले में मुआवजे की कितनी राशि का भुगतान किया जाता है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) ने मुख्यतः निम्नोक्त फील्डस में अपने क्रियाकलापों की आउटसोर्सिंग की है:

(i) **गुणवत्ता तथा डिजाइन विकास :** खादी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के प्रयास के रुप में लेबोरट्री बुनियादी जोकि वस्त्र समिति (समिति अधिनियम, 1963 के तहत वस्त्र मंत्रालय द्वारा स्थापित सांविधिक स्वायत्त निकाय) के पास उपलब्ध है, उसे के.वी.आई.सी. द्वारा खादी की गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रयुक्त किया जा रहा है। इसके अलावा, राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलाजी संस्थान (एन.आई.एफ.टी.) के सविज्ञ वस्त्र डिजाइनरों की सेवाएं उत्पाद विकास, डिजाइन हस्तक्षेप तथा पैकेजिंग (पी.आर.ओ.डी.आई.पी) स्कीम के संबंध में ली जा रही हैं।

(ii) **आर्थिक अनुसंधान :** के.वी.आई.सी. सर्वेक्षणों तथा विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के अध्ययन आयोजित करने की दृष्टि से विभिन्न सुविज्ञ संगठनों की सेवाएं उपयोग में ला रहा है।

(iii) **अनुसंधान और विकास :** खादी और ग्रामोद्योग (के.वी.आई.) क्रियाकलाप के कार्यकरण की प्रकृति के कारण के. वी. आई. क्षेत्र के हितलाभ हेतु सुप्रसिद्ध अनुसंधान और विकास (आर. एंड डी.) संस्थानों के अनुसंधान तथा विकास बुनियादी संरचना को जुटाना अनिवार्य था। तदनुसार, के. वी. आई. सी. ने ऐसी 12 राष्ट्रीय स्तर की सुप्रसिद्ध आर. एण्ड लेबोरेट्रीज के साथ परस्पर क्रियाकलाप शुरू कर दिया है ताकि के. वी. आई. इकाइयों के हितलाभ हेतु उनके आर. एंड डी. इनपुट का लाभ उठाया जा सके।

(iv) **प्रचार :** के. वी. आई. सी. विभिन्न पाक्षिक प्रकाशनों को निकालता है जिनकी छपाई पैनलबद्ध प्रिंटरों के माध्यम से करवायी जाती है।

(v) **मानव संसाधन विकास :** के. वी. आई. सी. देश के विभिन्न भागों में 38 प्रशिक्षण केन्द्र चलाता है तथा इन प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए संकाय कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड), बैंकों, जिला उद्योग केन्द्रों (डी.आई.सी.), लघु उद्योग सेवा संस्थानों (एस.आई.एस.आई.), इत्यादि जैसे विभिन्न संगठनों से जुटाए जाते हैं।

(ग) और (घ) खादी कामगारों के लिए ग्रुप बीमा स्कीम, नामतः "खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना" (जे.बी.वाई.) की शुरूआत के.वी.आई.सी. के माध्यम से 15 अगस्त, 2003 को भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) बीमाकर्ता के रूप में की गई थी। स्कीम खादी क्षेत्र में लगे हुए स्पिनर्स, वीयर्स, प्रि–स्पिनिंग कारीगरों तथा पोस्ट वीविंग कारीगरों को कवर करेगी।

शिक्षा सहयोग योजना बिना किसी अतिरिक्त प्रिमियम के जे.बी.वाई. के तहत एड–आन कवरेज है। खादी कारीगरों के आश्रित (हितलाभ प्रति सदस्य/परिवार के दो बच्चों तक सीमित होगा) जे बी वाई के तहत कवर होंगे और वे शिक्षा सहयोग योजना के तहत प्रति आश्रित ट्यूशन फीस के मद्दे 1200/– रु. तक प्रति वर्ष प्राप्त करने के पात्र होंगे। यह हितलाभ केवल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) में पढ़ रहे आश्रितों सहित कक्षा IX से XII में पढ़ रहे आश्रितों के लिए होगा।

बीमा किए गए प्रत्येक खादी कारीगर को वार्षिक प्रिमियम वर्ष 2005–06 से और उसके बाद @100/– रु. अदा करना होगा जो निम्नोक्त रूप से शेयर है:

शेयर किया जाएगा	वार्षिक प्रिमियम की राशि (रु. में)
कारीगर	12.50
भारत सरकार का सोशल सिक्यूरिटी फंड	50.00
के. वी. आई. सी.	12.50
संबंधित खादी संस्थान (खादी कामगार का नियोक्ता)	25.00
कुल प्रीमियम	100.00

(ङ) और (च) X पंचवर्षीय योजना के दौरान कवर किए गए खादी कारीगरों की वर्ष वार संख्या निम्नोक्त है:

अवधि	कवर किए गए कारीगर (व्यक्तियों की सं.)
प्रथम वर्ष – 15.08.2003 से 14.08.2004	1,17,337
द्वितीय वर्ष – 15.08.2004 से 14.08.2005	1,76,951
तृतीय वर्ष – 15.08.2005 से 14.08.2006	2,14,128
चतुर्थ वर्ष – 15.08.2006 से 14.08.2007	2,25,900

यह स्कीम प्रत्येक कारीगर को (i) स्वाभाविक मृत्यु में 30,000/– रु. तक तथा दुर्घटना के कारण मृत्यु के लिए 75,000/– रु. तक (ii) दुर्घटना के कारण स्थायी अशक्तता के लिए (दोनों आंखों/प्रयोग के अंग खो देना) 75,000/– रु. तक तथा आंशिक अशक्तता के लिए 37,500/– रु. तक का जोखिम कवर प्रदान करती है ।

लाइसेंस मानकों का सरलीकरण

3666. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेशनल लांग डिस्टेंस (एनएलडी) तथा इंटरनेशनल लांग डिस्टेंस (आईएलडी) लाइसेंस मानकों का सरलीकरण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने दिनांक 14.12.2005 से राष्ट्रीय लंबी दूरी एवं अंतराष्ट्रीय लंबी दूरी के लाइसेंस संबंधी मानकों को सरल बना दिया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है।

(i) राष्ट्रीय लंबी दूरी के लाइसेंस के प्रवेश शुल्क की राशि 100 करोड़ रु. से घटाकर 2.5 करोड़ रु. तथा अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के लाइसेंस के प्रवेश शुल्क की राशि 25 करोड़ रु. से घटाकर 2.5 करोड़ रु. कर दी गई है।

(ii) राष्ट्रीय लंबी दूरी के लाइसेंस और अंतराष्ट्रीय लंबी दूरी के लाइसेंस दोनों हेतु वार्षिक लाइसेंस शुल्क को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 15% से घटाकर 6% कर दिया गया है।

(iii) राष्ट्रीय लंबी दूरी के लाइसेंस के लिए अनिवार्य विस्तार संबंधी बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है तथा अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के लाइसेंस हेतु इस बाध्यता को घटाकर एक अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के गेटवे की स्थापना कर दिया गया है।

(iv) राष्ट्रीय लंबी दूरी के लाइसेंस के निवल मूल्य (नेटवर्थ) एवं प्रदत्त पूंजी अपेक्षा की राशि को 2500 करोड़ रु. और 250 करोड़ रु. से घटाकर प्रत्येक के लिए 2.5 करोड़ रु. कर दिया गया है तथा अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के लाइसेंस के लिए वह राशि 25 करोड़ रु. से घटाकर 2.5 करोड़ कर दी गई है।

(v) राष्ट्रीय लंबी दूरी के लाइसेंस हेतु 400 करोड़ रु. की निष्पादन बैंक गारंटी समाप्त कर दी गई है जबकि अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के लाइसेंस के लिए यह राशि 25 करोड़ रु. से घटाकर 2.5 करोड़ रु. कर दी गई है।

[हिन्दी]

रोजगार सृजन दर

3667. श्री महावीर भगोरा :
श्री के. एस. राव :
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में रोजगार सृजन तथा बेरोजगारी की दर में कितनी वृद्धि हुई;

(ख) क्या इस समय की बेरोजगारी दर में वृद्धि वर्ष 1999–2000 की तुलना में अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो बेरोजगारी बढ़ने के क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) रोजगार एवं बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। 1999–2000 से 2004–05 की अवधि के दौराम सामान्य स्थिति आधार पर रोजगार में वृद्धि की वार्षिक दर 2.95 प्रतिशत थी जबकि इसी अवधि के दौरान बेरोजगारी में वृद्धि की वार्षिक दर 3.7 प्रतिशत थी।

(ख) सामान्य स्थिति आधार पर बेरोजगारी दर जोकि वर्ष 1999–2000 में 2.2 प्रतिशत थी वह आंशिक रूप से बढ़कर वर्ष 2004–05 में 2.3 प्रतिशत हो गई। 1999–2000 से 2004–05 तथा 1993–94 से 1999–2000 की अवधियों के दौरान बेरोजगारी में वृद्धि की दर 3.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर लगभग अपरिवर्तित रही है।

(ग) बेरोजगारी में वृद्धि को सामान्यतः कुल जनसंख्या की बजाय कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि की उच्च दर, विशेषकर महिलाओं में श्रम बल भागीदारी दरों में वृद्धि तथा शिक्षित युवाओं में उच्च बेरोजगारी से जोड़ा जाता है।

कृषि में निवेश

3668. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विज्ञान, अवसंरचना तथा नीति अनुसंधान के क्षेत्र में निवेश बढ़ाए जाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में तैयार की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा में चल रहे अनुसंधान कार्यों को सुदृढ़ करने के लिए और उभरती समस्याओं को निपटाने के लिए योजना आयोग को 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव, जिसकी राशि 12176.40 करोड़ रुपये है, प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संबंधी समस्या के समाधान के लिए गेहूं, चावल और दालों पर मिनी मिशन–। जिसका

परिव्यय 1130 करोड़ रु. है, का प्रस्ताव योजना आयोग को प्रस्तुत किया है। "क्षेत्रीय अनुसंधान और शिक्षण क्षमताओं को बढ़ाना–कृषि विश्व–विद्यालयों में अनुसंधान और अनुदेशात्मक फार्मों और प्रयोगशालाओं को आधुनिकीकरण" विषय पर 760 करोड़ रु. के परिव्यय वाला एक प्रस्ताव बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए तथा क्षेत्रीय अनुसंधान और शिक्षण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए योजना आयोग को प्रस्तुत किया गया है।

[अनुवाद]

पानी की कमी

3669. श्री जी. एम. सिद्दीश्वर : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्यों से इस प्रकार की रिपोर्टें मिली हैं कि उनके यहां झीलें तथा कुएं सूख गए हैं और उन्हें शहरों में जलापूर्ति की राशनिंग के लिए विवश होना पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) शहरी विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि राज्यों से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं कि उनकी झीलें और कुएं सूख गए हैं और यह कि शहरों को जल आपूर्ति की राशनिंग के लिए बाध्य किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शहरी विकास मंत्रालय ने दिसम्बर, 2005 में जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण अभियान (जेएनएनयूआरएम) और छोटे तथा मध्यम नगरों संबंधी शहरी अवसंरचना विकास स्कीम (यूआईडीएस एसएमटी) कार्यक्रमों को प्रारंभ किया है जोकि एकीकृत ढंग से शहरी अवसरंचना के विकास से संबंधित हैं तथा इन कार्यक्रमों के घटकों में से एक जल निकायों का संरक्षण है।

एसएसए के अंतर्गत अधूरा कार्य

3670. श्री ए. वी. बेल्लारमिन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 2006–2007 के दौरान सेकेंडरी स्विचिंग एरिया (एसएसए) के अंतर्गत स्वीकृत तथा किए जा रहे कार्यों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किए गए कार्य के सत्यापन की कोई व्यवस्था की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने शीघ्र भुगतान हेतु कोई व्यवस्था की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) किए गए कार्य की गुणवत्ता का सत्यापन स्वीकृति परीक्षण के लिए नामित अधिकारी द्वारा किया जाता है तथा कार्य की गुणवत्ता का सत्यापन कार्यादेश जारी करने वाले अधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारी/अधिकारी द्वारा किया जाता है।

(ङ) जी, हां।

(च) कार्यादेश/करार के निबंधन और शर्तों के अनुसार समय पर भुगतान करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए थे।

किवी फलों का उत्पादन

3671. श्री नकुल दास राई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में किवी फलों के उत्पादन की अपार संभाव्यता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के विभिन्न भागों में संभावित क्षेत्रों में किवी फलों के उत्पादन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या भारत द्वारा बड़े पैमाने पर किवी फलों का आयात किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) किवी फल सहित विभिन्न बागवानी फसलों की विकास की क्षमता को ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्रालय, भारत सरकार "पूर्वोत्तर

राज्यों, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हि. प्र. तथा उत्तरांचल में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन" संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित करता रहा है। उक्त स्कीम के तहत अरुणाचल प्रदेश, उत्तरांचल और हि.प्र. जैसे संभावित राजयों में किवी फल की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए तथा इसकी खेती के तहत क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए किवी फल की पहचान एक प्रमुख फसल के रूप में की गई है। इस स्कीम के तहत इन राज्यों में किवी फल की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए तथा पर्याप्त मात्रा में रोपण सामग्री का उत्पादन करने के लिए नर्सरियों की स्थापना, सामुदायिक जल टैंकों, ड्रिप सिंचाई, समेकित कीट प्रबंध प्रणालियों को अपनाने आदि जैसी अवसंरचनाओं के सृजन के लिए तथा किवी फल की खेती के लिए किसानों को सहायता दी जाती है।

(घ) और (ङ) भारत में किवी फल का बड़े पैमाने पर आयात नहीं किया जा रहा है।

बागवानी क्षेत्र हेतु अवसंरचना

3672. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खराब अवसंरचनात्मक सुविधाओं के कारण बागवानी का विकास प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन काउंसिल फार रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनोमिक रिसर्च ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) देश में बागवानी क्षेत्र हेतु अवसंरचना में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध विषयक भारतीय अनुसंधान परिषद ने हाल ही में "क्या बागवानी भारत के लिए एक सफल दृष्टांत हो सकती है" के संबंध में अध्ययन कराया है। रिपोर्ट के एक हिस्से में आपूर्ति श्रृंखला में कमियों और अवसंरचना से संबंधित मुद्दों की जांच की गई है। इस रिपोर्ट में फलों और सब्जियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता और प्रति इकाई उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए अवसंरचना की स्थिति में सुधार लाने तथा कटाई पश्चात हानियों में कमी लाने के लिए निवेश पर बल दिया गया है। बागवानी क्षेत्र के समक्ष सामान्य कठिनाइयां हैं; ग्रेडिंग और पैकेजिंग की अपर्याप्त सुविधाएं, दुर्बल विपणन अवसंरचना, कृषि प्रसंस्करण संयंत्रों का अभाव, विपणन ऋण का अभाव, उचित मंडी संगठन, उचित मूल्यन, समान ग्रेडिंग तथा माप तौल के मानकीकरण का अभाव, मंडी सूचना का अपर्याप्त एवं दुर्बल प्रचार-प्रसार, दुर्बल कटाई पश्चात रख-रखाव और उत्पादकता में गिरावट।

(घ) बागवानी उत्पादों सहित विभिन्न फार्म उत्पादों की अधिशेष मात्रा के रख-रखाव, मूल्य वर्धन तथा विपणन की कटाई पश्चात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में विपणन अवसंरचना में तेजी से विकास को बढ़ावा देने के लिए देश में "कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग एवं मानकीकरण का विकास/सुदृढ़ीकरण" संबंधी केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत आधुनिक टर्मिनल मंडियों की स्थापना के लिए एक घटक शामिल है। टर्मिनल मंडियां बहुत से एकत्रण केन्द्रों से जुड़ी होंगी जो किसानों के उत्पादों के विपणन हेतु उनकी पहुंच को आसान बनाने के लिए सुविधाजनक ढंग से व्यवस्थित होंगी। मंडियों द्वारा अवतरित जिंसों में फल, सब्जी, फूल, सुगंधित पुष्प, मांस और कुक्कुट शामिल हैं। टर्मिनल मंडी परियोजनाओं के लिए परिकल्पित सार्वजनिक सहभागिता माडल के तहत निजी उद्यम पूंजी और प्रबंधन प्रदान करेंगे, राज्य सरकार, विनियमन संबंधी स्वीकृति प्रदान करेगी और केन्द्र सरकार परियोजना की साम्या पूंजी के आंशिक वित्त पोषण में सहभागिता करेगी। टर्मिनल मंडियों के अलावा सिक्किम और तीन हिमालयी राज्यों सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत बीज अवसंरचना, रोग पूर्वानुमान यूनिटो, पादप स्वास्थ्य क्लिनिकों तथा पूर्ण विश्लेषण प्रयोगशालाओं और कटाई पश्चात प्रबंधन एवं विपणन के लिए अवसंरचना की स्थापना जैसी बागवानी के लिए अवसंरचना में निवेश को शामिल करते हुए विभिन्न क्रियाकलापों की शुरूआत करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। विगत दो वर्षों (2005-06 तथा 2006-07) के दौरान 8335.54 लाख रु. की राशि इन राज्यों को राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में बागवानी अवसंरचनाओं की स्थापना हेतु दी गई है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड बागवानी उत्पादों के भंडारण तथा शीतागारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी और उत्पादन एवं कटाई पश्चात प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी के विकास की स्कीमों के तहत बागवानी अवसंरचना की स्थापना के लिए सहायता देता है।

खरीफ फसलों का उत्पादन

3673. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में इस वर्ष खरीफ की फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है जैसाकि दिनांक 23 अगस्त, 2007 के "फाइनांशियल एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी फसल–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का प्रतिशतवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) हाल ही में आई बाढ़ ने इस संबंध में सरकार के लक्ष्यों को किस प्रकार से प्रभावित किया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) दिनांक 23 अगस्त, 2007 के "फाइनांशियल एक्सप्रेस" में समाचार में अन्य बातों के साथ खरीफ 2006–07 में चौथे अग्रिम अनुमानों के बारे में सूचित किया गया है। निम्नलिखित सारणी में 2006–07 तथा 2005–06 के दौरान प्रमुख खरीफ फसलों का उत्पादन दिया गया है:

खरीफ फसलें	खरीफ उत्पादन (मिलियन टनों में)	
	2006–07*	2005–06
चावल	80.11	78.27
मोटे अनाज	25.67	26.73
दालें	4.74	4.87
खाद्यान्न	110.52	109.87
तिलहन	13.94	16.77
गन्ना	345.31	281.17
कपास#	22.70	18.50

*19.7.2007 को जारी चौथे अग्रिम अनुमान

#170 किलोग्राम की प्रत्येक की मिलियन गांठें।

2005–06 की तुलना में 2006–07 में चावल, खाद्यान्न, गन्ना तथा कपास के खरीफ उत्पादन में वृद्धि हुई जबकि मोटे अनाज, दालों तथा तिलहनों में गिरावट आई।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत 2011–12 तक चावल के उत्पादन को 10 मिलियन टन, गेहूं को 8 मिलियन टन तथा दालों को 2 मिलियन टन तक बढ़ाने के लिए कहा गया है। यह लक्ष्य वर्ष 2011–12 के लिए निर्धारित किया गया है।

[हिन्दी]

भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी

3674. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के दायरे में संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों के सभी कामगार आते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अधिनियमों के उपबंधों के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं;

(घ) क्या मडा हैल्थ सेनिटेशन वर्कर्स यूनियन ने झारखण्ड राज्य भविष्य निधि के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध इन प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में विफल रहने के आरोप लगाए हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में उत्तरदायित्व तय किए गए हैं;

(च) यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) मडा कामगारों के कल्याण हेतु उक्त अधिनियमों के उचित क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, इसकी धारा 16 में उल्लिखित उपबंधों के अध्यधीन हर ऐसे प्रतिष्ठान पर लागू है जो अधिनियम की अनुसूची–I में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में लगा कारखाना है या सरकार द्वारा अधिसूचित क्रियाकलापों में संलग्न है और 20 या इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करता है। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 अधिनियम के तहत बनाई गई ऐसी ही एक योजना है।

(ग) जी, हां।

(घ) खनन क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएडीए), धनबाद का सृजन राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित संविधि द्वारा किया गया था और यह अधिनियम के दायरे में नहीं आता।

(ङ) से (छ) उक्त (घ) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अर्थ टेक एंटरप्राइजेज की धोखाधड़ी से हुई हानि

3675. श्री मोहन रावले : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एग्रीकल्चरल को–ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडेरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड) को अर्थ टेक इंटरप्राइजेज लिमिटेड की धोखाधड़ी के कारण भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नुकसान की वसूली करके तथा इसमें संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) नेफेड ने सूचित किया है कि अर्थटेक इण्टरप्राइजेज लि. (ईईएल) द्वारा धोखाधड़ी के कारण इसे अब तक कोई हानि नहीं हुई है। तथापि, ईईएल ने नेफेड को देय अपनी बकाया राशियों का पूरी तरह से भुगतान नहीं किया है। नेफेड ने यह भी सूचित किया है कि इसने गलती करने वाले उन अधिकारियों के खिलाफ पहले से ही कार्रवाई शुरू कर दी है जिनके खिलाफ ईईएल के साथ कारोबार करने के मामले में प्रथम दृष्ट्या कुछ कमियां पाई गई हैं। तथापि, नेफेड से आगे की जानकारी प्राप्त की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

वेबसाइटों पर गुप्त जानकारी

3676. श्री रघुवीर सिंह कौशल :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :
श्रीमती नीता पटेरिया :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या www.wikimapia.org और WWW.google.earth.com आदि जैसी इंटरनेट वेबसाइटों पर कुछ महत्वपूर्ण ठिकानों/संवेदनशील इलाकों के चित्र उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश की सुरक्षा के लिए इन खतरनाक वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए कानून बनाने का भी सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) सरकार को कुछ महत्वपूर्ण ठिकानों/संवेदनशील क्षेत्रों के चित्र www.wikimapia.org और WWW.google.earth आदि के जरिए इंटरनेट पर उपलब्ध होने की जानकारी है तथा सरकार ने वेबसाइटों पर ऐसे चित्रों के उपलब्ध होने के संबंध में कदम उठाए हैं।

(घ) तथा (ङ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 में भी ऐसी स्थितियों का सामना करने के लिए कानूनी ढांचे का प्रावधान है।

[अनुवाद]

ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री की यात्रा

3677. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) और (ख) जी, हां। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने 10 जुलाई, 2007 से 12 जुलाई, 2007 तक भारत का दौरा किया। उनके दौरे के दौरान द्विपक्षीय हितों के मसलों पर चर्चा की गई। उनके दौरे के दौरान रक्षा हित की आदान-प्रदान की गई वर्गीकृत सूचना की पारस्परिक संरक्षा हेतु एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे।

[हिन्दी]

वी ए डी आई योजना

3678. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :
श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नाबार्ड के माध्यम से वी ए डी आई योजना का क्रियान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के सभी राज्यों में उक्त योजना शुरू की जा चुकी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्यों में पिछड़े लोगों को उक्त योजना द्वारा कितना लाभ हुआ है;

(ङ) क्या उक्त योजना के क्रियान्वयन में निजी संस्थाओं गैर-सरकारी संगठनों की भी सहायता ली जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) भारत सरकार नाबार्ड के जरिये किसी वी ए डी आई स्कीम का क्रियान्वयन नहीं कर रही है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

3679. श्री हरि सिंह चावड़ा :

डा. धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी–निजी भागीदारी व्यापार के क्रियान्वयन में अनियमितताएं बरतने के लिए कुछ अधिकारियों के विरूद्ध आरोप–पत्र तैयार किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अनियमितताओं के कारण नेशनल एग्रीकल्चरल को–ऑपरेटिव मार्किटिंग फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड) को कितनी हानि हुई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) नैफेड ने रिपोर्ट किया है कि उस समय अपर प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर रहे भारतीय राजस्व सेवा के श्री होमी राजवंश के बारे में मसौदा आरोप पत्र तैयार कर लिया गया है और उनके मूल विभाग को भेज दिया गया है। इसके साथ ही सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) व्यापार/साझे व्यापार के संबंध में कई अकृत्य और कृत्य कार्यों के लिए इसके दो अधिकारियों अर्थात श्री एस के मग्गु, उप प्रबंधक (लेखा) और श्री डोबाल्ड मसीह, सहायक प्रबंधक (लेखा) को आरोप पत्र जारी कर दिये गये हैं।

नैफेड ने सूचित किया है कि सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) व्यापार के अंतर्गत कारोबार में अभी तक इसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। तथापि आगे की सूचना नैफेड से प्राप्त की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मत्स्यन बोर्ड

3680. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मत्स्यन बोर्ड ने नई दिल्ली में अपना मुख्यालय स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्य और उद्देश्य क्या हैं तथा इसके व्यवसाय केन्द्र किन–किन स्थानों पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इसकी स्थापना से बेरोजगारी की कितनी समस्या हल होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) आंध्र प्रदेश सोसायटी अधिनियम, 2001 के तहत जुलाई, 2006 में पंजीकृत किया गया है। बोर्ड का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जा रही मात्स्यिकी संबंधी गतिविधियों के समन्वय के जरिए मात्स्यिकी एवं जलकृषि से संबंधित गतिविधियों पर केंद्रित रूप से ध्यान देना तथा कैप्चर एवं कल्चर मात्स्यिकी के उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, ढुलाई तथा विपणन के सुधार के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ समन्वयन करना है। एन एफ डी बी का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है जहां बोर्ड की समस्त गतिविधियां विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित एवं समन्वित की जा रही हैं।

(ग) बोर्ड की विभिन्न गतिविधियां जैसे तालाबों एवं टैंकों में सघन जलकृषि, जलाशय मात्स्यिकी, तटवर्ती जलकृषि, गहरे समुद्र में मत्स्यन एवं टूना प्रसंस्करण, मछली पालन, सी रैंचिंग, सीवीड पालन, पोस्ट हार्वेस्ट प्रसंस्करण का बुनियादी ढांचा, मत्स्य ड्रेसिंग केन्द्र तथा मछली को धूप में सुखाना, घरेलू विपणन, आदि मात्स्यिकी क्षेत्र में रोजगार के काफी अवसर सृजित करेंगी।

घरेलू बेकार पानी का उपचार तथा पुनः प्रयोग

3681. श्री के. सुब्बारायन : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू बेकार पानी के उपचार तथा पुनः प्रयोग हेतु उपलब्ध योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना के क्रियान्वयन की क्या स्थिति है; और

(ग) इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है तथा उक्त योजना के और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने सूचित किया है कि घरेलू सीवेज को रोकना और व्यपवर्तित करना (आई एंड डी) तथा सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपीएस) के माध्यम से इसका उपचार किया

जाना नदियों में प्रदूषण को कम करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के तहत शुरू किए गए प्रदूषण कम करने संबंधी उपायों में शामिल है। अभी तक 2924 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) की उपचार क्षमता का सृजन किया गया है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने आगे सूचित किया है कि एनआरसीपी के तहत परियोजनाओं को स्वीकृत किए जाते समय राज्य सरकारों और कार्यान्वयन अभिकरणों को, जहां संभव हो, उपचारित सीवेज के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण अभियान (जेएनएनयूआरएम) कार्यक्रम के तहत नागपुर के लिए 'गंदे जल का पुनःचक्रण और पुनः उपयोग' तथा घरेलू गंदे जल के उपचार को पुनः उपयोग के लिए 'चंडीगढ़ में हरित स्थानों की सिंचाई के लिए तृतीयक उपचरित सीवेज का संचयन करके पेयजल का संरक्षण'' नामक दो परियोजनाओं को भी शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।

[हिन्दी]

गुजरात में बाढ़ के कारण दिल्ली में दूध की कमी

3682. श्री अवतार सिंह भडाना :
श्री सज्जन कुमार :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में बाढ़ से दिल्ली में मदर डेयरी बूथों पर दूध की उपलब्धता प्रभावित हुई है जिसके कारण उपभोक्ताओं को दूध की कम आपूर्ति हुई;

(ख) यदि हां, तो दूध की आपूर्ति में कितने प्रतिशत कमी हुई है; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी समारोहों में कटौती

3683. श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गणतंत्र दिवस तथा अन्य सरकारी समारोहों को कम कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (ग) रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस समारोह तथा इससे संबंधित समारोहों में लगने वाले समय को कम करने के लिए कोई विशिष्ट निर्णय नहीं लिया है। तथापि, समयावधि को कम करने के कुछ सुझाव दिए गए हैं रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय समारोहों की समयावधि का निर्धारण समारोह के लिए समय की आवश्यकताओं, दर्शकों की रूचि बनाए रखने पर समुचित रूप से विचार करने के साथ–साथ सैन्य तथा सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है।

युद्ध हताहतों हेतु समान कल्याण पैकेज

3684. श्री सुनील खां : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना ने सभी युद्ध हताहतों के लिए सरकार से एक समान कल्याण पैकेज की मांग की है क्योंकि कारगिल संघर्ष के दौरान शहीद हुए पांच सौ सत्ताईस (527) सैनिकों के निकट संबंधियों को तथा घायल हुए लगभग एक हजार चार सौ (1400) सैनिकों को बहुत अधिक धनराशि दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो जोखिम के विभिन्न स्तरों, कार्रवाई की तीव्रता आदि के आधार पर युद्ध स्तर तथा उग्रवाद विरोधी अभियानों में होने वाले हताहत सैनिकों के बीच भेद करने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. पल्लम राजू) : (क) जी, हां।

(ख) एकमुश्त अनुग्रह राशि के भुगतान के मामले में युद्ध/युद्ध जैसी स्थितियों तथा सीमा पर झड़पों से उत्पन्न और उग्रवादियों, आतंकवादियों, आदि के खिलाफ कार्रवाई में हुए हताहतों के बीच अंतर है। आपरेशनों की गहनता तथा इनमें शामिल खतरे के स्तर को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय युद्ध/युद्ध जैसी स्थितियों तथा सीमा पर झड़पों/उग्रवादियों, आतंकवादियों, अतिवादियों, आदि के विरुद्ध कार्रवाई के बीच अंतर रखना आवश्यक है। चूंकि युद्ध/युद्ध जैसी स्थितियों में शामिल कठिनता अन्य आपरेशनों की तुलना में अत्यधिक प्रचण्ड होती है इसलिए अनुग्रह राशि के भुगतान के मामले में अंतर बनाए रखने की जरूरत है।

भारतीय वायु सेना के विमानों का उपयोग

3685. श्री रघुनाथ झा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुसेना मुख्यालय ने वर्ष 1992–1999 और 2001–03 के दौरान अतिविशिष्ट लोगों के उपयोग हेतु आठ 'ए' विमानों में अनियमित रूप से बदलाव किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अतिविशिष्ट लोगों के उपयोगार्थ संचार स्कवाड्रन विमानों का अधिकतर उपयोग किया जाता है;

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अतिविशिष्ट लोगों और अन्य लोगों द्वारा विमानों में कुल कितने घंटे यात्रा की गई है; और

(ङ) विमानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) और (ख) वायुसेना मुख्यालय ने आवश्यक उड़ान प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 1992–1999 तथा 2001–2003 के दौरान विशिष्ट व्यक्तियों के इस्तेमाल हेतु आठ विमानों को रूपांतरित किया है।

विशिष्ट व्यक्तियों के इस्तेमाल हेतु विमानों का रूपांतरण मुख्यतः लेह तथा थोइसे जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित एयर बेसों तथा पूर्वी क्षेत्र में भी उड़ान मुहैया कराने के उद्देश्य से किया गया था। यह इसलिए भी आवश्यक हो गया था क्योंकि वायुसेना मुख्यालय संचार स्क्वाड्रन का तत्कालीन एचएस–748 बेड़ा सभी क्षेत्रों में इस्तेमाल हेतु प्रचालनात्मक रूप से उपयुक्त नहीं था।

(ग) और (घ) भारतीय वायुसेना में सभी उड़ाने विद्यमान अनुदेशों के अनुसार संचालित की जाती हैं तथा भली–भांति विनियमित होती हैं। सिविलियन विशिष्ट व्यक्तियों की उड़ानें उनकी हकदारी/समुचित प्राधिकारी की अनुमति पर आधारित होती हैं। वरिष्ठ सेना अधिकारी विद्यमान अनुदेशों के आधार पर संक्रियात्मक आवश्यकता के कारण ड्यूटी से संबद्ध मिशनों के लिए विमान से जाते हैं।

(ङ) भारतीय वायुसेना/विशिष्ट व्यक्ति विमानों के प्रयोग को विनियमित करने के लिए आवश्यक अनुदेश मौजूद हैं।

[अनुवाद]

नकली उत्पाद

3686. श्री अधीर चौधरी :

श्री निखिल कुमार :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश में बड़े पैमाने पर चल रहे नकली माल का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नकली माल की बिक्री रोकने में कुछ अन्य अभिकरण भी लगे हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में नकली माल की बिक्री को रोकने में कितनी सफलता मिली है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) उपभोक्ता मामले विभाग के ध्यान में हाल में देश में बड़े पैमाने पर नकली माल के होने की कोई सूचना नहीं लाई गई है।

(ख) उपभोक्ता मामले विभाग के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) नकली माल की बिक्री को रोकने के लिए व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999; कापीराइट अधिनियम, 1957; पेटेंट अधिनियम, 1970; सीमा शुल्क अधिनियम, 1962; विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992; औषधि और प्रसाधन अधिनियम, 1940; खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954; भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986; भारतीय दण्ड संहिता 1860; उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 आदि जैसे मौजूदा कानूनों के तहत विभिन्न एजेंसियों को शक्तियां प्रदान की गई है।

(ङ) उपभोक्ता मामले विभाग के पास सूचना उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र के लिए पेंशन विधेयक

3687. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :

श्री संजय धोत्रे :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन निधि के बारे में पृथक विधेयक लाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन

3688. श्रीमती करूणा शुक्ला :

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोगों ने टेलीफोन कनेक्शन लेने से मना कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। केवल झारखण्ड तथा छत्तीसगढ़ दूरसंचार सर्किल के क्रमशः लगभग 440 तथा 1409 नक्सल प्रभावित गांवों में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के टेलीफोन कनेक्शनों को अस्वीकार करने के मामले सामने आए हैं। तथापि, ऐसी अस्वीकृतियों का परिमाण निर्धारित करना संभव नहीं है, क्योंकि आवेदक लिखित रूप से ऐसे कारणों का उल्लेख नहीं करते।

(ग) आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन स्वीकार करने के लिए मनाने का प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है और इस मामले को स्थानीय प्रशासन के साथ भी उठाया जाता है।

जनजातीय क्षेत्रों में नदी जल का उपयोग

3689. डा. धीरेंद्र अग्रवाल :

श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में नदी जल के उपयोग के लिए धनराशि मुहैया करायी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के दिशानिर्देशों के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर इस कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इस कार्यक्रम के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार जनजातीय क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली सतही जल लघु सिंचाई स्कीमें एआईबीपी में शामिल परियोजना लागत के 90% अनुदान की पात्र होती हैं। जनजातीय क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं भी परियोजना से लाभान्वित होने वाले जनजातीय क्षेत्र की सीमा के आधार पर एआईबीपी में शामिल परियोजना लागत के 90% अनुदान तक की पात्र होती हैं।

अधिकांशतः जनजातीय क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली पूर्वोत्तर राज्यों की 5068 सतही जल लघु सिंचाई स्कीमों (एसडब्ल्यूएमआईएस), हिमाचल प्रदेश की 47 एसडब्ल्यूएमआईएस और उड़ीसा के कोरापुट, बोलंगीर, कालाहांडी (केबीके) जिलों की 21 एसडब्ल्यूएमआईएस, जिनकी लागत कुल मिलाकर 1098.58 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, को एआईबीपी में शामिल किया गया है तथा उन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए 682.744 करोड़ रुपए की केन्द्रीय ऋण सहायता/अनुदान जारी किया गया है। जनजातीय क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली मध्य प्रदेश की 42 एसडब्ल्यूएमआईएस, छत्तीसगढ़ की 42 एसडब्ल्यूएमआईएस, आंध्र प्रदेश की 7 एसडब्ल्यूएमआईएस और महाराष्ट्र की 19 एसडब्ल्यूएमआईएस को भी एआईबीपी के तहत शामिल किया गया है तथा इन स्कीमों के लिए एआईबीपी में शालिम स्कीमों की लागत का 90% अनुदान के रूप में मुहैया कराया जाता है। इसके अतिरिक्त, इन परियोजनाओं से लाभान्वित जनजातीय क्षेत्रों की सीमा के आधार पर जनजातीय क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को एआईबीपी में शामिल परियोजना लागत का 90% तक अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का निर्यात

3690. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

प्रो. के. एम. कादर मोहिदीन :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान हार्डवेयर का निर्यात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान आज की तिथि तक कितनी धनराशि का निर्यात किया गया है;

(ग) भारत से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का आयात करने वाले देशों के क्या नाम हैं;

(घ) वर्ष 2010 तक निर्यात से अनुमानतः कितनी धनराशि प्राप्त होने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर का अनुमानित निर्यात नीचे दिया गया है:

वर्ष	निर्यात (करोड़ रुपए)	निर्यात (मिलियन अमरीकी डॉलर)
2004–05	8000	1781
2005–06	9625	2174
2006–07	12500	2890

स्रोत : इलेक्ट्रॉनिकी एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद (ईएससी)

(ग) वर्ष 2006-07 के दौरान 125 देशों ने सॉफ्टवेयर और 191 देशों ने भारत से हार्डवेयर का आयात किया। वर्ष 2006-07 के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सेवा निर्यात के क्षेत्रवार स्थान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर गठित कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010-2011 तक इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर का निर्यात अनुमानतः 5.9 बिलियन अमरीकी डॉलर और वर्ष 2010-2011 तक कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और सेवाओं का निर्यात अनुमानतः 72.1 बिलियन अमरीकी डॉलर होगा।

(ङ) और (च) केन्द्र सरकार विदेश व्यापार नीति बनती है, जिसमें निर्यात संबंधी विभिन्न संवर्धनात्मक योजनाएं शामिल की जाती है। इस नीति में समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन किया जाता है ताकि विदेश व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए यथोचित एवं सही सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

विवरण

वर्ष 2006-07 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सेवा निर्यात के मुख्य स्थान

मूल्य : करोड़
(मिलियन अमरीकी डॉलर)

स्थान	इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर		कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर		कुल	
	मूल्य	क्षेत्रवार योग का प्रतिशत	मूल्य	क्षेत्रवार योग का प्रतिशत	मूल्य	क्षेत्रवार योग का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
उत्तरी अमरीका	3410.94 (788.66)	27.29	90109.47 (20834.56)	61.72	93520.41 (21623.22)	59.00
यूरोप (यूरोपीय देश)	3187.82 (737.07)	25.50	39420.00 (9114.45)	27.00	42607.82 (9851.52)	26.88
सिंगापुर, हांगकांग तथा अन्य एशियाई देश	2640.86 (610.60)	21.13	4500.00 (1040.46)	3.08	7140.86 (1651.07)	4.51
जापान, कोरिया तथा अन्य सुदूर पूर्वी देश	710.19 (164.21)	5.68	3314.20 (766.29)	2.27	4024.39 (930.49)	2.54
मध्य पूर्वी देश	1360.46 (314.56)	10.88	2259.81 (522.50)	1.55	3620.27 (837.06)	2.28
यूरोप (गैर यूरोपीय देश)	69.39 (16.04)	0.56	2810.50 (649.83)	1.93	2879.89 (665.87)	1.82
आस्ट्रेलिया और अन्य महासागरीय देश	90.51 (20.93)	0.72	2460.82 (568.98)	1.69	2551.33 (589.90)	1.61
अफ्रीका देश	512.42 (118.48)	4.10	710.00 (164.16)	0.49	1222.42 (282.64)	0.77

1	2	3	4	5	6	7
लातिन अमरीका	242.94 (56.17)	1.94	322.31 (74.52)	0.22	565.25 (130.69)	0.36
रूस और सी.आई.एस. देश	274.47 (63.46)	2.20	92.89 (21.48)	0.06	367.36 (84.94)	0.23
कुल	12500.00 (2890.17)	100.00	146000.00 (33757.23)	100.00	158500.00 (36647.40)	100.00

औसत विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर = 48.40 (43.25)

[अनुवाद]

ई-बम हेतु अनुसंधान और विकास कार्यक्रम

3691. श्री बंसगोपाल चौधरी :

श्री सुनील खां :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ई-बम प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कोई अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) परियोजना शुरू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह दायित्व आई आई टी खड़गपुर को सौंपा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबध में आई आई टी को कितना सहयोग दिया जा रहा है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सरकार ने आई.आई.टी. खड़गपुर को यह दायित्व नहीं सौंपा है।

[हिन्दी]

बायो कंट्रोल एजेन्ट्स लेबोरेट्रीज का प्रस्ताव

3692. श्री रामदास आठवले : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को कुछ राज्य सरकारों से बायोकंट्रोल एजेन्ट्स लेबोरेट्रीज की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन लेबोरेट्रीज की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां, 8 वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं (एस बी सी एल) की स्थापना के लिए 31 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से कुल 38 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) 38 एस बी सी एल में से 30 प्रयोगशालाएं पूरी हो चुकी हैं और 26 जैव नियंत्रण एजेन्ट/जैव कीटनाशी उत्पादक प्रयोगशालाएं पूर्णतया कार्यरत हैं। शेष बची हुई प्रयोगशाला भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और राज्यों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

सामान्य सेवा केन्द्र

3693. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2007 तक पूरे देश में सामान्य सेवा केन्द्रों की स्थापना संबंधी निर्धारित लक्ष्य का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) 30 जून, 2007 तक राज्यवार कितने सामान्य सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है; और

(ग) वर्ष 2007-08 के दौरान आज की तिथि तक लक्ष्य प्राप्त न करने के कोई कारण यदि है तो क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शकील अहमद) : (क) सामान्य सेवा केन्द्र योजना सरकार द्वारा सितम्बर, 2006 में अनुमोदित की गई थी। यह योजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी में कार्यान्वित की जा रही है। प्रत्येक राज्य में स्थापित किए जाने वाले सामान्य सेवा केन्द्रों की संख्या का लक्ष्य केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है और विवरण-I में देखा जा सकता है। राज्य स्तर पर कार्यान्वयन के समयबद्ध लक्ष्य निजी क्षेत्र के कार्यान्वयन भागीदार अर्थात् सेवा केन्द्र एजेंसी (एससीए) को राज्य सरकार द्वारा एससीए का चयन होने तथा एससीए के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर होने पर सौंपे जाते हैं। अब तक सेवा केन्द्र एजेंसियां तीन राज्यों में नियुक्त की गई हैं तथा उनके कार्यान्वयन की समय-सीमा विवरण-II में देखी जा सकती हैं।

(ख) और (ग) तीन राज्यों के लिए कार्यान्वयन की समय-सीमा के अनुसार स्थापित किए गए सामान्य सेवा केन्द्रों की संख्या तथा इनमें कमी के कारण, यदि कोई है, विवरण-I में दिए गए हैं।

विवरण-I

राज्यवार सीएससी का आबंटन

राज्य/संघशासित क्षेत्र	आबंटित सीएससी की संख्या
1	2
अंडमान	91
आंध्र प्रदेश	4687
अरुणाचल प्रदेश	678
असम	4375
बिहार	7516
चंडीगढ़	4
छत्तीसगढ़	3385
दादरा और नागर हवेली	12
दमन और दीव	4
दिल्ली	28
गोवा	60
गुजरात	3090
हरियाणा	1159
हिमाचल प्रदेश	3353
जम्मू और कश्मीर	1109
झारखंड	5436
कर्नाटक	4901
केरल	3180
लक्षदीप	4
मध्य प्रदेश	9232
महाराष्ट्र	7285
मणिपुर	399
मेघालय	1004
मिज़ोरम	136
नागालैण्ड	220
उड़ीसा	8558
पांडिचेरी	15
पंजाब	2112
राजस्थान	6626
मणिपुर	399
सिक्किम	75
तमिलनाडु	5439
त्रिपुरा	145
उत्तर प्रदेश	17909
उत्तरांचल	2804
पश्चिम बंगाल	6797
उत्तर प्रदेश	17909

विवरण-II

3 सितम्बर, 07 के अनुसार सीएससी के प्रसार की स्थिति

झारखंड

11 अप्रैल, 2007 को एमएसए पर हस्ताक्षर किए गए

चुने गए एससीए (1) रांची, हज़ारीबाग, कोल्हान के लिए यूटीएल, ओरियन-ई-गवर्नेंस सर्विसेज

(2) दुमका के लिए जूम डेवलपर्स प्रा. लि.

(3) पलामू के लिए एल्टरनेटिव्स फॉर इंडिया

कार्यान्वयन योजना

कुल सीएससी : 4562 10 जुलाई 07 – 10 अप्रैल 08	यूटीएल-ओरियन गवर्नेंस (2943)	जूम डेवलपर्स (1019)	एल्टरनेटिव ऑफ इंडिया (600)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
10 जुलाई, 2007 तक 10% (वर्तमान स्थिति)	289 (483)	101 (106)	60 (37)	1. जूम ने 10% लक्ष्य पूरा कर लिया है। 2. यूटीएल-ओरियन ई-गवर्नेंस सर्विसेज-पूरी नहीं हुई।

1	2	3	4	5
				कारण: स्थान/परिसर को अंतिम रूप नहीं दिया गया है—एससीए ने सरकारी स्थान के लिए अनुरोध किया है। 3. एआईडी, कानून व्यवस्था के कारण पूरी नही की गई।
10 अक्तूबर, 2007 तक 25%	725	252	150	
10 जनवरी, 2008 तक 75%	2174	756	450	
10 अक्तूबर, 2008 तक 100%	2943	1019	600	

पश्चिम बंगाल

5 अप्रैल को स्त्रेई के साथ तथा 7 मई को कम्प्यूनिकेशनस के साथ हस्ताक्षर किया गया एमएसए

चुने गए एससीए : (1) हुगली सहित 14 जिलों के लिए स्रेई सहज ई–विलेज
(2) रिलायंस कम्यूनिकेशनस

कार्यान्वयन योजना

कुल सीएससी : 6797	स्रेई सहजई–विलेज (4937)	रिलायंस कम्प्यूनिकेशनस (1860)	टिप्पणी
अक्तूबर 2007	16 जुलाई, 2007 तक 1919	अक्तूबर 07 तक 434	लक्ष्य पूरा होने की संभावना है
नवम्बर 2007	19 नवम्बर, 2007 तक 1028	उपलब्ध नहीं कराया गया	
दिसम्बर 2007	15 दिसम्बर, 07 तक 867	उपलब्ध नहीं कराया गया	
फरवरी 2008	14 फरवरी, 08 1123	उपलब्ध नहीं कराया गया	
अप्रैल 2008	अप्रैल, 08 तक 4937	मई, 08 तक 1860	

हरियाणा

17 अप्रैल, 2007 को एमएसए पर हस्ताक्षर किए गए

चुने गए एससीए : (1) गुड़गांव मण्डल के लिए 3 आई इन्फोटेक
(2) अम्बाला और हिसार मंडल के लिए सार्क प्रणालियां, जाक सॉफ्टवेयर तथा प्यर्ल बीवरेजस
(3) रोहतक मण्डल के लिए कॉमेट टैक्नोलॉजीस, ह्यूज़ नेटवर्क कम्यू, ह्यूज़ कंसोंटियम

कार्यान्वयन योजना

कुल सीएससी : 1263 (1159 ग्रामीण – 104 शहरी)	3आई इन्फोटेक (322)	सार्क प्रणालियां (549)	कॉमेट टैक्नोलॉजीस (292)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
जुलाई, 2007 तक 20%	65	130	60	लक्ष्य पूरा नहीं किया। सितम्बर, 07 तक पूरा होने की संभावना है कारण : सम्पर्क/विद्युत, अन्य मूलसंरचनात्मक सुविधाएं तैयार नहीं हैं।

1	2	3	4	5
अक्तूबर, 2007 तक 40%	130	260	120	
जनवरी, 2008 तक 70%	225	445	210	
अप्रैल, 2008 तक 100%	322	649	292	

टिप्पणी : अम्बाला मंडल के अंतर्गत पंचकुला जिले में ग्राम चिकन में एक सीएससी स्थापित किया गया है।

लक्ष्य पूरा नहीं के कारण :

1. आरएफपी में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार 100: सीएससी स्थानों के चयन से प्रक्रिया में देरी हुई।
2. सरकारी परिसरों के चयन के लिए तथा उपयुक्त स्थानों के अंतिम अनुमोदन के लिए जिला प्रशासन के संबंधित उप आयुक्तो तथा अन्य अधिकारियों के साथ व्यापक विचार–विमर्श अपेक्षित है। मसौदा कब्जा–पत्र जिस पर स्थानीय प्रशासन और सभी सीएससी के संबंधित एससीए द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, पर की गई कार्रवाई में भी समय लगा।
3. अधिकांश स्थानों में सम्पर्क अभी स्थापित किया जाना है।

दूरसंचार उपकरण बनाने वाले कारखानों का आधुनिकीकरण

3694. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरसंचार के उपकरण बनाने वाले सभी कारखानों द्वारा कितने उपकरणों/उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) क्या दूरसंचार क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकीय विकास के लिए इन कारखानों को उपयुक्त उपकरणों/उत्पादों के विनिर्माण में समर्थ बनाने के लिए कोई आधुनिकीकरण कार्यक्रम क्रियान्वित करने का विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के सभी दूरसंचार कारखानों में जिन उपकरणों/उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है उनकी संख्या 27 है।

(ख) दूरसंचार क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकिय विकास के अनुरूप उपकरणों/उत्पादों का विनिर्माण करने के लिए कारखानों को समर्थ बनाने हेतु आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। दूरसंचार कारखानों (टीएफ) का आधुनिकीकरण करने और उत्पाद सूची में नए उत्पादों को शामिल करने के लिए सतत प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं।

(ग) वर्ष 2006–07 के दौरान दूरसंचार कारखाना, मुंबई में जर्मनी से आयातित नवीनतम प्रौद्योगिकी से युक्त सिम कार्ड संयंत्र की स्थापना की गई है। संयंत्र की क्षमता को मौजूदा 10 मिलियन सिम कार्ड प्रति वर्ष से बढ़ाकर 40 मिलियन सिम कार्ड प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव है। पिछले पांच वर्षों के दौरान दूरसंचार कारखानों ने सेल्यूलर टावरों के निर्माण में वृद्धि की है जो दूरसंचार नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। दूरसंचार कारखाना कोलकाता और मुंबई ने वर्ष 2004–05 से इंटरनेट (आईएन) सार्वजनिक टेलीफोन बूथों (पीसीओ) का निर्माण आरंभ कर दिया है। दूरसंचार कारखाना कोलकाता ने युक्तक उपकरणों (जॉइंटिंग किट्स) के निर्माण हेतु इकाइयों की स्थापना की गई है तथा वर्ष 2005–06 से विनिर्माण शुरू कर दिया है। दूरसंचार कारखाना खड़गपुर (कोलकाता सर्किल के अंतर्गत) में एक गैल्वनाइजिंग संयंत्र की स्थापना की जा रही है। ब्रॉडबैंड की मांग को पूरा करने के लिए दूरसंचार कारखाना कोलकाता और मुम्बई ने सीटी ब्लॉक (एमडीएफ टाइप) का उत्पादन शुरू कर दिया है। दूरसंचार कारखाना मुंबई ने भी वर्ष 2004–05 से एफडीएमएस और पैच पैनल ऐंटेना का उत्पादन शुरू कर दिया है। कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस (सीडीएमए) हैंड हेल्ड टर्मिनल (एचएचटी) और फिक्स्ड वायरलेस टर्मिनल (एफडब्ल्यूटी) के विनिर्माण के लिए संयुक्त उद्यम की स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। स्क्रैच कार्ड और डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम (डीडीएफ) के निर्माण संबंधी प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश से सूचना प्रौद्योगिकी का निर्यात

3695. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा देश में आंध्र प्रदेश को सूचना प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा निर्यातक बनाने के लिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नासकॉम) राज्य सरकार और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, हैदराबाद के साथ किए गए समन्वय हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) के अनुसार:

भारत सरकार ने एसटीपी योजना सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की है। इस उद्देश्य

से एसटीपीआई, हैदराबाद की स्थापना वर्ष 1991 में की गई थी तथा इसकी आंध्र प्रदेश में उपयुक्त परिवेश प्रणाली स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है तथा यह अन्य पणधारकों जैसे कि राज्य सरकार, उद्योग, शैक्षणिक संस्थानों तथा नैसकॉम और हैदराबाद सॉफ्टवेयर निर्यातक संघ के घनिष्ठ सहयोग से कार्य कर रहा है।

आंध्र प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का अत्यधिक विकास हो रहा है तथा राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा निर्यात में इसका अंशदान 13% है। वर्ष 2006-07 के दौरान राज्य से होने वाला निर्यात 18582 करोड़ रुपए हो गया जबकि यह पिछले वर्ष 2005-06 में 12521 करोड़ रुपए था।

आंध्र प्रदेश राज्य की निर्यात के क्षेत्र में विकास दर राष्ट्रीय निर्यात की विकास दर से बहुत अधिक है। विशाखापट्टनम, काकीनाडा, तिरुपति आदि जैसे विभिन्न स्तर III के शहरों में सूचना प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों की स्थापना का कार्य शुरू किया गया है। एसटीपीआई हैदराबाद में भी अद्यतन तकनीकी जानकारी की निर्माण सुविधाएं स्थापित कर रहा है ताकि और अधिक नई सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों को राज्य में विशेष रूप से उत्पाद नवीकरण डिजाइन तथा इंजीनियरी सेवाओं आदि सहित उच्चस्तरीय सेवाओं के क्षेत्र में अपने प्रचालन स्थापित करने में तथा उनका विसतार करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सके।

[हिन्दी]

स्पीड पोस्ट एजेन्ट्स

3696. श्री रशीद मसूद : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट एजेन्टों को नियुक्त करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त प्रयोजनार्थ अधिकृत केन्द्रों (आउटलेटों) की स्थापना के लिए निजी एजेन्टों को स्वीकृति प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) डाक विभाग द्वारा 1998 में स्पीड पोस्ट एकत्र करने की आउटसोर्सिंग प्रणाली प्रारंभ की गई थी। इस योजना का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

* स्पीड पोस्ट एकत्रकर्ता एजेंट किसी विशेष स्थान या स्थान समूह के लिए उस क्षेत्र में कारोबार की संभावना को देखते हुए नियुक्त किए जाते हैं।
* एजेंट स्पीड पोस्ट केन्द्र के प्रबंधक द्वारा आबंटित कॉलोनियों/स्थानों में ग्राहकों से वस्तुओं को एकत्र करने की व्यवस्था करेगा।
* एजेंट डाकघर में बचत बैंक के खाता खोलें और भारत के राष्ट्रपति के पास प्रतिभूति जमा के रुप में 10,000 रुपये की राशि धरोहर के रूप में जमा कराएं
* एजेंट द्वारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण की गई होनी चाहिए; और उसे अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए।
* एजेंटों को मासिक राजस्व के आधार पर कमीशन दिया जाता है।
* वर्ष 2006 में इस योजना का विस्तार उन सभी स्पीड पोस्ट केन्द्रों के लिए कर दिया गया है जिनका राजस्व एक लाख रुपये प्रति माह है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय उद्यमिता संस्थानों में रिक्त पद

3697. श्री अनवर हुसैन : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय भारतीय उद्यम संस्थानों (आई आई ई) में विभिन्न संवर्गों के अंतर्गत संवर्गवार कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) सरकार द्वारा उपर्युक्त रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उद्यम के क्षेत्र में भारतीय उद्यमिता संस्थान को सबसे बढ़िया राष्ट्रीय संस्थान बनाने के लिए कोई स्कीम/योजना तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) इस समय आई. आई. ई., गुवाहाटी में रिक्त पद निम्नोक्त हैं:

पद का नाम	रिक्तियों की संख्या
लेखा अधिकारी	01
वरिष्ठ प्रलेखन सहायक	01
लायब्रेरियन	01

1	2	3	4	5
अक्तूबर, 2007 तक 40%	130	260	120	
जनवरी, 2008 तक 70%	225	445	210	
अप्रैल, 2008 तक 100%	322	649	292	

टिप्पणी : अम्बाला मंडल के अंतर्गत पंचकुला जिले में ग्राम चिकन में एक सीएससी स्थापित किया गया है।

लक्ष्य पूरा नहीं के कारण :

1. आरएफपी में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार 100: सीएससी स्थानों के चयन से प्रक्रिया में देरी हुई।
2. सरकारी परिसरों के चयन के लिए तथा उपयुक्त स्थानों के अंतिम अनुमोदन के लिए जिला प्रशासन के संबंधित उप आयुक्तो तथा अन्य अधिकारियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श अपेक्षित है। मसौदा कब्जा-पत्र जिस पर स्थानीय प्रशासन और सभी सीएससी के संबंधित एससीए द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, पर की गई कार्रवाई में भी समय लगा।
3. अधिकांश स्थानों में सम्पर्क अभी स्थापित किया जाना है।

दूरसंचार उपकरण बनाने वाले कारखानों का आधुनिकीकरण

3694. श्री बसुदेव आचार्य : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरसंचार के उपकरण बनाने वाले सभी कारखानों द्वारा कितने उपकरणों/उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) क्या दूरसंचार क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकीय विकास के लिए इन कारखानों को उपयुक्त उपकरणों/उत्पादों के विनिर्माण में समर्थ बनाने के लिए कोई आधुनिकीकरण कार्यक्रम क्रियान्वित करने का विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के सभी दूरसंचार कारखानों में जिन उपकरणों/उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है उनकी संख्या 27 है।

(ख) दूरसंचार क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकिय विकास के अनुरूप उपकरणों/उत्पादों का विनिर्माण करने के लिए कारखानों को समर्थ बनाने हेतु आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। दूरसंचार कारखानों (टीएफ) का आधुनिकीकरण करने और उत्पाद सूची में नए उत्पादों को शामिल करने के लिए सतत प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं।

(ग) वर्ष 2006-07 के दौरान दूरसंचार कारखाना, मुंबई में जर्मनी से आयातित नवीनतम प्रौद्योगिकी से युक्त सिम कार्ड संयंत्र की स्थापना की गई है। संयंत्र की क्षमता को मौजूदा 10 मिलियन सिम कार्ड प्रति वर्ष से बढ़ाकर 40 मिलियन सिम कार्ड प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव है। पिछले पांच वर्षों के दौरान दूरसंचार कारखानों ने सेल्यूलर टावरों के निर्माण में वृद्धि की है जो दूरसंचार नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। दूरसंचार कारखाना कोलकाता और मुंबई ने वर्ष 2004-05 से इंटरनेट (आईएन) सार्वजनिक टेलीफोन बूथों (पीसीओ) का निर्माण आरंभ कर दिया है। दूरसंचार कारखाना कोलकाता ने युक्तक उपकरणों (जॉइंटिंग किट्स) के निर्माण हेतु इकाइयों की स्थापना की गई है तथा वर्ष 2005-06 से विनिर्माण शुरू कर दिया है। दूरसंचार कारखाना खड़गपुर (कोलकाता सर्किल के अंतर्गत) में एक गैल्वनाइजिंग संयंत्र की स्थापना की जा रही है। ब्रॉडबैंड की मांग को पूरा करने के लिए दूरसंचार कारखाना कोलकाता और मुम्बई ने सीटी ब्लॉक (एमडीएफ टाइप) का उत्पादन शुरू कर दिया है। दूरसंचार कारखाना मुंबई ने भी वर्ष 2004-05 से एफडीएमएस और पैच पैनल ऐंटेना का उत्पादन शुरू कर दिया है। कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस (सीडीएमए) हैंड हेल्ड टर्मिनल (एचएचटी) और फिक्स्ड वायरलेस टर्मिनल (एफडब्ल्यूटी) के विनिर्माण के लिए संयुक्त उद्यम की स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। स्क्रैच कार्ड और डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम (डीडीएफ) के निर्माण संबंधी प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश से सूचना प्रौद्योगिकी का निर्यात

3695. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा देश में आंध्र प्रदेश को सूचना प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा निर्यातक बनाने के लिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नासकॉम) राज्य सरकार और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, हैदराबाद के साथ किए गए समन्वय हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) के अनुसार:

भारत सरकार ने एसटीपी योजना सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की है। इस उद्देश्य

(ख) लेखा अधिकारी के पद के लिए चयन पहले ही कर लिया गया है तथा चुनिंदा उम्मीदवार को नियुक्ति की पेशकश को जारी कर दी गई है। वरिष्ठ प्रलेखन सहायक तथा लाइब्रेरियन के ग्रेड की रिक्तियों को प्रौन्नति के आधार पर भरा जाना है जिसके संबंध में आवश्यक कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी गई है।

(ग) और (घ) भारतीय उद्यमिता संस्थान (आई. आई. ई.), गुवाहाटी प्रशिक्षण तथा उद्यमिता विकास के माध्यम से सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के सम्वर्धन के लिए सरकार द्वारा स्थापित तीन राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में से एक है। आई. आई. ई. की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं/परियोजनाएं जिनके लिए सरकार ने सहायता प्रदान की है, निम्नोक्त हैं:

क्र.सं.	योजना/परियोजना का नाम	आबंटन (लाख रु. में)
1.	इन्क्यूबेशन सहयोग केन्द्र सहित जेमस्टोन कटिंग तथा पालिशिंग प्रशिक्षण सह प्रदर्शन	41.80
2.	इन्क्यूबेशन केन्द्र सहित हौजरी तथा वूलन गारमेंट विनिर्माण प्रशिक्षण सह प्रदर्शन।	47.50
3.	व्यवसाय सुविधा तथा विकास केन्द्र	13.68
4.	इन्क्यूबेशन सहयोग केन्द्र सहित जेम्स स्टडिड ज्वैलरी डिजाइनिंग एंड मार्केटिंग ट्रेनिंग कम प्रदर्शन	36.34

इसके अलावा, सरकार वार्षिक आधार पर पूंजी तथा राजस्व व्यय के लिए अनुदान भी प्रदान कर रही है।

सर्वप्रिय योजना

3698. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एन सी सी एफ) द्वारा आम आदमी विशेषकर निम्न आय समूह से संबंधित लोगों के लाभ के लिए चुनिन्दा वस्तुओं के वितरण हेतु सर्वप्रिय योजना चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी वस्तुओं का वितरण किया गया एवं उनकी मात्रा तथा मूल्य कितना है;

(ग) क्या राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एन सी सी एफ) ने थोक और खुदरा बाजार में व्यापार करने वाली निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता खुदरा केंद्र खोलने हेतु किसी कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) सर्वप्रिय योजना को राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा दैनिक प्रयोग की 11 चुनिंदा मदों अर्थात चार किस्म की दालों, नमक, चाय, नहाने के साबुन, कपड़े धोने के साबुन, अभ्यास पुस्तिकाओं, खाद्य तेल और टूथ पेस्ट के वितरण के लिए जुलाई, 2000 में शुरू किया गया था। योजना पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई तथापि, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य समय-समय पर इस योजना के तहत आपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं। इस स्कीम के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभभोगियों को सप्लाई की गई मदों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

विवरण

भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड

मुख्यालय : नई दिल्ली

मार्च, 2005 के दौरान सर्वप्रिय स्कीम के तहत चुनिंदा वस्तुओं की आपूर्ति का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	मद	फरवरी, 2005 तक की गई आपूर्ति		मार्च, 2005 के दौरान की गई आपूर्ति		अप्रैल, 2004 से मार्च, 2005 तक की अवधि के लिए प्रगामी योग	
			मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	राजस्थान	नमक	–	–	–	–	–	–
		चाय	4128 कि.ग्रा.	3.97	–	–	4128 कि.ग्रा.	3.97
		अभ्यास पुस्तिका	–	–	–	–	–	–
		कुल		3.97	–	–	–	3.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	हिमाचल प्रदेश	नहाने का साबुन	1323840 नग	41.39	–	–	1323840 नग	41.39
		नमक	393855.50 कि.ग्राम	24.21	40000 कि.ग्राम	1.30	433955.50 कि.ग्रा.	25.51
		कुल		65.60		1.30		66.90
3.	महाराष्ट्र	नमक						
		नहाने का साबुन						
		चाय						
		कुल						
4.	उत्तर प्रदेश	नमक	1400 कि.ग्रा.	0.93	–	–	1400 कि.ग्रा.	0.93
		चाय	1000 कि.ग्रा.	0.71	–	–	1000 कि.ग्रा.	0.74
		बबुल टूटा पेस्ट	–	–	–	–	–	–
		बारगेन साबुन	42080 नग	1.31	–	–	42080 नग	1.31
		कुल		2.98	–	–	–	2.98
5.	पश्चिम बंगाल	चाय	26473 कि.ग्रा.	21.43	4600 कि.ग्रा	3.86	31073 कि.ग्राम	25.29
		कुल	–	2143	–	3.86	–	25.29
	कुल योग	नमक	395255.50 कि.ग्रा.	25.14	40000 कि.ग्रा.	1.30	435255.5 कि.ग्रा.	26.44
		चाय					36201 कि.ग्रा.	30.00
		अभ्यास पुस्तिका	–	–	..	–	–	–
		बबुल टूथ पेस्ट	–	–	–	–	–	–
		नहाने का साबुन	1365920 नग	42.70	–	–	1365920 नग	42.70
		कुल		93.98		5.16		99.14

भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड

मुख्यालय : नई दिल्ली

मार्च, 2006 के दौरान सर्वप्रिय स्कीम के तहत चुनिंदा वस्तुओं की आपूर्ति का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	मद	फरवरी, 2006 तक की गई आपूर्ति		मार्च, 2006 के दौरान की गई आपूर्ति		मार्च, 2006 तक की अवधि के लिए प्रगामी योग	
			मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9,
1.	राजस्थान	नमक	659882 कि.ग्रा.	110.86	–	–	–	110.86
		चाय	1390 कि.ग्रा.	01.31	–	–	–	01.31
		अभ्यास पुस्तिका	–	–	–	–	–	–
		कुल	–	112.17	–	–	–	112.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	हिमाचल प्रदेश	नहाने का साबुन	1377600 नग	45.05	–	–	–	45.05
		नमक	214000 कि.ग्रा.	15.25	–	–	–	–
		कुल	–	60.30	–	–	–	60.30
3.	महाराष्ट्र	नमक	–	–	–	–	–	–
		नहाने का साबुन	–	–	–	–	–	–
		चाय	–	–	–	–	–	–
		कुल	–	–	–	–	–	–
4.	उत्तर प्रदेश	नमक	–	–	–	–	–	–
		चाय	–	–	–	–	–	–
		बबुल टूथ पेस्ट	–	–	–	–	–	–
		बारगेन साबुन	16800 नग	0.51	–	–	–	0.51
		कुल	–	0.51	–	–	–	0.51
5.	पश्चिम बंगाल	चाय	81000 कि.ग्रा.	68.02	5450 कि.ग्राम	4.61	86450 कि.ग्रा.	72.63
		कुल	–	68.02	–	–	–	72.63
	कुल योग	नमक	–	68.02	–	–	–	72.63
		चाय	–	–	–	–	–	–
		अभ्यास पुस्तिका	–	–	–	–	–	–
		बारगेन साबुन	–	–	–	–	–	–
		कुल योग	–	–	–	–	–	245.61

भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड

मुख्यालय : नई दिल्ली

मार्च, 2007 के दौरान सर्वप्रिय स्कीम के तहत चुनिंदा वस्तुओं की आपूर्ति का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	मद	फरवरी, 2007 तक की गई आपूर्ति		मार्च, 2007 के दौरान की गई आपूर्ति		मार्च, 2007 तक की अवधि के लिए प्रगामी योग	
			मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	राजस्थान	नमक	688882 कि.ग्रा.	111.78	–	–	68882 कि.ग्रा.	111.78
		चाय	1390 कि.ग्रा.	01.31	–	–	1390 कि.ग्रा.	01.31
		अभ्यास पुस्तिका	–	–	–	–	–	–
		कुल	–	113.09	–	–	–	113.09
2.	हिमाचल प्रदेश	नहाने का साबुन	1377600 नग	45.05	2,62,080 नग	9.31	1639680 नग	54.36
		नमक	263800 कि.ग्रा.	23.46	–	–	263800 कि.ग्रा.	23.46
		कुल	–	68.51	–	9.31	–	77.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	महाराष्ट्र	नमक	–	–	–	–	–	–
		नहाने का साबुन	–	–	–	–	–	–
		चाय	–	–	–	–	–	–
		कुल	–	–	–	–	–	–
4.	उत्तर प्रदेश	नमक	–	–	–	–	–	–
		चाय	–	–	–	–	–	–
		बबुल टूटा पेस्ट	–	–	–	–	–	–
		बारगेन साबुन	16800 नग	0.51	–	–	16800 नग	0.51
		कुल	–	0.51	–	–	–	0.51
5.	पश्चिम बंगाल	चाय	147407 कि.ग्रा.	124.91	4425 कि.ग्राम	3.74	151832 कि.ग्रा.	128.65
		कुल	–	124.91	–	3.74	–	128.65
6.	मध्य प्रदेश	नमक	15000 कि.ग्रा.	0.56	– कि.ग्राम	–	15000 कि.ग्रा.	0.56
		बारगेन साबुन	–	–	–	–	–	–
		कुल	–	0.56	–	–	–	0.56
	कुल	नमक	967682 कि.ग्रा.	–	–	–	967682 कि.ग्रा.	–
		चाय	148797 कि.ग्रा.	–	4425 कि.ग्रा.	–	153222 कि.ग्रा.	–
		अभ्यास पुस्तिका	–	–	–	–	–	–
		बारगेन साबुन	1394400 नग	–	2,62,080 नग	9.31	1656480 नग	–
		कुल योग		307.58	–	13.05	–	320.63

कामगारों के लिए कौशल विकास पहल

3699. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कामगारों के लिए कौशल विकास पहल (एस डी आई) नामक एक योजना को हाल ही में स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं योजना के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत कितनेव्यक्तियों को प्रशिक्षित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) उक्त योजना के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित/स्वीकृत की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति (सी सी ई ए) ने "कौशल विकास पहल" नामक योजना का अनुमोदन कर दिया गया है। योजना 5 वर्षों (2007–12) की अवधि के दौरान कार्यान्वित की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 11वीं योजना अवधि के दौरान 1 मिलियन व्यक्तियों को प्रशिक्षित या उनके विद्यमान कौशलों का परीक्षण एवं प्रमाणीकरण किया जाएगा।

वर्तमान में योजना का कुल परिव्यय 550 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

किसानों को अनुदान प्रदान करना

3700. श्री अनंत गुढ़े :
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :
क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गन्ने के उत्पादन और मत्स्यन क्षेत्र के विकास के लिए किसानों को अनुदान प्रदान किए जाने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर से महाराष्ट्र के लिए दिए गए अनुदान के संदर्भ में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र के कपास किसानों को गत वर्ष की उनकी बकाया राशि नहीं मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किसानों को त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। गन्ना उत्पादन के विकास को बढ़ावा देने के लिए वृहत कृषि प्रबंधन के अंतर्गत केन्द्रीय प्रायोजित गन्ना आधारित फसलन पद्धति की सतत विकास स्कीम को 23 राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है। स्कीम में क्षेत्रीय प्रदर्शनों, किसानों और विस्तार कर्मियों को प्रशिक्षण, कार्य उपकरणों/मशीनरी, तापचार संयंत्रों, पौध सामग्री के उत्पादन और ड्रिप सिंचाई के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2007-08 के दौरान महाराष्ट्र में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 1275.25 लाख रुपए की राशि आबंटित कर दी गई है।

भारत सरकार केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्र क्षेत्रीय स्कीमों के माध्यम से मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है जिसमें मछुआरों को समर्थन देना भी शामिल है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र को 2049.19 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई थी।

(ग) महाराष्ट्र में पिछले वर्ष के दौरान भारतीय कपास निगम और महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन संघ लिमिटेड द्वारा खरीद की गई कपास किसानों का कोई बकाया लंबित नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आई. टी. आई. का पुनर्गठन

3701. श्री एम. पी. वीरेन्द्रकुमार : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय टेलीफोन उद्योग (आईटीआई) लि. को प्रभावी और प्रतिस्पर्धी बनाने तथा दूरसंचार उपस्कर विनिर्माता और निर्यातक की प्रमुख भूमिका निभाने में सक्षम बनाने हेतु इस उद्योग को आधुनिक बनाने और इसका पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दूरसंचार बाजार परिदृश्य में तेजी से हो रहे परिवर्तनों के कारण दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण उद्योग को सतत् रूप से आधुनिक बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि तेजी से हो रहे प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों तथा बाजार जरूरतों का सामना किया जा सके। सरकार दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण कार्य को बढ़ावा देने तथा आई. टी. आई. के पुनरुद्धार के लिए अनेक उपाय करती रही है।

[हिन्दी]

वर्दी के कपड़े का भुगतान

3702. श्री. मुनव्वर हसन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के समूह "ग" और "घ" कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाने वाली वर्दी के कपड़े के बदले में अभी तक भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान एमटीएनएल के समूह "ग" और "घ" कर्मचारियों को दी जाने वाली वर्दी के कपड़े के बदले भुगतान नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) लेखा परीक्षा की टिप्पणी और व्यय को देखते हुए उपर्युक्त व्यय को रोकने का निर्णय लिया गया।

तोपों की खरीद

3703. श्री राकेश सिंह :
श्री कीरेन रिजीजू :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री अविनाश राय खन्ना :
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बोफोर्स और सोलटेम तोपें मैदानी परीक्षण में सफल नहीं हो पाई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अन्य वैकल्पिक तोपें उपलब्ध हैं; और

(घ) उक्त प्रयोजनार्थ निविदा कब तक आमंत्रित किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (घ) सेना द्वारा कर्षित तोपों की अधिप्राप्ति के लिए किए गए परीक्षणों में मैसर्स बीएई सिस्टम्स एंड सोल्टम द्वारा प्रस्तुत की गई तोपों में से कोई भी तोप सफल नहीं रही। तथापि, परीक्षणों के आधार पर जनरल स्टाफ मूल्यांकन कार्य चल रहा है। जैसे ही यह अंतिम रूप से तैयार हो जाएगा, इस विषय में रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया, 2006 के अनुसार यथोचित निर्णय लिया जाएगा। समान व्यास की दूसरी तोपें भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध हैं। वे हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि परीक्षण मूल्यांकन के बाद ही होगी। भावी कार्रवाई के लिए कोई समय–सीमा नहीं बताई जा सकती है।

[अनुवाद]

रक्षा संबंधी सरकारी उपक्रमों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

3704. श्रीमती मिनाती सेन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केलकर समिति की सिफारिश के अनुसार रक्षा संबंधी सरकारी उपक्रम में 50 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय औद्योगिक श्रमिक संघ (सीटू) और केन्द्रीय श्रमिक संघों, रक्षा कर्मचारी परिसंघों, डीपीएसयू संघों में केलकर समिति की सिफारिशों को रद्द करने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) जी, नहीं। न तो सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों में 50 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है और न ही केलकर समिति ने ऐसी कोई सिफारिश की है।

(ख) और (ग) रक्षा कर्मचारी परिसंघों ने केलकर समिति की कुछ सिफारिशों को रद्द करने की मांग की थी। एक नीति के रूप में, सरकार का रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 26 प्रतिशत से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय मछुआरों का अवैध रूप से पकड़ा जाना

3705. श्री एम. अप्पादुरई : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत दो वर्षों के दौरान श्रीलंका और पाकिस्तान नौसेना द्वारा कितने भारतीय मछुआरों को अवैध रूप से पकड़ा गया;

(ख) दोनों देशों से भारतीय मछुआरों को छुड़वाने के लिए भारतीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या मत्स्यन, क्षेत्राधिकार के निरूपण आदि के संबंध में इन देशों के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) पिछले दो वर्षों अर्थात 2005 और 2006 के दौरान, पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा कुल मिलाकर 639 भारतीय मछुआरे पकड़े गए थे। इसी अवधि के दौरान, 13 भारतीय मछुआरे मछली पकड़ने/मछली का शिकार करने से इतर आरोपों पर श्रीलंकाई हिरासत में लिए गए थे।

(ख) श्रीलंका और पाकिस्तान द्वारा पकड़े/हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों के मामलों को संबंधित सरकारों के साथ मुस्तैदी से उठाया जाता है।

(ग) और (घ) यद्यपि इस संबंध में पाकिस्तान के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, लेकिन श्रीलंकाई सरकार के साथ 1974 और 1976 में किए गए द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक सीमा रेखा का सीमांकन किया गया है।

मिश्रित खेती

3706. श्री अबु अयेश मंडल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मिश्रित खेती के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) मिश्रित खेती एक ही खेत पर दो अथवा अधिक फसलें उगाने संबंधी कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि कृषि मंत्रालय ने अपने अध्ययन नामतः 'भारतीय किसानों की स्थिति–सहस्त्राब्दि अध्ययन' में अपने नौवें खण्ड में कुछेक राज्यों में ऐसी प्रेक्टिस का पता लगाया है।

संगठित विनिर्माण क्षेत्र के रोजगार में गिरावट

3707. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :

श्री अखिल शुक्ल वारसी

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत दशक के दौरान देश में रोजगार वृद्धि अर्थव्यवस्था में वृद्धि के अनुरूप नहीं रही है;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप कितना रोजगार सृजित हुआ है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसर में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संगठित विनिर्माण क्षेत्र में अधिक रोजगार का सृजन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) रोजगार एवं बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। वर्ष 1993–94 तथा वर्ष 2004–05 की सर्वेक्षण रिपोर्ट यह दर्शाती है कि कार्यबल जोकि वर्ष 1993–94 में 374 मिलियन था वर्ष 2004–05 में बढ़कर लगभग 459 मिलियन हो गया, जिससे लगभग 85 मिलियन की वृद्धि परिलक्षित होती है जोकि इस अवधि के दौरान प्रतिवर्ष 8.5 मिलियन के बराबर है। सरकार ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था की सामान्य विकास प्रक्रिया के साथ साथ सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई); स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई); स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई); प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई); प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई); राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (एन आर ई जी पी) इत्यादि जैसे विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सृजन का प्रयास कर रही है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, संगठित विनिर्माण क्षेत्र में जो रोजगार वर्ष 2003 में 60.04 लाख था वह वर्ष 2005 में घटकर 56.19 लाख रह गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में समग्र अर्थव्यवस्था हेतु जिसमें अर्थव्यवस्था की सामान्य विकास प्रक्रिया के माध्यम से रोजगार सृजन करने के अतिरिक्त संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन शामिल है, से 70 मिलियन रोजगार अवसरों के सृजन की परिकल्पना की गई है।

रक्षा नीति में बदलाव

3708. श्री रेवती रमन सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रक्षा नीति में कोई बदलाव करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित बदलावों के परिणामस्वरूप अगले दो दशकों में रक्षा खरीद पर भारी व्यय होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (घ) भारत की रक्षा नीति में, द्वीपीय क्षेत्रों, अपतटीय संसाधनों और परिसम्पतियों, समुद्री व्यापार मार्गों तथा वायुक्षेत्र सहित हमारे राष्ट्र के क्षेत्र की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर आंतरिक परिवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है ताकि राष्ट्र की एकता, इसके बुनियादी मूल्यों और शांतिपूर्ण विकास के प्रति किसी भी खतरे से इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस संबध में किसी परिवर्तन की कोई परिकल्पना नहीं की गई है। रक्षा सेनाओं को राष्ट्र की रक्षा करने के लिए उनको सौंपे गए कार्य को पूरा करने हेतु संघटित किया गया है, सज्जित किया गया है तथा प्रकाशित किया गया है। सुरक्षा परिदृश्य, प्रौद्योगिकी परिवेश तथा खतरे की संभावनाओं की समय–समय पर समीक्षा की जाती है तथा बदलते परिदृश्य पर निर्भर करते हुए जरूरत के आधार पर सेनाओं में वृद्धि/उनका पुनर्गठन तथा उनका आधुनिकीकरण किया जाता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आवश्यकता के अनुरूप धनराशि, जैसाकि सरकार आकलन करे, रक्षा बजट में उपलब्ध कराई जाती है।

राष्ट्रीय कृषि नवीकरण योजना

3709. श्री बालासाहिब विखे पाटील :

श्री जुएल ओराम :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि नवीकरण परियोजना (एन.ए.आई.पी.) संबंधी विश्व बैंक वित्तपोषित योजना वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है, जहां इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ग) महाराष्ट्र के उस क्षेत्र का ब्यौरा क्या है, जहां इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है;

(घ) क्या कृषक समूहों और निजी क्षेत्र की भागीदारी से सरकारी संगठन के माध्यम से गरीबी उन्मूलन और आय सृजन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। कार्यान्वयन के लिए अभी तक 4 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं जो योजना आयोग द्वारा पहचाने गए पिछड़े जिलों सहित स्थायी जीविका सुरक्षा पर अनुसंधान के घटक से संबंधित हैं।

इन 4 परियोजनाओं में शामिल जिले आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में स्थित हैं।

(ग) से (ङ) महाराष्ट्र में, परियोजना में अहमदनगर, चन्द्रपुर, गढ़चिरौली, यवतमल और नंदुरबार के जिलों के क्षेत्र शामिल हैं। निर्धारित किए गए लक्ष्यों में शामिल हैं–भाग लेने वाले किसानों की फार्म उत्पादकता को 75 प्रतिशत तक बढ़ाना, छोटे और बड़े जुगाली करने वाले पशुओं का प्रति दुग्धकाल में दुग्ध उत्पादन बढ़ाना तथा खेतों पर और खेतों से बाहर की गतिविधियों में 60 प्रतिशत तक रोजगार के स्थानीय अवसरों को बढ़ाना, सस्योत्तर प्रबंधन, मूल्यवर्धन और बाजार सम्पर्कों के माध्यम से 20 प्रतिशत तक फार्म उत्पादों की उच्च कीमत प्राप्त करना। तथापि, ये लक्ष्य राज्य विशिष्ट हैं।

पशु आनुवांशिकी और प्रजनन में सुधार

3710. श्री सुग्रीव सिंह :

श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार का विचार पशु आनुवांशिकी और प्रजनन के क्षेत्र में सुधार करने हेतु धनराशि आबंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अभी तक इन क्षेत्रों में दसवीं योजना के दौरान हासिल उपलब्धि की भी समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2006–07 और 2007–08 के दौरान इस प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) आनुवांशिकी संवर्द्धन एक दीर्घकालिक गतिविधि है तथा सरकार ने इसमें भागीदारी करने वाले राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 100 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में इस कार्यक्रम के चरण–1 के लिए 402 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना (एन पी सी बी बी) नामक एक बड़े कार्यक्रम को अक्तूबर, 2000 से पूरे देशभर में पांच–पांच वर्षों के दो चरणों में 10 वर्षों के लिए आरंभ किया है। परियोजना के चरण–1 के दौरान प्राप्त निष्कर्षों को समेकित करने तथा संगठित प्रजनन के तहत कवरेज को बढ़ाने के लिए 775.87 करोड़ रुपए के स्वीकृति आबंटन के साथ परियोजना के चरण–2 को दिसम्बर, 2006 से अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।

(ग) और (घ) सरकार समय–समय पर इस योजना की प्रगति की निगरानी तथा समीक्षा करती रहती है। चरण–1 के प्रभाव विश्लेषण का कार्य स्वतंत्र एजेंसी राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को दिया गया है। इस एजेंसी ने एन पी सी बी बी के क्रियान्वयन की दो वर्ष की अवधि पूरा करने वाले 12 राज्यों में प्रभाव विश्लेषण का कार्य किया तथा मूल्यांकन एजेंसी के प्रमुख परिणामों विवरण–I के आधार पर चरण–2 के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे।

(ङ) इस परियोजना के तहत राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है। इस परियोजना के अधीन व्यवस्था के अनुसार इस परियोजना के तहत आवश्यक निधि का आकलन राज्य के मौजूदा प्रजनन मूलभूत सुविधाओं में आवश्यक प्रजनन नेटवर्क, प्रजनन योग्य बोवाईनों की संख्या तथा सुदृढ़ीकरण के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2006–07 तथा 2007–08 (अगस्त, 2007 तक) के दौरान, इस परियोजना के तहत जारी निधियों का ब्यौरा विवरण–II में दर्शाया गया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना पर मूल्यांकन एजेंसी (नाबार्ड) के मुख्य निष्कर्ष

1) धनराशि को भागों में जारी नहीं किया जाए चूंकि अधिकतर गतिविधियां अनुवर्ती प्रकृति की हैं।

2) परियोजना के अंतर्गत गठित राज्य क्रियान्वयन एजेंसियां कृत्रिम गर्भाधान (ए आई) शुल्क के एकत्रीकरण के जरिए व्यवहार्य नहीं है, चूंकि अधिकतर राज्यों में विशेषरूप से मुफ्त सेवा प्रावधानों को देखते हुए कुल लागत वसूली को अभी लागू किया जाना है।

3) 1970 और 1980 के बीच स्थापित अधिकतर वीर्य स्टेशनों में एम एस पी के अनुसार सांड शेड और उपकरण मौजूद नहीं हैं (क्योंकि अधिकतर राज्यों ने लिक्विड वीर्य एकत्रीकरण केन्द्र को हिमित वीर्य सांड स्टेशनों में परिवर्तितत कर लिया है) अतः, गुणवत्ता वीर्य उत्पादन और अंततः प्रजनन कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है।

4) तीन महीनों में, जिसके लिए इस समय टेपरिंग अनुदान प्रदान किया जाता है, परियोजना के अंतर्गत गैर सरकारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकारियों को स्थापित करना व्यवहार्य नहीं है। अतः गैर सरकारी कृत्रिम कार्यकारियों को स्थापित होने और व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए टेपरिंग अनुदान के रूप में दीर्घकालीन कार्य निष्पादन से जुड़ी सहायता प्रदान की जा सकती है।

5) गुणवत्ता प्रजनन सांडों को उपलब्ध कराने और प्रयोग पर जोर देने की आवश्यकता है और इसके लिए सांड उत्पादन कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए कुछ एजेंसियों की पहचान करना आवश्यक है।

6) पशुधन घटकों सहित बहुदेश्यीय योजनाओं में उपलब्ध संसाधनों से संयोजन के जरिए एन पी सी बी बी के लिए धन के प्रवाह की प्रतिपूर्ति को अवश्य बढ़ाया जाना चाहिए।

7) समय पर मॉनिटरिंग और कमियों के निराकरण के लिए कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र बिन्दु के मानिटरिंग की व्यवस्था (ए आई केन्द्रों, वीर्य स्टेशनों, फार्म और प्रजनन कार्यक्रम) को सुदृढ़ बनाया जाए।

8) गुणवत्ता प्रजनन आदानों को सुनिश्चित करने के लिए वीर्य, वीर्य स्टेशनों और कृत्रिम सांडों के प्रमाणीकरण के लिए केन्द्रीय मानिटरिंग प्रकोष्ठ स्थापित करना।

9) अनुसंधान एवं विकास बेकस्टापिंग, हाई टेक क्षेत्रों (जैसे भ्रूण प्रौद्योगिकी, मार्कर एसिस्टेड सिलेक्शन इत्यादि) में अनुसंधान एवं विकास सहायता को बेहतर बनाना और गैर सरकारी संगठनों, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और विश्वविद्यालयों को शामिल करते हुए अनुसंधान योग्य मुद्दों की पहचान करना।

विवरण-II

2006-07 तथा 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना के तहत राज्यवार जारी निधियां

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2006-07*	2007-08*	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3575.57	1100.00	4675.57
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-
3.	असम	319.50	-	319.50
4.	बिहार	499.80	-	499.80
5.	छत्तीसगढ़	250.00	175.42	425.42
6.	गुजरात	100.00	-	100.00
7.	गोवा	-	-	-
8.	हरियाणा	200.00	-	200.00
9.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-
10.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-
11.	झारखंड	200.00	-	200.00
12.	कर्नाटक	903.04	-	903.04
13.	केरल	1277.07	100.00	1377.07
14.	मध्य प्रदेश	711.00		711.00
15.	महाराष्ट्र	1523.63	300.00	1823.63
16.	मणिपुर	-	-	-
17.	मेघालय	-	-	-
18.	मिजोरम	30.00	-	30.00
19.	नागालैंड	80.00	40.00	120.00
20.	उड़ीसा	740.20		740.20
21.	पंजाब	350.00	100.00	450.00
22.	राजस्थान	-	-	-
23.	सिक्किम	51.32	-	51.32
24.	तमिलनाडु	400.00	-	400.00
25.	त्रिपुरा	53.20		53.20
26.	उत्तर प्रदेश	100.00	-	100.00
27.	उत्तरांचल	300.00	100.00	400.00
28.	पश्चिम बंगाल	265.00	135.00	400.00
29.	पांडिचेरी	-	-	-
	कुल	11929.33	2050.42	13979.75

*इसमें आत्महत्या संभावित जिलों के लिए विशेष पैकेज के तहत जारी निधि शामिल है।

[हिन्दी]

द्वितीय हरितक्रांति

3711. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार सहित पूर्वी क्षेत्र में द्वितीय हरित क्रांति का केन्द्र बनने की क्षमता है, जैसा कि दिनांक 8 अगस्त, 2007 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में कृषि क्षेत्र का अपना सहयोग देने का आश्वासन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार, अन्य पूर्वी राज्यों के समान ही जहाँ अच्छी मृदा, पर्याप्त वर्षा तथा अनुकूल जल वैज्ञानिक स्थिति, जल संसाधन तथा अनुकूल तापक्रम मौजूद है, में कृषि उत्पादन में नये लाभ अर्जित करने की अपार संभावनायें हैं। इन राज्यों की क्षमता का दोहन करने तथा खाद्यान्ना उत्पादन में वृद्धि करने के लिये उत्तर प्रदेश, बिहार तथा अन्य पूर्वी राज्यों सहित देश के 16 राज्यों में 2007–08 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन संबंधी एक नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू किये जाने हेतु अनुमोदित की गई है।

(ग) और (घ) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय कृषि क्षेत्र को अपना सहयोग देगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय उपग्रह प्रौद्योगिकी तथा यथार्थ मेसो–स्केल पूर्वानुमानों का प्रयोग करते हुये ग्रामीण स्तर पर कृषि की स्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करने तथा फसलों की उत्तमता की मानीटरिंग करने के लिये एक प्रणाली का विकास करने हेतु कृषि मंत्रालय के साथ कार्य कर रहा है।

[अनुवाद]

कृषि संकट

3712. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड :
श्री सी. के. चन्द्रप्पन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा डा. आर. राधाकृष्ण की अध्यक्षता में गठित कृषि संकट संबंधी विशेषज्ञ पैनल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो निष्कर्ष और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) भारत सरकार ने कृषि ऋणग्रस्तता की समस्याओं की जांच करने के लिए इन्दिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर आर. राधाकृष्ण की अध्यक्षता में विशेषज्ञ दल गठित किया है जिसने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। प्रमुख सिफारिशों और इसके निष्कर्षों के ब्यौरे विवरण में संलग्न हैं। सरकार ने विशेषज्ञ दल द्वारा की गई सिफारिशों पर परामर्श लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

विवरण

विशेषज्ञ ग्रुप की रिपोर्ट ऐसी संस्थाओं और तंत्रों पर संकेन्द्रण करती है जो विशेषकर कृषक समुदाय और सामान्य तौर पर ग्रामीण भारत के लिए ऋण प्रदायगी तंत्र को मजबूत करेगी। ऐसा करते हुए यह ऋण अवशोषण और मांग–पक्ष के मुद्दों का समाधान करने की अनिवार्यताओं का संज्ञान लेता है। कृषि संकटों के समाधान हेतु आवश्यक नीति हस्तक्षेप और संस्थागत सुधार जो ऋण प्रदायगी प्रणाली में सहायक होंगे वे भी इस रिपोर्ट में हिस्सा है। लम्बी अवधि में वित्तीय प्रणाली के हितों और बैंक ऋणों की सकारात्मक पुनः अदायगी के रिवाज को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

रिपोर्ट में निम्न प्रकार से सिफारिश की गई है:–

1. **तत्काल ऋण उपायों में शामिल हैं:**

प्रधान मंत्री राहत पैकेज का कार्यान्वयन : पृथक परिवारों की आवश्यकताओं पर आवश्यक लचीलेपन के साथ विचार किया जाना चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के ऋण पुनः निर्धारण करना; वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए ऋण देना, अनौपचारिक ऋण को औपचारिक रूप देना, वित्तीय रूप से बाहर किए गए व्यक्तियों को शामिल करना, परियोजना आधारित ऋण देना।

2. **वित्तीय संघटन में शामिल हैं:**

एजेन्सी एवं मोबाइल बैंकिंग, भारत किसान क्रेडिट कार्ड पद्धति, लीड बैंक स्कीम में सुधार करना, किसानों के लिए ऋण परामर्श देना, रेहन के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना, अन्तरण लागतों को कम करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना, रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण करना, मुख्य धारा वाले बैंकों के साथ सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों का समेकन करना, ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (आरआईडीएफ) का उन्नत फैलाव करना।

3. **सांस्थानिक संघटन में शामिल हैं:**

किसान संघ–स्वतः सहायता समूह (एसएचजी)

4. **जोखिम कम करने के उपायों में शामिल हैं :** फसल बीमा, मौसम बीमा, मूल्य जोखिम कम करना, परिवर्तनीय शुल्क, फसल निगरानी, नकदी आदानों से हुए जोखिमों को कम करना, अनुसंधान एवं विकास सेवाओं का सुदृढ़ीकरण।

5. **अन्य उपायों में शामिल हैं :** आजीविका आधार और ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना।

रक्षा स्पेक्ट्रम को खाली किया जाना

3713. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण स्पेक्ट्रम अधिकार में लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके द्वारा अपने स्पेक्ट्रम को खाली किया जाना नेटवर्क विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय को स्पेक्ट्रम की अनुपलब्धता और भारत तथा भारतीय दूरसंचार के भविष्य पर इसके प्रभाव के बारे में लिखा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ङ) रक्षा सेवाओं के अपने कुछ प्रचालन उन फ्रीक्वेंसी बैण्डों में है जिनका प्रयोग मोबाइल दूरसंचार सेवाओं में किया जाता है। रक्षा सेवाओं द्वारा कुछ स्पेक्ट्रम समन्वित/निर्मुक्त किए गए थे।

रक्षा सेवाओं से अनुरोध किया गया है कि वे नियत स्थानों के बीच कतिपय रक्षा बेतार संयोजनों को ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) जैसे वैकल्पिक माध्यमों से बदल कर मोबाइल दूरसंचार सेवाओं के निर्बाध विकास के लिए और अधिक स्पैक्ट्रम सम्मिलित कर उसे निर्मुक्त करें।

[हिन्दी]

ट्राई द्वारा अनुदेश

3714. श्री वी. के. ठुम्मर :

श्री जीवाभाई ए. पटेल :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने गत वर्ष ऐसे अनुदेश जारी किए थे, जिनसे भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) को नुकसान हुआ और निजी कंपनियों को लाभ पहुंचा;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष ट्राई ने बी.एस.एन.एल. को कुल कितने अनुदेश जारी किए और ये अनुदेश किन क्षेत्रों से संबंधित थे;

(ग) इनमें से कितने अनुदेशों से बी.एस.एन.एल. को नुकसान होने की संभावना है और ऐसे अनुदेशों के कारण बी.एस.एन.एल. को कितनी धनराशि का नुकसान होने की संभावना है;

(घ) नुकसान को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) किए गए उपायों के फलस्वरूप सरकार को क्या सफलता हासिल हुई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा की जाए और साथ ही देश में दूरसंचार के विकास की स्थितियों को प्रोत्साहित किया जाए। विनियम, निर्देश, आदेश आदि के रूप में कोई अनुदेश जारी करते समय, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण उपभोक्ताओं तथा दूरसंचार उद्योग के समग्र हित में उपभोक्ता को पर्याप्त विकल्प, वहनीय प्रशुल्क आदि प्रदान करते हुए मुख्य रूप से सेवा प्रदाताओं में कार्य करने के समान अवसर तथा उचित प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर बल देता है।

(ख) और (ग) पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 2006–07 के दौरान दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निम्नलिखित विनियम/आदेश जारी किए गए थे जिनके कारण बीएसएनएल को हानि हुई है;

(i) दिनांक 21 मार्च, 2007 का दूरसंचार अंतर्संयोजन उपयोग प्रभार (आठवां संशोधन) विनियम 2007 (2007 का 2) जिसके जरिए बीएसएनएल को देय अभिगम घाटा प्रभार (एडीसी) की राशि को वर्ष 2007–08 के लिए 3200 करोड़ रुपये से घटाकर 2000 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसके कारण बीएसएनएल को 1200 करोड़ रुपए की हानि हुई।

(ii) दिनांक 2 फरवरी, 2007 का दूरसंचार अंतर्संयोजन (पोर्ट प्रभार) संशोधन विनियम 2007 (2007 का 1) जिसके जरिए पोर्ट प्रभारों को घटा दिया गया। इसके कारण लगभग 100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की वार्षिक हानि होगी।

(iii) रोमिंग कॉलों के लिए कॉल करने वाले (विजिटिंग) नेटवर्क और जिस नेटवर्क में कॉल की गई है (टर्मिनेटिंग नेटवर्क) उनके बीच राजस्व की हिस्सेदारी की देयता के संबंध में ट्राई का दिनांक 11 सितंबर, 2006 का आदेश सं. 409–4/2007 – एफ एन जिसके जरिए ट्राई द्वारा बीएसएनएल की निजी मोबाइल प्रचालकों के साथ राजस्व की हिस्सेदारी के दावे को नकार दिया गया है। इससे बीएसएनएल को राष्ट्रीय रोमिंग उपभोक्ता से 0.30 रु. प्रति मिनट की दर से और अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग उपभोक्ता से 3.25 रु. प्रति मिनट की दर से राजस्व की हानि होगी।

(iv) मोबाइल प्रचालकों द्वारा लेवल–II ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज पर एसडीसीए को जाने वाले (टर्मिनेटिंग) परियात की सुपुर्दगी के लिए परिवहन प्रभारों की देयता के संबंध में ट्राई का दिनांक 17 मई, 2006 का आदेश सं. 409–4/2006–एफएन। इसके अनुसार बीएसएनएल को बीएसएनएल के एलडीसीसी टीएएक्स को की गई अंतरा संर्किल सेल्युलर कॉल की सुपुर्दगी पर 0.10 रु. प्रति मिनट की हानि होगी। इसके कारण लगभग 264 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की अनुमानित हानि होगी।

(घ) और (ङ) ट्राई संसद के अधिनियम द्वारा गठित एक स्वायत्त निकाय है जिसका कार्य दूरसंचार नेटवर्क में प्रतिस्पर्द्धा के समान अवसर प्रदान करना और इसका समुचित विकास सुनिश्चित करना है। ट्राई अधिनियम में ट्राई अधिनियम की धारा 36 के तहत ट्राई द्वारा विनियमों को अधिसूचित किए जाने का प्रावधान किया गया है तथा अधिनियम की धारा 13 के तहत ट्राई को दिशा-निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इन मामलों में सरकार को ट्राई द्वारा अधिसूचित विनियमों को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखने के सिवाय किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों में कार्यरत बाल श्रमिक

3715. श्री सुब्रत बोस : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तिथि के अनुसार राज्यवार कितने बाल श्रमिक लघु उद्योगों में कार्यरत हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान लघु उद्योगों से राज्य-वार कितने बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है;

(ग) क्या इस संबंध में दोषियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) बाल श्रमिकों को व्यवसायों से हटाने के पश्चात् उनके पुनर्वास और निर्वाह के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (घ) जनगणना 2001 के अनुसार देश में कामकाजी बच्चों की संख्या 1.26 करोड़ है। सरकार द्वारा लघु उद्योगों में कार्यरत या मुक्त कराए गये बच्चों से संबंधित विशिष्ट आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 14 के अनुसार कोई व्यक्ति जो ऐसे किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में किसी बच्चे को नियोजित करता है जहां बच्चों का नियोजन अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित है जो उसे कम से कम तीन माह से लेकर एक वर्ष तक के कारावास की सजा अथवा 10,000/- रुपये से लेकर 20,000/- रु. तक के जुर्माने का दण्ड लगाया जायेगा। अधिनियम के अंतर्गत 1997-98 से 2005-06 की अवधि के दौरान 3877383 निरीक्षण किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप 87360 अभियोजन आरंभ किए गए।

(ङ) सरकार कार्य से हटाये गये बच्चों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एल सी एल पी) स्कीम चला रही है। इन बच्चों को इस स्कीम के अंतर्गत चलाये जा रहे विशेष स्कूलों में डाला जाता है, जहां उन्हें गतिशील ब्रिजिंग शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, छात्रवृत्ति और स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं इत्यादि प्रदान की जाती हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कृषि प्रशिक्षण केन्द्र

3716. श्री सुभाष सुरेश चन्द्र देशमुख : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में महिलाओं को कृषि प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भूतल अन्वेषण

3717. श्री मदन लाल शर्मा : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में भूजल अन्वेषण शुरू करने हेतु कोई प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार उस क्षेत्र में ट्रक पर लदे ऐसे अधिक ड्रिलिंग रिगों की तैनाती के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जो पहाड़ी सड़कों पर चल सके और दूर-दराज के क्षेत्रों में जा सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी जी डब्ल्यू बी) संबंधित राज्य अभिकरणों के परामर्श तथा अन्वेषणात्मक आंकड़ों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भूजल अन्वेषण संबंधी वार्षिक कार्रवाई योजना को अंतिम रूप देता है। वर्ष 2007-08 के दौरान सी जी डब्ल्यूबी ने जम्मू और कश्मीर में जम्मू के कांडी क्षेत्रों तथा कश्मीर घाटी की बोल्डर संरचनाओं में भूजल अन्वेषण की योजना तैयार की है।

(ग) और (घ) जी, हां। सी जी डब्ल्यू बी ने शुरुआती तौर पर जम्मू और कश्मीर में ट्रक पर लदे रिंग लगाए है। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों तथा कश्मीर घाटी के भीतरी भागों की स्थिति के अनुरूप ट्रक पर लदे दो अतिरिक्त रिग भी लगाए गए हैं।

कपास उत्पादकों द्वारा आत्महत्या

3718. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कपास उत्पादकों ने सस्ते आयातित कपास के कारण साहूकारों से बचने के लिए आत्महत्या की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले मुख्यतया महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक राज्यों से प्राप्त हुए हैं और राज्य सरकारों/द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आत्महत्या करने का सबसे आम कारण किसानों की ऋणग्रस्तता है। किसी राज्य सरकार से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है जिसमें सस्ते कपास के आयात को कपास उत्पादकों द्वारा आत्महत्या का एक कारण माना गया हो।

किसानों की दशा सुधारने के लिए भारत सरकार ने सितम्बर, 2006 में 31 जिलों के लिए 16978.69 करोड़ रुपये के एक पुनर्वास पैकेज को मंजूरी दी है जिसमें अल्पावधि और दीर्घावधि उपाय शामिल है। पैकेज को तीन वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य किसानों को ऋण राहत के जरिए एक सतत एवं व्यवहार्य कृषि तथा जीविका समर्थन प्रणाली, संस्थागत ऋण की उन्नति आपूर्ति, कृषि संबंधी फसल केन्द्रित दृष्टिकोण, सुनिश्चित सिंचाई सुविधाओं, पनधारा प्रबंधन, बेहतर विस्तार एवं कृषि समर्थन सेवाओं, उन्नत विपणन सुविधाओं और सहायक आय के अवसरों की स्थापना करना है। मृतक किसानों के ऋणग्रस्त परिवारों के समक्ष आ रही कठिनाईयों के शमन के लिए पैकेज द्वारा कवर किए गए प्रत्येक जिले को प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 50 लाख रुपये की दर से अनुग्रह सहायता प्रदान की जा रही है। खरीफ 2006-07 से 3.00 लाख रु. की मूल धनराशि तक के फसल ऋण किसानों को प्रति वर्ष 7% की ब्याज दर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और सरकार इस उद्देश्य के लिए आवश्यक ब्याज सहायता प्रदान करती है।

कपास उत्पादकों की सहायता करने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य कपास का उत्पादन, उत्पादकता बढ़ाना तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार लाना है।

हाथ रिक्शा खींचने वाले

3719. श्री हितेन बर्मन : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) लोगों को लाने-ले-जाने के लिए हाथ रिक्शा खींचने वाले व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा रिक्शों के स्थान पर बेहतर मशीनीकृत साइकल रिक्शा अथवा आटो रिक्शा उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस व्यवस्था को कब तक समाप्त किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) लोगों को लाने-ले-जाने के लिए अभी हाथ रिक्शा खींचने वाले रिक्शा चालकों की राज्य-वार संख्या केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

डाक सेवाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा

3720. श्री के. एस. राव : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह को डाक सेवा के क्षेत्र में रोजगार अवसरों को प्रभावित करने का जोखिम उठा कर इस सेवा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा तय करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 को संशोधित करने का प्रस्ताव है। अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रस्ताव में डाक क्षेत्र में प्रवेश के लिए पंजीकृत सेवा प्रदाताओं को मंजूरी देने का प्रावधान है। तथापि, प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

सशस्त्र बलों के कार्मिकों की शारीरिक फिटनेस

3721. डा. एच. टी. संगलिआना :

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उपमहाद्वीप के एक बड़े भू-भाग पर विविध विशेष रूप से जम्मू और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात जवानों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने वाले कुटकी और चिचड़ी जैसे छोटे कीटों तथा पारिस्थितिकीय स्थितियों जिनके कारण जवानों को विभिन्न रोग होने की संभावना हो जाती है, के प्रति चिंता जताई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सेना ने सशस्त्र बल चिकित्सा कालेज में डाक्टरों तथा पैरा मेडिक्स को रोग की पहचान तथा रोकथाम करने का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार जम्मू से लेकर नागालैंड तक उप हिमालयी क्षेत्र में इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है अथवा उठाने पर विचार कर रही है; और

(घ) जवानों की समग्र शारीरिक फिटनेस का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (घ) गत छह वर्ष के दौरान सशस्त्र सेनाओं में कुटकी और चिचड़ी जनित बीमारियों की घटनाएं, नगण्य रही हैं। इसलिए, कुटकी और चिचड़ी से सैनिकों के स्वास्थ्य को खतरा होने के संबंध में अनुचित चिंता करने की जरूरत नही है। कुटकी और चिचड़ी जनित रोगों से बचाव करने, उनका शीघ्र निदान करने और उनका इलाज करने संबंधी प्रशिक्षण सशस्त्र सेना चिकित्सा कॉलेज, पुणे में डॉक्टरों तथा पैरा मेडिक्स के पाठ्यक्रम में पहले ही शामिल किया गया है। कुटकी और चिचड़ी जनित रोगों को फैलने से रोकने के लिए किए गए एहतियाती उपायों में कुटकी और चिचड़ी जनित रोगों के रोग लक्षण–विज्ञान के संबंध में जागरूकता का प्रचार करना, कुटकी और चिचड़ी की बहुतायत वाले संभावित क्षेत्रों में सैनिक शिविर लगाने से बचना, कीट विकर्षकों आदि की व्यवस्था करना शामिल है।

सैनिकों की समग्र तन्दुरुस्ती वांछित स्तर की है।

श्रम सुधारों संबंधी रणनीति

3722. श्री अखिल कुमार बारसी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में श्रम और सुधारों के संबंध में कोई रणनीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए सुधारों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) श्रम सुधारों के मद्देनजर, अर्थव्यवस्था की उभर रही जरूरतों के अनुरूप लाने के उद्देश्य से श्रम कानूनों की समीक्षा/अद्यतन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। यह सभी पणधारियों (स्टेकहोल्डर्स) के परामर्श से किया जाता है।

हल्के युद्धक हेलीकॉप्टर

3723. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच ए एल) की योजना हल्के युद्धक हेलीकॉप्टर बनाने की है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है तथा इसे पूरा किए जाने की संभावित तिथि क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने भारतीय वायुसेना की युद्धक हेलिकॉप्टर की आवश्यकता पूरी करने के लिए हल्के युद्धक हेलिकॉप्टर के अभिकल्पन एवं विकास के लिए अक्तूबर, 2006 में अनुमोदन प्रदान कर दिया है। हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड (एच ए एल) ने इस परियोजना का अभिकल्पन और विकास कार्य अपने हाथ में लिया है। भारतीय वायुसेना द्वारा सेवा में तैनाती के लिए आरंभिक संक्रियात्मक अनुमति नवंबर, 2010 तक दिए जाने की योजना है।

बोनस के लिए वेतन सीमा में बढ़ोतरी

3724. श्री पन्नियन रवीन्द्रन : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मजदूर संघों से बोनस के लिए वेतन सीमा बढ़ाने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) जी हां। सरकार बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अंतर्गत पात्रता सीमा और गणना की उच्चतम सीमा में वृद्धि करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

मछुआरों के लिए राजसहायता

3725. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 के लिए एच एस डी तेल पर मछुआरा विकास संबंधी छूट की प्रतिपूर्ति हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र द्वारा भेज दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख तक उपर्युक्त में से केन्द्रीय हिस्से की कितनी धनराशि लंबित है;

(घ) केन्द्रीय हिस्से को जारी करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इसे कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने राज्य में केन्द्रीय प्रायोजित योजना "समुद्री मात्स्यिकी का विकास" के घटक "एच एस डी ऑयल पर मछुआरा विकास छूट" के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 के दौरान जारी किए गए 600 लाख रुपए की संपूर्ण राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

3726. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि के क्षेत्र में पिछड़े जिलों की पहचान कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पिछड़े जिलों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे पिछड़े जिलों की पहचान किन मानदण्डों पर की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) हाल ही में प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत, देश के राज्यों में एन.एफ.एस.एम–चावल के लिए 133 जिलों, एन.एफ.एस.एम.–गेहूं के लिए 138 ज़िलों तथा एन.एफ.एस.एम.–दालों के लिए 168 ज़िलों की पहचान की गई है। ज़िलों की राज्य–वार सूचियां संलग्न विवरण – I- II तथा III में दी गई हैं। चावल के बारे में ज़िलों की पहचान के लिए मानदण्ड में ऐसे ज़िले हैं जिनमें चावल के अंतर्गत 50 हज़ार हैक्टेयर क्षेत्र से अधिक हैं तथा उत्पादकता राज्य औसत उत्पादकता से कम है। गेहूं के लिए ऐसे ज़िले जहां गेहूं के अंतर्गत सिंचाई कवरेज 50% से अधिक है तथा इसकी उत्पादकता राज्य औसत उत्पादकता से कम है। दालों के लिए, ज़िलों का चयन दालों के अंतर्गत मौजूद और क्षेत्र, व्यापक स्थान वाली फसलों जैसे मोटे अनाज, कपास, सोयाबीन अन्तः फसल कटाई के माध्यम से विस्तार की स्थापना के आधार पर किया गया है तथा वर्षा सिंचित उठी हुई भूमि धन तथा चावल फसलों के अंतर्गत आने वाले सिंचित क्षेत्र के रूप में बदलाव के आधार पर किया जाता है।

विवरण - I

11वीं योजना के दौरान एन.एफ.एस.एम. चावल का कार्यान्वयन करने के लिए पता लगाए गए जिले

राज्य	जिला
1	2
आंध्र प्रदेश	अदिलाबाद
	गुन्टूर
	खम्माम
	कृष्णा
	महबूबनगर
	मेढक
	नलगौंडा
	श्रीकाकूलम
	विशाखापत्तनम
	विजयानगरम
असम	बारपेटा
	डोंगियागांव, दारांग
	डिमाजेई
	गोलपारा
	करबी–अंगलौंग, कोकड़झार
	लखीमपुर
	मोरीगांव
	नलबारी
	सोनितपुर
	नौगाव
	तिनसुकिया
बिहार	अररिया
	बांका
	चम्पारण (पूर्व)
	चम्पारण (पश्चिम)
	दरभंगा
	गया
	कटिहार
	किशनगंज

1	2
	मधुबनी
	मधेपुरा
	मुज्जफरपुर
	नालंदा
	सहरसा
	समस्तीपुर
	सीतामढ़ी
	सीवान
	सुपौल, जामुई
छत्तीसगढ़	दन्तेवाड़ा
	जांजगीर–चम्पा
	जशपुर
	कवारधा
	कोरबा
	कोरिया
	रायगढ़
	रायपुर
	राजनंदगांव
	सरगुजा
झारखंड	सिमडेगा
	सिंहभूम (पश्चिम)
	रांची
	गुमला
	हजारीबाग
कर्नाटक	बेलगाम
	शिमोगा
	उत्तर कन्नड़ा
	दक्षिण कन्नड़ा
	उदुपी, हासान
	रायपुर
मध्य प्रदेश	अनुप्पुर
	दमोह
	डिंडूरी
	कटनी
	मंडला

1	2
	पन्ना
	रीवा
	सतना
	शहडोल
महाराष्ट्र	भंडारा
	चन्द्रपुर
	गढ़चिरौली
	गोंडिया
	नासिक
	पुणे
उड़ीसा	बोलंगीर
	जजपुर
	ढेंकानाल
	अंगुल
	कालाहांडी
	नवापाड़ा
	क्योंझर
	मलकानगिरी, नवरंगपुर
	फूलभनी
	बौध
	नयागढ़
	दियोधर
	जहासुगुडा
	सुन्दरगढ़
तमिलनाडु	नागपटिनम
	पुडुकोटाई
	रामानथापुरम
	शिवगंगाई
	त्रिरूवयुर
उत्तर प्रदेश	आजमगढ़
	बंदायु
	बहराइच
	बलिया
	बलरामपुर

1	2
	बांदा
	बरेली
	बस्ती
	देवरिया
	फतेहपुर
	गोंडा
	गोरखपुर
	गाजीपुर
	हरदोई
	मैनपुरी
	मउ
	मिर्जापुर
	रायबरेली
	रामपुर
	सहारनपुर, सीवास्ति
	सीतापुर, सिद्धार्थ नगर
	सोनभद्रा
	सुल्तानपुर
	उन्नाव
पश्चिम बंगाल	24 परगना (दक्षिण)
	कूच–बिहार
	दिनाजपुर (उत्तर)
	हावड़ा
	जलपाईगुढ़ी
	मिदनापुर (पूर्व)
	मिदनापुर (पश्चिम)
	पुरूलिया

विवरण - II

11वीं योजना के दौरान एन.एफ.एस.एम. चावल का कार्यान्वयन करने के लिए पता लगाए गए जिले

राज्य	जिला
1	2
बिहार (25)	अररिया
	भागलपुर
	बांका
	भाभुआ
	चम्पारण (पूर्व)
	चम्पारण (पश्चिम)
	दरभंगा
	जमूही
	कटिहार
	खगड़िया
	किशनगंज
	मधुबनी
	मधेपुरा
	मुजफ्फरपुर
	नालन्दा
	पूर्णिया
	रोहतास
	समस्तीपुर, सारन
	सुपौल, सीतामढ़ी
	वैशाली
	मुंगेर
	नवादा
	शेखपुरा
पश्चिम बंगाल (4)	जलपाईगुढ़ी
	कूचबिहार
	दिनाजपुर (उत्तर)
	दिनाजपुर (दक्षिण)
मध्य प्रदेश (30)	बैतुल
	भिंड
	छतरपुर
	दमोह
	देवास
	पूर्व नीमड़
	गुना
	हरदा
	इन्दौर
	जबलपुर
	कटनी

1	2	1	2
	रायसेन	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद
	राजगढ़		अम्बेडकर नगर
	रीवा		आज़मगढ़
	सागर		बहराइच
	सतना		बलिया
	शिहोर		बलरामपुर
	सियोनी		बरेली
	शिवपुरी		बस्ती
	सीधी		चन्दौली
	टीकमगढ़		चित्रकूट
	उज्जैन		देवरिया
	विदिशा		फैजाबाद
	बालघाट		फतेहपुर
	धार		गाजीपुर
	डिंडूरी		गोंडा
	झाबुआ		गोरखपुर
	मंडला		हमीरपुर
	पन्ना		हरदोई
	शहडोल		जौनपुर
पंजाब (7)	होशियारपुर		झांसी
	फिरोजपुर		कौशाम्बी
	भटिंडा		ललितपुर
	रूपनगर		लखनऊ
	अमृतसर		महाराजगंज
	संगरूर		महोबा
	गुरुदासपुर		मऊ
हरियाणा (7)	भिवानी		मिर्जापुर
	अम्बाला		प्रतापगढ़
	गुड़गांव		रायबरेली
	जमुनानगर		रविदासनगर
	रोहतक		संतकबीर नगर
	झझर		श्रीवस्ती
	महेन्द्रगढ़		सिद्धार्थनगर

1	2
	सीतापुर
	सुल्तानपुर
	उन्नाव
	सोनभद्र
	वाराणसी
राजस्थान (15)	अजमेर
	बांसवाड़ा, भीलवाड़ा
	बीकानेर
	जयपुर
	जालौर
	झालावाड़
	कोटा
	नागौर
	पाली
	सवाई माधोपुर
	सीकर
	सिरोही
	टौंक
	उदयपुर
महाराष्ट्र (8)	अहमदनगर
	औरंगाबाद
	धुले
	नागपुर
	नासिक
	परभनी
	पुणे
	सोलापुर
गुजरात (4)	अहमदनगर
	साबरकांठा
	बनासकांठा
	मेहसाणा

विवरण - III

11वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – दाल के कार्यान्वयन हेतु चुने गए जिले

राज्य	जिला
1	2
आंध्र प्रदेश	अदिलाबाद
	अनंतपुर
	कुडप्पा
	पश्चिम गोदावरी
	गुन्टूर
	खम्माम
	कृष्णा
	कूरनूल
	महबूबनगर
	नलगोंडा
	निजामाबाद
	प्रकासम
	श्रीकाकुलम
	वारांगल
कुल	14 जिले
उत्तर प्रदेश	झांसी
	जालौन
	हमीरपुर
	सीतापुर
	बांदा
	चित्रकूट
	मोहबा
	बहराइच
	बाराबंकी
	खीरी
	ललितपुर
	कानपुर (देहात)
	कौशांबी
	मिर्जापुर
	बदायूं
	बलिया
	फतेहपुर
	बलरामपुर
	चन्दौली
कुल	19 जिले

1	2
कर्नाटक	भागलकोट
	बेलगांव
	बेल्लारी
	बीदर
	बीजापुर
	चित्रदुर्ग
	धारवाड़
	गदाग
	गुलबर्गा
	कोप्पुल
	मैसूर
	रायचुर
	तुमकूर
कुल	13 जिले
तमिलनाडू	कोयम्बटूर
	कूदालोर
	इरोड
	नागापटनम
	नामाकल
	तिरूवलूर
	थियवलूर
	तुरूवनामलाई
	वैल्लूर
	वेलूपुरम
	विरूधनगर
कुल (तमिलनाडु)	12 जिले
गुजरात	बनासकांठा
	बडूच
	दोहाद
	जामनगर
	कच्छ
	नर्मदा
	पंचमहल
	साबरकंठा
	सूरत
	बड़ोदरा
कुल	11 जिले

1	2
उड़ीसा	बोलनगीर
	बारागढ़
	कटक
	गंजम
	कालाहांडी
	क्योनझर
	खुर्दा
	नयागढ़
	पुरी
	रायगढ़
कुल	10 जिले
पश्चिम बंगाल	वीरभूमि
	मालदा
	मुरशीदाबाद
	नादिया
	पुरूलिया
कुल	5 जिले
मध्य प्रदेश	छत्तरपुर
	छिंदवाड़ा
	वर्मा
	दिवास
	गुना
	रेवा
	रायसेन
	सतना
	टिकमगढ़
	सागर
	विदिशा
	उज्जैन
	जबलपुर
	नरसिंहपुर
	शिवपुरी
	पन्ना
	राजगढ़
	सियोनी
	शाहजापुर
	झाबुआ
कुल	20 जिले

1	2
हरियाणा	रोहतक
	सोनीपत
	भिवानी
	हिसार
	सिरसा
कुल	5 जिले
महाराष्ट्र	अहमदनगर
	अकोला
	अमरावती
	औरंगाबाद
	बुलडाना
	चन्द्रपुर
	हिंगोली
	जलगांव
	जालना
	लातूर
	नागपुर
	नांदेड
	नासिक
	उसमानाबाद
	परभनी
	वर्द्धा
	वासिम
	यवतमाल
कुल	18 जिले
राजस्थान	अजमेर
	बीकानेर
	बाड़मेर
	चित्तौरगढ़
	चुरू
	दोसा
	गंगानगर
	हनुमानगढ़
	जयपुर
	झुनझुन
	जोधपुर
	कोटा
	नागौर
	सीकर
	टोंक
कुल (राजस्थान)	15 जिले
पंजाब	लुधियाना
	संगरूर
	फिरोजपुर
	गुरदासपुर
	अमृतसर
कुल	5 जिले
बिहार	अररिया
	औरंगाबाद
	भोजपुर
	झाबुआ
	मधुबनी
	मधेपुरा
	मुजफ्फरपुर
	नालंदा
	पटना
	पूर्णिया
	सहरसा
	समस्तीपुर
	सुपौल
कुल	13 जिले
छत्तीसगढ़	बिलासपुर
	दुर्ग
	जसपुर
	कवर्धा
	रायगढ़
	रायपुर
	राजनंदगांव
	सरगुजा
कुल	8 जिले
कुल	168 जिले

चयन मापदंड – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दाल के कार्यान्वयन हेतु जिले दालों के अधीन विद्यमान विस्तृत क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र फसलें और मोटे अनाज कपास, सोयाबीन तथा वर्षा सिंचित उच्च भूमि धान तथा फसलों के अधीन सिंचित क्षेत्र पर आधारित है।

[अनुवाद]

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले किसान

3727. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले किसानों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है तथा देश में प्रति व्यक्ति आय की तुलना में यह कितनी कम है; और

(ख) इन सर्वाधिक गरीब किसानों की दयनीय दशा में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जनवरी–दिसंबर, 2003 में किसानों की स्थिति निर्धारण संबंधी सर्वेक्षण पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 59 वें दौरे के सर्वेक्षण (रिपोर्ट सं. 497(59/33)5 के अनुसार मजदूरी, कृषि तथा गैर कृषि व्यवसाय से प्रति किसान औसत मासिक आय अखिल भारतीय स्तर पर 2115 रुपए है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकीय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित घटक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में मापी गयी, देश में औसत प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2003–04 के दौरान 20,936 रुपए वार्षिक (अथवा 1745 रुपए प्रतिमाह है)।

(ख) सरकार ने किसान जिनमें छोटे तथा मामूली किसान शामिल है की पीड़ा को कम करने के लिए बहुत से कदम उठाये हैं। इनमें अन्य बातों के साथ साथ तीन वर्षों में कृषि क्षेत्र के लिए वर्ष 2004 में घोषित ऋण नीति में ऋण के प्रवाह को दोगुना करना शामिल है। खरीफ 2006–07 से किसानों को 7 प्रतिशत ब्याज की दर से 3 लाख रुपए तक का फसल ऋण प्रदान किया जा रहा है। सरकार द्वारा उठाए गये अन्य कदमों में सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार, जलाशय विकास तथा वर्षा जल संग्रहण सहित उन्नत जल प्रबंधन तथा राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना शामिल है।

[हिन्दी]

भवनों का निर्माण

3728. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का विचार दिल्ली और मुम्बई में अपनी रिक्त भूमि पर निजी भवन निर्माण कंपनियों द्वारा भवनों का निर्माण करवाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त निर्माण के लिए निजी भवन निर्माण कंपनियों की पहचान कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनके नाम क्या हैं और ये किन स्थानों पर हैं;

(ङ) एमटीएनएल/बीएसएनएल अपनी भूमि पर किस प्रकार का निर्माण करवाना चाहता है तथा इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(च) उक्त भवनों के निर्माण पर कितना व्यय किए जाने की संभावना है तथा उक्त निर्माण के फलस्वरूप कितना लाभ अर्जित किए जाने की आशा है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने नोएडा में एक भूखंड हेतु बनाओ, चलाओ और हस्तांतरण आधार पर एक कंपनी के साथ संयुक्त विकास की भागीदारी की है। आवश्यकता पड़ने पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ऐसी और परियोजनाओं में भागीदार बन सकता है।

(ग) और (घ) नोएडा में उपर्युक्त भूखण्ड के लिए मै. आईडीईबी कंपनी की पहचान की गई है।

(ङ) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में निर्माण कार्य सामान्य तौर पर कंक्रीट निर्मित मजबूत ढांचे वाला होता है। उपविधि के अनुसार नोएडा के उपर्युक्त भूखण्ड मे निर्माण पूरा करने की समय–सीमा दिसंबर, 2008 है।

(च) संभावित व्यय और अर्जित होने वाले संभावित लाभ का निर्धारण अभी किया जाना है।

रोजगार के अवसरों में कमी

3729. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एसोसिएटिड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचेम) तथा इकोनोमिक एडवाइजरी काउंसिल द्वारा "इकोनोमिक आउटलुक फॉर 2007–2008" शीर्षक से जारी रोजगार के अवसरों में कमी संबंधी रिपोर्टों में काफी भिन्नता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में बेरोजगारी की समस्या पर लगभग काबू पा लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में बेराजगारी

की समस्या पर पूरी तरह काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) आर्थिक सलाहकार परिषद् (ई ए सी) की रिपोर्ट ने राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षणों के परिणामों का विश्लेषण किया तथा यह उल्लेख किया है कि अनौपचारिक क्षेत्र तथा कृषि में रोजगार उत्पादकता में सुधार करना एक उभरती हुई चुनौती है जिसमें रोजगार की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार होगा। जबकि एसोचेम द्वारा जारी प्रेस सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि वर्ष 1998 तथा 2004 के मध्य पुरूषों के रोजगार लगभग 8% की गिरावट हुई जबकि भारतीय महिलाओं ने रोजगार में 3.35% की वृद्धि के साथ उन्हें रोजगार विकास दर के संदर्भ में मात दी है। इसमें यह भी उल्लेख है कि सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र की तुलना में महिलाओं को अधिक तेजी से काम पर रख रहा है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा अभी हाल ही में किए गए सर्वेक्षणों के दो पंचवर्षीय दौरों के अनुसार वर्ष 1999–2000 में कुल रोजगार 397 मिलियन था जिसके वर्ष 2004–05 में बढ़कर 459 मिलियन हो जाने का अनुमान लगाया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में 70 मिलियन नए कार्य अवसरों के सृजन की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन को विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनाने के साथ ही साथ न केवल रोजगार वृद्धि में तेजी लाने अपितु कम वेतन पाने वालों की मजदूरी में भी वृद्धि करने संबंधी नीतियां तैयार करना है तथा इसमें रोजगार सृजन हेतु महत्वपूर्ण नीतिगत प्रयास निहित है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में विभिन्न रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन जारी रखा है। इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं: स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना; प्रधानमंत्री रोजगार योजना; प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना; स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना; ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।

[अनुवाद]

कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि

3730. श्री जी. एम. सिद्दीश्वर : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि के कारण घरेलू बाजार में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थानीय व्यापारियों को इस स्थिति का अनुचित लाभ न उठाने देना सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के वैश्विक मूल्य 2004 से आगे ऊंचे और अस्थिर रहे। तेल के मूल्यों में तीव्र वृद्धि का सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ता है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों का स्तर मुख्य रूप से मांग और आपूर्ति में प्रचलित विभिन्न तथ्यों के द्वारा निश्चित होता है। इनमें घरेलू उत्पादन, बाजार में आवक, आयातों की मात्रा, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, खपत अपेक्षाएं, मूल्य व्यवहार के बारे में आकांक्षाएं आदि शामिल हैं। कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि का भी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि खाद्य तेलों जैसी वस्तुओं का खाद्य पदार्थों की लागत पर जैव ईंधन पैदा करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। इसके कारण परिवहन लागत में भी वृद्धि होती है और परिणामस्वरूप आवश्यक वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ते हैं।

(ग) संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में तीव्र वृद्धि को देखते हुए तेल विपणन कम्पनियां घरेलू एल पी जी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केरोसीन जैसे राजसहायता उत्पादों के मूल्यों को कायम रखने के अलावा सरकार के साथ परामर्श करके पेट्रोल और डीजल में मूल्य वृद्धि को नियंत्रित कर रहे हैं। सरकार ने तीन पणधारियों, अर्थात सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तेल कम्पनियों और उपभोक्ताओं के बीच समान रूप से भार वहन करने के सिद्धान्त को अपनाया है ताकि आम आदमी तथा समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा की जा सके। सरकार अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों की बारीकी से निगरानी कर रही है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करती रहेगी।

कृषि उपज की दर

3731. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में कार्यरत व्यक्तियों से बोझ कम करने के लिए कृषि उपज की दरों को निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : कृषि जिन्सों हेतु सरकार की मूल्य नीति अधिक निवेश तथा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को उनके उत्पाद का प्रोत्साहनात्मक

मूल्य सुनिश्चित करने तथा उचित मूल्यों पर आपूर्ति उपलब्ध कराते हुए उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने हेतु प्रयत्नशील है। मूल्य नीति अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में एक संतुलित तथा एकीकृत मूल्य संरचना के विकास के लिए भी प्रयत्नशील है। सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों सहित समर्थन मूल्यों के निर्धारण हेतु विचार किए जाने वाले अन्य तथ्यों के आधार पर विशिष्ट कृषि उत्पादों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से कृषि उत्पाद की दरें निर्धारित करती है। मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशें तैयार करते समय कृषि लागत और मूल्य आयोग महत्वपूर्ण तथ्यों, जैसे उत्पादन लागत, निवेश मूल्यों में परिवर्तन, राज्यों में भिन्न–भिन्न फसलों की उत्पादकता, मांग–आपूर्ति स्थिति, घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य प्रवृति, कृषि तथा गैर–कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें, फसल विविधिकरण की आवश्यकता, संसाधन प्रयोग दक्षता तथा खाद्य सुरक्षा का ध्यान रखती है।

उर्वरकों की खपत

3732. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्वरक उद्योग में गतिरोध तथा किसानों द्वारा कीटनाशकों के कम उपयोग के कारण वर्ष 2007 में फसलों को भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीन, जापान, ब्राजील आदि जैसे अन्य देशों की तुलना में भारत में उर्वरकों की खपत तथा कीटनाशकों के प्रयोग में भारी अंतर है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में फसलों के नुकसान को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। वर्ष 2007 के दौरान उर्वरकों और कीटनाशियों की उपलब्धता में कोई समस्या नहीं रही है।

(ग) और (घ) वर्ष 2005–06 के दौरान अन्य देशों जैसे चीन, जापान, ब्राजील के क्रमशः 275.1, 292.7 और 171.9 कि.ग्रा./हैक्टेयर की दर पर उर्वरकों की खपत की तुलना में देश में उर्वरकों की खपत 104.5 कि.ग्रा./हैक्टेयर रही है। इसी प्रकार, शाकनाशियों सहित कीटनाशियों की खपत जापान में 11 कि.ग्रा./हैक्टेयर, ताईवान में 17 कि.ग्रा./है. और यू.एस.ए. में 2.25 कि.ग्रा./है. की तुलना में भारत में लगभग 570 ग्रा./हैक्टेयर है। उर्वरकों और कीटनाशियों की खपत सिंचाई सुविधाओं, किसानों की खरीद क्षमता, ऋण की उपलब्धता और विस्तार नेटवर्क जैसे कारकों पर निर्भर होती है।

(ङ) कीटों/रोगों के कारण फसलों की विफलता को रोकने के लिए सरकार कीटनाशियों के विवेकपूर्ण प्रयोग के लिए किसानों को सलाह देने के अलावा समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) का कार्यान्वयन कर रही है।

[हिन्दी]

टेलीफोन निर्देशिका का दुरूपयोग

3733. **श्री मोहन रावले :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेलिफोन निर्देशिका से नम्बर लेने के बाद विभिन्न बैंक लोगों को क्रेडिट कार्ड लेने के लिए परेशान करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) सरकार/भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को समय–समय पर बैंकों, क्रेडिट कार्ड कंपनियों आदि से अवांछित वाणिज्यिक कॉलें प्राप्त होने के संबंध में अनेक शिकायतें मिली हैं।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अनचाही कॉलों/संदेशों पर रोक लगाने के लिए "नेशनल डू नॉट कॉल (एनडीएनसी) रजिस्ट्री" नामक तंत्र बनाने के लिए "दूरसंचार संबंधी अवांछित वाणिज्यिक संचार विनियमन, 2007" शीर्षक से विनिमय जारी किया है। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार विभाग ने टेलीविपणन कर्त्ताओं के पंजीकरण हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये उपाय भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण और दूरसंचार विभाग द्वारा अनचाही टेलीविपणन कॉलों/संदेशों की समस्या पर रोक लगाने के लिए किए गए हैं।

निजी दूरसंचार कंपनियों के साथ समझौते

3734. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :**

श्री हरिसिंह चावडा :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के साथ समझौते करते समय निजी दूरसंचार कंपनियों ने कुछ वचनबद्धताएं की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी दूरसंचार कंपनियों ने इन समझौतों में की गई अपनी वचनबद्धताएं पूरी नहीं की हैं और इस संबंध में सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) उनसे अपनी वचनबद्धताएं पूरी करवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। हस्ताक्षर किए गए अभिगम सेवा लाइसेंस करारों के अनुसार, विभिन्न निजी प्रचालकों के रॉल–आउट दायित्वों में लाइसेंस करार में लागू होने की तारीख/एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस में माइग्रेशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर 10 प्रतिशत जिला मुख्यालयों को और तीन वर्ष के भीतर 50 प्रतिशत जिला मुख्यालयों को कवर करने की शर्त निहित होती है।

(ग) से (ङ) एकीकृत अभिगम सेवा के ऐसे आठ लाइसेंसधारक,जो लाइसेंस के लागू होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर 10% जिला मुख्यालयों को कवर करने के रॉल–आउटा दायित्वों को पूरा नहीं कर पाए थे उन पर पर संबंधित लाइसेंस करारों के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार 400.15 करोड़ रुपए के परिनिर्धारित नुकसानी प्रभार लगाए जाने के लिए जून, 2007 में कारण बताओं नोटिस जारी किए गए हैं।

श्रम कानूनों में संशोधन

3735. श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न क्षेत्रों में बदलते परिदृश्य के कारण वर्तमान में चल रहे श्रम कानून पुराने हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार श्रम कानूनों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप बनाने के लिए इनमें उपयुक्त संशोधन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन–किन कानूनों का संशोधन किया जाना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) अर्थव्यवस्था की उभर रही जरूरतों के अनुरूप लोन के उद्देश्य से श्रम कानूनों की समीक्षा/उद्यतन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। तदनुसार, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 में 09.11. 2005 से संशोधन प्रवर्तित किए गए हैं। कारखाना अधिनियम, 1948, श्रम कानून (कतिपय प्रतिष्ठानों को विवरणियां प्रस्तुत करने और रजिस्टरों के रख–रखाव से छूट) अधिनियम, 1988 प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 और प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 को संसद में प्रस्तुत किया गया है।

[अनुवाद]

बी.एस.एन.एल. सेवा का विस्तार

3736. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) का मुम्बई और दिल्ली में अपनी सेवाओं का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (घ) भारत संचार निगम लिमिटेड ने दिल्ली तथा मुम्बई मेट्रो सेवा क्षेत्रों में स्थिर तथा मोबाइल सेवाएं प्रचालित करने के लिए एकीकृत अभिगम सेवा (यूएएस) लाइसेंस की मंजूरी हेतु सरकार को आवेदन किया था।

सरकार ने बीएसएनएल को सूचित किया है यूएएस जारी करने संबंधी मौजूदा दिशा–निर्देशों के अनुसार बीएसएनएल को मुम्बई तथा दिल्ली सेवा क्षेत्रों के लिए यूएएस लाइसेंस की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती।

नौसेना के लिए रक्षा विद्यालय

3737. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नौसेना आंध्र प्रदेश स्थित हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एच.एस.एल.) में समुद्रीय विश्वविद्यालय की तर्ज पर रक्षा विद्यालय की स्थापना करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नौसेना द्वारा एच. एस. एल. का प्रबंधन अपने हाथ में लेना रक्षा विद्यालय की स्थापना की योजना का एक हिस्सा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस रक्षा विद्यालय के क्या उद्देश्य और प्रयोजन हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (ङ) समुद्रीय विश्वविद्यालय की तर्ज पर एच एस एल विशाखापट्टनम में रक्षा स्कूल स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

कार्यालयों का किराया

3738. श्री रशीद मसूद : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) के कितने प्लाट खाली पड़े हैं; और

(ख) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा दिल्ली में कार्यालयों को किराए पर लेने के लिए कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया जा रहा है;

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) आज की स्थिति के अनुसार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के दिल्ली में 38 और मुंबई में 12 प्लॉट खाली पड़े हैं।

(ख) एमटीएनएल द्वारा दिल्ली में कार्यालयों को किराये पर लेने के लिए प्रतिमाह 29,47,470.99 रु. (उनतीस लाख सैंतालीस हजार चार सौ रु. सत्तर रु. निन्यानवे पैसे) की राशि का भुगतान किया जा रहा है।

[अनुवाद]

ब्रह्मपुत्र बोर्ड

3739. श्री अनवर हुसैन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर असम में हाल की विनाशकारी बाढ़ ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड की बाढ़ को नियंत्रित करने की असफलता को उजागर कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु इसे पुनः सक्रिय बनाने और पुनः शक्ति प्रदान करने की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) ब्रह्मपुत्र बोर्ड में कितने पद रिक्त हैं और इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। बाढ़ प्रबंधन प्रमुखतः संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अतः ब्रह्मपुत्र बोर्ड के विफल होने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्तमान में ब्रह्मपुत्र बोर्ड में 30 पद रिक्त हैं। ये पद विभिन्न अवस्थाओं में भरे जाने की प्रक्रियाधीन हैं। तथापि, प्रक्रिया को पूरा किया जाना उपयुक्त और पात्र उम्मीदवारों के उपलब्ध होने पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

पशुओं की तस्करी

3740. श्री महावीर भगोरा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पशुओं की तस्करी के संबंध में पशु कल्याण बोर्ड और सरकार द्वारा दर्ज मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पशुओं की तस्करी को किस प्रकार से रोकने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) से (ग) गोपशु तस्करी के पंजीकृत मामलों के लिए उपयुक्त कानून प्रवर्तन मशीनरी राज्य सरकारें हैं। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड सभी राज्य सरकारों को आवधिक रूप से इस बात के निर्देश देता रहता है कि वे आवाजाही के दौरान "पशुओं के प्रति क्रूरता" के प्रावधानों को लागू करें और उल्लंघनकर्ताओं को पशु क्रूरता निवारक अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के तहत उपयुक्त रूप से दंडित करें।

सीमा सुरक्षा बल ने वर्ष 2005, 2006 और जुलाई, 2007 तक क्रमशः 63955, 129617 और 83354 गोपशुओं को जब्त किया है।

भारत बंगला देश सीमा पर गोपशु तस्करी को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं जिनमें शामिल है : सतर्कता बढ़ाना, आसूचना नेटवर्क का उन्नयन, फ्लड लाइटिंग, सीमा सड़कों का निर्माण, विशेष अभियान चलाना, रात को दिखने वाले उपकरणों को शुरू करना, कंटीले तारों का लगाना, अतिरिक्त निगरानी चौकियों की स्थापना, पैदल गश्त, वाटरविंग के वाहन और वाटरक्राफ्ट द्वारा दिन-रात निगरानी।

[अनुवाद]

रक्षा संबंधी खरीदों में अनियमितताएं

3741. श्री अधीर चौधरी :
श्री निखिल कुमार :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने रक्षा संबंधी संविदाओं हेतु कंपनियों की बोली सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र मॉनीटर नियुक्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कारगिल युद्ध के दौरान 2000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीदों में अनियमितताओं के संबंध में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट अंतिम कार्रवाई हेतु लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) और (ख) जैसाकि 100 करोड़ रुपए से अधिक अनुमानित मूल्य के रक्षा अधिप्राप्ति मामलों में बोलीदाताओं के साथ हस्ताक्षर किए जाने वाले संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौते के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के साथ परामर्श करने के बाद स्वतंत्र मॉनीटर नियुक्त किए गए हैं। इस प्रकार नियुक्त किए गए स्वतंत्र मॉनीटर सर्वश्री टी.आर. प्रसाद, पूर्व मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार, पी. सी. रावल, पूर्व सचिव, भारत सरकार और हेमेन्द्र कुमार, पूर्व सचिव, भारत सरकार हैं।

(ग) और (घ) कारगिल युद्ध संबंधी खरीद से संबंधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वर्ष 2001 की रिपोर्ट संख्या 7क पर कार्रवाई की गई है और इस रिपोर्ट के अंतर्गत आने वाले 28 मामलों में कार्रवाई को अंतिम रूप दे दिया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो को छानबीन के लिए भेजें गए मामलों में से, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 2 नियमित मामले दर्ज किए हैं।

[हिन्दी]

वायदा बाजार में विदेशी कंपनियां

3742. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पण्य वायदा बाजार में व्यवसाय कर रही विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो कुछ विदेशी कंपनियों का सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की अवहेलना करते हुए वायदा बाजार में व्यवसाय करना जारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार विदेशी कंपनियों द्वारा अवैध कारोबार को रोकने हेतु वायदा बाजार आयोग को सुदृढ़ करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(च) वायदा बाजार में विदेशी कंपनियों के व्यवसाय को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) विदेशी कंपनियां वस्तु भावी सौदा बाजार में सीधे भाग नहीं ले सकती हैं। तथापि, विदेशी कंपनियां अपने भारतीय सहयोगियों के साथ कमोडिटी एक्सचेंजों के पंजीकृत ब्रोकरों के माध्यम से भाग ले सकती हैं बशर्ते उनके पास विदेशी विनिवेश हेतु आवश्यक अनुमोदन/दिशानिर्देश हों।

(ख) भावी सौदा बाजार में प्रत्यक्ष रूप से कोई विदेशी कंपनी काम नहीं कर रही है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) जी, नहीं। अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के मौजूदा उपबंध विदेशी कंपनियों सहित किसी भी प्रकार के अवैध व्यापार से निपटने के लिए पर्याप्त हैं।

[अनुवाद]

वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने संबंधी समिति

3743. श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमांत किसानों सहित अत्यधिक गरीब तबके तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने हेतु कार्यनीति तैयार करने के लिए उच्चाधिकार समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) सरकार ने डा. सी. रंगाराजन, भूतपूर्व गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में" वित्तीय अन्तर्वेशन संबंधी समिति" का गठन किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ छोटे और मार्जिनल किसानों तथा अन्य गरीब तबके तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए नीति सुझाएगी, जिसमें प्रक्रियाओं को सरल तथा कारगर बनाने, कारोबार की लगात घटाने और प्रचालनों को पारदर्शी बनाने के लिए उपाय सुझाना शामिल है।

(ग) और (घ) समिति द्वारा प्रस्तुत अन्तरिम रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के आधार पर सरकार ने दो कोष गठित करने का निर्णय लिया है। पहला राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में एक "वित्तीय अन्तर्वेशन कोष" स्थापित करना है ताकि विकासात्मक और संवर्धनात्मक कार्यक्रमों की लागत वहन की जा सके। दूसरा "वित्तीय

अन्तर्वेशन प्रौद्योगिकी कोष" की स्थापना करना है जिससे प्रौद्योगिकी अपनाने संबंधी लागत वहन की जा सके। प्रत्येक कोष की समग्र संग्रह राशि 500 करोड़ रुपए होगी जिसमें आरंभिक निधि व्यवस्था केन्द्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा की जायेगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पुनरीक्षा

3744. श्री अबु अयीश मंडल :
श्री आलोक कुमार मेहता :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पुनरीक्षा का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ह तथा इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या सरकार का विचार किसी नई प्रणाली के माध्यम से गरीब लोगों को अनाज वितरित करने का है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने वर्तमान दुराचार को रोकने के लिए नई प्रणाली में नई तकनीक विकसित की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की समीक्षा एक निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। मंत्रालय इसके विविध पहलुओं की राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा करता है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सचिवों की नवीनतम समीक्षा बैठकें 11.4.2007 और 6.8.2007 को आयोजित की गई हैं जिनमें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से एक बार पुनः अनुरोध किया गया कि वे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्धारित खाद्यान्नों की लीकजों और विपथन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 2006 में तैयार की गई 9 सूत्री कार्य योजना को लागू करें। इस कार्य योजना का विवरण संलग्न है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सचिवों को दिनांक 6.8.2007 को हुई समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन 2004-05 के 61वें दौर की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर भी विचार-विमर्श किया गया था और रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी की गई हैं। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गुण दोष आधार पर मूल्यांकन करने और इसमें सुधार के लिए कार्रवाई करने हेतु इस रिपोर्ट के निष्कर्षों का उपयोग करें।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपनाए जाने और क्रियान्वयन के लिए हाल में एक संशोधित नागरिक अधिकार पत्र जारी किया गया है ताकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों का नागरिकों द्वारा उपयोग किया जा सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए कार्य योजना

(i) जाली राशन कार्डों को समाप्त करने और गरीबी रेखा से नीचे तथा अंत्योदय के केवल पात्र परिवारों का कवरेज सुनिश्चित करने के लिए गरीब रेखा से नीचे अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों की लगातार समीक्षा करना।

(ii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का लीकेज मुक्त और विपथन मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर के कर्मियों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाना, दोषी व्यक्तियों/एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना।

(iii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों के पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करना-सलाहकार समितियों में पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधि होना, उचित दर दुकानों को पंचायतों द्वारा चलाा जाना और सतर्कता समितियों में पंचायती राज संस्थाओं का प्रभावी प्रतिनिधित्व होना।

(iv) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उचित दर दुकानों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों का प्रदर्शन किया जाना, उचित दर दुकानों द्वारा अधिसूचित समय का पालन किया जाना।

(v) सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कंप्यूटरीकरण करना, जनता द्वारा समीक्षा किए जाने के लिए वेबसाइट पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का उचित दर दुकान-वार और जिला-वार आबंटन प्रदर्शित करना।

(vi) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की उचित दर दुकानों के द्वार पर सुपुर्दगी करना।

(vii) उचित दर दुकानों द्वारा खाद्यान्नों की समय से उपलब्धता और जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाना।

(viii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों की जटिलताओं के बारे में सतर्कता समितियों को प्रशिक्षण देना।

(ix) उचित दर दुकानों को वित्तीय रूप से व्यवहार्य दुकान बनाना—उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली से इतर वस्तुओं की बिक्री आदि करने की अनुमति देना।

क्रूज मिसाइल का विकास

3745. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने क्रूज मिसाइल विकसित की है अथवा विकसित कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) और (ख) भारत ने रूस के साथ संयुक्त रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का विकास किया है जिसे भारतीय नौसेना और सेना में शामिल किया जा रहा है। भारत और रूस के कई उद्योगों का उपयोग करके उच्च कार्य प्रदर्शन वाली इस मल्टी–प्लेटफार्म मिसाइल प्रणाली का उत्पादन किया जा रहा है। इस मिसाइल के वायु रूपांतर का विकास शुरू किया गया है।

दूरभाष निर्देशिका

3746. श्री रेवती रमन सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरभाष निर्देशिकाओं को अब तक अद्यतन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन दूरभाष निर्देशिकाओं के कब तक अद्यतन किये जाने की संभावना है; और

(घ) दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में अंतिम दूरभाष निर्देशिकाएं कब जारी की गई थीं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। भरपूर प्रयास करने के बावजूद भी कुछ एसएसए/टेलीफोन जिलों में नई निर्देशिकाएं प्रकाशित करने में थोड़ा विलम्ब हुआ है। टेलीफोन निर्देशिका के मुद्रण में मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से विलम्ब हुआ है:–

(i) उचित शर्तों पर निदेशिकाओं के मुद्रण के लिए ठेकेदारों का न मिलना।

(ii) निविदाओं को लेकर विवाद।

(iii) न्यायालय/माध्यस्थम संबंधी मामले।

(iv) संविदा में दी गई समय अवधि के अनुसार मुद्रक द्वारा पूर्ति न करना/पूर्ति में विलम्ब।

(ग) बीएसएनएल के विभिन्न एसएसए/टेलीफोन जिलों में अद्यतन टेलीफोन निर्देशिका के मुद्रण की संभावित तारीख विवरण में दी गई है।

(घ) दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता में पिछली टेलीफोन निर्देशिका क्रमशः वर्ष 2001, 2002, 2003 और 2006 में जारी की गई थी।

विवरण

क्र.सं.	एसएसए का नाम	अद्यतन टेलीफोन निर्देशिका की संभावित तारीख
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार	अक्तूबर 07
आंध्र प्रदेश		
1	अदिलाबाद	मार्च, 08
2	अनंतपुर	अक्तूबर, 07
3	चित्तूर	दिसंबर, 07
4	कुडडपा	मार्च, 08
5	पूर्वी गोदावरी	दिसंबर, 07
6	गुंटूर	दिसम्बर, 08
7	हैदराबाद दूरसंचार जिला	दिसम्बर, 07
8	करीमनगर	दिसंबर, 07
9	खम्माम	दिसम्बर, 07
10	कृष्णा	दिसंबर, 07
11	कुर्नूल	न्यायालय में मामले के कारण लंबित
12	महबूबनगर	दिसंबर, 07

1	2	3
13	मेडक	दिसंबर, 07
14	नालगोंडा	दिसंबर, 07
15	नेल्लोर	दिसंबर, 07
16	निजामाबाद	दिसंबर, 07
17	प्रकाशम	दिसंबर, 07
18	श्रीकाकुलम	दिसंबर, 07
19	विशाखापटनम	अक्तूबर, 07
20	विजयनगरम	अक्तूबर, 07
21	वारांगल	जनवरी, 08
22	पश्चिम गोदावरी	दिसंबर, 07
असम		
1	बोंगाईगांव	मार्च, 08
2	डिब्रूगढ़	मार्च, 08
3	गुवाहाटी (कामरूप)	मार्च, 08
4	जोरहाट	मार्च, 08
5	नागांव	मार्च, 08
6	सिल्चर	मार्च, 08
7	तेजपुर	मार्च, 08
बिहार		
1	आरा	सितम्बर, 07
2	बेगुसराय	अक्तूबर, 07
3	छपरा	दिसम्बर, 07
4	दरभंगा	दिसम्बर, 07
5	गया	दिसम्बर, 07
6	कटिहार	सितम्बर, 07
7.	मोतिहारी	सितम्बर, 07
8.	मुजफ्फरपुर	सितम्बर, 07
9.	मुंगेर	सितम्बर, 07
10	पटना	दिसम्बर, 06
11	सासाराम	सितम्बर, 07
12	सहरसा	दिसम्बर, 07
13	हाजीपुर	दिसम्बर, 07
14	खगड़िया	दिसम्बर, 07
15	बेतिया	अक्तूबर, 07
16	किशनगंज	अक्तूबर, 07
17	समस्तीपुर	सितम्बर, 07
18	भागलपुर	दिसम्बर, 07
झारखंड		
1.	रांची	दिसम्बर, 07
2.	धनबाद	अक्तूबर, 08
3.	जमशेदपुर	जनवरी, 09
4.	हजारीबाग	मार्च, 08
5.	डाल्टनगंज	अक्तूबर, 07
6.	दुमका	दिसम्बर, 07
गुजरात		
1.	अहमदाबाद	दिसम्बर, 07
2.	अमरेली	मार्च, 08
3.	भरूच	दिसम्बर, 07
4.	भावनगर	सितम्बर, 07
5.	भुज	सितम्बर, 07
6.	गोधरा	नवम्बर, 07
7.	हिम्मतनगर	दिसम्बर, 07
8.	जामनगर	मार्च, 08
9.	जुनागढ़	माध्यस्थ मामले के कारण लंबित
10	मेहसाणा	अक्तूबर, 07
11	नाडियाड	सितम्बर, 07
12	पालनपुर	सितम्बर, 07
13	राजकोट	दिसम्बर, 07
14	सूरत	सितम्बर, 07
15	सुरेन्द्रनगर	दिसम्बर, 07

1	2	3
16	वड़ोदरा	दिसम्बर, 07
17	वलसाड	दिसम्बर, 07
हरियाणा		
1	अम्बाला	दिसम्बर, 07
2	फरीदाबाद	अक्तूबर, 07
3	हिसार	दिसम्बर, 07
4	जींद	नवम्बर, 07
5	करनाल	दिसम्बर, 07
6	रेवाड़ी	मार्च, 08
7	रोहतक	दिसम्बर, 07
8	सोनीपत	दिसम्बर, 07
9	गुड़गांव	अक्तूबर, 07
हिमाचल प्रदेश		
1	धर्मशाला	दिसम्बर, 07
2	हमीरपुर	सितम्बर, 07
3	कुल्लु	अक्तूबर, 07
4	मंडी	दिसम्बर, 07
5	शिमला	दिसम्बर, 07
6	सोलन	सितम्बर, 07
जम्मू व कश्मीर		
1	जम्मू	सितम्बर, 07
2	लेह	मार्च, 08
3	रजौरी	नवम्बर, 07
4	श्रीनगर	दिसम्बर, 07
5	उधमपुर	दिसम्बर, 07
कर्नाटक		
1.	बंगलुरू	मार्च, 08
2	हुबली	अक्तूबर, 07
3	मडीकेरी	सितम्बर, 07
4	मांडया	मार्च, 08

1	2	3
5	मंगलौर	सितम्बर, 07
6	मैसूर	सितम्बर, 07
7	शिमौगा	सितम्बर, 07
8	कोलार	अक्तूबर, 07
9	बेल्लारी	जुलाई, 08
10	बीदर	दिसम्बर, 07
11	बीजापुर	दिसम्बर, 07
12	चिक्कमगलूर	सितम्बर, 07
13	दावणगिरी	फरवरी, 08
14	गुलबर्गा	दिसम्ब 07
15	हासन	सितम्बर, 07
16	रायचुर	दिसम्बर, 07
17	तुमकुर	जनवरी, 08
18	करवर	सितम्बर, 07
19	बेलगाम	माध्यस्थ मामले के कारण लंबित
केरल		
1	ऐल्लेप्पी	जून, 08
2	कालीकट	दिसम्बर, 07
3	एर्णाकुलम	मार्च, 08
4	कन्नूर	दिसम्बर, 07
5	कोल्लम	मार्च, 08
6	कोट्टायम	दिसम्बर, 07
7	पालघाट	मार्च 08
8	पत्तनमतिट्टा	सितम्बर, 07
9	त्रिचुर	दिसम्बर, 07
10	त्रिवेन्द्रम	मामला न्यायालय में होने के कारण लंबित
11	मालाप्पुरम	दिसम्बर 07
मध्य प्रदेश		
1	बालाघाट	अक्तूबर, 07
2	बेतुल	दिसम्बर, 07
3	भोपाल	दिसम्बर, 07
4	छत्रपुर	अक्तूबर, 07

1	2	3
5	छिंदवाड़ा	दिसम्बर, 07
6	दमोह	सितम्बर, 07
7	देवास	नवम्बर, 07
8	धार	सितम्बर, 07
9	गुना	दिसम्बर, 07
10	ग्वालियर	दिसम्बर, 07
11	होशंगाबाद	दिसम्बर, 07
12	इंदौर	दिसम्बर, 07
13	जबलपुर	दिसम्बर, 07
14	झाबुआ	दिसम्बर, 07
15	खंडवा	मार्च, 08
16	खरगौन	सितम्बर, 07
17	मांडला	दिसम्बर, 07
18	मंडसौर	दिसम्बर, 07
19.	मुरैना	अक्तूबर, 07
20	नरसिंहपुर	मार्च, 08
21	पन्ना	दिसम्बर, 07
22	रायसेन	दिसम्बर, 07
23	राजगढ़	दिसम्बर, 07
24	रतलाम	दिसम्बर, 07
25	रीवा	दिसम्बर, 07
26	सागर	दिसम्बर, 07
27	सतना	नवम्बर, 07
28	सिवनी	दिसम्बर, 07
29	शहडोल	दिसम्बर, 07
30	शाजापुर	दिसम्बर, 07
31	शिवपुरी	दिसम्बर, 07
32	सिधी	दिसम्बर, 07
33	उज्जैन	सितम्बर, 07
34	विदिशा	दिसम्बर, 07

1	2	3
छत्तीसगढ़		
1	बस्तर (जगदलपुर)	सितम्बर, 07
2	बिलासपुर	दिसम्बर, 07
3	दुर्ग	दिसम्बर, 07
4	सरगुजा	दिसम्बर 07
5	रायगढ़	दिसम्बर, 07
6	रायपुर	दिसम्बर, 07
महाराष्ट्र		
1	अहमदनगर	दिसम्बर, 07
2	अकोला	दिसम्बर, 07
3	अमरावती	दिसम्बर, 07
4	औरंगाबाद	दिसम्बर, 07
5	बीड़	दिसम्बर, 07
6	भंडारा	दिसम्बर, 07
7	बुल्डाणा	दिसम्बर, 07
8	चंद्रपुर	दिसम्बर, 07
9	धुले	सितम्बर, 07
10	गोवा	दिसम्बर, 07
11	जलगांव	दिसम्बर, 07
12	जालना	दिसम्बर, 07
13	कल्याण	दिसम्बर, 07
14	कोल्हापुर	दिसम्बर, 07
15	लातूर	दिसम्बर, 07
16	नागपुर	दिसम्बर, 07
17	नादेड	दिसम्बर, 07
18	नासिक	दिसम्बर, 07
19	उस्मानाबाद	अक्तूबर, 07
20	परभनी	मार्च, 08
21	पुणे	सितम्बर, 07
22	रायगढ़	मार्च, 08
23	रत्नागिरी	मार्च, 08

1	2	3
24	सांगली	दिसम्बर, 07
25	सतारा	दिसम्बर, 07
26	सिंधुदुर्ग	दिसम्बर, 07
27	सोलापुर	दिसम्बर, 07
28	वर्धा	दिसम्बर, 07
29	यवतमाल	अक्तूबर, 07
पूर्वोत्तर-I		
1	मेघालय	दिसम्बर, 07
2	मिजोरम	दिसम्बर, 07
3	त्रिपुरा	दिसम्बर, 07
पूर्वोत्तर-II		
1	अरूणाचल प्रदेश	दिसम्बर 07
2	मणिपुर	अक्तूबर, 07
3	नागालैंड	दिसम्बर, 07
उड़ीसा		
1	बालासोर	दिसम्बर, 2007
2	बारीपदा (मयूरभंज)	दिसम्बर, 2007
3	बरहमपुर (गंजाम)	दिसम्बर, 2007
4	भवानीपटना (कालाहांडी)	दिसम्बर, 2007
5	भुवनेश्वर (पुरी)	सितम्बर, 2007
6	बोलांगीर	दिसम्बर, 2007
7	कटक	दिसम्बर, 2007
8	ढेंकानाल	जून, 2008
9	कोरापुट	दिसम्बर, 2007
10	राउरकेला (सुंदरगढ़)	दिसम्बर, 2007
11	संबलपुर	जनवरी, 2008
12	फूलबाणी	दिसम्बर, 2007
13	क्योंझर	जुलाई, 2008
पंजाब		
1	अमृतसर	दिसम्बर, 2007
2	भटिंडा	दिसम्बर, 2007
3	चण्डीगढ़	नवम्बर, 2007

1	2	3
4	फिरोजपुर	दिसम्बर, 2007
5	होशियारपुर	दिसम्बर, 2007
6.	जालंधर	दिसम्बर, 2007
7	लुधियाना	दिसम्बर, 2007
8	पटियाला	नवम्बर, 2007
9	पठानकोट	दिसम्बर, 2007
10	रोपड़	दिसम्बर, 2007
11	संगरूर	दिसम्बर, 2007
राजस्थान		
1.	अजमेर	मार्च, 2008
2	अलवर	मार्च, 2008
3	बांसवाड़ा	मार्च, 2008
4	बाड़मेर	लेखा परीक्षा पैरा के कारण लंबित
5	भरतपुर	मार्च, 2008
6	भीलवाड़ा	मार्च, 2008
7	बीकानेर	मार्च, 2008
8	बूंदी	मार्च, 2008
9	चित्तौड़गढ़	मार्च, 2008
10	चुरू	मार्च, 2008
11	जयपुर	मार्च, 2008
12	जैसलमेर	मार्च, 2008
13	झालावाड़	मार्च, 2008
14	झुंझनू	मार्च, 2008
15	जोधपुर	मार्च, 2008
16	कोटा	मार्च, 2008
17	नागौर	मार्च, 2008
18	पाली मारवाड़	मार्च, 2008
19	सवाई माधोपुर	मार्च, 2008
20	सीकर	मार्च, 2008
21	सिरोही	मार्च, 2008
22	श्री गंगानगर	मार्च, 2008

1	2	3
23	टोंक	मार्च, 2008
24	उदयपुर	मार्च, 2008
तमिलनाडु		
1.	कोयमबटूर	मामला न्यायालय में होने के कारण लंबित
2	कुड्डालोर	अक्तूबर, 07
3	धरमपुरी	सितम्बर, 2007
4	इरोड	नवम्बर, 2007
5	करईकुडी	दिसम्बर, 2007
6	कुंबकोणम	सितम्बर, 2007
7	मदुरै	सितम्बर, 2007
8	नागरकोइल	अक्तूबर, 2007
9	नीलगिरी	दिसम्बर, 2007
10	पांडीचेरी	सितम्बर, 2007
11	सलेम	अक्तूबर, 2007
12	तंजावुर	सितम्बर, 2007
13	तिरूनैवेली	सितम्बर, 2007
14	त्रिचि	दिसम्बर, 2007
15	तूतीकोरिन	अक्तूबर, 2007
16	वेलोर	दिसम्बर, 2007
17	विरुध नगर	जनवरी, 2008
उत्तर प्रदेश (पूर्व)		
1	इलाहाबाद	दिसम्बर, 2007
2	आजमगढ़	दिसम्बर, 2007
3	बहराइच	दिसम्बर, 2007
4	बलिया	दिसम्बर, 2007
5	बांदा	दिसम्बर, 2007
6	बाराबंकी	दिसम्बर, 2007
7	बस्ती	दिसम्बर, 2007
8	इटावा	दिसम्बर, 2007
9	फैजाबाद	दिसम्बर, 2007
10	फर्रुखाबाद	दिसम्बर, 2007
11	फतेहपुर	दिसम्बर, 2007
12	गाजीपुर	दिसम्बर, 2007
13	गोंडा	दिसम्बर, 2007
14	गोरखपुर	दिसम्बर, 2007
15	हमीरपुर	दिसम्बर, 2007
16	हरदोई	दिसम्बर, 2007
17	जौनपुर	दिसम्बर, 2007
18	झांसी	दिसम्बर, 2007
19	कानपुर	दिसम्बर, 2007
20	लखीमपुर	दिसम्बर, 2007
21	लखनऊ	दिसम्बर, 2007
22	मैनपुरी	दिसम्बर, 2007
23	मऊ	दिसम्बर, 2007
24	मिर्जापुर	दिसम्बर, 2007
25	ओरई	दिसम्बर, 2007
26	प्रतापगढ़	दिसम्बर, 2007
27	रायबरेली	दिसम्बर, 2007
28	शाहजहांपुर	दिसम्बर, 2007
29	सीतापुर	दिसम्बर, 2007
30	सुल्तानपुर	दिसम्बर, 2007
31	उन्नाव	दिसम्बर, 2007
32	वाराणसी	दिसम्बर, 2007
33	देवरिया	दिसम्बर, 2007
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)		
1	आगरा	दिसम्बर, 2007
2	अलीगढ़	दिसम्बर, 2007
3	बरेली	दिसम्बर, 2007
4	बिजनौर	मार्च, 2008
5	बुलंदशहर	जनवरी, 2008
6	गाजियाबाद	सितम्बर, 07
7	मथुरा	सितम्बर, 07

1	2	3
8	मेरठ	मार्च, 2008
9	मुरादाबाद	अक्तूबर, 07
10	मुजफ्फरनगर	दिसम्बर, 2007
11	नोएडा	सितम्बर, 2007
12	सहारनपुर	सितम्बर, 2007
13	बदांयू	दिसम्बर, 2007
14	एटा	सितम्बर, 2007
15	पीलीभीत	सितम्बर, 2007
16	रामपुर	अक्तूबर, 2007
उत्तरांचल		
1	अल्मोड़ा	सितम्बर, 2007
2	देहरादून	दिसम्बर, 2007
3	नैनीताल	मार्च, 2008
4	श्रीनगर (गढवाल)	मार्च, 2008
5	नई टिहरी	दिसम्बर, 2007
6	हरिद्वार	दिसम्बर, 2007
पश्चिम बंगाल		
1	आसनसोल	दिसम्बर, 2007
2	बांकुरा	दिसम्बर, 2007
3	बेरहमपुर	दिसम्बर, 2007
4	कोलकाता	दिसम्बर, 2007
5	कूचबिहार	दिसम्बर, 2007
6	गंगटोक	दिसम्बर, 2007
7	जलपाईगुड़ी	दिसम्बर, 2007
8	खड़गपुर	दिसम्बर, 2007
9	कृष्णनगर	दिसम्बर, 2007
10	माल्दा	दिसम्बर, 2007
11	पुरुलिया	दिसम्बर, 2007
12	रायगंज	दिसम्बर, 2007
13	सिलीगुड़ी	दिसम्बर, 2007
14	सूरी	दिसम्बर, 2007
चेन्नई टेलीफोन्स		
1	चेन्नई	सितम्बर, 2007
2	चेंगलापेट	दिसम्बर, 2007
कोलकाता टेलीफोन्स		
1.	कोलकाता (कागजों में)	दिसम्बर, 2007

फसल काटने संबंधी प्रयोग

3747. **श्री बालासाहिब विखे पाटील :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों के घाटे का अनुमान लगाने के लिए फसल काटने के अनेक प्रयोग किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) राज्य सरकार जिला स्तर तथा उससे ऊपर उपज दरों के अनुमान प्राप्त करने हेतु सामान्य फसल आकलन सर्वेक्षण (जीसीइएस) के कार्यक्रम के अंतर्गत वांछित संख्या में फसल कटाई प्रयोग कराती है। ये अधिसूचित फसलों के अधिसूचित क्षेत्र में कराए जाते हैं, जिन पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के द्वारा दावों के भुगतान के लिए फसल हानियों के मूल्यांकन के लिए विचार किया जाता है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार, स्लाइडिंग स्केल पर प्रति इकाई क्षेत्र/फसल पर किए जाने वाले प्रयोगों की न्यूनतम संख्या नीचे दर्शायी गयी है–

क्र. सं.	इकाई क्षेत्र	किए जाने वाले आवश्यक फसल अनुमान सर्वेक्षणों की न्यूनतम संख्या
1.	ताल्लुका/तहसील/ब्लाक	16
2.	मंडल/फिरका/8–10 गांवों को मिलाकर कोई अन्य छोटी इकाई क्षेत्र	10
3	4–5 गांवों को मिलाकर ग्राम पंचायत	08

सरसों का तेल

3748. **श्री सुग्रीव सिंह :**

श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक देश में सरसों के तेल का राज्य–वार और वर्ष–वार उत्पादन और उपभोग कितना रहा है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान देश में सरसों के तेल के उत्पादन और मांग में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या देश सरसों के तेल की कमी को पूरा करने हेतु इसका आयात करता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में सरसों के तेल की मांग को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में दर्ज सरसों के तेल के अनुमानित उत्पादन, आयात और खपत के संबंध में ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

(लाख टन में)

तेल वर्ष	सरसों तेल का घरेलू उत्पादन	सरसों तेल का आयात	सरसों तेल की खपत/मांग*
2003–04	19.50	0.00024	19.21
2004–05	23.54	0.00019	25.90
2005–06	25.21	0.00103	25.21
2006–07	22.00	0.00013**	22.00

*सरसों तेल की खपत/मांग का अनुमान घरेलू उत्पादन जमा आयातों के आधार पर लगाया गया है।

**फरवरी, 2007 तक राज्यवार

उत्पादन और खपत के संक्षिप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) देश में सरसों के तेल सहित खाद्य तेलों की मांग को पूरा करने के लिए उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं:–

(i) कोपरा/नारियल तेल को छोड़कर तिलहनों/खाद्य तेलों की खुले सामान्य लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति दी गई है।

(ii) कुछ राज्यों में तिलहनों, दालों, तेल ताड़ और मक्के की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित एकीकृत स्कीम का क्रियान्वयन करना, तेल ताड़ के विकास हेतु वित्तीय सहायता देना, ब्रीडर बीजों की खरीद के लिए सहायता देना, फाउंडेशन बीज का उत्पादन करना, प्रमाणीकृत बीजों का उत्पादन और वितरण करना, एकीकृत जन्तुबाधा प्रबंधन करना आदि।

(iii) प्रमुख तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के माध्यम से किसानों को अधिक प्रोत्साहन देना।

(iv) 1.3.2007 से क्रूड और परिष्कृत खाद्य ग्रेड के वनस्पति तेल को 4% के विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट दी गई है।

(v) किसानों, संसाधकों और उपभोक्ताओं के हितों में तालमेल बिठाने के उद्देश्य से खाद्य तेलों पर आयात शुल्क ढांचे की समय–समय पर समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

टेलीफोन केबलों की कमी

3749. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के नीचे बिछाने हेतु टेलीफोन केबलों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) कब तक यह कार्य पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं। टेलीफोन केबल की कोई कमी नहीं है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के प्रत्येक दूरसंचार सर्किल में केबल का शेष भंडार है और 1.4.2007 की स्थिति के अनुसार लगभग 60 लाख कंडक्टर किलोमीटर (एलसीकेएम) कैबल पूर्ण रूप से उपलब्ध था। पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों समेत देश के सभी भागों में टेलीफोन कनेक्शनों की छिट–पुट मांग को वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) और जीएसएम मोबाइल जैसी बेतार प्रौद्योगिकी प्रदान करके पूरा किया जा रहा है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर में भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण

3750. श्री मदन लाल शर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ वर्षों पूर्व जम्मू–कश्मीर के सूखा वाले क्षेत्रों में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय जल बोर्ड, जम्मू द्वारा चलाई परियोजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (घ) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी जी डब्ल्यू बी) ने विभिन्न जलभूवैज्ञानिक संरचनाओं के लिए उपयुक्त माडल पुनर्भरण संरचनाओं के विकास के उद्देश्य से IXवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 'भूजल का पुनर्भरण संबंधी अध्ययन' पर केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम का कार्यान्वयन किया है। इस स्कीम के तहत जम्मू और कश्मीर के जल की कमी वाले क्षेत्रों में सभी 8 प्रदर्शनात्मक पुनर्भरण परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया था। जहां तक केन्द्रीय जल आयोग (सी डब्ल्यू सी) का प्रश्न है, जम्मू क्षेत्र में 5 भण्डारण स्कीमों तथा कश्मीर क्षेत्र में 22 जल टैंक और 2 भण्डारण टैंकों के लिए राज्य सरकार को निधि जारी कर दी गई है। हालांकि जम्मू क्षेत्र में 7 भण्डारण स्कीमों और एक कृत्रिम पुनर्भरण संरचना, कश्मीर क्षेत्र में 57 जल टैंक और 7 भण्डारण टैंक तथा लद्दाख क्षेत्र में एक भूजल स्कीमों और कृत्रिम पुनर्भरण संरचना के संबंध में राज्य सरकार के परियोजना प्राधिकारियों से तकनीकी टिप्पणियों की अनुपालना अभी प्राप्त नहीं हुई है। सरकार परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के हर संभव प्रयास कर रही है। हालांकि जम्मू और कश्मीर सरकार के परियोजना प्राधिकारियों से तकनीकी टिप्पणी प्राप्त न होने के कारण कुछ परियोजनाओं में विलंब हो रहा है।

बिहार में बागमती नदी के तटबंध की मरम्मत

3751. श्री रघुनाथ झा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बागमती नदी के तटबंध की मरम्मत और इसे मजबूत बनाने के लिए कार्य शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उक्त मरम्मत में घटिया सामग्री के उपयोग के बारे में शिकायतें प्राप्त की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी मरम्मत में अच्छी निर्माण सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इस संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। भारत तथा नेपाल के माननीय प्रधान मंत्रियों के बीच 1991 में हुए समझौते के परिणाम स्वरूप लालबकिया, कमला, बागमती तथा खांडो नदियों पर तटबंध के विस्तार का कार्य आरंभ किया गया था और जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार को 1.50 करोड़ रुपए की राशि IXवीं योजना के दौरान बागमती नदी के लिए जारी की गई थी। यह केन्द्रीय योजना स्कीम "लालबकिया, कमला, बागमती तथा खांडों नदियों पर विद्यमान बांधों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण और विस्तार का कार्य" 46.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से Xवीं योजना में जारी रखा गया था। इस स्कीम से Xवीं योजना में बागमती नदी के लिए राज्य सरकार को 9.93 करोड़ रुपए की राशि की केन्द्रीय निधि दी गई थी।

(ग) जैसा कि गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना जो कि जल संसाधन मंत्रालय के अन्तर्गत एक अधीनस्थ संगठन है जो गंगा बेसिन राज्यों में बाढ़ प्रबंधन कार्यों को देखता है ने सूचित किया है इस कार्य में इस्तेमाल की गई सामग्री के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अनुमोदित स्कीम के तहत कार्य निष्पादन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एमटीएनएल/बीएसएनएल द्वारा अदा की गई किराए की धनराशि

3752. श्री. मुनव्वर हसन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद आज तक महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा कार्यालय और आवासीय भवनों पर राज्य–वार और वर्ष–वार किराए की कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) एमटीएनएल/बीएसएनएल के अधिकारियों द्वारा किराए पर लिए गए भवनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एमटीएनएल में मान्यता प्राप्त यूनियन द्वारा हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार किराए पर लिए गए भवनों को खाली करने का निर्णय लिया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और निगम की वर्ष–वार बचत कितनी है;

(ङ) क्या एमटीएनएल और बीएसएनएल द्वारा दिल्ली में भवनों को किराए पर लेने और उन्हें खाली करने तथा डीटीओ, तारघर, नेहरू

प्लेस जैसे उसी भवन को पुनः किराए पर लेने में अनियमितताएं हुई हैं;

(च) क्या सरकार का विचार पूरे प्रकरण पर ठोस कार्रवाई करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शकील अहमद) : (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड से संबंधित जानकारी संलग्न विवरण–I और II में दी गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा कार्यालय और आवासीय भवनों पर खर्च की गई किराए की धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

रु. करोड़ में

वर्ष	दिल्ली	मुंबई
2004–05	18.95	23.68
2005–06	19.53	20.82
2006–07	15.51	15.90
2007–08	3.31 जून, 2007 तक	5.35 जुलाई, 2007 तक

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा उनके संबंधियों के स्वामित्व वाले किसी भवन को किराए पर नहीं लिया गया है।

(ग) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में व्यय में कमी करने के लिए गए भवनों को उत्तरोत्तर रूप से खाली किया जाता है।

(घ) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में किराए के कुछ भवनों को खाली कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप भारी बचत हुई है। पिछले तीन वर्षों हेतु वर्षवार बचत का ब्यौरा निम्नानुसार है:

राशि रुपयों में

वर्ष	दिल्ली	मुम्बई
2004–05	74,71,633	–
2005–06	35,70,753	2,86,38,722
2006–07	2,47,88,61	4,92,44,049

(ङ) जी, नहीं। वह भवन जहां डीटीओ, नेहरू प्लेस कार्य कर रहा है, उसे खाली करने के बाद पुनः किराए पर नहीं लिया गया है।

(च) और (छ) उपर्युक्त भाग (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा उसके बाद आज की स्थिति तक भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा कार्यालय और आवासीय भवनों के किराए पर व्यय को दर्शाने वाला ब्यौरा

(राशि रुपए में)

क्रम. सं.	राज्य का नाम	2004–05	2005–06	2006–07	2007–आज तक
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार	1536091	1739729	2231036	723575
2.	असम	42098391	50805044	56413679	7811253
3.	आंध्र प्रदेश	112495179	116743828	114860814	32367360
4.	अरूणाचल प्रदेश	1036047	1282179	1302652	542770
5.	बिहार	4388167	5677706	6732944	2745756
6.	छत्तीसगढ़	96000	96000	96000	शून्य
7.	दिल्ली	14823308	14015520	5795186	4285992
8.	गोवा	425268	425268	431508	143836
9.	गुजरात	25493292	23547205	19623732	6034575

1	2	3	4	5	6
10.	हिमाचल प्रदेश	20699570	20377958	21542549	7134272
11.	हरियाणा	3914300	3709757	3764137	1135027
12.	झारखंड	6098563	56873274	7198102	1654086
13.	जम्मू-कश्मीर	15192607	13948992	14819472	6117182
14.	कर्नाटक	101566400	92187400	83593400	36317600
15.	केरल	118400000	142000000	144100000	404500000
16.	महाराष्ट्र	164867372	174968898	195487880	64820564
17.	मणिपुर	100694	2353700	2800200	934300
18.	मेघालय	537186	546766	547282	136537
19.	मिजोरम	1042490	988185	1099560	129100
20.	मध्य प्रदेश	4942523	5591416	5393483	2071042
21.	नागालैंड	1138548	1138548	1230396	511292
22.	उड़ीसा	16886000	16470319	13265148	4417399
23.	पांडिचेरी	1810100	1850984	1809776	663584
24.	पंजाब	9212431	6128645	8185435	1878423
25.	राजस्थान	10941536	9756931	10063178	4177993
26.	तमिलनाडु	220866056	255350166	263372441	85309218
27.	त्रिपुरा	339600	339600	339600	306439
28.	उत्तर प्रदेश	123805182	156065060	162798687	57085307
29.	उत्तराचल	14503154	21829418	22620688	7782827
30.	पश्चिम बंगाल	81676099	94227421	99959557	25037971
	कुल जोड़	1120932154	1239759970	1271478522	766775283

विवरण-II

भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के स्वामित्व वाले तथा किराए पर लिए गए भवनों को दर्शाने वाला ब्यौरा

क्रम. सं.	राज्य का नाम	भवनों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	19
2.	गुजरात	01
3.	हिमाचल प्रदेश	02
4.	महाराष्ट्र	05
5.	उड़ीसा	13
6.	राजस्थान	01
7.	उत्तरांचल	08
8.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	05
9.	मध्य प्रदेश	02
10.	कर्नाटक	03

निजी कंपनियों द्वारा नियमों का उल्लंघन

3753. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का निजी मोबाइल फोन कंपनियों पर कोई नियंत्रण नहीं है तथा इन कंपनियों पर अर्थदंड लगाने के बावजूद ये कंपनियां अपना लाइसेंस नवीकृत करा रही हैं तथा अन्य कर में छूट प्राप्त कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये कंपनियां सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर रही हैं तथा सकल राजस्व संबंधी अनियमितताएं बरत रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) नियमों का उल्लंघन करने वाली निजी मोबाइल कंपनियों, इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के क्या नाम हैं तथा इन पर कितना अर्थदंड लगाया गया है;

(ङ) सरकारी खजाने में अंशदान करने वाली कितनी प्राइवेट मोबाइल कम्पनियों ने 1 अप्रैल, 2004 से 30 जून, 2007 के दौरान कितनी बार अंशदान बढ़ाया है तथा उनका नाम-वार और क्रम-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार लाइसेंस की शर्तों में महालेखा-परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की शर्त शामिल करने का है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) निजी मोबाइल फोन कंपनियों द्वारा सेवाओं की पेशकश किए जाने के समय सुरक्षा संबंधी शर्तों सहित लाइसेंस करार के निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन किए जाने तथा अन्य अनियमितताएं बरतने के दृष्टांत होते रहते हैं। जब भी कभी इस प्रकार का उल्लंघन किए जाने का पता चलता है/सूचना मिलती है, संबंधित लाइसेंस करार के प्रावधानों के अनुसार विधिवत प्रक्रिया अपनाने के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। उल्लंघन के स्वरूप तथा कारण बताओं नोटिस के उत्तर के आधार पर लाइसेंसधारकों के विरुद्ध लाइसेंस करार के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती हैं जिसमें उन पर वित्तीय दंड लगाना शामिल है।

लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने वाली निजी मोबाइल फोन कंपनियों, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) के नाम तथा उन पर लगाए गए दंड की राशि के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ङ) जिन अभिगम दूरसंचार सेवाओं की लाइसेंसधारक निजी कंपनियों को सरकार को राजस्व के हिस्से के रूप में लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना है उनके 01.04.2004 और 30.6.2007 की स्थिति के अनुसार कंपनीवार और सेवा क्षेत्र वार विवरण-II में दिए गए हैं।

(च) और (छ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, सेवा प्रदाताओं की लेखा पुस्तकों तथा अन्य दस्तावेजों के रख-रखाव की नियमावली, 2002 के नियम 5 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा परीक्षा किए जाने का प्रावधान है और सीएजी ने कुछ मामलों में इस प्रकार की लेखा परीक्षा की है।

विवरण-I

उन निजी मोबाइल फोन कम्पनियों, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के नाम जिनके खिलाफ आर्थिक दंड अधिरोपित है

क्र. सं.	निजी कम्पनी का नाम	लाइसेंस की किस्म	अधिरोपित आर्थिक दंड की धनराशि
1.	मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड	एकीकृत अभिगम सेवा (मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता सेवा क्षेत्रों के लिए 3 लाइसेंस)	1,50,00,000/- रु.
2.	मैसर्स प्राइमस टेलीकम्युनिकेशन्स इंडिया लिमिटेड	इंटरनेट सेवा प्रदाता	8,78,036/- रु.
3.	एचएफसीएल इन्फोटेल लिमिटेड	इंटरनेट सेवा प्रदाता	16,94,288/- रु.

विवरण–II

मोबाइल दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाली उन लाइसेंसशुदा प्राप्त निजी कंपनियों के नाम जिन्हें लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना है

क्र. सं.	लाइसेंसधारक कंपनी का नाम	उस सेवा क्षेत्र का नाम जहां 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार अभिगम सेवाएं प्रदान करने के लिए कंपनी को लाइसेंस दिया गया है।	उस सेवा क्षेत्र का नाम जहां 30.6.2007 की स्थिति के अनुसार अभिगम सेवाएं प्रदान करने के लिए कंपनी को लाइसेंस दिया गया है।
1	2	3	4
1.	बीपीएल मोबाइल कम्युनिकेशन लि.	मुंबई	मुंबई
2.	श्याम टेलीलिंक लिमिटेड	राजस्थान	राजस्थान
3.	एयर सेल सेल्युलर लिमिटेड	चेन्नई	चेन्नई
4.	एयरटेल लिमिटेड		आंध्र प्रदेश
5.	एयरटेल लिमिटेड		दिल्ली
6.	एयरटेल लिमिटेड		गुजरात
7.	एयरटेल लिमिटेड		कर्नाटक
8.	एयरटेल लिमिटेड		महाराष्ट्र
9.	एयरटेल लिमिटेड		मुंबई
10.	एयरटेल लिमिटेड		राजस्थान
11.	एयरटेल लिमिटेड	तमिलनाडु (चेन्नई सेवा क्षेत्र को छोड़कर)	तमिलनाडु (चेन्नई सेवा क्षेत्र को छोड़कर)
12.	डिशनेट वायरलेस लिमिटेड		असम
13.	डिशनेट वायरलेस लिमिटेड		बिहार
14.	डिशनेट वायरलेस लिमिटेड		हरियाणा
15.	डिशनेट वायरलेस लिमिटेड		हिमाचल प्रदेश
16.	डिशनेट वायरलेस लिमिटेड		जम्मू और कश्मीर
17.	डिशनेट वायरलेस लिमिटेड		केरल
18.	डिशनेट वायरलेस लिमिटेड		कोलकाता
19.	डिशनेट वायरलेस लिमिटेड		मध्य प्रदेश
20.	डिशनेट वायरलेस लिमिटेड		उत्तर पूर्व
21.	डिशनेट वायरलेस लिमिटेड		उड़ीसा
22.	डिशनेट वायरलेस लिमिटेड		पंजाब

1	2	3	4
23.	डिशनेट वायरलेस लिमिटेड		उत्तर प्रदेश (पूर्व)
24.	डिशनेट वायरलेस लिमिटेड		उत्तर प्रदेश (पश्चिम)
25.	भारती वायरलेस लिमिटेड		पश्चिम बंगाल
26.	भारती वायरलेस लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश
27.	भारती वायरलेस लिमिटेड		असम
28.	भारती वायरलेस लिमिटेड	बिहार	बिहार
29.	भारती वायरलेस लिमिटेड	दिल्ली	दिल्ली
30.	भारती वायरलेस लिमिटेड	गुजरात	गुजरात
31.	भारती एयरटेल लिमिटेड	हरियाणा	हरियाणा
32	भारती एयरटेल लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश
33.	भारती एयरटेल लिमिटेड	जम्मू और कश्मीर	जम्मू और कश्मीर
34.	भारती एयरटेल लिमिटेड	कर्नाटक	कर्नाटक
35.	भारती एयरटेल लिमिटेड	केरल	केरल
36.	भारती एयरटेल लिमिटेड	कोलकाता	कोलकाता
37.	भारती एयरटेल लिमिटेड	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश
38.	भारती एयरटेल लिमिटेड	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र
39.	भारती एयरटेल लिमिटेड	मुंबई	मुंबई
40.	भारती एयरटेल लिमिटेड	उड़ीसा	उड़ीसा
41.	भारती एयरटेल लिमिटेड	पंजाब	पंजाब
42.	भारती एयरटेल लिमिटेड	चेन्नई	
43.	भारती एयरटेल लिमिटेड	तमिलनाडु (चेन्नई सेवा क्षेत्र को छोड़कर)	
44.	भारती एयरटेल लिमिटेड		तमिलनाडु (चेन्नई सेवा क्षेत्र सहित)
45.	भारती एयरटेल लिमिटेड	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	उत्तर प्रदेश (पूर्व)
46.	भारती एयरटेल लिमिटेड	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)
47.	भारती एयरटेल लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल
48.	भारती एयरटेल लिमिटेड	उत्तर पूर्व	उत्तर पूर्व
49.	भारती हेक्साकॉम लि.	राजस्थान	राजस्थान
50.	एचएफसीएल इन्फोटेल लि.	पंजाब	पंजाब

1	2	3	4
51.	एयरसेल डिजीलिंक इंडिया लि.	हरियाणा	हरियाणा
52.	एयरसेल डिजीलिंक इंडिया लि.	राजस्थान	राजस्थान
53.	एयरसेल डिजीलिंक इंडिया लि.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	उत्तर प्रदेश (पूर्व)
54.	एस्सार स्पेसटेल लि.		असम
55.	एस्सार स्पेसटेल लि.		बिहार
56.	एस्सार स्पेसटेल लि.		हिमाचल प्रदेश
57.	एस्सार स्पेसटेल लि.		जम्मू और कश्मीर
58.	एस्सार स्पेसटेल लि.		पूर्वोत्तर
59.	एस्सार स्पेसटेल लि.		उड़ीसा
60.	फास्सेल लि.	गुजरात	गुजरात
61.	हचिसन टेलीकॉम ईस्ट लि.	कोलकाता	कोलकाता
62.	हचिसन टेलीकॉम ईस्ट लि.	केरल	केरल
63.	हचिसन एस्सार सेल्युलर लि.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र
64.	हचिसन एस्सार सेल्युलर लि.	तमिलनाडु (चेन्नई सेवा क्षेत्र को छोड़कर)	तमिलनाडु (चेन्नई सेवा क्षेत्र को छोड़कर)
65.	हचिसन एस्सार सेल्युलर लि.	मुंबई	मुंबई
66.	हचिसन एस्सार मोबाइल सर्विसेज लि.	दिल्ली	दिल्ली
67.	हचिसन एस्सार साउथ लि.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश
68.	हचिसन एस्सार साउथ लि.	चेन्नई	चेन्नई
69.	हचिसन एस्सार साउथ लि.	कर्नाटक	कर्नाटक
70.	हचिसन एस्सार साउथ लि.	पंजाब	पंजाब
71.	हचिसन एस्सार साउथ लि.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)
72.	हचिसन एस्सार साउथ लि.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल
73.	आदित्य बिरला टेलीकॉम लि.		बिहार
74.	बीटीए सेलकॉम लि.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश
75.	आइडिया सेल्यलुर लि.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश
76.	आइडिया सेल्युलर लि.	दिल्ली	दिल्ली
77.	आइडिया सेल्युलर लि.	गुजरात	गुजरात
78.	आइडिया सेल्युलर लि.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र

1	2	3	4
79.	आइडिया सेल्युलर लि.		मुंबई
80.	आइडिया मोबाइल कम्युनिकेशन्स लि.	हरियाणा	हरियाणा
81.	आइडिया मोबाइल कम्युनिकेशन्स लि.	केरल	केरल
82.	आइडिया मोबाइल कम्युनिकेशन्स लि.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)
83.	आइडिया टेलीकम्युनिकेशन्स लि.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश
84.	आइडिया टेलीकम्युनिकेशन्स लि.	राजस्थान	राजस्थान
85.	आइडिया टेलीकम्युनिकेशन्स लि.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	उत्तर प्रदेश (पूर्व)
86.	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि.	आंध प्रदेश	आंध्र प्रदेश
87.	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि.	बिहार	बिहार
88.	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि.	दिल्ली	दिल्ली
89.	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि.	गुजरात	गुजरात
90.	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि.	हरियाणा	हरियाणा
91.	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश
92.	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि.		जम्मू और कश्मीर
93.	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि.	कर्नाटक	कर्नाटक
94.	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि.	केरल	केरल
95.	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि.	कोलकाता	कोलकाता
96.	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश
97.	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र
98.	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि.	मुंबई	मुंबई
99.	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि.	उड़ीसा	उड़ीसा
100.	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि.	पंजाब	पंजाब
101.	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि.	राजस्थान	राजस्थान
102.	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि.	चेन्नई	
103.	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि.	तमिलनाडु (चेन्नई सेवा क्षेत्र को छोड़कर)	
104.	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि.		तमिलनाडु (चेन्नई सेवा क्षेत्र को छोड़कर)
105.	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	उत्तर प्रदेश (पूर्व)
106.	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)

1	2	3	4
107.	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि.	पश्मिच बंगाल	पश्चिम बंगाल
108.	रिलायंस इंटरनेट सर्विसेज लि.	कोलकाता	कोलकाता
109.	रिलायंस टेलीकॉम लि.	बिहार	बिहार
110.	रिलायंस टेलीकॉम लि.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश
111.	रिलायंस टेलीकॉम लि.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश
112.	रिलायंस टेलीकॉम लि.	पूर्वोत्तर	पूर्वोत्तर
113.	रिलायंस टेलीकॉम लि.	उड़ीसा	उड़ीसा
112.	रिलायंस टेलीकॉम लि.	पूर्वोत्तर	पूर्वोत्तर
113.	रिलायंस टेलीकॉम लि.	उड़ीसा	उड़ीसा
114.	रिलायंस टेलीकॉम लि.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल
115.	रिलायंस टेलीकॉम लि.	असम	असम
116.	स्पाइस कम्युनिकेशन्स लि.	कर्नाटक	कर्नाटक
117.	स्पाइस कम्युनिकेशन्स लि.	पंजाब	पंजाब
118.	टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लि.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र
119.	टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लि.	मुंबई	मुंबई
120.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश
121.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	बिहार	बिहार
122.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	चेन्नई	चेन्नई
123.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	दिल्ली	दिल्ली
124.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	गुजरात	गुजरात
125.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	हरियाणा	हरियाणा
126.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश
127.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	कर्नाटक	कर्नाटक
128.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	केरल	केरल
129.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	कोलकाता	कोलकाता
130.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश
131.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	उड़ीसा	उड़ीसा
132.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	पंजाब	पंजाब
133.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	राजस्थान	राजस्थान

1	2	3	4
134.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	तमिलनाडु (चेन्नई सेवा क्षेत्र को छोड़कर)	तमिलनाडु (चेन्नई सेवा क्षेत्र को छोड़कर)
135.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	उत्तर प्रदेश (पूर्व)
136.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)
137.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल
	लाइसेंसों की कुल संख्या	104	133
निजी कंपनियों के लाइसेंसों की संख्या में निवल वृद्धि			29

टिप्पणी : उपर्युक्त के अतिरिक्त, मै. भारत संचार निगम लिमिटेड को सभी सेवा क्षेत्रों के लिए 21 सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंस प्रदान किए गए हैं जिनमें दिल्ली और मुंबई सेवा क्षेत्र शामिल नहीं है तथा मै. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को दिल्ली और मुंबई सेवा क्षेत्रों के लिए 2 सीएमटीएस लाइसेंस प्रदान किए गए हैं।

[अनुवाद]

भारत-चीन जल विवाद

3754. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष चीन के राष्ट्रपति की यात्रा के पश्चात जल विवाद को हल करने हेतु स्थापित संयुक्त तंत्र को सक्रिय बनाने हेतु भारतीय अधिकारियों से बातचीत करने के लिए चीन की सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत किन–किन मुद्दों को हल किया गया;

(ग) क्या मंत्रालय के एक शिष्टमंडल ने जल से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने हेतु हाल ही में चीन की यात्रा की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें किन–किन मुद्दों पर चर्चा की गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) वर्तमान में भारत और चीन के बीच जल से संबंधित कोई विवाद नहीं है। तथापि, नवंबर, 2006 के दौरान चीन के माननीय राष्ट्रपति के दौरे के पश्चात बाढ़ मौसम जल वैज्ञानिक आंकड़ों के प्रावधान, आपात प्रबंधन और दोनों के बीच हुई सहमति के अनुसार सीमापार नदियों के संबंध में अन्य मामलों के संबंध में परस्पर कार्रवाई एवं सहयोग पर चर्चा करने के लिए दोनों देशों के बीच विशेषज्ञ स्तर के एक संयुक्त तंत्र की स्थापना की गई है। दोनों ही देशों ने अपने–अपने विशेषज्ञ दल का गठन किया है। चीनी विशेषज्ञ दल के नेता, महानिदेशक, जल संसाधन और जल विद्युत आयोजना डिजाइन इंस्टीटयूट, चीनी गणराज्य का जल संसाधन मंत्रालय है।

(ग) जल से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हाल में, पिछले तीन महीनों में जल संसाधन मंत्रालय के किसी शिष्टमंडल ने चीन का दौरा नहीं किया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सीमा पर महिला आतंकवादी

3755. श्री मोहन रावले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में देश की सीमाओं पर महिला आतंकवादी संगठन की कोई गतिविधि ध्यान में आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका मुकाबला करने हेतु क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है;

(ग) क्या सेना सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय महिलाओं को कोई फायर आर्म प्रशिक्षण दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) सेना आतंकवादियों के विरुद्ध आत्म रक्षा हेतु नौशेरा क्षेत्र की ग्राम रक्षा समिति की महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दे रही है। स्थानीय महिलाओं को छोटे हथियार चलाने में प्रशिक्षित किया गया है।

कृष्णा पेयजल आपूर्ति परियोजना

3756. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने स्वीकृति हेतु कृष्णा पेयजल , आपूर्ति परियोजना (केडीडब्ल्यूएसपी) चरण–II प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा तथ्य क्या हैं; और

(ग) उक्त परियोजना हेतु कितनी राशि जारी की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) शहरी विकास मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश ने 830 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की "कृष्णा पेयजल आपूर्ति परियोजना फेज–II" प्रस्तुत की है। परियोजना शहरी विकास मंत्रालय के विचाराधीन है।

खराब पंखों की बिक्री

3757. श्री रघुनाथ झा : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को बजाय ब्रांड के खराब पंखों की बिक्री की घटना सामने आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कंपनी ने खराब पंखों को बदलने से मना कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषियों को दण्ड देने हेतु क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या उक्त कंपनी बिना किसी गुणात्मक नियंत्रण के इलेक्ट्रीकल सामग्री का आयात करती है तथा बाद में खराब उत्पादों को बदलने से इंकार करके उपभोक्ताओं को परेशान करती है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) से (ङ) भारतीय मानक ब्यूरो और उपभोक्ता समन्वय परिषद अथवा कंज्यूमर ऑन लाइन रिसोर्स एंड एम्पावरमेंट सेंटर को इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है।

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण

3758. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोर्ट मार्शल आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए एक मंच गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सेना अधिकारियों द्वारा अपनी शिकायतों के निवारण हेतु बड़ी संख्या में सिविल न्यायालय पहुंचने के मद्देनजर सरकार द्वारा एक सशस्त्र बल न्यायाधिकरण गठित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (ग) सरकार ने कोर्ट मार्शल के निर्णयों और आर्डरों के खिलाफ तथा सेना, नौसेना तथा वायु सेना अधिनियमों के तहत आने वाले कार्मिकों से संबंधित कुछ सेवा मामलों जैसे कमीशन प्रदान किया जाना, नियुक्ति, भर्ती, सेवा शर्तें, पदच्युति आदि के विवादों का निपटान करने के लिए उन्हें अपील फोरम मुहैया कराने के लिए एक सशस्त्र सेना अधिकरण गठित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में एक विधेयक संसद में पेश किया गया था। रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने विधेयक के प्रावधानों की जांच की है और अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत कर दी है। रक्षा संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात सरकार विधेयक में अधिकारिक संशोधन करेगी।

हरियाणा में मिलिटरी स्कूल

3759. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हरियाणा के झज्जर जिले में मिलिटरी स्कूल खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त स्कूल की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस स्कूल के कब तक कार्यशील हो जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय सीमा के निकट बंकरों तथा मोबाइल टॉवर का निर्माण

3760. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री रेवती रमन सिंह :
श्री सुरेश कलमाडी :
श्री संतोष गंगवार :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान तथा बांग्लादेश ने गत एक वर्ष के दौरान भारतीय सीमा के निकट कई बंकर बना लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पाकिस्तान तथा बांग्लादेश ने भारतीय सीमा के निकट कई मोबाइल टॉवर भी स्थापित किए हैं जिनका नेटवर्क भारतीय सीमा के 15–20 किलोमीटर/कई किलोमीटर तक सुना जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) और (ख) गृह मंत्रालय के अनुसार पाकिस्तान ने भारत–पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अगस्त 2006 से 128 बंकरों का निर्माण किया है। तथापि, बांग्लादेश द्वारा भारत–बांग्लादेश सीमा पर बंकरों के निर्माण की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ग) और (घ) पाकिस्तान ने भारतीय सीमा के समीप मोबाइल टॉवरों का निर्माण किया है। भारत–बांग्लादेश सीमा पर भी बांग्लादेश के ग्रामीण फोन के कई मोबाइल टॉवर खड़े किए गए हैं और यह महसूस किया गया है कि क्षेत्र की स्थलाकृति के आधार पर बांग्लादेश के ग्रामीण फोन नेटवर्क का इस्तेमाल अन्य नेटवर्कों के किसी तरह के व्यवधान के बिना भारत के 5–7 किलोमीटर भीतर तक किया जा सकता है।

[अनुवाद]

पी. डी. एस. के अंतर्गत मूल्य

3761. श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री थावरचन्द गेहलोत :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्न आधारित विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत गरीबी की रेखा से ऊपर (एपीएल) तथा गरीबी की रेखा से नीचे (बी पी एल) रहने वाले परिवारों हेतु आबंटित खाद्यान्नों के कोटे में क्या परिवर्तन किए गए हैं तथा विवरण हेतु क्या मूल्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान बीपीएल मूल्यों के समान मूल्यों पर खाद्यान्न का निर्यात किया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु समान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.सी.) शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आबंटनों को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:–

(i) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पिछले तीन वर्षों के औसत मासिक उठान के आधार पर गेहूं के आबंटन को जून, 2006 से युक्तिसंगत बनाया गया है। जबकि गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए निर्गम को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह पर बनाए रखा गया है, केवल चावल और गेहूं के पारस्परिक अनुपात को परिवर्तित किया गया है। गरीब रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए गेहूं के आबंटन को पिछले वर्षों के उठान के साथ जोड़कर यथार्थपरक बनाया गया है;

(ii) गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए चावल के आबंटन को पूर्व के 3 वर्षों के उठान के आंकड़ों के आधार पर अप्रैल, 2007 से युक्तियुक्त बनाया गया है; और

(iii) पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम की स्थिति विशेष को ध्यान में रखते हुए उनसे प्राप्त अनुरोधों पर सरकार ने जुलाई, 2007 से गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए चावल के आबंटन को उनकी हकदारी के अध्यधीन रहते हुए बढ़ाकर उनके मौजूदा आबंटन का डेढ़ गुणा कर दिया है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात गरीबी रेखा से ऊपर तथा गरीबी रेखा से नीचे और अन्य कल्याण योजनाओं के तहत वितरित खाद्यान्नों (चावल तथा गेहूं) के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) 11.8.2003 से निर्यातों के लिए खाद्यान्नों के कोई नए आबंटन नहीं किए गए हैं। निर्यातों की लंबित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद कुछ देशों को मानवीय आधार पर आवश्यकता आधारित सहायता को छोड़कर 1.10.2004 से वाणिज्यिक निर्यातों हेतु खाद्यान्नों की बिक्री रोक दी गई है।

(घ) सरकार का मौजूदा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्थान पर सर्वसुलभ सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (गरेऊ. और गरेनी.) के लिए गेहूं और चावल का केन्द्रीय निर्गम मूल्य

(रु. प्रति क्विंटल)

वर्ष	जिंस	गरेऊ.	गरेनी.
1.7.2002 से आज तक	गेहूं	610	415
	चावल	830	565

गेहूं और चावल के आर्थिक लागत :

(रु. प्रति क्विंटल)

वर्ष	जिंस	आर्थिक
2004–05	गेहूं	1019.01
	चावल	1303.59
2005–06	गेहूं	1031.51
	चावल	1350.67
2006–07	गेहूं	1232.58
	चावल	1385.92

अन्य कल्याण योजनाओं (लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अलावा) के तहत खाद्यान्नों के लिए लागू मूल्य –

क्र.सं.	योजना का नाम	लागू मूल्य
1.	अन्नपूर्णा	गरेनी दर
2.	मध्याह्न भोजन योजना	गरेनी दर
3.	गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम	गरेनी दर
4.	कल्याण संस्थाएं/छात्रावास	गरेनी दर
5.	संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	आर्थिक लागत
6.	संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विशेष घटक	आर्थिक लागत
7.	ग्रामीण अनाज बैंक योजना	आर्थिक लागत
8.	किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम	गरेनी दर
9.	इमरजेंसी फीडिंग कार्यक्रम	गरेनी दर
10.	अ.ज./अ.ज.ज./अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास	गरेनी दर

समुद्री मार्गों में घुसपैठ

3762. श्री रायापति सांबासिवा राव :

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डये :

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार समुद्री मार्गों के माध्यम से आतंकवादियों की घसुपैठ तथा समुद्री हमलों आदि को रोकने के लिए कोई योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) और (ख) भारतीय तटरक्षक बल, राज्य पुलिस तथा भारतीय नौसेना के साथ समन्वय करके भारतीय तटीय समुद्र तथा तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा करता है। भारतीय नौसेना तथा भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तट पर नियमित रूप से निगरानी तथा समुद्री गश्त की जाती है। तटों पर अवस्थित क्षेत्रों तथा स्थापनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए/परिकल्पित उपायों में नियमित हवाई निगरानी, समुद्रवर्ती राज्यों में तटीय पुलिस स्टेशनों की स्थापना, जलयान मॉनीटरी प्रणाली, आदि शामिल है।

टेलीफोन कनैक्शनों के विस्तार हेतु अभ्यावेदन

3763. श्री निखिल कुमार : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को टेलीफोन कनैक्शन प्रदान करने हेतु कुछ निजी दूरसंचार आपरेटरों के विस्तार संबंधी अभ्यावेदनों को अस्वीकृत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) वैश्विक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) ने 01.04.2005 और 31.03.2007 की अवधि के दौरान देश के 1685 वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एसडीसीए) में अलग–अलग ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनें (आरडीईएल) प्रदान कराने हेतु भारत संचार निगम लिमिटेड, रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड, टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड और टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड (महाराष्ट्र) के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं। आरडीईएल करार के निबंधन और शर्तों तथा साझा अवसंचरचना की आगामी योजना के मद्देनज़र आरडीईएल की संस्थापना हेतु समय–सीमा को 31.03.2007 से आगे बढ़ाए जाने के संबंध में सेवा प्रदाताओं का अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया।

खाद्यान्नों का निर्यात

3764. श्री के. विरूपाक्षप्पा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006–07 के दौरान खाद्यान्नों का कुल कितना आयात और निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार भविष्य में खाद्यान्नों के आयात और निर्यात संबंधी कोई नीति तैयार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बाढ़ नियंत्रण

3765. श्री मोहन जेना : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा के जाजपुर जिले में "ब्राह्मपानी–विरुपा–केलुआ दोआब" बाढ़ बचाव परियोजना पर उड़ीसा सरकार से एक संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विलम्ब के कारणों सहित इसे कब तक अनुमोदन दे दिया जायेगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय जल आयोग को "ब्राह्मणी–विरुपा– केलुआ दोआब" सुरक्षा परियोजना के संबंध में उड़ीसा सरकार से 35.45 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक प्रस्ताव अक्तूबर, 2006 में प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव की सीडब्ल्यूसी और जल संसाधन मंत्रालय में जांच की गई थी और अनुपालन के लिए टिप्पणियों को उड़ीसा सरकार को भेजा गया है। अनुपालन के पश्चात संशोधित प्रस्ताव उड़ीसा राज्य सरकार से अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

आर्मी नर्स कार्प्स

3766. डा. के. एस. मनोज : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कुछ अन्य देशों की तरह ही सेना में सैन्य नर्सों हेतु पृथक आर्मी नर्स कॉर्प्स के गठन पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) एक पृथक सेना नर्स कोर के गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख)- उपर्युक्त (क) को देखते हुए कोई प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पॉम स्टेरियन तेल

3767. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ आयातक मिक्सड एसिड तेल और फैटी एसिड तेल के नाम पर पॉम स्टेरियन तेल का आयात कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे आयातकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या ये तेल खाद्य तेलों में मिलावट में इस्तेमाल पाए गए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मिलावट पर रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी हां। मिश्रित अम्लीय तेल और वसा अम्ल के नाम पर पाम स्टिअरिन तेल के आयात के मामले राजस्व आसूचना महानिदेशालय द्वारा बुक किए गए हैं।

(ख) मामलों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रम. सं.	आयातक का नाम	मात्रा टन में	कीमत (करोड़ रु. में)	एस.सी.एन. जारी करने की तिथि	शुल्क यदि कोई हो (करोड़ रु. में)	की गई कार्रवाई
1.	मैसर्स बॉबी सोप इंडस्ट्रीज	178.948	0.38	26.06.07	0.15	कारण बताओं नोटिस (एस.सी.एन.) जारी
2.	मैसर्स खन्ना सोप फैक्ट्री	18.13	0.04	26.06.2007	0.01	एस.सी.एन. जारी
3.	तारा इंटरप्राइजेज़	181.3	33.68	–	0.13 जिसमें से 0.06 डी.आर.आई. द्वारा रिकवर कर लिया गया	अंतिम अनुमान के लिए मामले को कस्टम हाउस पिपावव अंतरित कर दिया गया।
4.	गोकुल इंटरप्राइजेज़	126.910	27.92	09.05.07	0.28	न्यायनिर्णयाधीन
5.	भाई गेहला सिंह जसवंत सिंह	164.66	0.30	21.05.07	0.055	न्यायनिर्णयधीन

(ग) ऐसी कोई सूचना राजस्व आसूचना निदेशालय के ध्यान में नहीं आई है कि उक्त तेल को खाद्य तेल के साथ मिलाने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आई. एन. एस. सिंधुविजय पनडुब्बी

3768. श्री एल. राजगोपाल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस ने उन्नत आई. एन. एस. सिंधुविजय पनडुब्बी को समुद्री परीक्षण के लिए भारतीय नौसेना को सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त पनडुब्बियों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या उपरोक्त पनडुब्बियां रूस की क्लब-एस प्रक्षेपास्त्र से सज्जित हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (घ) भारतीय नौसेना को अत्याधुनिक प्लेटफार्मों, हथियारों तथा उपस्करों को उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से भारतीय नौसेना का आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। आवश्यकता के आधार पर मौजूदा प्लेटफार्मों की रीफिट करके उनको आधुनिकीकरण किया जाता है। खतरे की अवधारणा तथा योजनाओं में प्रस्तावित नौसेना की आवश्यकताओं के आधार पर प्लेटफार्मों, हथियारों तथा उपस्करों का चयन किया जाता है। इससे अधिक विवरण प्रस्तुत करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को सुविधाएं

3769. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरियाणा में युद्ध-शहीदों की कितनी विधवाएं हैं;

(ख) शहीदों के कितने परिवारों/विधवाओं को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता दी गई है;

(ग) क्या शहीदों के कुछ परिवारों/विधवाओं को अभी भी सरकारी नौकरी पाने आदि जैसी सरकारी सहायता हेतु इधर-उधर भागदौड़ करनी पड़ रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. पल्लम राजू) : (क) हरियाणा में युद्ध शहीदों की विधवाओं की संख्या 1355 है।

(ख) (i) युद्ध के सभी हताहतों के आश्रितों को शैक्षिक छात्रवृत्तियां मुहैया करायी जा रही हैं। जिनमें प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम सहित ट्यूशन फ्री, परिवहन प्रभारों, मेस प्रभार को घटाकर छात्रावास प्रभारों, पुस्तकों, यूनिफार्म आदि की लागत का पूर्ण भुगतान शामिल है।

(ii) आपरेशन विजय, कारगिल के युद्ध शहीदों की 46 विधवाओं को राष्ट्रीय रक्षा निधि से वित्तीय सहायता मुहैया करायी गयी थी तथा दिए गए पैकेज में रिहायशी यूनिट के लिए 5 लाख रुपए और माता-पिता की सहायता (पेरेंटल एसिस्टेंस) तथा संतान भत्ता, प्रत्येक के लिए 2 लाख रुपए शामिल थे।

(iii) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 'विजय वीर आवास योजना' के तहत हरियाणा की 94 युद्ध विधवाओं को रियायती दर पर दिल्ली में फ्लैट मुहैया कराए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

थल सेनाध्यक्षों के विदेशी दौरे

3770. श्री नवीन जिन्दल :
डा. राजेश मिश्रा :
श्री सज्जन कुमार :
श्री जे. एम. आरून रशीद :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में थल सेनाध्यक्षों ने चीन, फ्रांस और इंग्लैंड का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त देशों के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में किस समझौते पर सहमति बनी?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) जी हां।

(ख) थल सेनाध्यक्ष 21 मई से 25 मई, 2007 तक चीन, 25 जून से 27 जून, 2007 तक फ्रांस और 28 जून से 02 जुलाई, 2007 तक इंग्लैंड का दौरा किया।

(ग) उपर्युक्त दौरों के दौरान थल सेनाध्यक्ष ने संबंधित देशों

के रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पारस्परिक विचार–विमर्श किए। बैठक के दौरान की गई चर्चा का केंद्र–बिंदु एक सेना से दूसरी सेना को दिए जा रहे सहयोग को बढ़ावा देना था। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जैसे सामान्य सरोकार के क्षेत्रों में विचारों का आदान–प्रदान किया गया। इन दौरों के दौरान कोई समझौते नहीं किए गए।

आयातित गेहूं

3771. श्री थावरचन्द गेहलोत :
श्री संतोष गंगवार :
श्री एम. शिवण्णा :
श्रीमती मिनाती सेन :
श्रीमती मनोरमा माधवराव :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेहूं के आयात हेतु समय पूर्व निविदाएं जारी करने की वजह से देश में गेहूं की कीमतें बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निविदाओं के जारी होने के पहले और पश्चात् दिल्ली में गेहूं की कीमतें क्या रही हैं;

(ग) यूरोप और रूस से संबंधित सीजन शुरू होने से पहले गेहूं के आयात हेतु आदेश देने के क्या कारण हैं; और

(घ) संबंधित हानियों हेतु जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। दिल्ली में गत छः महीनों में खुदरा मूल्य 12 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रहे हैं।

(ग) चूंकि वसूली के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कल्याण योजनाओं तथा प्राकृतिक आपदाओं की जरूरत पूरी करने के लिए अपेक्षित मात्रा में कम होने की संभावना थी अतः यह निर्णय किया गया कि गेहूं का उपयुक्त ट्रांचे में आयात किया जाए।

(घ) हानि का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सशस्त्र सेनाओं में जासूसी के मामले

3772. डा. राजेश मिश्रा :
श्री जे. एम. आरून रशीद :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री जी. एम. सिद्दीश्वर :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सशस्त्र सेनाओं में कितने जवानों पर जासूसी करने का संदेह है तथा गत तीन वर्षों के दौरान उनके विरूद्ध क्या प्रशासनिक कार्रवाई की गई;

(ख) क्या सेना के जवानों द्वारा जासूसी के बढ़ते हुए मामलों में सुरक्षा प्रणाली में खामी पाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) गत तीन वर्ष के दौरान जासूसी के मामलों में 17 सशस्त्र सेना कार्मिक संलिप्त पाए गए थे। नियमों, विनियमों के अनुसार समुचित कार्यवाही शुरू की गई है/की गई है तथा 14 कार्मिकों को कड़ी सजा दी गई है।

(ख) और (ग) सेना के जवानों द्वारा जासूसी के मामलों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है जिससे सुरक्षा व्यवस्था में दोष आया हो। शत्रु के आसूचना प्रयासों का पता लगाने, पहचान करने और निष्प्रभावी करने के लिए एक कारगर अंतर्निर्मित प्रति–आसूचना तंत्र मौजूद है।

[अनुवाद]

दलहनों का आयात

3773. श्री संतोष गंगवार : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य व्यापार निगम (एसटीसी) द्वारा उच्च मूल्य पर दलहनों का आयात किया गया है जिससे सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और इसने एक घोटाले का रूप ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितना नुकसान हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क)

और (ख) दालों की खरीद को ग्लोबल टैंडर के आधार पर अंतिम रूप दिया गया था और टेंडर में प्राप्त सबसे कम ऑफर के आधार पर ऑर्डर दिए गए थे। आयात मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित मूल्यों के साथ प्रतिस्पर्धात्मक थे। राज्य व्यापार निगम ने कहा है कि उस आयात में कोई घाटा नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) राज्य व्यापार निगम द्वारा दालों के आयात में अनियमितताओं के आरोप के बारे में वित्त मंत्रालय से प्राप्त शिकायत को राज्य व्यापार निगम के मुख्य सतर्कता अधिकारी को भेजा गया था। मुख्य सतर्कता अधिकारी की रिपोर्ट पर आरोप की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजा गया। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

किसानों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था

3774. श्री सूरज सिंह :
श्री रामजीलाल सुमन :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय संगठित क्षेत्र उद्यम आयोग ने किसानों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में कौन-कौन सी प्रमुख सिफारिशें की गई हैं एवं किसानों को विशेषकर लघु तथा मझौले किसानों को कितना ऋण दिया गया है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) कृषि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में ऐसा कोई आयोग नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

[अनुवाद]

गेहूं का आयात

3775. श्री मिलिन्द देवरा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और अमरीका के बीच अमरीका से गेहूं के लिए बाजार पहुंच संबंधी वार्ता विफल हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के एक शिष्टमंडल ने मई 2007 के पादम स्वास्थ्य पर चल रहे द्विपक्षीय विचार विमर्श के हिस्से के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकारियों के साथ बातचीत की थी। देश में संगरोध खर-पतवार के प्रवेश के संभावित खतरे, जो इस समय भारत में मौजूद नहीं है, को ध्यान में रखते हुए, गेहूं के परेषणों में संगरोध खर-पतवार की सह्य सीमाओं के संबंध में पादप स्वच्छता मानदंडों में छूट देने के संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुरोध को भारत द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। जो आयात परेषण पादम संगरोध (भारत में आयात का नियमन) आदेश, 2003 के तहत निर्धारित पादप स्वच्छता विनिर्दिष्टियों के अनुरूप नहीं होगा उसे देश में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन

3776. श्री रनेन बर्मन : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में युद्ध विराम समझौते का कितनी बार उल्लंघन होने के बारे में पता चला है;

(ख) उक्त गोलाबारी के दौरान कितने सैनिक और नागरिक मारे गए/घायल हुए;

(ग) मृतक सैनिकों और नागरिकों के आश्रितों को कितनी मुआवजा राशि प्रदान की गई;

(घ) मामले को सुलझाने के लिए पाकिस्तानी समकक्ष अधिकारी के साथ फ्लैग मीटिंग का क्या परिणाम निकला; और

(ङ) सरकार द्वारा एल.ओ.सी./सीमा पर शांति सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (ङ) भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा (एल ओ सी) पर युद्ध-विराम नवंबर, 2003 में घोषित किया गया था, जिसे कुछ विचलनों को छोड़कर, बनाए रखा गया है।

युद्ध-विराम के उल्लंघनों की घटना के संबंध में भारतीय पक्ष द्वारा सैन्य तथा राजनयिक चेनलों के माध्यम से अपने पाकिस्तानी समकक्षों के समक्ष जबरदस्त विरोध दर्ज कराया गया है। युद्ध-विराम की स्थिति को बनाए रखने हेतु पाकिस्तान की वचनबद्धता की पुनः पुष्टि करते हुए पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने इन घटनाओं में पाकिस्तानी सैनिकों के

शामिल होने से इंकार किया है। युद्ध–विराम के उल्लंघनों में भारतीय सेना के एक जूनियर कमीशन अफसर तथा तीन अन्य रैंक के कार्मिक घायल हुए हैं।

युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को पैट्रोल पंप का आबंटन

3777. श्री सुनील खां : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कारगिल युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को पैट्रोल पंप और एकमुश्त राशि देने की पेशकश की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो अन्य आपरेशनों में हताहत लोगों को मिले लाभ की तुलना में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा राज्य मंत्री (श्री एम. एम. पल्लम राजू) : (क) जी, हां।

(ख) कारगिल के शहीदों की विधवाओं/निकटतम संबंधितयों को एक विशेष योजना के तहत तेल उत्पाद एजेंसियों का आबंटन किया गया था जिसके अनुसार पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उनके लिए 500 एजेंसियां देना निर्धारित किया था। अन्य संक्रियाओं के शहीदों के आश्रित 8 प्रतिशत रक्षा कोटा योजना के तहत तेल उत्पाद एजेंसियों के आबंटन के पात्र हैं।

नीति के अनुसार, ऑपरेशन विजय को युद्ध–समान संक्रिया माना गया था युद्ध में हताहतों के निकटतम संबंधियों को बढ़ाई गई अनुग्रह राशि के 10 लाख रुपए के साथ–साथ विशेष कल्याण पैकेज दिया गया था। अन्य संक्रियाओं में शहीद हुए रक्षा कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को 7.5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि स्वीकार्य है। तथापि, जहां तक पेंशन संबंधी लाभों की बात है, ऑपरेशन विजय तथा ऑपरेशन विजय के बाद की संक्रियाओं के हताहतों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है। सभी युद्ध विधवाएं उदारीकृत परिवार पेंशन पाने के हकदार हैं।

[हिन्दी]

रक्षा कर्मियों के पेंशन लाभ में बढ़ोतरी

3778. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए सैनिकों को बढ़ी हुई दर पर पेंशन देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो एक वर्ष बीतने के बाद भी उन्हें बढ़ी दर पर पेंशन न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बढ़ी दर पर पेंशन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा राज्य मंत्री (श्री एम. एम. पल्लम राजू) : (क) जी, हां।

(ख) प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा (पेंशन) इलाहाबाद की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई तालिकाओं तथा छपी हुई पुस्तिकाओं के आधार पर पेंशन संशोधित करने के लिए सभी पेंशन संवितरण प्राधिकारियों को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 45,000 शाखाओं, 4 निजी क्षेत्र के बैंकों की 633 शाखाओं, 640 कोषागारों, 5 वेतन एवं लेखा कार्यालयों और 2 डाकघरों के एक नेट वर्क के माध्यम से लगभग 12 लाख पेंशनभोगियों की पेंशन को संशोधित करने का कार्य अत्यधिक वृहद है तथा यह निरंतर आधार पर किया जाता है।

(ग) सभी पेंशन संवितरण प्राधिकारियों को, पेंशनभोगियों से कोई आवेदन मांगे बिना, इस उद्देश्य के लिए परिचालित तालिकाओं में दर्शाई गई संशोधित दरों पर पेंशन का भुगतान करने की सलाह दी गई है। महानियंत्रक, रक्षा लेखा ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों से तुरंत पेंशन संशोधन और सरकार के निर्णय के कार्यान्वयन के लिए भुगतान शाखाओं को निर्देश देने का अनुरोध किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस संबंध में बैंकों को लिखा है। सचिव, वित्त सेवा विभाग से भी इस प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है। इस स्थिति की बारीकी से मॉनीटरी की जा रही है।

कृषि श्रमिकों को रोजगार

3779. श्री अखिल कुमार बारसी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सहकारी आंदोलन के माध्यम से कृषि श्रमिकों को रोजगार देने की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

[अनुवाद]

डाक सम्पदा का विकास

3780. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 अगस्त, 2007 की स्थिति के अनुसार देश में डाक विभाग के कितने भूखण्ड खाली पड़े हुए हैं तथा कितने स्थानों पर डाकघर भवनों को पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में डाक सम्पदा के विकास के लिए कोई कार्ययोजना तैयार करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में विभिन्न डाक सम्पदाओं के इष्टतम उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी हां, देश में डाक विभाग के 1871 भूखण्ड खाली पड़े हैं तथा 31 अगस्त, 2007 की स्थिति के अनुसार विभाग ने डाकघरों हेतु 4018 भवनों के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया है।

(ख) खाली पड़े विभागीय भूखण्डों की राज्य–वार संख्या संलग्न विवरण–I में दी गई है। डाकघर भवनों की डाक सर्किलावार संख्या संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(ग) और (घ) डाक सम्पदा के इष्टतम विकास एवं प्रबंधन के विशेष प्रयोजनार्थ (एसपीवी), सीमित देयता के साथ पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के संबंध में एक प्रारूप मंत्रिमंडल नोट योजना आयोग एवं विभिन्न नोडल मंत्रालयों/विभागों को उनके विचार/टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया है।

(ङ) खाली भूखण्डों पर निर्माण कार्य विभागीय मानकों एवं धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

विवरण-I

खाली पड़े भू–खंडों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल भूखंडों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	229
2.	असम	33
3.	बिहार	86
4.	छत्तीसगढ़	8
5.	दिल्ली	20
6.	गुजरात	112
7.	हरियाणा	19
8.	हिमाचल प्रदेश	28
9.	जम्मू और कश्मीर	9
10.	झारखंड	65
11.	कर्नाटक	364
12.	केरल	145
13.	महाराष्ट्र	87
14.	गोवा	4
15.	मध्य प्रदेश	26
16.	अरुणाचल प्रदेश	10
17.	त्रिपुरा	2
18.	मेघालय	3
19.	मणिपुर	3
20.	नागालैंड	7
21.	मिजोरम	10
22.	उड़ीसा	42
23.	पंजाब	17
24.	राजस्थान	200
25.	तमिलनाडु	154
26.	उत्तर प्रदेश	80
27.	उत्तरांचल	20
28.	पश्चिम बंगाल	87
29.	सिक्किम	1
	कुल	1871

विवरण-II

31 अगस्त, 2007 की स्थिति के अनुसार निर्मित डाकघर भवनों की डाक सर्किलावार संख्या

क्र.सं.	डाक सर्किल का नाम	डाकघर भवनों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	300

1	2	3
2.	असम	158
3.	बिहार	178
4.	छत्तीसगढ़	38
5.	दिल्ली	113
6.	गुजरात	233
7.	हरियाणा	75
8.	हिमाचल प्रदेश	73
9.	जम्मू और कश्मीर	33
10.	झारखंड	69
11.	कर्नाटक	371
12.	केरल	249
13.	महाराष्ट्र	355
14.	मध्य प्रदेश	195
15.	उत्तर पूर्व	90
16.	उड़ीसा	142
17.	पंजाब	135
18.	राजस्थान	288
19.	तमिलनाडु	272
20.	उत्तर प्रदेश	334
21.	उत्तरांचल	50
22.	पश्चिम बंगाल	267
	कुल	4018

कृषि में लगी महिलाएं

3781. **श्री के. एस. राव :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कृषि तथा कृषि सम्बद्ध व्यवसाय क्रियाकलापों में राज्य–वार कितनी महिलाएं लगी हुई हैं;

(ख) देश में राज्य–वार कितनी महिलाएं कृषि सम्पति धारक हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की गरिमा तथा आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कृषि भूमि का मालिकाना हक देने; कृषि ऋण को प्राथमिकता पूर्वक उपलब्ध कराने तथा अवसंरचनात्मक सहायता एवं तकनीकी ज्ञान के लिए महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए एक कानून का अधिनियमन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) 2001 की जनगणना के अनुसार देश में कृषि तथा कृषि संबंधी गतिविधियों में लगी हुई महिला कामगारों (उत्पादक तथा कृषि श्रमिक) की कुल संख्या 91,342, 583 है। महिलाओं द्वारा रखी गई कृषि सम्पति पर आंकड़े उपलब्ध नहीं है। राज्य–वार आंकड़ें संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं, श्रीमान।

विवरण

2001 की जनगणना के अनुसार देश में कृषि तथा कृषि संबंधी गतिविधियों में लगी हुई महिला कामगारों (उत्पादक तथा कृषि श्रमिक) की कुल संख्या

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कृषि में महिलाओं की संख्या
	1	2
1.	जम्मू और कश्मीर	643061
2.	हिमाचल प्रदेश	1159071
3.	पंजाब	687919
4.	चंडीगढ़	556
5.	उत्तराखंड	954883
6.	हरियाणा	1724155
7.	दिल्ली	15140
8	राजस्थान	7545727
9	उत्तर प्रदेश	9842987

1		2
10	बिहार	16423849
11	सिक्किम	69389
12	अरुणाचल प्रदेश	151475
13	नागालैंड	292840
14	मणिपुर	229125
15	मिजोरम	139843
16	त्रिपुरा	205830
17	मेघालय	292798
18	असम	1527729
19	पश्चिम बंगाल	3281433
20	झारखंड	2850110
21	उड़ीसा	3311078
22	छत्तीसगढ़	3673453
23	मध्य प्रदेश	8037432
24	गुजरात	4547991
25	दमन और दीव	3002
26	दादरा और नागर हवेली	30684
27	महाराष्ट्र	11023807
28	आंध्र प्रदेश	10036381
29	कर्नाटक	5657031
30	गोवा	44523
31	केरल	444614
32	तमिलनाडु	6634820
33	पांडिचेरी	31397
34	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7650
	कुल	9,13,42,583

स्रोत : भारतीय जनगणना 2001

[हिन्दी]

छावनी क्षेत्रों में चुनावों का आयोजन

3782. श्री संतोष गंगवार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत कुछ वर्षों में छावनी परिषद द्वारा छावनी क्षेत्रों में चुनाव न कराए जाने के संबंध में नागरिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसके परिणामस्वरूप छावनी क्षेत्रों का विकास लंबित हो गया है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों तथा शहरों में ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) उक्त चुनावों के कब तक करवाए जाने की संभावना है;

(घ) क्या संभावित अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण चुनाव नहीं हुए; और

(ङ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) और (ख) छावनी परिषदों के चुनाव कराए जाने के बारे में पुणे, देवलाली (महाराष्ट्र), झांसी, बरेली (उत्तर प्रदेश), दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), अमृतसर (पंजाब) और बैरकपुर (पश्चिम बंगाल) आदि जैसी विभिन्न छावनियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) छावनी अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार छावनी परिषदों के चुनाव कराए जाने के लिए छावनी निर्वाचक नियमावली, 2007 अधिसूचित की गई है। कानूनी और वैधानिक प्रक्रिया चुनाव आयोजित करने से पहले पूरी की जानी है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे समवेत हुई।

*(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)*

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

(दो) अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाए जाने तथा भारतीय हॉकी टीम को एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप जीतने पर बधाई

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण 8 सितंबर, 2007 को अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रुप में मनाया गया, जिसे 1965 से, जब यूनेस्को द्वारा इसे इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया था, मनाया जाता रहा है। हमारे देश में पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अब भी चिंता की बात है कि महिला साक्षरता दर का लक्ष्य प्राप्त करना बाकी है तथा इस अंतर को समाप्त किया जाना चाहिए और महिला साक्षरता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

हम देश में साक्षरता के विस्तार हेतु प्रयास करने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए संकल्प लें।

माननीय सदस्यगण यह अत्यंत गर्व की बात है कि भारत ने कल चेन्नई में हुए फाइनल में सात–दो गोल की बढ़त से दक्षिण कोरिया को हराकर महत्वपूर्ण जीत दर्ज करके एशिया कप हाकी चैम्पियनशिप जीत ली है।

टीम ने हमें गर्व प्रदान किया है तथा मुझे विश्वास है कि सभा भारतीय हॉकी टीम को बधाई देने में मेरे साथ होगी तथा हम भविष्य की प्रतियोगिताओं में उनकी शानदार सफलता की कामना करते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, हॉकी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है, फुटबाल टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन हॉकी तथा फुटबाल को प्राथमिकता सूची से बाहर रखा गया है ...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (सांबरकंठा) : महोदय, उन्हें पहली प्राथमिकता तथा और ज्यादा धन दिया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इतना खुश हूं कि इस पर सभी एकमत हैं।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, हॉकी को हमारी प्राथमिकता सूची से हटा दिया गया है...*(व्यवधान)* इसे प्राथमिकता सूची में शामिल किया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : धनुर्विद्या को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : महोदय, प्रत्येक मुद्दे पर सहमति है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप पांच मिनट तक इंतजार नहीं कर सकते हैं?

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, प्रत्येक मुद्दे पर सहमति है। भारत–अमेरिका परमाणु समझौते पर सहमति क्यों नही हो सकती है? ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभापटल पर रखे जा रहे पत्र के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सूक्ष्म, लघु और महोदय उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) –

(एक) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 7903/2007]

---

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नान्डीस): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा जेनेवा में फरवरी, 2006 में हुए अपने 94वें सत्र में स्वीकृत सामुद्रिक श्रम अभिसमय, 2006 से संबंधित विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 7004/2007]

(2) (एक) वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा, के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा, के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 7005/2007]

(4) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उपधारा (4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) (पहला संशोधन) नियम, 2007 जो 4 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 465 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 7006/2007]

(5) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत कर्मचारी पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2006 जो 29 दिसंबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3 में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 7007/2007]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, अपने सहयोगी, डा. सुरेश पचौरी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उपधारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 7008/2007]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) भारतीय डाकघर (दूसरा संशोधन) नियम, 2007 जो 27 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 511 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय डाकघर (दूसरा संशोधन) नियम, 2007 जो 11 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 420 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय डाकघर (तीसरा संशोधन) नियम, 2007 जो 3 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 532 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 7009/2007]

(2) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) –

(एक) दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोक्ता प्रभार (8वां संशोधन) विनियम, 2007 जो 21 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं. 409–2/2007–एफएन में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण विनियम, 2007 जो 10 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं. 303–10/2006–क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दूरसंचार अवांछित वाणिज्यिक संदेश विनियम, 2007 जो 6 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 101–60/2006–एमएन में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केबल लैंडिंग स्टेशनों पर आवश्यक सुविधाओं पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार पहुंच विनियम, 2007 जो 8 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं. 416–1/2007–एफएन में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) दूर संचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि विनियम, 2007 जो 15 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 322/4/2006–क्यूओएस (सीए) में प्रकाशित हुए थे।

(3) उपर्युक्त (2) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 7010/2007]

(4) भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 477(अ) जो 27 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (लेखाओं और अभिलेखों के वार्षिक विवरण के प्ररूप) संशोधन नियम, 2006 का शुद्धि पत्र दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 7011/2007]

(5) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड और दूर संचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2007–2008 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 7012/2007]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) (एक) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 7013/2007]

(ख) (एक) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2001–2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 7014/2007]

(ग) (एक) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2004–2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 7015/2007]

(घ) (एक) महाराष्ट्र स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2005–

2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 7016/2007]

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) यूपी प्रोजैक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूपी प्रोजैक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2004–2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 7017/2007]

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) (पहली संशोधन) विनियम, 2007 जो 15 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ई.पी. 36(2)/99 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 7018/2007]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2007 जो 31 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 1309 (अ)/आ.व./गन्ना में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 7019/2007]

(3) भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 41 की उपधारा (3) के अंतर्गत भाण्डागारण निगम (संशोधन) नियम, 2007 जो 13 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 423(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 7020/2007]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश
और
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है:–

"राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोकसभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्यसभा 6 सितम्बर, 2007 को हुई अपनी बैठक में लोकसभा द्वारा 14 अगस्त, 2007 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2007 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

"राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्यसभा द्वारा 7 सितम्बर, 2007 को हुई अपनी बैठक में पारित सड़क से वहन विधेयक, 2007 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं राज्यसभा द्वारा 7 सितम्बर, 2007 को यथापारित सड़क द्वारा वाहन विधेयक, 2007 को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं "यात्री सुविधाएं" के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के

15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री शरद पवार जी की ओर से यह वक्तव्य लोक सभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा के बुलेटिन के भाग 2 के अंतर्गत जारी लोक सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम, 389 के अनुसरण में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की 18वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में दे रहा हूं।

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की उपर्युक्त रिपोर्ट के संबंध में निहित सभी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई/उनकी स्थिति बताने वाला विवरण अलग से संलग्न है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा समिति की इन सिफारिशों की सावधानीपूर्वक जांच की गई है। कृपया यह नोट करें कि 18वीं रिपोर्ट में 43 सिफारिशें हैं जिनमें से 30 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। जो सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं/आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गई हैं/स्वीकार नही की गई हैं/फिलहाल स्वीकार नहीं की गई हैं/जांच के अधीन हैं/कोई विशिष्ट सिफारिश नही है, उनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

सिफारिशों की कुल संख्या	स्वीकृत	आंशिक रुप से स्वीकृत	स्वीकार नहीं की गई/ फिलहाल स्वीकार नहीं की गई	जांच के अधीन	कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं
43	30	6	5	1	1

5 सिफारिशों को स्वीकार न करने और 6 सिफारिशों को आंशिक रूप से स्वीकार करने के कारण विवरण में स्पष्ट किए गए हैं।

इस रिपोर्ट के संबंध में की गई कार्रवाई के उत्तर समिति को 20.8.2007 को भेज दिए गए हैं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.04½ बजे

(दो) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की मांगों (2004-05, 2005-06 और 2006-07) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति से पहले, पांचवें और चौदहवें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति *

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से विभाग-संबंधित स्थायी समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में श्री सुरेश पचौरी जी कि ओर से यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

कार्मिक, लोक, शिकायत, विधि और न्याय मंत्रालय की स्थायी समिति ने, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदान मांगों (2004-2005) संबंधी अपनी प्रथम रिपोर्ट में 25 सिफारिशें की थीं। मैंने दिनांक 13.12.2006 को इस माननीय सदन को यह सूचित किया था कि उपर्युक्त 25 सिफारिशो में से 19 सिफारिशें पहले ही कार्यान्वित कर दी गई हैं अथवा उनके संबंध में कोई और कार्रवाई की जानी बाकी नहीं है। महोदय, शेष 06 सिफारिशों के संबंध में, मैं आपकी अनुमति से सदन के पटल पर 02 विवरण रखता हूं जो इन सिफारिशों की दिनांक 30.4.2007 की स्थिति को दर्शाते हैं। विवरण संख्या 01 इनमें से एक सिफारिश की स्थिति को दर्शाता है जिसे कार्यान्वित कर दिया गया है। विवरण संख्या 02, शेष 05 सिफारिशों की स्थिति दर्शाता है। जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति को नजदीकी रूप से मॉनीटर किया जा रहा है।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं आगे यह भी बताता हूं कि कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय मंत्रालय की स्थायी समिति ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदान मांगों (2005-2006) संबंधी अपनी 5वीं रिपोर्ट में 32 सिफारिशें की थीं। मैंने दिनांक 13.12.2006 को इस माननीय सदन को यह सूचित किया था कि इनमें से 28 सिफारिशें पहले ही कार्यान्वित कर दी गई हैं अथवा उनके संबंध

*सभापटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7021/2007

*सभापटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7022/2007

में कोई और कार्रवाई की जानी बाकी नहीं है। शेष सिफारिशों के संबंध में आपकी अनुमति से मैं सदन के पटल पर दो और विवरण रखता हूं अर्थात् विवरण संख्या 03 और विवरण संख्या 04 जो शेष सिफारिशों की दिनांक 30.06.2007 की स्थिति को दर्शाते हैं। विवरण संख्या 03, उन 03 सिफारिशों को दर्शाता है जो या तो कार्यान्वित की जा चुकी है अथवा जिनमें कोई कार्रवाई की जानी बाकी नहीं है। विवरण 04, शेष 01 सिफारिश की स्थिति दर्शाता है जो कार्यान्वित की जा रही है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा समिति की इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति को नजदीकी रूप से मॉनीटर किया जा रहा है।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं आगे यह भी बताता हूं कि कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय मंत्रालय की स्थायी समिति ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2006–2007) संबंधी अपनी 14वीं रिपोर्ट में 48 सिफारिशें की थीं। महोदय आपकी अनुमति से मैं दो और विवरण सभा पटल पर रखता हूं अर्थात् विवरण संख्या 5 और विवरण संख्या 6 जो इन सिफारिशों की 30.4.2007 की स्थिति को दर्शाते हैं। विवरण 5, उन 31 सिफारिशों की स्थिति को दर्शाता है जो या तो कार्यान्वित की जा चुकी हैं अथवा जिनमें कोई कार्रवाई की जानी बाकी नहीं है। विवरण संख्या 6, शेष 17 सिफारिशों की स्थिति दर्शाता है जो कार्यान्वित की जा रही है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति को नजदीकी रूप से मॉनीटर किया जा रहा है।

अपराह्न 12.05 बजे

रक्षा उत्पादन प्रणाली की आउट सोर्सिंग के बारे में दिनांक 20 अगस्त, 2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1056 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण*

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह) : महोदय, मैं संसद सदस्य श्री रशीद मसूद और श्री मो. ताहिर द्वारा रक्षा उत्पादन प्रणाली की आउटसोर्सिंग के बारे में पूछे गए दिनांक 20 अगस्त, 2007 के अतारांकित प्रश्न सं. 1056 के उत्तर में शुद्धि करने संबंधी विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

लोक सभा के उक्त अतारांकित प्रश्न के भाग (क) और (ख) में मैंने यह उत्तर दिया था कि 'वैश्विक स्तर पर खरीदों' के रूप में पूंजीगत अर्जनों की सांकेतिक लागत का 30 प्रतिशत और 'खरीदो और बनाओ' श्रेणी के अधिग्रहणों में विदेशी मुद्रा अंश का 30 प्रतिशत न्यूनतम आफसेट अपेक्षित होगा। पूंजीगत अधिग्रहणों की सांकेतिक लागत जिस पर आफसेट प्रावधान लागू होता है तथा जो अनजाने में उत्तर में शामिल किए जाने से रह गई थी '300 करोड़ रुपए अथवा अधिक' है।

*सभापटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7023/2007

जैसे ही यह चूक मेरी जानकारी में आई, तभी उसे सुधारने की कार्रवाई की गई।

उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण अब सभा–पटल पर रखा जा रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.05½ बजे

(इस समय श्री सुभाष महरिया, श्री अशोक प्रधान और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.06 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं जिन्हें माननीय सदस्य उठाना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जा सकता है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा नहीं चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाए।

(एक) राजस्थान के अलवर में सरिस्का बाघ रिजर्व में बाघों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र अलवर के अंतर्गत सरिस्का को प्रोजेक्ट टाईगर रिर्जव घोषित किया हुआ है। सरिस्का से बाघों के विलुप्त हो जाने से पूरे देश में बाघों के संरक्षण पर राष्ट्रीय बहस छिड़ी हुई है। प्रधानमंत्री जी ने सरिस्का में बाघों के पुनर्वास व पुनर्स्थापना हेतु सदन में आश्वासन दिया हुआ है। भारतीय

*सभा पटल पर रखे माने गये।

जीव संस्थान देहरादून के तकनीकी सहयोग से सरिस्का में बाघों को पुनर्स्थापित करने हेतु प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। 4.60 करोड़ की संशोधित योजना सरकार के वन एवम पर्यावरण विभाग के विचाराधीन है। मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना है कि बाघों में पुनर्स्थापन का कार्य तीव्र गति से किया जाये ताकि अलवर आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो।

(दो) असम के करीमगंज में भारत-बंगलादेश सीमा पर कटीले तारों की बाड़ के साथ-साथ गेटों के निर्माण तथा जल पंपिंग मशीने लगाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ललित मोहन शुक्लवैध (करीमगंज) : मैं भारत–बांग्लादेश सीमा पर लगायी गयी कंटीले तारों की बाड़ के अंदर रह रहे अधिसंख्य लोगों तथा करीमगंज, असम में कुशियारा नदी के किनारे लगायी गयी बाड़ों के साथ–साथ रहने वाले लोगों द्वारा सामना की जा रही परेशानियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो लगाई गई बाड़ों में उचित स्थानों पर गेट नहीं होने की वजह से ऐसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वे बाड़ों के बाहर स्थित अपने खेतों में आसानी से नहीं पहुंच पाते। उन्हें अपने धान के खेतों में पहुंचने हेतु सभी उपकरणों और पशुओं के साथ लम्बी दूरियां तय करनी पड़ती हैं। दूसरी और कुशियारा नदी के तट पर रहने वाले लोगों को, जो पारम्परिक रूप से सभी प्रयोजनों यथा, स्नान करने, कपड़ा धोने, खेती करने और यहां तक कि पीने आदि के लिए नदी जल का उपयोग करते आते हैं, बाड़ के उस पार से नदी का जल लाने हेतु काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह (i) इस क्षेत्र में भारत–बांग्लादेश सीमा पर लगायी गयी बाड़ के साथ प्रत्येक 500 मीटर की दूरी पर गेट मुहैया कराने और (ii) कंटीले तार की बाड़ के अंदर काफी संख्या में रह रहे इन परिवारों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के निमित नदी जल लाने हेतु समुचित स्थानों पर पंम्पिंग मशीन स्थापित करने के लिए उचित कार्रवाई करे।

(तीन) देश के अल्पसंख्यक बहुल जिलों के विकास हेतु प्रस्तावित केन्द्रीय योजना में आंग्ल भारतीय समुदाय को शामिल किए जाने की आवश्यकता

सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड (नामनिर्दिष्ट) : मुझे ज्ञात हुआ है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय एक बहुक्षेत्रीय केंद्रीय योजना तैयार करने की प्रक्रिया में है जिसका लक्ष्य देश के 90 अल्पसंख्यक बहुत जिले होंगे और इसकी परिकल्पना शत प्रतिशत केंद्रीय निधिपोषित योजना के रूप में की जा रही है। इस योजना के एक बार लागू हो जाने के पश्चात् यह आशा की जा रही है कि यह अल्पसंयकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी। इसी महत्वकांक्षी कार्यक्रम का लक्ष्य है विकासात्मक परियोजनाओं के विशेष समानुपात को जानकर इन अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार करना। अल्पसंख्यक बहुल जिलों में जिन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा, वे हैं : शिक्षा, आवास, जलापूर्ति, विद्युत तथा पोषाहार। इस योजना का लक्ष्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आय–सृजक कार्यकलापों का सृजन करना भी है। यह एक स्वागतयोग्य कदम है।

इस संदर्भ में मैं चाहूंगा कि सरकार अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए अपनाये जाने वाले प्रस्तावित मानदण्डों के बारे में बताए कि क्या ये धार्मिक अल्पसंख्यक होंगे अथवा भाषायी अल्पसंख्यक होंगे अथवा कोई अन्य विशेष मानदण्ड तैयार किया जाएंगे। आरंभिक रिपोर्टों से यह प्रतीत होता है कि विचार विमर्श का मुख्य आधार भाषायी मानदण्ड होंगे। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या बहुक्षेत्रीय केंद्रीय योजना में बताये गये लाभों को प्राप्त करने के लिए आंग्ल–भारतीय समुदाय पर भी विचार किया जा रहा है।

(चार) गुजरात के मेहसाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वजलधारा योजना के तहत पेयजल योजनाओं के लागू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मेहसाना में पेयजल का अभाव है। लोगों को दूर–दूर से पानी लाना पड़ता है और गैस और पैट्रोलियम के कुओं में खुदाई एवं गैस एवं तैल निकालने की प्रक्रिया से पानी में फ्लोराइड तत्व मिल गये हैं जिसके पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं और विक्लांग हो रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में स्वजलधारा की 37 योजनायें पूरी हो चुकी हैं। अगर योजनायें पूरी हो गई हैं तो लोगों को पानी मिलना चाहिए परन्तु इन योजनाओं के क्रियान्वयन किये जाने के बाद भी पेयजल का संकट अभी बरकरार है। अगर यह 37 योजनाएं पूरी हो गई होती तो पेयजल की स्थिति मेरे संसदीय क्षेत्र मेहसाना में अच्छी हो गई होती।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र मेहसाना में जो पेयजल की भीषण समस्या है उसके समाधान के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वजलधारा की ओर गई योजनाएं चलाने का कष्ट करें।

(पांच) पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में विद्यमान जल प्रणाली की मरम्मत और रख रखाव हेतु निधि जारी किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री डी. नरबुला (दार्जिलिंग) : दार्जिलिंग में पेयजल परियोजना

को स्वीकृति देने के लिए मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं। लगभग 100 वर्ष पूर्व ब्रिटिश सरकार ने दो झीलों का निर्माण किया था। 1905 में नॉर्थ सेन्चल लेक तथा 1932 में साउथ सेन्चल लेक। दार्जिलिंग की पूरी जनसंख्या की वर्षपर्यंत पेयजल की आपूर्ति के लिए वर्षा जल अथवा झरना जल का संचय किया जाता है। वर्षा जल के अतिरिक्त 23 झरने हैं जहां से नाली मार्गों के माध्यम से इन दो झीलों में पानी लाया जा रह है। इन नाली मार्गों का निर्माण भी ब्रिटिश द्वारा किया गया था, जिनका उचित ढंग से रख–रखाव नहीं किया जा रहा है, और इसलिए इन नाली मार्गों की स्थिति काफी दयनीय है। इन दो झरनों से जोर बंगला स्थित फिल्टर हाउस तक पानी लाने के लिए ब्रिटिश द्वारा बिछाए गए पाइप भी जीर्ण–शीर्ण स्थिति में हैं जिन्हें या तो बदले जाने अथवा पूरी तरह से मरम्मत किए जाने की आवश्यकता है।

केंद्र सरकार की दार्जिलिंग पेय जल परियोजना को पूरा होने में दो वर्ष से अधिक समय लगेगा। इस अवधि के दौरान दार्जिलिंग में पेयजल संकट को इन नाली मार्गों की मरम्मत करके और सेन्चल झीलों से जोर बंगला स्थित फिल्टर हाउस तक पुराने पाइपों को बदलकर दूर किया जा सकता है। जिसके लिए अतिरिक्त धन राशि की आवश्यकता है। अतः, मैं केंद्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि इन झरनों, नाली मार्गों तथा पाइप लानों के रखरखाव के लिए 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत करें ताकि केंद्र सरकार की इस परियोजना के पूरा होने तक दार्जिलिंग के लोगों के पेयजल संकट का समाधान करने में मदद मिल सके।

(छह) देश में आंग्ल-भारतीय समुदाय के समग्र विकास हेतु एक व्यापक पैकेज की घोषणा किए जाने की आवश्यकता

श्री फ्रांसिस फैन्थम (नामनिर्दिष्ट) : मैं सरकार का ध्यान देश के आंग्ल–भारतीय समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय को विद्यमान एवं उभरती समस्याओं का समाधान करने का अधिदेश प्राप्त है लेकिन अभी तक समुदाय के लिए कोई योजना नहीं तैयार की गई है। अल्पसंख्यक विकास वित्तीय निगम से ऋण मिलने के कारण यह समुदाय लघु इकाइयों की स्थापना नहीं कर पा रहा है। व्यावसयिक तथा उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति सुविधाएं नहीं हैं तथा सरकार शिक्षा संस्थाओं के प्रत्यायन। सम्बद्धता के लिए प्रक्रिया को सुकर नहीं बनाती है। पूर्व में विद्यमान रोजगार अवसरों को वापस ले लिया गया और कोई विकल्प सृजित नहीं किए गए। परिणामस्वरूप, इस समुदाय की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। यह देश का सबसे कम नस्ल जाति वाला समुदाय एवं भाषीय समुदाय है जिसने अपनी जनसंख्या के अनुपात से काफी अधिक योगदान दिया है। अतः समग्र राष्ट्रीय हित में इस बात की जरूरत है कि ऐसा जरिया बनाया जाये जिससे कि ये लोग भागीदारी कर सकें एवं योगदान दे सके।

सरकार से एक व्यापक पैकेज की घोषणा करने का अनुरोध है जिसमें ऋणों के लिए समर्पित निधि की सुविधा विभिन्न क्षेत्रों में उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए कम से कम 20 प्रतिशत छात्रवृत्ति, कतिपय क्षेत्रों यथा रेलवे, सीमाशुल्क, सशस्त्र बलों तथा डाक एवं संचार में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार अवसर तथा व्यावसायिक, पेशेवर एवं उच्च शिक्षा के लिए संस्थाओं की सम्बद्धता एवं मान्यता के कार्य को सुगम बनाना शामिल है।

(सात) राजस्थान के अजमेर और पुष्कर के बीच रेल संपर्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : राजस्थान के अजमेर जिले मे स्थित पुष्कर देश के सुप्रसिद्ध तीर्थस्थलों में से एक है। इसका अत्यधिक पौराणिक महत्व है। यहां कई बड़े–बड़े मंदिर एवं पुष्कर सरोवर है, जहां प्रतिवर्ष लाखों धर्मप्रेमी तथा श्रद्धालु दर्शन लाभकर तथा पुष्कर सरोवर में स्नान कर पुण्य के भागी बनते हैं यहां के समशीतोष्ण जलवायु तथा धार्मिक वातावरण के कारण विदेशी पर्यटक भी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। सीधा रेलमार्ग नहीं होने के कारण यात्रियों को अजमेर उतर कर फिर बसों आदि से पुष्कर तक जाना पड़ता है जिससे बड़ी असुविधा होती है। कुछ वर्षों पूर्व भारत सरकार ने इस महत्वपूर्ण तीर्थस्थल को देश के शेष भागों से सीधा जोड़ने के लिए बड़ी रेलवे लाइन बिछाने का फैसला किया परंतु तीन–चार वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक अजमेर को पुष्कर से जोड़ने का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है तथा बजट में बहुत कम राशि रखे जाने के कारण योजना का लागत मूल्य भी बढ़ता जाता है। पुष्कर तक रेल लाइन बन जाने के बाद आगे मेड़ता तक भी रेल लाइन पहुंचाने का कार्य होना चाहिए जिससे अजमेर पश्चिम राजस्थान तथा पाकिस्तान से लगे हुए समीपवर्ती क्षेत्रों से सीधा जुड़ सके।

अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि पुष्कर जैसे तीर्थ स्थल तथा पर्यटन केन्द्र को लाखों यात्रियों के सुविधार्थ सीधा रेल मार्ग से जोड़ने के लिए रेलवे बजट में विशेष प्रावधान किया जाए तथा निर्धारित समयावधि में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य युद्धस्तर पर पूरा कर सीधी पुष्कर तक रेलगाड़ियां चलायी जाएं।

(आठ) देश के सुदूर तथा दूरस्थ क्षेत्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत अधिक प्राथमिकता चिकित्सा केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में भी

अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों, इस दृष्टि से विभिन्न राज्यों में केन्द्र सरकार की सहायता से प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना बड़ी संख्या में की गई किंतु बाद में इस योजना की क्रियान्वित में निरंतरता नहीं होने से कुछ क्षेत्र तो सामान्यतः लाभान्वित हुए किंतु जो क्षेत्र सुदूरवर्ती इलाकों, पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं, वहां ये सुविधाएं प्राप्त नहीं हो सकी साथ ही इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर निर्धारित मानदंड के अनुसार चिकित्सकों व सहायकों की नियुक्तियां न होने या स्थान रिक्त रहने के कारण लाभ नहीं मिल पा रहा है। उपकरणों का रखरखाव समुचित धनराशि के अभाव में, कर्मियों की कमी के कारण वाहनों एवं भवनों की भी स्थिति उक्त धनाभाव के कारण खराब होती जा रही है, जो अत्यंत चिंताजनक है।

अतः यह आवश्यक है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की उपयोगिता को देखते हुए ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्राथमिकता केन्द्रों को अधिकाधिक उपयोगी बनाया जाये व वंचित क्षेत्रों को लाभान्वित किये जाने की दृष्टि से नये केन्द्रों की स्थापना हो।

मैं चाहूंगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री इस संबंध में एक समयबद्ध कार्य योजना को मूर्तरूप दें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव को दूर किया जा सके जिससे स्वस्थ भारत के निर्माण की दिशा प्रशस्त हो सके।

(नौ) देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के समुदायों के समग्र विकास हेतु विशेष पैकेज में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर) : केन्द्र सरकार द्वारा 60 वर्षों की आजादी के बाद अभी तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, व्यावसायिक, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पीने के पानी, आवासीय व्यवस्था, व्यावसायिक परीक्षा, ट्राइसेम योजनाएं, नशामुक्ति योजनाएं, कन्या–विवाह योजनाएं, बाल–विवाह रोकने, अनुसूचित जाति–जनजाति अन्याचार निवारण योजना, अम्बेडकर आवास, बाल्मीकि आवास, पीड़ित वर्गों को बीमारी से निजात पाने, धार्मिक स्थलों को पर्यटक स्थल बनाने, सांस्कृतिक विकास संबंधी योजना, उनके पढ़ने हेतु विद्यार्थियों के लिए छात्रावास भवन, मैट्रिक, प्री–मैट्रिक छात्रावास व्यवस्था, बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने, प्रथम श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के सभी अधिकारियों कर्मचारियों के रिक्त पदों की छः माह के अंदर पूर्ति की जाये तथा विशेष अभियान चलाया जाये। एस.सी./एस.टी हेतु विभिन्न योजनाएं चलाए जाने के बाद भी समुचित विकास नगण्य है। उनके विकास के लिए दी जाने वाली राशि बहुत कम है। 21वीं सदी में पहुंचाने के बाद भी उनकी हालत जैसी की तैसी बनी है। विकास के नाम से मिलने वाली राशि अधिकतर सरकारी व्यवस्था में खर्च की जाती रही है।

केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अपरोक्त वर्गों के बाहुल्य क्षेत्र राज्य छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों झारखण्ड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य को तीन हजार करोड़ रुपय विशेष पैकेज अतिरिक्त दिया जाय तथा विशेष अभियान चलाकर उनका समुचित विकास किया जाय।

(दस) राजस्थान के विद्युत कोटे में केन्द्रीय पूल में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : 1984 के समझौते के तहत साझेदार राज्यों को विभिन्न जल परियोजनाओं तथा आमन्दपुर साहिब विद्युत परियोजना, मुकेरियन पन परियोजना थीन बांध परियोजना, यू. वी.जी.सी. चरण द्वितीय परियोजना और शाहपुर कांडी जल विद्युत परियोजना से राजस्थान और हरियाणा, राज्यों की हिस्सेदारी के दावों से संबंधित मुद्दों से सर्वोच्च न्यायालय की राय हेतु अभी तक सर्वोच्च न्यायालय को भेजा नहीं गया है। राजस्थान को इस नुकसान की भरपाई के लिए अभी तक कुछ भी नहीं दिया गया है।

भारत सरकार से मांग है कि वह केन्द्रीय विद्युत के आबंटित कोटे से राज्य के हिस्से में वृद्धि कर उसे 40 प्रतिशत के स्तर तक लाएं जो कि वर्ष 1996 में राज्य का हिस्सा था।

(ग्यारह) गुजरात के छोटे पत्तनों को बड़ी लाईन से जोड़े जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोडरा) : गुजरात सरकार ने दिनांक 04.07.2006 को गुजरात के लघु पत्तनों को मुंबई से दिल्ली को जोड़ने वाले भारत सरकार द्वारा स्वीकृत समर्पित रेलवे माल ढुलाई गलियारे से जोड़ने के लिए बड़ी रेल लाइन के संबंध में पोत परिवहन विभाग, भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था।

मैं रेल मंत्रालय/केन्द्र सरकार से उपरोक्त प्रस्ताव को शीघ्र कार्यान्वित करने का अनुरोध करती हूं।

(बारह) पश्चिम बंगाल के केलेघाई कोपालेश्वरी-बाघई बेसिन निकासी तथा तामुलक निकासी, जिला मिदनापुर के लिए कार्यबल की सिफारिशों को लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक) : तामलुक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जहां से मैं चुनकर आया हूं, वह चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ है, जैसे कि पूर्व में गंगा, उत्तर में रूपनारायण, पश्चिम में कांगाबस्ती तथा केलेघई तथा दक्षिण मे हल्दी। नदी के तल में भारी मात्रा में गाद जम जाने से पश्चिम बंगाल सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा उपलब्ध कराई

गई सिंचाई प्रणाली निष्क्रिय हो गई है। नदी का तल कृषि भूमि से ऊंचा हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप वर्षा के पानी की निकासी नहीं हो रही है तथा इन सभी क्षेत्रों में हर वर्ष बाढ़ आती है।

मैं यहां बताना चाहूंगा कि प्राचीन समय में रूपनारायण नदी में कार्गों की दुलाई की जाती थी। बाद में ताम्रलिप्ता बंदर नामक पत्तन अस्तित्व में आया। भारी गाद जाने के कारण उक्त पत्तन का अस्तित्व ही समाप्त हो गया।

भारत सरकार के माननीय जल संसाधन मंत्री ने मेरे दिनांक 15.12.2005 के पत्र के संदर्भ में, ये आश्वासन दिया कि दोनों योजनाओं अर्थात (1) 32.75 करोड़ रु. की अनुमानित लागत वाली केलेधई कोपालेश्वरी बघाई बेसिन अपवाह प्रणाली (2) 20.51 करोड़ रु. की अनुमानित लागत वाली तामलुक अपवाह प्रणाली के संबंध में कृतक बल की सिफारिशों को ग्यारहवीं योजना में क्रियान्वित किया जाएगा।

माननीय जल संसाधन मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि कृतक बल ने हलदी, रूपनारायण, गंगा, कोपालेश्वरी, चंडिया और हुगली नदियों की बाढ़ नियंत्रण योजनाओं सहित बाढ़ प्रबंधन हेतु विभिन्न उपायों की सिफारिश की थी इस सिफारिश को तत्काल क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त इन सभी नदियों से गाद निकालने से संबंधित योजनाओं जिनसे बाढ़ नियंत्रण तथा मालवाहन पोतों के आवागमन में सहायता मिलेगी को आरम्भ नहीं किया गया है। अतः मैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय तथा जल संसाधन मंत्री से रूपनारायण तथा हलदी नदियों में गाद निकालने का कार्य कराने के साथ–साथ कृतक बल द्वारा सिफारिश की गई उपरोक्त योजनाओं को क्रियान्वित करने की मांग करता हूं।

(तेरह) देश के सभी शहीद सैनिकों के आश्रितों को समान रूप से कल्याणकारी पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : 1.13 की संख्या वाली मिलियन सेना ने कारगिल संघर्ष के दौरान शहीद हुए 527 सैनिकों के निकट संबंधियों तथा घायल हुए 1400 सैनिकों को दी गई अधिक धनराशि के समान सभी युद्ध हताहतों के लिए सरकार से एक समान कल्याण पैकेज की मांग की है।

सेना पहले भी यह मुददा उठा चुकी है परन्तु इसका कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि सरकार "जोखिम के विभिन्न स्तरों" तथा "कार्रवाई की प्रबलता" के आधार पर युद्ध तथा उग्रवाद–विरोधी अभियानों में हताहतों में भेद कर रही है।

कारगिल संघर्ष के दौरान शहीद हुए सैनिक के परिवार को लगभग 19.30 लाख रु. दिए जाते हैं, जिससे केन्द्र सरकार की ओर से 10 लाख रु. की अनुग्रह राशि तथा अन्य विशेष लाभ शामिल है। परन्तु जम्मू–कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में उग्रवाद विरोधी कठिन अभियानों सहित अन्य अभियानों में 'घातक' मामलों हेतु धनराशि मोटे तौर पर लगभग 8 लाख रु. है।

कारगिल अभियान में घायल हुए सैनिकों को विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर अनुग्रह भुगतान के रुप में 3 से 6 लाख रु. मिले,, जोकि विशेष लाभ मिलने पर और भी अधिक हो जाता है। अन्य अभियानों में 1 लाख रु. की अनग्रह राशि दी जाती है।

अतः मैं सरकार से अपनी जान न्यौछावर करने वाले सभी देशभक्त सैनिकों को "एक समान कल्याणकारी पैकेज" प्रदान करने हेतु आदेश देने का अनुरोध करता हूं।

(चौदह) उत्तर प्रदेश के खीरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दूषित भू-जल की समस्या का केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत समाधान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान दूषित भूमिगत जल स्रोतों की ओर दिलाना चाहता हूं। देश के लगभग 15 राज्य इस समस्या से जूझ रहे हैं उनमें उत्तर प्रदेश भी एक राज्य है। भूमिगत जल स्रोतों के दूषित होने के कारण लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं जिसके कारण लोग जान लेवा बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।

महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र भी इस समस्या से जूझ रहा है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रीय योजना के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करें जिस से गरीब जनता को झाग रहित विषमुक्त पीने का पानी मिल सके।

(पन्द्रह) चैल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वजलधारा योजना के तहत इंडिया मार्क हैंड पंप लगाए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र चायल जिसमें तीन जिले आते हैं, इलाहाबाद, कौशाम्बी एवं फतेहपुर, यहां पानी भू–गर्भ में जल स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री के मौखिक आदेशानुसार जिले से फिर प्रदेश योजना विभाग द्वारा प्रस्ताव भेजने के बाद भी इंडिया मार्क सैकिंड हैण्डपम्प नहीं लग रहा है जबकि पूरे क्षेत्र के तीनों जिलों में पेयजल की समस्या अत्यधिक दयनीय है।

मैं पुनः भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय को कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्वजलधारा कार्यक्रम को स्थगित किये जाने के बाद स्थिति बहुत विकराल बनी है, को ध्यान में रखते हुए 5000 हैण्डपम्प तत्काल लगाने का आदेश दें।

(सोलह) बिहार के गोपालगंज जिले में थावे को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव (गोपालगंज) : महोदय, थावे, गोपालगंज, बिहार में भी भवानी जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहां सालों भर राज्य एवं देश के अन्य भागों से तीर्थ यात्री हजारों की संख्या में आते रहते हैं। इस मंदिर के प्रति लोगों की काफी आस्था है। इतने प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर होने के बावजूद कोई विशेष सुविधा यहां नहीं है। अगर थावे को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकास किया जाये तो तीर्थ यात्रियों के सुविधा के साथ-साथ सरकार को अधिक राजस्व की भी प्राप्ति होगी।

अतः मैं इस सदन के माध्यम से माननीया पर्यटन मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और आग्रह करता हूं कि थावे गोपालगंज को केन्द्र सरकार द्वारा एक पर्यटन स्थल के रूप में विकास किया जाये और वहां केन्द्र सरकार विशेष आर्थिक मदद दे।

(सत्रह) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में घाघरा नदी पर बांध के निर्माण की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : महोदय, अयोध्या फैजाबाद, उ. प्र. एक राष्ट्रीय धार्मिक तीर्थस्थल है, जो घाघरा नदी के किनारे स्थित है। घाघरा नदी प्रतिवर्ष अपनी विनाशलीला से करोड़ों की क्षति एवं लाखों जनजीवन को तबाह और बर्बाद करती है। अयोध्या से बिल्हर घाट दशरथ समाधि तक जो बांध बनाया गया है, उससे बड़े पैमाने पर धन जन की क्षति होने से बचाया जाता है, उसी प्रकार से हम बन्धे को दशरथ समाधि बिल्हर घाट से दिलासीगंज तक यदि बना दिया जाये तो लाखों लोगों को आवागमन की सुविधा तथा उनको घाघरा नदी के भीषण बाढ़ से बचाया जा सकता है और करोड़ों रुपये की राष्ट्रीय क्षति को सुरक्षित कर बदले में बाढ़ पीड़ितों को जो राहत के नाम पर सहायता राशि वितरण की जाती है, उससे निजात मिल सकती है।

इसलिए इस बांध का निर्माण आवागमन के दृष्टिकोण से और घाघरा नदी की बाढ़ विनाशलीला से लाखों लोगों को और करोड़ों की संपत्ति को बर्बादी से बचाया जा सकता है।

हमारी भारत सरकार से मांग है कि इस महत्वपूर्ण बांध को बनाने की स्वीकृति प्रदान की जाये।

(अठारह) तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ई. जी. सुगावनम (कृष्णागिरि) : देश में तमिलनाडु के कृष्णागिरि जिले में आमों का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है यहां पर लगभग 36,000 हेक्टेयर भूमि पर आमों की खेती की जाती है। राज्य के कुल आम उत्पादन में यह जिला साठ प्रतिशत से ज्यादा योगदान देता है। कृष्णागिरि में उत्पादित आमों का एक बड़ा भाग गूदा प्रसंस्करण इकाइयों में चला जाता है।

पिछले कई वर्षों के दौरान इस जिले में गूदा उत्पादन में वृद्धि हुई है और वर्ष 2010 तक इसके 75,000 टन तक पहुंचने का अनुमान है। कृष्णागिरि जिले में फलों के गूदे का प्रसंस्करण करने वाली निजी क्षेत्र की लगभग 25 प्रसंस्करण इकाइयां हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर प्रतिवर्ष 35,000 टन फलों का रस का भी उत्पादन किया जाता है। लगभग 30 से 40 हजार लोग आमों की खेती में नियोजित है। इनके अतिरिक्त कृष्णागिरि और इसके आस-पास ऐसी लगभग 150 निजी आम नर्सरियां इकाइयां स्थित हैं जो (छालवृक्ष) पौधों का उत्पादन भी कर रही है। कृष्णागिरि जिला 1000 मिलियन मूल्य के आम आधारित उत्पादों का भी निर्यात करता है।

अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं के परिणामस्वरूप और अवैज्ञानिक ढंग से संभलाई के कारण प्रायः फलों को अवैज्ञानिक तरीके से लादा और उतारा जाता है। इसके अतिरिक्त आमों को सड़ने से बचाने और किसानों एवं सरकार को आमों के निर्यात के माध्यम से पर्याप्त राजस्व दिलाने के लिए केन्द्र सरकार की सहायता से तमिलनाडु में कृष्णागिरि जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से इस पर विचार तथा आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं।

(उन्नीस) झारखंड के संथाल परगना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू (राजमहल) : महोदय, झारखण्ड के संथाल परगना में विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति की गंभीर समस्या है। अभी 8,727 गैर-विद्युतीकरण गांवों तथा 14,69,520 ग्रामीण घरों (9,42,319 बीपीएल घरों समेत) का विद्युतीकरण का काम अधूरा है। हमारे संसदीय क्षेत्र के साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा और दुमका आदि जिलों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युतीकरण का कार्य असंतोषजनक है। संथल परगना जिला में पन विद्युत परियोजना और पावरग्रिड स्थापना के लिए हमने केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है, परन्तु परिणाम संतोषजनक नहीं हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन अॅथारिटी ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यों में सफल नहीं हो रही है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत कई गांवों में विद्युतीकरण करने हेतु और स्कीम को जारी रखने के लिए सी.सी.ई.ए से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु त्वरित कार्रवाई नहीं की जा रही है।

अतः संथाल परगना के साहिबंगज, गोड्डा, पाकुड और दुमका आदि जिलों में पॉवरग्रिड की स्थापना एवं ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यों को शीघ्र पूरा करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाये।

(बीस) जम्मू कश्मीर के लद्दाख में दूरसंचार सेवाओं में सुधार तथा विस्तार किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री छेवांग थुपस्तन (लद्दाख) : लदाख के संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की स्थिति बद से बदत्तर है। बीएसएनएल मोबाइल सेवा और लैंड लाइन सेवाएं समुचित ढंग से काम नहीं कर रही हैं। इस वर्ष लद्दाख में सबसे ज्यादा देशी और विदेशी पर्यटक आए हैं लेकिन वहां पर खराब दूर संचार व्यवस्था के कारण पर्यटकों के साथ-साथ स्थानीय उपभोक्ताओं ने काफी शिकायतें की है। मोबाइल और लैंडलाइन व्यवस्था में उन्नयन प्रक्रिया अर्थात् ऑटिकल फाइबर के बिल (ओ एफ सी) बिछाने और वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल) की संस्थापना में विलम्ब हो रहा है। लद्दाख में दूरसंचार विभाग में 50 प्रतिशत से भी कम कर्मचारी काम कर रहे हैं। क्योंकि कोई नई भर्ती नहीं हुई है और न ही यहां पर कर्मचारियों की तैनाती हो रही है। इसलिए वहां पर खाली पड़े सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरने और सेवाओं में सुधार हेतु पर्याप्त पदों का सृजन करने की आवश्यकता है। जम्मू स्थित स्विचिंग सिस्ट्म को लेह में स्थापित किए जाने संबंधी कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की आवश्यकता है। बीएसएनएल मोबाईल के उन्नयन हेतु मानदंडों में छूट दिए जाने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री से प्राथमिकता के आधार पर इस समस्या के समाधान और इस समस्या का आकलन करने तथा उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजने का अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 12.07 बजे

वायुयान (संशोधन) विधेयक, 2006

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद सं. 15 पर विचार करेगी। श्री प्रफुल पटेल।

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वायुयान अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वायुयान अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 14 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 14 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 2,...

"2006" के स्थान पर, "2007" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

(श्री प्रफुल पटेल)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रुप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियम सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ *1*, पंक्ति 1....

"सतावनवे" के स्थान पर "अठावनवे" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री प्रफुल पटेल)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधन रुप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रुप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, विधेयक को बिना

किसी वाद–विवाद अथवा चर्चा के क्यों पारित किया जा रहा है। ...(व्यवधान)

श्री प्रफुल पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रुप में, पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रुप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न चार बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न चार बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 4.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 4.00 बजे पुनः समवेत हुई।

*(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)*

सड़क से वाहन विधेयक, 2007

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद सं. 15क पर विचार करेंगे–श्री टी. आर. बालू।

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : महोदय मैं, प्रस्ताव करता हूं:

"कि सामान्य वाहकों को, उनके दायित्व को सीमित करके, विनियमन करने और उन्हें परिदत्त माल के मूल्य की, उनकी, उनके सेवकों या अभिकर्ताओं की लापरवाही या आपराधिक कार्यों के कारण ऐसे माल को हुई हानि या नुकसानी के लिए उनका दायित्व अवधारित करने के लिए, उनके घोषणा करने और उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सामान्य वाहकों को, उनके दायित्व को सीमित करके, विनियमन करने और उन्हें परिदत्त माल के मूल्य की, उनकी, उनके सेवकों या अभिकर्ताओं की लापरवाही या आपराधिक कार्यों के कारण ऐसे माल को हुई हानि या नुकसानी के लिए उनका दायित्व अवधारित करने के लिए, उनके घोषणा करने और उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड–वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 22 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 22 विधेयक में जोड़ दिए गये।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

...(व्यवधान)

श्री टी. आर. बालू : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद सं. 17 पर विचार करेंगे – श्री सी. के. चन्द्रप्पन।

...(व्यवधान)

श्री सी. के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, मैं अमरीका के साथ असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग के संबंध में चर्चा शुरू करता हूं...

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है? *...(व्यवधान)*

अपराह्न 4.02 बजे

(इस समय श्री अशोक प्रधान और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 5.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 4.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 5.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

सायं 5.00 बजे

लोकसभा सायं 5.00 बजे पुनः समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए)*

विदाई उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, ऐसा प्रतीत होता है कि जिस मुद्दे पर मेरा नियंत्रण नहीं है उस पर इस सभा की कार्यवाही का संचालन समुचित रूप से करना संभव नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : *अध्यक्ष महोदय, बीजेपी के ...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया, बस कीजिए बहुत हो चुका।

[हिन्दी]

जाइए, आप अपनी सीट पर बैठिए।

[अनुवाद]

माननीय सदस्यों, 14वीं लोक सभा का ग्यारहवां सत्र 10 अगस्त, 2007 को आरंभ हुआ था और आज इसका समापन हो रहा है, हालांकि पहले यह निर्णय लिया गया था कि यह सत्र 14 सितम्बर, 2007 को समाप्त होगा।

इस सत्र के दौरान 17 बैठकें हो पाई जो 64 घंटे और 24 मिनट तक चलीं।

सभा में वर्ष 2007-2008 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) तथा (रेल) पर चर्चा और मतदान संबंधित विनियोग विधेयकों को पारित किये जाने से पूर्व क्रमशः 5 घंटे और 33 मिनट तथा 6 घंटे और 40 मिनट तक चला।

सभा में "देश में हुई आतंकवादी हिंसा की हाल की कामिक घटनाओं तथा हैदराबाद में हुए दोहरे विस्फोट की ताजा घटना जिससे 42 निर्दोष नागरिक मारे गए और 50 घायल हुए, को रोकने में सरकार की विफलता" के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हुई। 4 घंटे और 21 मिनट से अधिक चली चर्चा के उपरांत यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सत्र के दौरान सभा में 10 विधेयक पारित किए गए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक मर्चेण्ट शिपिंग (संशोधन) विधेयक, 2007, भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक, 2007, अंतर्देशीय जलपोत (संशोधन) विधेयक, 2007, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2007 थे। सभा में व्यवधान के कारण बिना चर्चा के चार विधेयक पारित किए गए।

सभा में देश के विभिन्न भागों में बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में नियम 193 के अधीन सार्थक अल्पकालिक चर्चा हुई जो 10 घंटों से अधिक चली।

चालू सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण के माध्यम से दो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए जिसके उत्तर में संबंधित मंत्रियों ने वक्तव्य दिए। एक अन्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में संबंधित मंत्री ने अपना वक्तव्य सभा पटल पर रखा परंतु व्यवधान के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी। आवश्यक वस्तुओं की निरंतर बढ़ती हुई कीमतों के बारे में एक अन्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को नियम 193 के तहत अल्पकालिक चर्चा में परिवर्तित किया गया परंतु इसे चर्चा के लिए नहीं लिया जा सका। मंत्रियों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर 36 वक्तव्य दिए गए।

जहां तक गैर सरकारी सदस्यों के कार्य का प्रश्न है सत्र के दौरान गैर सरकारी सदस्यों के 22 विधेयक प्रस्तुत किए गए। स्वरोजगार का संवर्द्धन विधेयक, 2006 पर सार्थक चर्चा करने के बाद उसे अस्वीकृत कर दिया गया। एक और विधेयक संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004, जिसका आशय शारीरिक रूप से सक्षम और 18 वर्ष की आयु वाले नागरिक को अर्थपूर्ण रोजगार प्रदान करने हेतु संविधान में संशोधन करना था, का कोई परिणाम नहीं निकला।

गैर सरकारी सदस्य के एक संकल्प पर सभा की अनुमति से वापस लिए जाने के पूर्व लगभग दो घंटे चालीस मिनट चर्चा हुई इस संकल्प का आशय देश से भूख को पूर्णतः समाप्त करने की दिशा में समग्र खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना बनाना और लागू करना था। एक और गैर सरकारी सदस्य संकल्प पर जिसका आशय सरकार से उच्च माध्यमिक स्तर तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का आग्रह करना था, आंशिक रूप से चर्चा हो सकी।

सत्र के दौरान 380 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध थे जिनमें 35 प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया जा सका। इस प्रकार औसतन प्रतिदिन लगभग 2.05 प्रश्नों का उत्तर दिया जा सका। 3776 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। एक अल्प सूचना प्रश्न गृहीत किया गया।

इस सत्र में विभागों रूप से संबंधित स्थायी समितियों ने 26 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

प्रश्नकाल के बाद और सामान्य कार्यवाही के पश्चात् उस दिन सभा के उठने से पहले सदस्यों ने लोक महत्व वाले 131 विषय उठाए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के तहत 197 मुद्दे भी उठाए।

इस सत्र के दौरान व्यवधान और सभा की कार्यवाही मजबूरन स्थागित किए जाने के कारण 42 घंटों से अधिक समय की बर्बादी हुई।

मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि संसदीय लोकतंत्र तभी ढंग से कार्य कर सकता है जब सभा के सभी वर्ग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर हो रहे वाद विवाद और चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लें और जब सभा पूरी शालीनता और गरिमा से कार्य करे। सभा की कार्यवाही को समुचित रूप से चलाने के लिए तथा आम आदमी से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए मैंने अनेक अवसरों पर नेताओं, मुख्य सचेतकों, लोक सभा में दलों के सचेतकों तथा सभापति तालिका के सदस्यों के साथ बैठकें की। तथापि, मेरी ओर से बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद सभा के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण विधायी कार्य बिना चर्चा के सम्पादित करने पड़े और लोक महत्व के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे राज्य के तीन अंगों यथा विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के सौहार्दपूर्ण कार्यकरण की आवश्यकता तथा प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ गैर-सैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग पर दिए गए वक्तव्य पर एक अन्य चर्चा, किसानों की समस्याएं, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में सतत् वृद्धि पर चर्चा तथा सच्चर समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा मेरे द्वारा गृहीत किए जाने के बावजूद नहीं हो सकी क्योंकि सभा सुचारू रूप से नहीं चल सकी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाए। सभी को आत्म चिंतन करना चाहिए। मैं सभा के किसी वर्ग को निर्दिष्ट नहीं कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्ष के भाषण में व्यवधान न डालें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा. चक्रवर्ती, यह बहुत अशोभनीय है। कृपया आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित न करें। इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां क्या हो रहा है? इससे पीठ का अपमान हो रहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाईये। यह अब एक बीमारी है। यह अब एक रोग बन गया है। जब अध्यक्ष बोल रहा हो तब भी आप व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जन-प्रतिनिधियों के रूप में सदस्य अपने मतदाताओं की सेवा केवल तभी कर सकते हैं जब वे सभा में प्रक्रिया नियमों के दायरे में रहकर, चर्चा में भाग लें। यह अत्यंत क्षोभ का विषय है कि देश के सर्वोच्च लोक मंच की गति लगभग ठहर सी गयी है जिससे हमारी संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के भविष्य पर प्रश्न उठने लगे हैं।

मैं माननीय उपाध्यक्ष और सभापति तालिका के अपने सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सभा का कार्य सम्पन्न करने में अपना सहयोग प्रदान किया। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री, सभा के नेता, विपक्ष के नेता, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं तथा मुख्य सचेतकों और माननीय सदस्यों के सहयोग के लिए अपील करता हूं। यही मेरी सविनय अपील है। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के अपने सभी मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं। मैं इस समर्पण तथा मुस्तैदी से की गई सेवा के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। मैं इस अवसर पर लोक सभा के महासचिव तथा अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सभा की पूर्ण समपर्ण तथा मुस्तैदी से की गई सेवा के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। मैं सभा के संचालन में अन्य एजेंसियों द्वारा दी गई प्रशंसनीय सहायता के लिए भी उन्हें धन्यवाद देता हूं।

सायं 5.09 बजे

राष्ट्रगीत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब वन्दे मातरम की धुन बजाई जायेगी, माननीय सदस्यगण खड़े हो जाए।

(राष्ट्रगीत की धुन बजाई गई)

अध्यक्ष महोदय : सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

सायं. 5.10 बजे

लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुबंध - I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्या का नाम	तारांकित प्रश्नों-की संख्या
1.	श्री सूरज सिंह	361
	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	
2.	श्रीमती करूणा शुक्ला	362
	श्रीमती रुपाताई डी. पाटील	
3.	डा. धीरेन्द्र अग्रवाल	363
	श्री हरिकेवल प्रसाद	
4.	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	364
	श्री पी. सी. थामस	
5.	श्री इकबाल अहमद सरडगी	365
6.	श्री हरिसिंह चावड़ा	366
	श्री जीवाभाई ए. पटेल	
7.	श्री बंसगोपाल चौधरी	367
	श्री सुनील खां	
8.	श्री किरिप चालिहा	368
9.	श्री रामदास आठवले	369
10.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	370
11.	श्री अशोक अर्गल	371
12.	डा. सत्यनारायण जटिया	372
13.	श्री रूपचन्द मुर्मू	373
14.	श्री के. सुब्बारायण	374
15.	श्री प्रभुनाथ सिंह	375
	श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	375
16.	श्री मोहन रावले	376
17.	श्री बसुदेव आचार्य	377
18.	श्री बाडिगा रामकृष्णा	378
19.	श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	379
	श्री हंसराज गं. अहीर	
20.	श्री गणेश सिंह	380
	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्या का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे. एम.	3619, 3668, 3770, 3772
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	3694, 3736
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3562, 3595, 3626
4.	अग्रवाल, डा. धीरेन्द्र	3679, 3689
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	3664, 3678, 3742
6.	अजय कुमार, श्री एस.	3639
7.	अनंत कुमार, श्री	3637
8.	अप्पादुरई, श्री एम.	3627, 3705
9.	आठवले, श्री रामदास	3692
10.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	3604, 3676
11.	बर्मन, श्री हितेन	3559, 3719
12.	बर्मन, श्री रनेन	3560, 3660, 3776
13.	बर्क, डा. शफीकुर्रहमान	3597
14.	बसु, श्री अनिल	3630
15.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	3576, 3670
16.	भडाना, श्री अवतार सिंह	3603, 3606, 3619, 3676, 3682
17.	भगोरा, श्री महावीर	3554, 3667, 3740
18.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	3758, 3778
19.	बोस, श्री सुब्रत	3573, 3715
20.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	3633
21.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	3567
22.	चक्रवर्ती, श्री अजय	3590, 3718
23.	चक्रवर्ती, डा. सुजान	3651
24.	चन्द्रप्पन, श्री सी. के.	3712
25.	चारेनामै, श्री मणि	3620
26.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	2679, 3734, 3735

1	2	3
27.	चिन्ता मोहन, डा.	3618
28.	चौधरी, श्री बंसगोपाल	3691
29.	चौधरी, श्री अधीन	3583, 3686, 3741
30.	देवरा, श्री मिलिन्द	3587, 3775
31.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	3645, 3716, 3749
32.	धनराजू, डा. के.	3609
33.	धोत्रे, श्री संजय	3566, 3687
34.	दत्त, श्रीमती प्रिया	3629
35.	गद्दीगउडर, श्री पी. सी.	3648
36.	गढ़वी, श्री पी. एस.	3616, 3619
37.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	3611, 3772
38.	गंगवार, श्री संतोष	3604, 3760, 3771, 3773, 3782
39.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	3566, 3602, 3687
40.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	3614, 3761, 3771
41.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	3619
42.	गुढ़े, श्री अनंत	3621, 3700
43.	हसन, चौ. मुनव्वर	3592, 3702, 3752
44.	हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह	3759, 3769
45.	हुसैन, श्री अनवर	3617, 3697, 3739
46.	जगन्नाथ, डा. एम.	3601, 3699
47.	जयाप्रदा, श्रीमती	3599
48.	जेना, श्री मोहन	3765
49.	झा, श्री रघुनाथ	3685, 3751, 3757
50.	जिन्दल, श्री नवीन	3633, 3770
51.	जोगी, श्री अजीत	3612
52.	जोशी, श्री प्रहलाद	3581, 3650
53.	कादर मोहिदीन, प्रो. के. एम.	3690

1	2	3
54.	कलमाड़ी, श्री सुरेश	3760
55.	खैरे, श्री चंद्रकांत	3636, 3650, 3723
56.	खां, श्री सुनील	3684, 3691, 3777
57.	खन्ना, श्री अविनाश राय	3703
58.	खारवेनथन, श्री एस. के.	3565, 3596, 3662
59.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	3575, 3676, 3729, 3741
60.	कृष्ण, श्री विजय	3637, 3657
61.	कृष्णदास, श्री एन. एन.	3607
62.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	3771
63.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	3668, 3726
64.	महरिया, श्री सुभाष	3577
65.	महतो, श्री नरहरि	3589
66.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	3654
67.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	3760
68.	माने, श्रीमती निवेदिता	3604, 3611, 3772
69.	मसूद, श्री रशीद	3613, 3696, 3783
70.	मैक्लोड़, सुश्री इन्ग्रिड	3642, 2712
71.	मेहता, श्री आलोक कुमार	3744
72.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	3588, 3674, 3728, 3758
73.	मिश्रा, डा. राजेश	3606, 3770, 3772
74.	मो. ताहिर, श्री	3656
75.	मोल्लाह, श्री हन्नान	3761
76.	मंडल, श्री अबु अयीश	3628, 3706, 3744
77.	मुर्मू, श्री हेमलाल	3594, 3711
78.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	3693
79.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	3621, 3700
80.	निखिल कुमार, श्री	3583, 3686, 3741, 3763

1	2	3
81.	ओराम, श्री जुएल	3709
82.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	3569, 3713
83.	पाण्डा, श्री प्रबोध	3644
84.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	3614, 3703, 3762, 3774
85.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	3614, 3649
86.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	3663, 3714
87.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	3580, 3673, 3710, 3748, 3780
88.	पटैरिया, श्रीमती नीता	3676
89.	पाठक, श्री ब्रजेश	3652
90.	पाठक, श्री हरिन	3616
91.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	3605, 3709, 3747
92.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	3626
93.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	3678, 3688, 3703
94.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	3581, 3656
95.	पिंगले, श्री देविदास	3608
96.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	3586, 3604, 3676, 3772
97.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	3634, 3735
98.	राई, श्री नकुल दास	3582, 3671
99.	राजगोपाल, श्री एल.	3622, 3768
100.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	3555, 3614
101.	रामदास, प्रो. एम.	3578, 3579
102.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	3695, 3737, 3756
103.	राणा, श्री काशीराम	3623
104.	राव, श्री के. एस.	3646, 3667, 3720, 3781
105.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3601, 3762
106.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	3654, 3724
107.	रावले श्री मोहन	3675, 3733, 3755

1	2	3
108.	रावत, श्री कमला प्रसाद	3655
109.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	3561, 3661, 3727
110.	रेड्डी, श्री के. जे. एस. पी.	3593
111.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	3564
112.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	3643
113.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3690, 3734
114.	रिजीजू, श्री कीरेन	3558, 3703
115.	साई प्रताप, श्री ए.	3625
116.	सज्जन कुमार, श्री	3682, 3770
117.	संगलिअना, डा. एच. टी.	3624, 3721
118.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	3659, 3721, 3725, 3754
119.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	3600, 3683, 3743
120.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	3553, 3677, 3745
121.	सेन, श्रीमती मिनाती	3704, 3771
122.	शहीन, श्री अब्दुल रशीद	3563, 3698
123.	शर्मा, श्री मदन लाल	3578, 3579, 3626
124.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	3562, 3595, 3626
125.	शिवन्ना, श्री एम.	3647, 3771
126.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	3581, 3656
127.	शुक्ला, श्रीमती करूणा	3688
128.	सिद्दीश्वर, श्री जी. एम.	3574, 3669, 3730, 3772
129.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	3623, 3690
130.	सिंह, चौधरी विजेन्द्र	3641
131.	सिंह, श्री चन्द्रभान	3676
132.	सिंह, श्री दुष्यंत	3658
133.	सिंह, श्री मोहन	3598
134.	सिंह, श्री राकेश	3557, 3703
135.	सिंह, श्री रेवती रमन	3610, 3708, 3746, 3760

1	2	3
136.	सिंह, श्री सुग्रीव	3596, 3710, 3748
137.	सिंह, श्री सरजू	3774
138.	सिंह, श्री उदय	3635
139.	सुब्बारायण, श्री के.	3681
140.	सुगावनम, श्री ई. जी.	3571, 3665
141.	सुमन, श्री रामजीलाल	2618, 3774
142.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	3615
143.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	3572, 3666
144.	टुम्मुर, श्री वी. के.	3632, 3663, 3714
145.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	3703, 3762, 3774
146.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3584, 3672, 3732
147.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	3631, 3707
148.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	3632, 3634, 3689
149.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम. पी.	3556, 3701
150.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	3767
151.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	3562, 3595, 3626
152.	विरूपाक्षप्पा, श्री के.	3764
153.	वारसी, श्री अनिल शुक्ल	3614, 3653, 3707, 3722, 3779
154.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	3570
155.	यादव, श्री गिरिधारी	3568
156.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	3652
157.	यादव, श्री मित्रसेन	3640
158.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	3591, 3614, 3680, 3731

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	362, 370, 371, 375, 376, 378, 379
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	377, 380
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	363, 366, 372
रक्षा	365, 367, 368
श्रम और रोजगार	369, 373, 374
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	361
जल संसाधन	364

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	3554, 3557, 3562, 3564, 3576, 3578, 3580, 3582, 3586, 3586, 3591, 3593, 3594, 3599, 3600, 3603, 3618, 3620, 3625, 3629, 3638, 3648, 3657, 3662, 3668, 3671, 3672, 3673, 3675, 3678, 3679, 3680, 3682, 3692, 3700, 3706, 3709, 3710, 3711, 3712, 3716, 3718, 3725, 3726, 2727, 3731, 3732, 3740, 3743, 3747, 3774, 3779, 3781
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	3558, 3561, 3568, 3569, 3570, 3588, 3592, 3598, 3602, 3604, 3607, 3612, 3619, 3621, 3622, 3626, 2630, 3631, 3636, 3639, 3640, 3641, 3647, 3654, 3655, 3656, 3663, 3666, 3670, 3676, 3688, 3690, 3693, 3694, 3695, 3696, 3701, 3702, 3713, 3714, 3720, 3728, 3733, 3734, 3736, 3738, 3746, 3749, 3752, 3753, 3763, 3764, 3780
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	3556, 3574, 3584, 3587, 3590, 3601, 3611, 3615, 3637, 3643, 3650, 3686, 3698, 3730, 3742, 3744, 3748, 3757, 3761, 3767, 3771, 3773, 3775
रक्षा	3553, 3566, 3581, 3583, 3585, 3595, 3596, 3606, 3623, 3624, 3627, 3633, 3635, 3644, 3664, 3677, 3683, 3684, 3685, 3691, 3703, 3704, 3705, 3708, 3721, 3723, 3724, 3737, 3741, 3745, 3755, 3757, 3758, 3759, 3760, 3762, 3766, 3768, 3769, 3770, 3772, 3776, 3777, 3778, 3782

श्रम और रोजगार	3555, 3559, 3560, 3563, 3573, 3577, 3597, 3605, 3608, 3616, 3628, 3634, 3646, 3660, 3661, 3667, 3674, 3687, 3699, 3707, 3715, 3719, 3722, 3729, 3735
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	3565, 3567, 3571, 3579, 3617, 3645, 3551, 3653, 3665, 3697
जल संसाधन	3572, 3575, 3609, 3610, 3613, 3614, 3632, 3642, 3649, 3652, 3658, 3659, 3669, 3681, 3689, 3717, 3739, 3750, 3751, 3754, 3756, 3765

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. – 48/28/17/2007 (एन.)
232

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।